ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષણવિભાગના પત્ર–ક્રમાંક
મશબ/1118/1511/છ, તારીખ : 26-03-2019–થી મંજૂર

सामाजिक विज्ञान

कक्षा 9

प्रतिज्ञापत्र

भारत मेरा देश है।
सभी भारतवासी मेरे भाई–बहन हैं।
मुझे अपने देश से प्यार है और इसकी समृद्धि तथा बहुविध परम्परा पर गर्व है।
मैं हमेशा इसके योग्य बनने का प्रयत्न करता रहूँगा।
मैं अपने माता–पिता, अध्यापकों और सभी बड़ों की इज्जत करूँगा एवं हर एक से नम्रतापूर्वक व्यवहार करूँगा।
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश और देशवासियों के प्रति एकनिष्ठ रहूँगा।
उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है।

રાજ્ય સરકારની વિનામૂલ્યે યોજના હેઠળનું પુસ્તક

गुजरात राज्य शाला पाठ्यपुस्तक मंडल
'विद्यायन', सेक्टर 10-ए, गांधीनगर-382010

© गुजरात राज्य शाला पाठ्यपुस्तक मंडल, गांधीनगर
इस पाठ्यपुस्तक के सर्वाधिकार गुजरात राज्य शाला पाठ्यपुस्तक मंडल के अधीन हैं। इस पाठ्यपुस्तक का कोई भी अंश किसी भी रूप में गुजरात राज्य शाला पाठ्यपुस्तक मंडल के नियामक की लिखित अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता ।

विषय-सलाहकार
डॉ. जी. टी. सरवैया
प्रा. वाय. पी. पाठक
प्रा. दिनेश मू. शुक्ल

लेखन-संपादन
श्री सलीम एस. कुरेशी (कन्वीनर)
डॉ. बिमल एस. भावसार
श्री देवांगकुमार आर. देसाई
श्री प्रकाश के. वाघेला
डॉ. जिज्ञासाबहन एच. जोशी
श्री राजेन्द्रकुमार वी. महेता
श्री वसंतराय एम. तैरया
श्री मनीष भूपेन्द्रभाई सोनी
श्री नंदाबहन एस. व्यास
श्री शहीदाबहन के. खानसाहब
श्री भावेशभाई पंड्या

अनुवाद
श्री राजेशसिंह क्षत्रिय
श्री राजेन्द्र आर. पांडेय
श्री राघवेन्द्रकुमार रावत

अनुवाद-समीक्षा
डॉ. ओमप्रकाश गुप्ता
डॉ. वीरेन्द्रनारायण सिंह
श्री विजयकुमार तिवारी
श्री विश्वप्रकाशसिंह राजपूत
श्री आसुतोष गुप्ता

चित्रांकन
श्री ग्राफिक्स
परिता ग्राफिक्स

संयोजक
डॉ. चिराग एन. शाह
(विषय संयोजक : कॉमर्स)

निर्माण-संयोजन
श्री हरेन शाह
(नायब नियामक : शैक्षणिक)

मुद्रण-आयोजन
श्री हरेश एस. लीम्बाचीया
(नायब नियामक : उत्पादन)

प्रस्तावना

राष्ट्रीय अभ्यासक्रम के अनुसंधान में गुजरात माध्यमिक और उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड ने नये अभ्यासक्रम तैयार किये हैं। ये अभ्यासक्रम गुजरात सरकार द्वारा मंजूर किए गए हैं।

गुजरात सरकार द्वारा मंजूर किये गए **कक्षा 9, सामाजिक विज्ञान** विषय के नये अभ्यासक्रम के अनुसार तैयार की गई इस पाठ्यपुस्तक को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए गुजरात राज्य शाला पाठ्यपुस्तक मंडल आनंद अनुभव कर रहा है।

इस पाठ्यपुस्तक का लेखन तथा समीक्षा विद्वान शिक्षकों और प्राध्यापकों से करवाई गई है। समीक्षकों की सूचनाओं के अनुसार पांडुलिपि में योग्य सुधार करने के बाद यह पाठ्यपुस्तक प्रकाशित की गई है। यह गुजराती में लिखी गई मूल पाठ्यपुस्तक का हिन्दी अनुवाद है।

प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक को रसप्रद, उपयोगी और क्षतिरहित बनाने के लिए मंडल ने पूरा ध्यान रखा है। इसके बावजूद शिक्षा में रुचि रखनेवाले व्यक्तियों से पुस्तक की गुणवत्ता में वृद्धि करनेवाले सुझावों का स्वागत है।

पी. भारती (IAS)
नियामक
ता. 09-01-2020

कार्यवाहक प्रमुख
गांधीनगर

प्रथम संस्करण : 2016, पुन:मुद्रण : 2017, 2018, 2019, 2020

प्रकाशक : गुजरात राज्य शाला पाठ्यपुस्तक मंडल, 'विद्यायन', सेक्टर 10-ए, गांधीनगर की ओर से पी. भारती, नियामक

मुद्रक :

मूल कर्तव्य

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह* –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करनेवाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो; ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;

(ट) माता–पिता या संरक्षक, छः से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य को यथास्थिति शिक्षा का अवसर प्रदान करे।

* भारत का संविधान : अनुच्छेद 51–क

अनुक्रमणिका

•	सामाजिक विज्ञान की विभावना	1
•	इकाई 1 : बीसवीं सदी - विश्व और भारत	2
1.	भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय	3
2.	प्रथम विश्वयुद्ध और रूस की क्रांति	10
3.	नूतन विश्व की तरफ प्रयाण	15
4.	भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन	23
5.	भारत : आजादी की तरफ प्रयाण	31
6.	1945 के बाद का विश्व	39
7.	स्वातंत्र्योत्तर भारत	47
•	इकाई 2 : आधुनिक राष्ट्र का निर्माण	55
8.	भारतीय संविधान की रचना और लक्षण	56
9.	मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य तथा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्त	65
10.	सरकार के अंग	73
11.	भारत की न्यायपालिका	86
12.	भारतीय लोकतन्त्र	93
•	इकाई 3 : भारतभूमि और लोग	98
13.	भारत : स्थान, भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ – I	99
14.	भारत : स्थान, भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ - II	106
15.	जलपरिवाह (अपवाह)	114
16.	जलवायु	121
17.	प्राकृतिक वनस्पति	131
18.	वन्यजीव	137
19.	भारत : लोकजीवन	143
20.	आपदा–प्रबंधन	148

CERTIFICATE OF THE MAPS

1. © Government of India, Copyright 2016
2. The responsibility for the correctness of internal details rests with the publisher.
3. The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line.
4. The external boundaries and coastlines of India agree with the Record/Master Copy certified by Survey of India.
5. The state boundaries between Uttarakhand & Uttar Pradesh, Bihar & Jharkhand and Chattisgarh & Madhya Pradesh have not been verified by the Governments concerned.
6. The spellings of names in this map, have been taken from various sources.

सामाजिक विज्ञान की विभावना

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (National Curriculam Framework) 2005 में सामाजिक विज्ञान अंतर्गत विविध विषयों का समावेश किया गया है। इसलिए इसकी विषयवस्तु अत्यंत वैविध्यपूर्ण है, जिसमें इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे विषयों का समावेश किया गया है। विद्यार्थी मानवीय अभिगमवाला, जानकार, बुद्धिनिष्ठ और उत्तरदायी नागरिक बने इसके लिए सामाजिक विज्ञान को अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। NCF 2005 बताता है कि सामाजिक विज्ञान को अन्य विज्ञानों अथवा गणित से कम महत्त्वपूर्ण अथवा चुनौतीरूप मानने की प्रवृत्ति पर प्रश्न उठाने की आवश्यकता है। अतः शिक्षकों द्वारा सामाजिक विज्ञान की शिक्षा पर पर्याप्त मात्रा में भार देना अत्यंत आवश्यक है।

प्रो. यशपाल बताते हैं कि शिक्षा कोई भौतिक वस्तु नहीं जिसका वितरण डाक अथवा शिक्षक द्वारा किया जा सके। उपजाऊ और समृद्ध शिक्षा का मूल हमेशा बालक की भौतिक और सांस्कृतिक भूमि में होती है और उसे माता-पिता, शिक्षकों, सहपाठियों और समुदायों के साथ पारस्परिक क्रियाओं से सिंचन मिलता है।

NCF 2005 के अनुसंधान में सभी विषयों के पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु को विविध कक्षाओं को ध्यान में रखकर नए सिरे से व्यवस्थित किया गया है।

नए पाठ्यक्रम पर आधारित इस पुस्तक में नए सुसंकलित अभिगम अपनाए गए हैं। इसमें मुख्यतः ऊपर दर्शाए गए इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र जैसे विविध सामाजिक विज्ञानों की विषयवस्तु का समावेश किया गया है। स्थान और समय दोनों के संदर्भ में मानव समाज के भिन्न-भिन्न पहलुओं और चिंताओं और उनके पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत करने का निष्ठापूर्वक प्रयास किया गया है। विषयवस्तु की मात्रा और संकल्पनाओं का भार घटाने का भी प्रयत्न किया गया है। सामाजिक विज्ञानों को आवृत करनेवाली चार अलग-अलग पुस्तकों के स्थान पर अध्ययन के एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामाजिक विज्ञानों को एक ही पाठ्यपुस्तक में समाविष्ट किया गया है। समकालीन भारत की विषयवस्तु को गूँथनेवाली तीन इकाइयों में पुस्तक का आयोजन किया गया है। तीनों इकाइयों में समाविष्ट पाठ्य-विषयों के आंतरिक संबंध स्पष्ट रूप से समझ में आए, इस दृष्टि से उनका प्रस्तुतीकरण किया गया है।

इकाई 1 : बीसवी सदी - विश्व और भारत : इस इकाई में 20वीं सदी में विश्व की मुख्य घटनाओं के साथ भारत के स्वातंत्र्य संग्राम के अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। यह इकाई समकालीन भारत के अध्ययन के संबंध में उसके बाद की इकाई के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है।

इकाई 2 : आधुनिक राष्ट्र का निर्माण : स्वातंत्रता के बाद के समय में भारत की पुनर्रचना, भारतीय संविधान की रचना, उसके मुख्य लक्षण, भारतीय सरकार का स्वरूप, मूलभूत अधिकार, कर्तव्य और भारतीय लोकतंत्र आदि मुद्दों की चर्चा इस इकाई में की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र व्यवहार में किस तरह कार्य करता है, इसे समझने में यह इकाई उपयोगी साबित होगी।

इकाई 3 : भूमि और लोग : भारत की भूमि, प्राकृतिक सृष्टि और लोग, भारत के समृद्ध संसाधन और प्राकृतिक पर्यावरण आदि मुद्दों की चर्चा इस इकाई में की गई है। हमारे पर्यावरण के वैविध्य और समृद्धि को समझने में यह इकाई विद्यार्थियों को उपयोगी साबित होगी।

हम आशा रखते हैं कि यह पुस्तक विकास और राष्ट्रनिर्माण के भगीरथ कार्य में भागीदार होने और उसमें प्रभावकारी रूप से अपना योगदान देने के लिए विद्यार्थियों का जानकारी से युक्त बुद्धिनिष्ठ और उत्तरदायी नागरिक के रूप में निर्माण करेगी।

•

इकाई 1 : बीसवीं सदी – विश्व और भारत

20वीं सदी का विश्व मानवजीवन के विविध क्षेत्रों में हुए संशोधनों और प्रगति के दीर्घकालीन परिणामों का साक्षी है। एशिया और अफ्रीका में फैले उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति ने यूरोपीय उपनिवेशवादी सत्ताओं के बीच जो वैमनस्य पैदा किया, उसने विश्व राजनीति में ऐसे परिणाम विरासत में दिए, जिससे प्रथम विश्वयुद्ध, रूस की बोल्शेविक क्रांति, जर्मनी, इटली तथा स्पेन आदि में तानाशाही के उदय एवं द्वितीय विश्वयुद्ध जैसी अनेक घटनाएँ घटीं। उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी लालसा ने अणुशस्त्रों तथा अन्य संहारक शस्त्रों के प्रयोग द्वारा समस्त विश्व को क्षुब्ध बना दिया। अलबत्त, मानव जाति के हृदय में उदित शांति और सुरक्षा की उत्कट अभिलाषा ने संयुक्त राष्ट्र (U.N.) को जन्म दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की होड़ चली, उसी से 'शीत युद्ध' (Cold war) का उदय हुआ। इस शीत युद्ध के दो केन्द्र बने – वाशिंग्टन और मास्को।

प्रजा के मिजाज से उत्पन्न राष्ट्रवाद की भावना ने बीसवीं सदी के अंतिम भाग में शक्तिशाली सोवियत रूस का विघटन किया। बर्लिन की दीवार तोड़ डाली और जर्मनी के एकीकरण को सिद्ध किया। ये घटनाएँ अकल्पित और रोमांचक थीं। फिर भी, विश्व में साम्यवाद की बाढ़ को नहीं रोका जा सका और चीन सहित यूरोप-एशियाई देश उसके प्रभाव में आए। अरे ! दुनिया के कई भाग तो 'लाल रंग' में रंगा गए। हाँ, विश्व राजनीति का यह तो एक ही पहलू है।

विश्व राजनीति का दूसरा पहलू भी उतना ही सबल और समृद्ध है और वह है – एशिया, अफ्रीका और विश्व के अन्य भागों में उदारमतवादी आन्दोलनों ने आकार लिया है, यह उसमें दृष्टिगोचर होता है। इन आन्दोलनों से ही भारत सहित अनेक देशों में राष्ट्रीय और स्वातंत्र्य आन्दोलन उदित हुए। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व बलिदान की भावना जगाने की एक ऐसी पद्धति का नूतन प्रयोग और विकास किया जो एशिया-अफ्रीका के देशों के लिए प्रेरक और प्रोत्साहक बना रहा।

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन ने एक ऐसा चित्र उभारा जिसमें उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम, आबालवृद्ध सभी नर-नारियों को उसमें खूब उत्साहपूर्वक सहभागी बनाया था, जिसने गौरवशाली इतिहास रचा, इसका विवरण यहाँ दिया गया है। बालकों में स्वभिमान और देशप्रेम उत्पन्न हो तथा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो उसके लिए मातृभूमि को स्वतंत्र करने के लिए शहादत देनेवाले क्रांतिकारियों की बातों का समावेश किया गया है। लेखों की पुष्टि के लिए आवश्यक नक्शे और चित्र भी दिए गए हैं। इस इकाई में औद्योगिक क्रांति का जिस तरह उल्लेख किया गया है उसका आशय यह है कि विद्यार्थी यह समझें कि वर्तमान समाज में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुई खोजें भावी समाज को प्रगति के पथ पर ले जाने में कितनी महत्तवपूर्ण हैं।

बड़ी कठिनाई से प्राप्त की गई आजादी, आंतरिक एकता और भावात्मक एकता को सुरक्षित रखने तथा राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करने का उत्तरदायित्व सदा के लिए अपने कंधों पर लेकर नेतृत्व करने की क्षमता और सज्जता हमने अब प्राप्त कर ली है।

•

1 भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय

प्राचीन काल से भारत अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण समस्त विश्व में एक अद्वितीय स्थान रखता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक समृद्धि के कारण विश्व के अनेक देशों के लोग भारत में आए। भारत के गोलमिर्च, दालचीनी, लौंग, धनिया आदि गरम मसाले, मलमल, रेशमी कपड़े एवं नील आदि की यूरोप के देशों में बहुत अधिक माँग रहती थी। भारत और यूरोप के बीच व्यापार स्थलमार्ग तथा जलमार्ग से होता था और इस मार्ग का केन्द्र तुर्कस्तान में स्थित इस्तंबुल (कॉन्स्टेन्टिनोपल) था।

ई.स. 1453 में तुर्क मुस्लिमों ने कॉन्स्टेन्टिनोपल जीत लिया। इससे यूरोपवासियों के लिए कॉन्स्टेन्टिनोपल (इस्तंबुल) होकर भारत आनेवाला जलमार्ग बंद हो गया। यूरोपवासियों का काम गरम मसाले के बिना चलनेवाला नहीं था। अत: नए जलमार्ग की खोज करने की आवश्यकता पड़ी। जिससे विश्व के भौगोलिक खोजों के युग का आरंभ हुआ।

भारत आने के जलमार्ग की खोज

पुर्तगाल के राजा प्रिन्स हेनरी की प्रेरणा, प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता से साहसिकों ने नए जलमार्ग की खोज का प्रयास शुरू किया। भारत आने के लिए नए जलमार्ग की खोज के लिए अनेक साहसिकों ने प्रयास किए जिनमें बार्थोलोम्यु डायज ने 'केप ऑफ गुड होप' अंतरीप की खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के राजा की आर्थिक सहायता से नए जलमार्ग खोजने की साहस यात्रा आरंभ की जो 1492 में अटलांटिक सागर में स्थित वर्तमान वेस्टइंडीज टापू पर आकर रुकी। मृत्युपर्यंत भारत आने के जलमार्ग की खोज का विश्वास रखनेवाले कोलंबस ने वास्तविक रूप से नए जलमार्ग की खोज की थी। इस बात की स्पष्टता अमेरिगो वेस्पुची ने की थी, उसके पश्चात् यह नया प्रदेश अमेरिका के रूप में पहचाना गया।

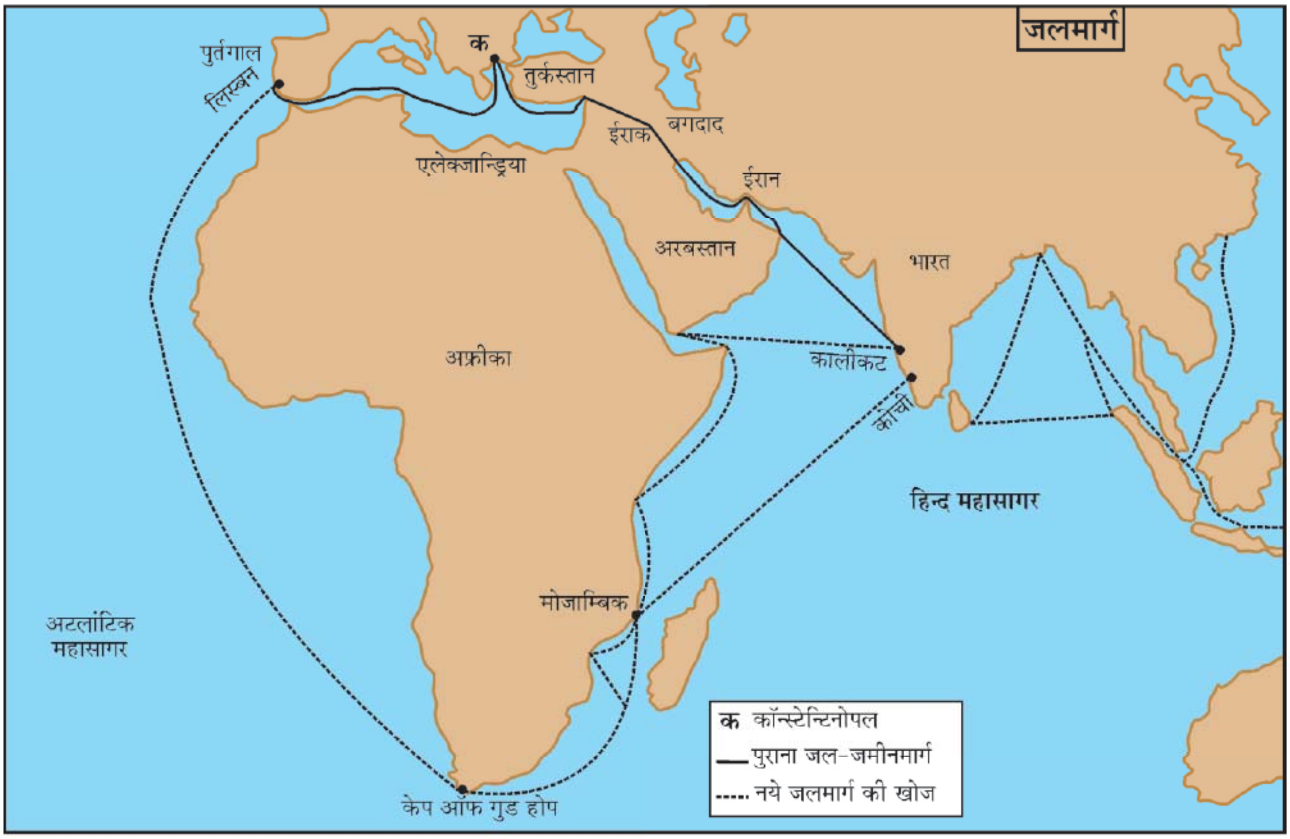

1.1 भारत आने के जलमार्ग

पुर्तगाली नाविक वास्को-द-गामा ने ई.स. 1498 में भारत आने के जलमार्ग की खोज की। भारतीय खलासी की सहायता से वह भारत के पश्चिमी किनारे कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा। वहाँ के राजा सामुद्रिक (जामोरिन)ने उसका स्वागत किया और व्यापार करने की छूट दी। इस तरह, विश्व में यह घटना महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। इसके कारण ही यूरोपवासियों के लिए भारत आने का द्वार खुल गया।

भारत में यूरोपीयों का आगमन (अंग्रेजों का आगमन और व्यापारी केन्द्रों की स्थापना)

भारत आने के जलमार्ग की खोज होने के पश्चात् भारत में व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम पुर्तगाली (फिरंगी) आए। सौ वर्ष के समय में पुर्तगालियों ने दीव, दमण, गोवा, कोचीन, मलाक्का आदि प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया। पुर्तगालियों को व्यापार में मिली सफलता से प्रेरित होकर हालैंड के डच और डेनमार्क के डेनिश लोग भी भारत में व्यापार करने आए। इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ई.स.1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इंग्लैंड की रानी इलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की स्वीकृति दिए जाने पर 1608 में कंपनी का प्रथम जहाज कप्तान विलियम हॉकिन्स के नेतृत्व में सूरत आया, परंतु उन्हें पुर्तगालियों के वर्चस्व और विरोध के कारण व्यापार करने की अनुमति नहीं मिल सकी। अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह जहाँगीर की तरफ से व्यापार करने का अधिकार-पत्र मिलने पर सूरत

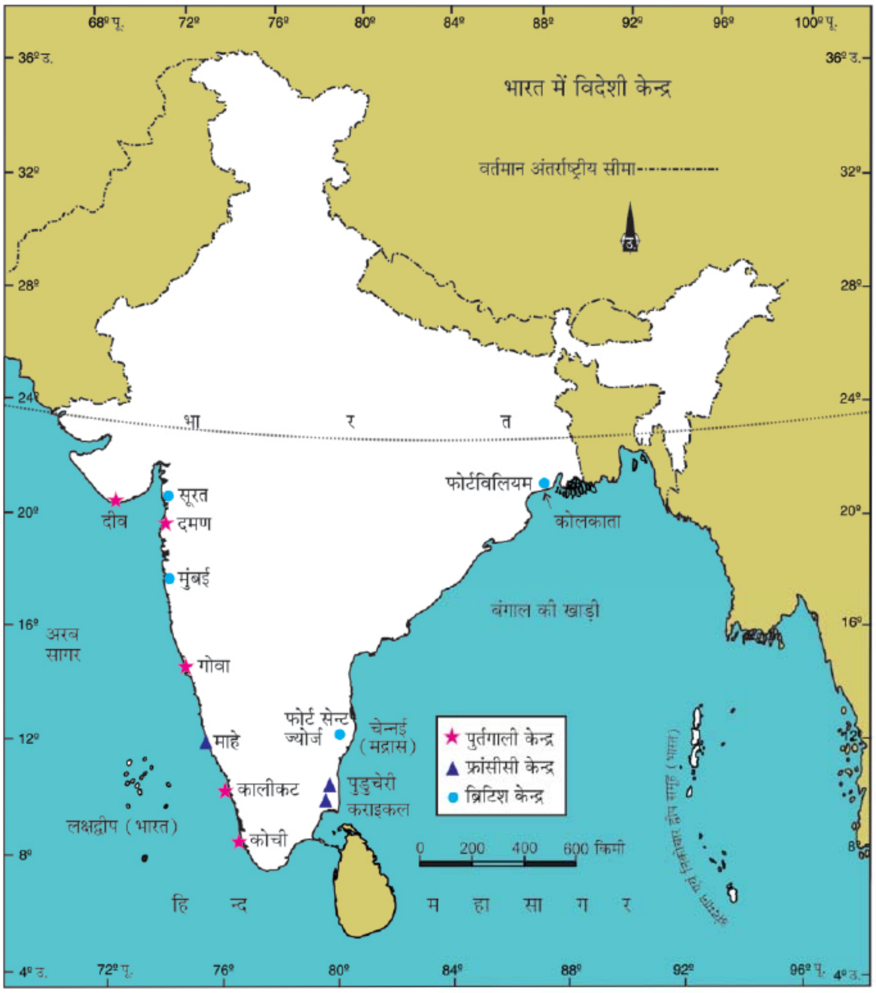

1.2 भारत में विदेशी केन्द्र

में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम कोठी (व्यापारिक केन्द्र) ई.स. (1613) में स्थापित की गई। प्रारंभिक वर्षों में कंपनी ने सूरत, भरूच, अहमदाबाद में व्यापारिक केन्द्र स्थापित किए; परंतु इन प्रदेशों में मराठी सत्ता का प्रभुत्व बढ़ने से कंपनी को खतरा दिखाई दिया। इसलिए वे दक्षिण और पूर्व दिशा में आगे बढ़े जहाँ उन्होंने मछलीपट्टम (आंध्रप्रदेश), सेन्ट ज्योर्ज (चेन्नई) और फोर्ट विलियम (कोलकाता) में कोठियाँ स्थापित की। मुंबई में मुख्य केन्द्र स्थापित किया (1687)।

1668 में व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। उसने समय बीतने पर माहे, कराइकल, पांडिचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टम आदि प्रदेशों में व्यापारिक केन्द्रों की स्थापना की। अठारहवीं सदी में अंग्रेज और फ्रांसीसी विश्वभर में अपनी सत्ता स्थापित करने और उपनिवेश प्राप्त करने में सतत सक्रिय थे। भारत में (1746 से 1763 के दौरान) इन दोनों – ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सत्ता स्थापित करने के लिए तीन कर्णाटक युद्ध हुए। जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय होने से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस तरह सत्ता संघर्ष के अंत

में पुर्तगालियों के पास दीव, दमण, गोवा रहे, जबकि फ्रांसीसियों के पास चंद्रनगर, माहे, कराइकल, पांडिचेरी जैसे प्रदेश रहे, जबकि डच सदा के लिए विदा हो गए।

प्लासी का युद्ध

बंगाल में सिराज-उद्-दौला का शासन था। उसके उतावले स्वभाव के कारण राज्य में उसके कई विरोधी थे। उस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की स्वीकृति लिए बिना ही कोलकाता की रक्षा के बहाने व्यापारी कोठी के चारों ओर से किलाबंदी कर दी, परंतु नवाब सिराज-उद्-दौला ने किलाबंदी तोड़ डाली। यह समाचार मद्रास (चेन्नई) पहुँचने पर कोलकाता की कोठी की सहायता करने के लिए रोबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी का एक छोटा सैन्यदल बंगाल आया।

ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य शक्तिशाली होने पर भी नवाब की सेना को पराजित करना सरल न लगने पर रोबर्ट क्लाइव ने दगाबाजी का सहारा लिया। नवाब को पराजित करने के लिए षडयंत्र की रचना की गई। जिसमें सेनापति मीरजाफर, सेठ अमीचंद को षड्यंत्र में शामिल किया गया और कंपनी को नवाब द्वारा सताए जाने का बहाना बनाकर प्लासी नामक गाँव के पास के मैदान में युद्ध घोषित किया।

- प्लासी का युद्ध 23 जून, 1757 को हुआ।
- प्लासी का मैदान मुर्शिदाबाद (प.बंगाल) से लगभग 38 किमी की दूरी पर है।

पूर्व योजना के अनुसार मीरजाफर युद्ध में असफल रहा। सिराज-उद्-दौला हार गया। क्लाइव के षड्यंत्र से प्लासी का युद्ध मात्र आधे ही दिन में पूरा हो गया। इस युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी को चौबीसपरगना की जागीर मिली। मीरजाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस तरह से 1757 में प्लासी के युद्ध द्वारा भारत में कंपनी की सत्ता की नीव पड़ी।

बक्सर का युद्ध

अंग्रेजों ने मीरजाफर को बंगाल का नवाब बनाकर उसके पास से अलग-अलग बहाने बनाकर विपुल धन प्राप्त किया और अधिक अधिकार प्राप्त करने की लालच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीरजाफर को हटाकर मीरकासिम को बंगाल का नवाब बनाया। कंपनी के लिए मीरकासिम तो मीरजाफर से भी अधिक महत्त्वाकांक्षी साबित हुआ। अतः कंपनी को मीरकासिम से डर लगा इसलिए मीरकासिम को हटाकर पुनः मीरजाफर को नवाब बनाया। मीरकासिम अवध के नवाब की शरण में गया। उस समय अवध में मुगल बादशाह शाहआलम आया हुआ था, इसलिए तीनों ने संयुक्त रूप से कंपनी का सामना करने का निर्णय करके कंपनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की।

बक्सर में उस संयुक्त सेना के विरुद्ध 22 अक्टूबर, 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध किया। जिसमें संयुक्त सेना की पराजय होने से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता मिली।

कंपनी शासन का विकास

अंग्रेज सरकार ने नियामक कानून पारित किया (ई.स. 1773)। उस कानून के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाकर कंपनी के व्यापारी तथा राजनीतिक हितों तथा प्रवृत्तियों को उसके सीधा अंकुश में रखा गया और उसके अंतर्गत मुंबई-मद्रास के गवर्नर और उनकी कौंसिल को रखा गया। इस तरह से वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। उसके समय में मराठों के साथ गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 'प्रथम मराठा युद्ध' और मैसूर के हैदरअली के साथ 'द्वितीय मैसूर युद्ध' हुए। इन दो सत्ताओं के साथ एक साथ सामना करने से ईस्ट इंडिया कंपनी की कठिनाइयाँ बढ़ीं।

गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स

टीपू सुल्तान

वारेन हेस्टिंग्स के बाद गवर्नर जनरल के रूप में कार्नवालिस आया। उसके समय में 'मैसूर का बाघ' के रूप में प्रख्यात टीपू सुल्तान के साथ तीसरा मैसूर युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान को हराने के लिए कंपनी ने मराठा और निजाम की सहायता ली। तीनों की सम्मिलित सेना से टीपू सुल्तान की हार हुई। उसे संधि स्वीकार करनी पड़ी।

कार्नवालिस के बाद सर जॉन शोर गवर्नर जनरल बना। उसके द्वारा अपनाई गई तटस्थता की नीति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा एक तरफ घटी तो दूसरी तरफ मराठे अधिक शक्तिशाली बने। इससे जॉन शोर के बाद आनेवाले गवर्नर जनरल वेलेस्ली के सिर पर कंपनी को भारत में सर्वोपरि बनाने का उत्तरदायित्व आया। इसके लिए वेलेस्ली ने सहायक संधि योजना लागू की। सहायक संधि योजना की शर्तें और स्वीकार करनेवाले राज्य निम्नलिखित थे :

सहायक संधि योजना की शर्तें

- सहायक संधि योजना स्वीकार करनेवाले राज्यों को कंपनी सरकार प्रशिक्षित सैन्य प्रदान करेगी। यह सैन्य राज्य को आंतिरिक और बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा करेगी।
- उसके बदले में योजना स्वीकार करनेवाले राज्यों को सेना खर्च अथवा उतनी आयवाले प्रदेश अंग्रेजों को देना होगा।
- कंपनी की अनुमति के बिना राज्य अन्य राज्य के साथ युद्ध या संधि नहीं कर सकेंगे।
- राज्य को दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना होगा।
- अन्य विदेशी को अपने राज्य में नौकरी पर नहीं रखना होगा।

योजना स्वीकार करनेवाले राज्य - शासक

- निजाम
- मैसूर
- अवध
- गायकवाड़
- सिंधिया
- भोसले
- होलकर

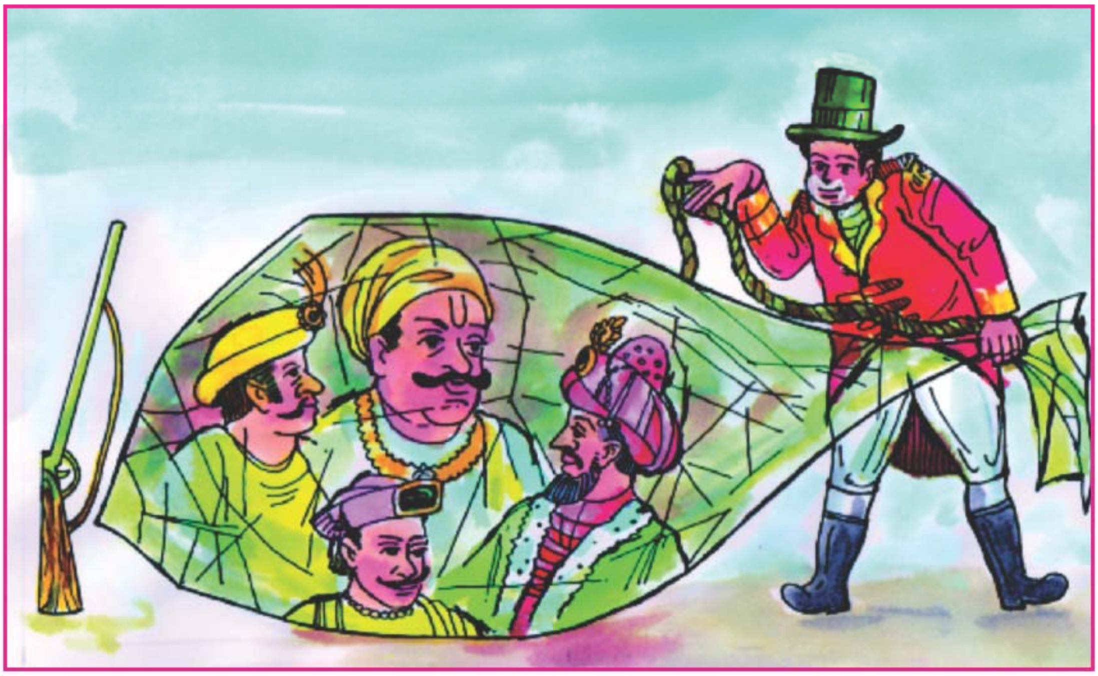

1.5 वेलेस्ली और सहायक सैन्य की योजना

यह योजना एक 'मीठे जहर के समान' थी। इस योजना को लागू करके वेलेस्ली ने बहुत से प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर दिया। गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने टीपू को सहायक संधि योजना स्वीकार करने के लिए कहा, किन्तु उसने उसे अस्वीकार कर दिया। योजना को स्वीकार करने से मना किए जाने पर कंपनी (अंग्रेजों) ने निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर ई.स. 1799 में आक्रमण किया। इस चौथे मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए टीपू की मृत्यू हुई।

वेलेस्ली के पश्चात् भारत में गवर्नर जनरल के रूप में हेस्टिंग्स आया। उसने नेपाल के साथ युद्ध करके गुरखों को सेना में

शामिल किया। पिंढारों के साथ युद्ध करके उन्हें अंकुश में लिया। तीसरा मराठा युद्ध करके कंपनी की सर्वोपरिता स्थापित की।

विलियम बेंटिक भारत में पहले के गवर्नर जनरलों की तुलना में 'उदार गवर्नर जनरल' के रूप में जाना जाता है। पहले के गवर्नर जनरलों द्वारा अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति से राज्यों में जो असंतोष पैदा हुआ था, उस असंतोष से एकता न खड़ी हो जाय इसके लिए उसने उदारतापूर्ण कार्य किया।

भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1848 में डलहौजी आया। वह उग्र साम्राज्यवादी मानसिकतावाला था। उसने साम्राज्यवादी नीति के पोषण और कंपनी के राज्यविस्तार में वृद्धि के लिए 'जीत, जप्ती और हड़प नीति' अपनाई।

डलहौजी की हड़प नीति

- **युद्ध द्वारा हड़प**
  - पंजाब
  - पेगु (दक्षिण बर्मा)
- **निसंतान राजा की मृत्यु होने पर राज्य हड़प**
  - सतारा
  - जैतपुर
  - संबलपुर
  - उदेपुर (म.प्र.)
  - झांसी
  - बघात
  - नागपुर
- **प्रशासनिक अव्यवस्था के बहाने हड़प**
  - अवध
- **कर्ज की वसूली के बहाने हड़प**
  - निजाम का बराड़ प्रांत
- **नाममात्र की सत्ता को समाप्त कर हड़प**
  - कर्णाटक
  - तांजोर

डलहौजी साम्राज्यवादी होने के साथ ही सुधारवादी भी था। उसके समय में भारत में प्रथम रेलवे मुंबई-थाणा ई.स. 1853 में, भारत-इंग्लैंड तारव्यवहार, सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की स्थापना, अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था आदि की शुरुआत हुई। विधवा पुनर्विवाह और बालविवाह प्रतिबंधक कानून उसके समय में पारित किया गया।

1757 के प्लासी के युद्ध से शुरू करके 100 वर्ष के समय में कंपनी की सत्ता और साम्राज्य दोनों में वृद्धि हुई, परंतु ऐसा करने से भारत के राज्यों के असंतोष का सामना उन्हें करना पड़ा और उस असंतोष के परिणामस्वरूप 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ।

कंपनी शासन का आर्थिक प्रभाव

जब हम कंपनी शासन का विवरण तैयार करते हैं तब ख्याल आता है कि भारत देश जो सदियों से विश्व के देशों में आर्थिक रूप से गौरवपूर्ण स्थान रखता था, वह कंपनी शासन के 100 वर्ष के शासनकाल में इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करनेवाला और कारखानों में तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता पूरा करनेवाला देश बना दिया गया। बंगाल 1708 से 1756 तक कच्चा रेशम, चीनी, सन तथा मलमल का निर्यात करता था, परंतु द्विमुखी शासन पद्धति के बाद बंगाल की आर्थिक चमक धुँधली पड़ गई।

कंपनी की अन्यायपूर्ण महसूल नीति के कारण भारत के किसान बेहाल और कर्जदार बने, अंग्रेज सरकार ने इंग्लैंड के उद्योगों को विकसित करने के लिए भारत के कपड़ा उद्योग पर अन्यायपूर्ण आयातकर (चुंगी) लगाया। भारत के उद्योग-धंधों को कुचल डालने के लिए विविध अनुचित तौर-तरीके अपनाए, जिससे भारत के उद्योग-धंधे बर्बाद हो गए। भारत के कारीगर

गरीब और बेरोजगार बने। कंपनी के व्यापारी निजी व्यापार करके बंगाल के कारीगरों से थोड़े समय में निर्धारित मात्रा में कपड़े बुनकर तैयार करने का कॉन्ट्राक्ट लिखा लेते और यदि कारीगर इनकार करे, तो उसे कोड़े मारने या जेल की सजा दी जाती थी।

कंपनी के आगमन से पहले भारत के गाँव स्वावलंबी और समृद्ध थे, वे अंग्रेजों के शासन के कारण गरीब और पराधीन बने।

ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में मुंबई-थाणा के बीच प्रथम रेलवे एवं इंग्लैंड-भारत के बीच स्टीमर सेवा की शुरुआत और मुंबई, मद्रास (चेन्नई), कोलकाता जैसे बड़े बंदरगाहों का विकास भी हुआ।

कंपनी शासन का सामाजिक प्रभाव

ब्रिटिश शासन के दौरान समाचारपत्रों के विकास से भारतीय लोगों में विचार, वाणी स्वातंत्र्य की भावना विकसित हुई। उस समय में भारतीय समाज में कुछ प्रदेशों में कुरीतियाँ देखने को मिलती थीं जिनमें सतीप्रथा, दूधपीती करने का रिवाज, बालविवाह आदि मुख्य थी। अंग्रेजों के संपर्क से राजा राममोहन राय, दुर्गाराम महेता, बहेरामजी मलबारी आदि ने इन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए कानून बनवाए। भारत में प्रशासनिक ढाँचे का अंग्रेजीकरण होने से अंग्रेजी जाननेवाले लोगों की जरूरत पड़ी, परिणामस्वरूप मेकाले के प्रयासों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने की शुरुआत हुई। चार्ल्सवुड की सिफारिश से मुंबई, मद्रास (चेन्नई), कोलकाता में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई।

अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत में अंग्रेजी जाननेवाला वर्ग तैयार हुआ। समय बीतने पर उसने सुधारवादी माँगें करके सुधार की प्रक्रिया को गति दी।

उपसंहार

इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की समृद्धि और व्यापार से आकर्षित होकर भारत आई। भारत में कंपनी शासन के परिणामस्वरूप राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र पर अच्छे-बुरे प्रभाव पड़े। कंपनी ने भारत का भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध करने की नाति अपनाई और भारत में अपने लाभ के लिए जिस व्यवस्था में उपनिवेशिक सुधार किए उनसे भारत को परोक्ष रूप से लाभ भी हुआ।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए :

(1) यूरोपीयों को भारत आने के जलमार्ग की खोज करनी पड़ी। - विधान समझाइए।

(2) डलहौजी ने कौन-कौन से सुधारवादी कार्य किए ?

(3) डलहौजी की सहायक संधि योजना की मुख्य शर्तें कौन-कौन सी थीं ?

(4) डलहौजी ने हड़पनीति के अंतर्गत कौन-कौन से राज्य हड़प किए ?

2. निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्दावार उत्तर लिखिए :

(1) प्लासी के युद्ध का संक्षेप में विवरण दीजिए।

(2) कंपनी शासन का भारत पर पड़नेवाले आर्थिक प्रभाव बताइए।

(3) कंपनी शासन का भारत पर पड़नेवाले सामाजिक प्रभाव बताइए।

3. निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न का उत्तर लिखिए :

(1) भारत आने के जलमार्ग की खोज किसने की ?

(A) कोलंबस (B) प्रिन्स हेनरी

(C) वास्को-द-गामा (D) बार्थोलोम्यु डायज

(2) भारत में सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग की स्थापना किसके समय में हुई ?

(A) वेलेस्ली (B) डलहौजी

(C) वॉरेन हेस्टिंग्स (D) विलियम बेन्टिक

(3) निम्नलिखित में से कौन-सा विधान गलत है ?

(A) 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ।

(B) प्लासी के युद्ध से कंपनी को बंगाल के चौबीसपरगना की जागीर मिली।

(C) प्लासी के युद्ध से कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सत्ता मिली।

(D) प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराज-उद्-दौला था।

(4) भारत में प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कौन आया ?

(A) वारेन हेस्टिंग्स (B) वेलेस्ली

(C) डलहौजी (D) केनिंग

(5) अंग्रेजों ने तीसरा मैसूर युद्ध किसके साथ किया ?

(A) टीपू सुल्तान (B) मराठा

(C) निजाम (D) हैदरअली

प्रवृत्ति

- मध्ययुगीन सामाजिक, धार्मिक सुधारों का विवरण एकत्र करके उनसे संबंधित एक हस्तलिखित अंक तैयार कीजिए।
- भारत में कंपनी शासन के दौरान शासन करनेवाले देशी राज्यों की सूची तैयार कीजिए।
- भौगोलिक संशोधनों के समय में खोजे गए प्रदेशों और संशोधकों से संबंधित विवरण एकत्र कीजिए।
- प्राचीन और मध्ययुगीन भारत की आर्थिक समृद्धि के विषय में विवरण एकत्र कीजिए।

•

2 प्रथम विश्वयुद्ध और रूस की क्रांति

पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों की साम्राज्यवाद की भूख और औपनिवेशिक लालसा के कारण उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों में जाकर उपनिवेश स्थापित किए और अपनी सत्ता का विस्तार किया। परिणामस्वरूप यूरोप के अन्य देशों ने उपनिवेश स्थापित करने की शुरू हुई थी।

पश्चिम यूरोप के इन उपनिवेश भूखे देशों ने एशिया–अफ्रीका के देशों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान पहुँचाया था। विश्व राजनीति में उसके ऐसे परिणाम आए जिसके कारण प्रथम विश्वयुद्ध तथा रूस की बोल्शेविक क्रांति जैसी अनेक घटनाओं का सृजन हुआ था।

तो विद्यार्थी मित्रो, आइए, हम उनका ब्यौरेवार अध्ययन करें।

पश्चिम यूरोप और एशिया–अफ्रीका में उपनिवेशवाद

एशिया–अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने में पश्चिम यूरोप के राष्ट्र मुख्य थे। उनकी इस साम्राज्यवादी लालसाओं ने उनके पड़ोसी राष्ट्रों को भी नहीं छोड़ा था। नेदरलैंड, बेल्जियम और लक्जमबर्ग पर स्पेन का अधिकार था। पुर्तगीज शासक की निःसंतान मृत्यु होने पर, रक्त–संबंध के आधार पर स्पेन के राजा के अधीन पुर्तगाल भी आ गया। जिसके कारण छः दशक तक गैर यूरोपीय देशों में उपनिवेश स्थापित करने का एकाधिकार एकमात्र स्पेन के पास था।

इसी तरह से फ्रांस और आस्ट्रिया की प्रदेश भूख के शिकार इटली तथा जर्मनी भी बने थे। यद्यपि जब एशिया, अफ्रीका के देशों पर स्वतंत्र यूरोपीय सत्ताओं की पकड़ मजबूत बन रही थी, तब ये सभी देश स्वतंत्र हो गए और उन्होंने भी अपने पूर्व मालिकों के मार्ग पर चलकर एशिया–अफ्रीका के कई राज्यों को अपनी सत्ता के अंतर्गत लिया था।

एशिया में उपनिवेशवाद : इंग्लैंड ने भारत में पैर जमाने के बाद भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, म्यानमार (बर्मा), सिंगापुर और मलाया में भी साम्राज्य स्थापित किया था। इंग्लैंड ने आगे बढ़कर चीन में प्रवेश किया; परंतु अफीम के व्यापार के कारण इंग्लैंड और चीन के बीच युद्ध हुए (1839-42) जो इतिहास में 'अफीम युद्ध' के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस युद्ध में चीन की पराजय होने से व्यापार के लिए अन्य 5 बंदरगाह मिलने पर इंग्लैंड की सत्ता में वृद्धि हुई। चीन की कमजोरी का लाभ लेकर जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका ने भी व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए थे।

पश्चिम एशिया के मरुस्थलीय देशों में विपुल मात्रा में निकलनेवाले खनिज तेल ने यूरोपीयों को उपनिवेश स्थापित करने के लिए आकर्षित किया था। इंग्लैंड, जर्मनी, रूस और अमेरिका ने ईरान, इराक, कुवैत, सउदी अरब और बेहरीन में तेल कंपनियाँ स्थापित करके अपने हितों को सुरक्षित करने के प्रयास किए थे।

अफ्रीका में उपनिवेशवाद : पंद्रहवीं सदी के अंतिम भाग में अफ्रीका के दक्षिण भाग में सर्वप्रथम डचों ने उपनिवेश स्थापित किए। इंग्लैंड ने केप में और फ्रांस ने उत्तर अफ्रीका के अल्जीरिया में व्यापारिक केन्द्र स्थापित किया था। औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल की बिक्री के लिए अफ्रीका का विशाल क्षेत्र अधिकार में करके अपनी सत्ता स्थापित की। इंग्लैंड ने इजिप्त, पूर्व अफ्रीका के कई देशों तथा दक्षिण अफ्रिका के देशों, प्रदेशों में अपने केन्द्र स्थापित किए। फ्रांस ने ट्युनिशिया, मोरक्को और पश्चिम अफ्रीका के प्रदेशों में अपना राज्य स्थापित किया। जर्मनी ने पूर्व तथा पश्चिम अफ्रीका के कुछ प्रदेशों में अपना साम्राज्य विकसित किया। इटली ने लाल सागर के आसपास के अफ्रीकी प्रदेशों पर कब्जा किया। स्पेन और पुर्तगाल ने भी अफ्रीका के कुछ प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। इन प्रादेशिक क्षेत्रों को प्राप्त करने की स्पर्धा के बीच बर्लिन में यूरोपीय राज्यों की एक परिषद की बैठक हुई (1884-85)। जिसमें अफ्रीका के अलग–अलग क्षेत्रों को बाँट लिया गया। इसके अनुसार समस्त अफ्रीका में यूरोप के विविध देशों के साम्राज्य स्थापित हुए।

एक तरफ यूरोप के उपनिवेश भूखे राष्ट्र एशिया–अफ्रीका के प्रदेशों पर अपना उपनिवेश स्थापित करके अपने अंतर्गत करना चाहते थे, तब दूसरी ओर जर्मनी और इटली में एकीकरण हुआ था। इसलिए जर्मनी औद्योगिकीकरण, व्यापारीकरण और उपनिवेशीकरण प्रतिस्पर्धा में कूद पड़ा था। इस तरह से इन तीव्र बदलते जाते प्रवाहों ने उन देशों का राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक शोषण किया। उससे उनका विकास रुक गया। जिसने प्रथम विश्वयुद्ध की भूमिका निर्मित की।

प्रथम विश्वयुद्ध (1914-1918) के परिबल

आधुनिक विश्व की कुछ हृदयद्रावक और अविस्मरणीय घटनाओं में प्रथम विश्वयुद्ध का समावेश होता है। विश्वयुद्ध किसी एक-दो घटनाओं या परिबलों के कारण नहीं हुआ था। उसके पीछे अनेक प्रकार के कारण उत्तरदायी थे। प्रथम विश्वयुद्ध का आरंभ 1 अगस्त, 1914 को हुआ। जर्मनी ने सेडान की लड़ाई में फ्रांस को पराजित किया। इसलिए फ्रांस को फ्रेंकफर्ट की संधि करनी पड़ी (ई.स. 1871)। उसके अनुसार युद्ध दंड और दो प्रदेश आल्सेस और लोरेन्स जर्मनी को देना पड़ा था। फ्रांस इस अपमान को कभी भूल न सका। इस तरह फ्रेंकफर्ट की संधि प्रथम विश्वयुद्ध का मुख्य कारण बनी थी। इस तरह एक युद्ध के अंत में ही दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो गया था।

(1) आर्थिक परिबल : 19वीं सदी में इंग्लैंड ने एशिया तथा अफ्रीका में विशाल उपनिवेश स्थापित किया था। वह अपने उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करके धनवान बना। औद्योगिक क्रांति तथा उपनिवेशवाद के तीव्र विकास के कारण यूरोप को विपुल मात्रा में कच्चे माल की जरूरत पड़ी। 19वीं सदी के अंतिम पच्चीस वर्षों में जर्मनी ने एशिया और अफ्रीका में बाजार प्राप्त करने के लिए स्पर्धा शुरू की। जर्मनी ने इंग्लैंड तथा फ्रांस की तुलना में सस्ते माल देना शुरू किया। वह एशिया तथा अफ्रीका में इंग्लैंड तथा फ्रांस के बाजारों को तोड़ने लगा। परिणामस्वरूप एक तरफ जर्मनी तथा दूसरी तरफ इंग्लैंड के बीच तीव्र आर्थिक स्पर्धा हुई थी।

(2) सैन्यवाद : यूरोप के राष्ट्रों में प्रादेशिक विस्तार के लिए जो प्रतिस्पर्धा हुई उसके लिए सैन्यशक्ति आवश्यक और महत्त्वपूर्ण थी। इंग्लैंड, फ्रांस, आस्ट्रिया, रूस आदि राष्ट्र अपनी सैन्यशक्ति बढ़ाने लगे थे। जापान, इटली, जर्मनी जैसे कई राष्ट्रों में अनिवार्य सैनिकशिक्षा आरंभ हो गई थी। स्व-रक्षा के बहाने शस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने लगे थे। इससे सैन्यवाद को बढ़ावा मिला और आर्थिक स्पर्धाओं में सैन्य स्पर्धा जुड़ जाने से युद्ध का वातावरण अधिक उग्र बना था।

(3) गुटबंदी-गुप्त संधियाँ : प्रथम विश्वयुद्ध के सृजन में गुटबंदियों और गुप्तसंधियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम विश्वयुद्ध से पहले विश्व दो गुटों में विभाजित था। एक तरफ जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया तथा तुर्किस्तान का गुट था। दूसरी ओर इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा जापान का गुट था। इन दोनों गुटों के बीच ईर्ष्या, दुश्मनी, शंका, कुशंका, भय तथा तिरस्कार की भावना पैदा हुई। जो प्रथम विश्वयुद्ध का महत्त्वपूर्ण कारण बनी थी।

(4) उग्र राष्ट्रवाद की भावना : बेल्जियम और ग्रीस की स्वतंत्रता तथा इटली और जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद का परिणाम था, परंतु उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना ने उग्र और संकुचित स्वरूप धारण किया। यूरोप में आर्थिक ईर्ष्या, खींचतान, प्रतिस्पर्धा और साम्राज्यवाद इतना अधिक बढ़ गया कि एक-दूसरे राष्ट्र के हित आपस में टकराने लगे। यूरोप के अग्रगण्य राष्ट्रों ने अपने लोगों को उग्र आक्रमक देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। अपने देश के प्रति प्रेम और अन्य राष्ट्रों के प्रति घृणा को प्रोत्साहन दिए। जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का प्रणेता था। वह महत्त्वाकांक्षी और 'विश्व प्रभुत्व' की नीति में विश्वास करता था। अपनी प्रचंड सैन्य शक्ति से अपने वांछित लक्ष्य को पूरा करने में विश्वास करता था। जर्मनी की तरह अन्य राष्ट्रों में भी युद्ध की भावना फैली और प्रथम विश्वयुद्ध में परिवर्तित हुई।

(5) समाचारपत्रों का योगदान : यूरोप के राष्ट्रों के समाचारपत्रों की पारस्परिक कटुता, उतेजनापूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण और झूठे लेखों ने परस्पर प्रतिस्पर्धी देशों के विरुद्ध जहर उगलकर लोगों में दुश्मनी की भावना इतनी हद तक भड़काई कि सत्ता में बैठे हुए लोग शांति स्थापना या समाधान करने के प्रयत्न भी न कर सके।

(6) युद्ध संबंधी तत्वज्ञान : यूरोप में अब ''युद्ध ही कल्याण'' की नीति ने जोर पकड़ा। ट्रिटस्क जैसे जर्मन लेखकों ने सिद्धांत प्रचलित किया कि ''शक्तिशाली को ही जीने का अधिकार है।'' तथा ''युद्ध ही राष्ट्रीय आवश्यकता है।'' नीत्शे नामक जर्मन लेखक ने युद्ध को ''पवित्र कार्य'' माना था।

आस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की 'ब्लेक हेन्ड' नामक सर्बिया की उग्रवादी संस्था के सदस्य ने गोली मार कर हत्या कर दी। आस्ट्रिया ने इस घटना के पीछे सर्बिया का हाथ होने का आरोप लगाया और 48 घंटे में उसके अपराधी को गिरफतार करके आस्ट्रिया के समक्ष उपस्थित करने का सर्बिया को समय दिया। सर्बिया ने स्वयं इस मामले से अनभिज्ञ होने की घोषणा की। आस्ट्रिया ने सर्बिया की एक न सुनी और उसने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। इसके साथ प्रथम विश्वयुद्ध का आरंभ हुआ था।

प्रथम विश्वयुद्ध की घटनाएँ

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के पक्ष में 24 और धुरी राष्ट्रों के पक्ष में 4 राष्ट्रों ने युद्ध में भाग लिया। जर्मनी ने शुरुआत में यूरोप में उल्लेखनीय विजय प्राप्त की। फ्रांस की सेना को उसने नष्ट कर डाला। उसने भयानक सबमरीन युद्ध करके मित्र राष्ट्रों के अनेक जहाजों को डुबा दिया। टैंकों, जहरीली गैसों आदि द्वारा लाखों सैनिकों तथा नागरिकों की जानहानि हुई। रूस में क्रांति (1917) में हुई इसलिए रूस युद्ध से हट गया। जर्मनी उस समय खूब शक्तिशाली था। उसने एक अमेरिकी स्टीमर ल्युसिटानिया को डुबा दिया था। जिसमें 147 अमेरिकन सैनिक डूब गये। परिणामस्वरूप (अप्रैल, 1917) में अमेरिका मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शामिल हुआ। उसके साथ पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चीन और श्याम जैसे राष्ट्र मित्रराष्ट्रों के पक्ष में जुड़े। इससे मित्रराष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि हुई। अमेरिकी सेना के समक्ष जर्मन सेना नहीं टिक सकी। समग्र युद्ध का पासा पलट गया (सितंबर, 1918 में)। बल्गेरिया, तुर्की तथा आस्ट्रिया मित्रराष्ट्रों की शरण में आ गये। (अक्टूबर, 1918 में) जर्मन सम्राट कैसर राजसत्ता छोड़कर भाग गया। जर्मन गणतंत्र ने (11 नवंबर, 1918 को) मित्र राष्ट्रों की शरणागति स्वीकार कर युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किया और विश्वयुद्ध का अंत हुआ था।

विश्वयुद्ध के परिणाम – तात्कालिक परिणाम

(1) जानमाल की हानि : लगभग 6.5 करोड़ लोगों ने युद्ध में भाग लिया। एक करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। दो करोड़ घायल हुए। सत्तर लाख लोग सदा के लिए विकलांग बने। युद्ध के बाद महामारी, भुखमरी, हत्याकांड के कारण मरनेवालों की संख्या अधिक थी। युद्ध में कुल खर्च का आँकड़ा 337 अरब डालर (6.5 अरब पौंड) हुआ था।

(2) सामाजिक परिवर्तन : विश्व के हर एक राष्ट्र के पुरुषों के युद्ध में शामिल होने से कौटुम्बिक एवं व्यावसायिक उत्तरदायित्व स्त्रियों के सिर पर आ पड़ा। घर की चहारदीवारी से बाहर आकर व्यावसायिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक उत्तरदायित्व संभाला। इससे उनमें पुरुष के समकक्ष होने के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। उनमें समानता की भावना का उदय हुआ। परिणामस्वरूप स्त्री मताधिकार की माँग उठी। युद्ध के दौरान जीवन जरूरी की वस्तुओं के उत्पादन में कमी आई थी। इससे अभाव, बेरोजगारी, भुखमरी, हड़ताल, तालाबंदी आदि समस्याएँ शुरू हुईं। लोग अपार कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। बालकों की स्थिति अधिक दयनीय बनी थी।

(3) वर्सेल्स की संधि (जून, 1919) : प्रथम विश्वयुद्ध के अंतिम चरण में जर्मनी द्वारा मित्र राष्ट्रों की बिना शर्त शरणागति स्वीकार करने से युद्ध का अंत हुआ। उसके पश्चात् मित्र राष्ट्रों ने राजधानी पेरिस में 'शांति प्रक्रिया' अपनायी उसमें 58 कमीशनों की रचना की गई थी और 145 बैठकें आयोजित की गई थीं। पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ जो समझौते किए गए वे वर्सेल्स के शीशमहल (मिरर पैलेस) में किए गए इसलिए उसे वर्सेल्स की संधि के रूप में जाना गया। वर्सेल्स की संधि में चार प्रकार की व्यवस्था थी : (1) प्रादेशिक व्यवस्था (2) सेना में कमी और नि:शस्त्रीकरण (3) युद्ध हर्जाने में किस्त की व्यवस्था और (4) अन्य व्यवस्था। इस संधि में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड ज्योर्ज, फ्रांस के प्रधान मंत्री क्लेमेन्सो और इटली के आर्लेन्डो ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध में जर्मनी को उत्तरदायी माना गया। जर्मनी पर 6.5 अरब पौंड का युद्ध दंड लादा गया। उसका रुहर प्रांत जैसा प्रदेश फ्रांस को देना पड़ा। उसकी राइन नदी आंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए खोल दी गई। फ्रांस की सीमा पर स्थित राइन लैंड प्रदेश में किलाबंदी करने से मना कर दिया गया तथा वह खनिज समृद्ध प्रदेश 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। उसके अधिकांश उपनिवेश ले लिए गए। आल्सेस और लोरेन्स फ्रांस को वापस देना पड़ा। इसके उपरांत हरएक वर्ष बड़ी मात्रा में उसे कोयला और लोहा फ्रांस और मित्र राष्ट्रों को युद्ध मुआवजे के रूप में देना था। इन सभी शर्तों पर जर्मनी से बंदूक की नोक पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए। इससे जर्मन लोगों में हताशा और निराशा पैदा हुई। परिणामस्वरूप जर्मनी की अर्थव्यवस्था छिन्नभिन्न हो गई।

(4) दूरगामी परिणाम : युद्ध में पराजित राष्ट्रों के साथ संधि की गई, जिसमें बैर की भावना थी। इसलिए जगत में शांति स्थापित नहीं हो सकी। साम्यवादी रूस को राष्ट्रसंघ में स्थान नहीं दिया गया। अमेरिका राष्ट्रसंघ में नहीं शामिल हुआ। इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि प्रथम विश्वयुद्ध की शांति प्रक्रिया में ही द्वितीय विश्वयुद्ध का कारण निर्मित हुआ।

रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917

ई.स. 1917 में रूस में क्रांति हुई। वह विश्व के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना मानी जाती है। राजनैतिक परिबलों में रूस की जनता जारशाही के दमन के अंतर्गत कुचली जाती थी। रूस में वंश परंपरागत रूप से आनेवाले सभी जार राजा तानाशाह और निरंकुश शासन चलाते थे। जार के शासन में प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं था। प्रजा पर उन राजाओं की निरंकुश जारशाही इतनी अधिक कठोर थी कि कोई व्यक्ति अधिकार की माँग करे तो उसके ऊपर अत्याचार, दमन और जुल्म किया जाता अथवा साइबेरिया की हड्डी जमा देनेवाली कातिल ठंड में भेजने की सजा दी जाती। यह निरंकुश और अत्याचारी राजतंत्र प्रजा के लिए दु:ख, गरीबी और यातनाओं का कारण बन गया। रूस के किसान, खेतदास तथा मजदूरों को बहुत अधिक काम करने पर भी उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता था। उनकी स्थिति कंगाल बन गई थी।

फादर गपोन नामक पादरी के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस के रूप में लोग जार के निवास्थान विन्टरपैलेस गये (22 जनवरी, 1905 रविवार)। वे सभी लोग नि:शस्त्र थे। कुछ लोगों के हाथ में जार की तस्वीर थी और उनमें 'रूस के छोटे प्रभु चिरंजीवी हो' जैसे सूत्र लिखे हुए थे। उन निर्दोष लोगों पर जार के सैनिकों द्वारा अंधाधुंध गोलियाँ चलाई गईं। उसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए और जहाँ जार का महल था उस सेन्टपिट्सबर्ग का बर्फ खून से लाल हो गया। उस दिन को इतिहास में 'खूनी रविवार' के नाम से जाना जाता है। उसी समय रूस–जापान युद्ध (1904-05) में छोटे–से राष्ट्र जापान द्वारा विशालकाय यूरोपीय राष्ट्र रूस को दी गई पराजय से जारशाही की कमजोरियों का पर्दाफाश होने पर रूस की अधिकांश प्रजा आक्रोश में आ गई। रूसी प्रजा का रोष परखकर उसे शांत करने के लिए वर्षों से नहीं बुलाई गई डुमा (DUMA धारासभा) बुलाने की घोषणा की। समयान्तर पर चार डुमा बुलाई गई। परंतु वे प्रजा को संतुष्ट करने जैसे कदम उठाते उससे पहले ही बरखास्त कर दी गई।

8 मार्च, 1917 को पेट्रोगार्ड के कुचले हुए मजदूरों ने हड़ताल की, तब इस घटना को दबा देने के लिए जार ने सेना भेजी; परंतु सेना ने गोली चलाने से मना कर दिया। परिणामस्वरूप क्रांति का आरंभ हुआ। जारशाही के पतन बाद केरेन्स्की के नेतृत्ववाली मेन्शेविक पक्ष (अल्पमत) के हाथ में सत्ता आयी। जारशाही का पतन होने से एकमात्र लेनिन को छोड़कर रूस के सभी लोग खुश थे; परंतु लेनिन कार्लमार्क्स की विचारधारा के अनुसार श्रमजीवियों के वर्चस्व में विश्वास करता था। परिणामस्वरूप उसने बोल्शेविकों को मोन्शेविकों के विरुद्ध उकसाकर नवम्बर, 1917 में अंतिम क्रांति करके सत्ता प्राप्त किया, जो समाजवादी बोल्शेविक क्रांति के रूप में जानी गई।

इस तरह, 300 वर्ष पुराना शासन जारशाही अब समाप्त हो गया। 300 वर्ष के इतिहास में रूस पहली बार जारविहीन बना।

विश्वशांति के लिए प्रयास

राष्ट्रसंघ

विश्वयुद्ध की भयानकता ने विश्व के देशों को विश्वशांति की अनिवार्यता समझाई और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता समझ में आने पर विश्वशांति की दिशा में तत्क्षण और सक्रिय रूप से विचार करना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने राष्ट्रसंघ की स्थापना में विशेष योगदान दिया था। वुड्रो विल्सन के 14 मुद्दों को आगे रखकर 'पेरिस शांति' प्रक्रिया में 10 जनवरी, 1920 को राष्ट्रसंघ (The League of Nations) की रचना की गई।

राष्ट्रसंघ के उद्देश्य

(1) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना।

(2) प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्र की अखंडता बनाए रखना।

(3) युद्ध नीति का त्याग करना।

(4) अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित करना।

(5) अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से या मध्यस्थता द्वारा हल निकालना।

(6) यदि कोई राष्ट्र राष्ट्रसंघ या मध्यस्थता की अवहेलना करे, तो उसे 'बागी' राष्ट्र घोषित करना।

विश्वशांति की स्थापना करने के लिए स्थापित राष्ट्रसंघ महासत्ताओं की साम्राज्यवादी नीति को अंकुश में नहीं रख सका और 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध की शुरुआत हुई।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्दासहित उत्तर लिखिए :

(1) पश्चिम यूरोप, एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

(2) प्रथम विश्वयुद्ध के लिए उत्तरदायी कारण बताइए।

(3) प्रथम विश्वयुद्ध के परिणाम लिखिए।

2. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(1) रूस की क्रांति (2) प्रथम विश्वयुद्ध की घटनाएँ (3) राष्ट्रसंघ के उद्देश्य

3. कारण बताइए :

(1) प्रथम विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई।

(2) 22 जनवरी, 1905 को रूस का 'खूनी रविवार' के रूप में जाना जाता है।

4. निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) प्रथम विश्वयुद्ध के बीज किस संधि में बोये गये थे ?

(A) वर्सेल्स (B) फ्रेन्कफर्ट

(C) फ्रांस और ब्रिटन की संधि (D) जर्मनी और हंगरी की संधि

(2) प्रथम विश्वयुद्ध के अंत में कौन-सी संधि की गई ?

(A) वर्सेल्स की संधि (B) गुप्त संधि

(C) लटेर्न की संधि (D) फ्रेंकफर्ट की संधि

(3) फ्रेंकफर्ट की संधि से फ्रांस ने कौन-से प्रदेश खोये थे ?

(A) डेन्जिंग प्रदेश (B) आल्सेस और लोरेन्स के प्रदेश

(C) पश्चिम रूस के प्रदेश (D) इंग्लैंड के प्रदेश

•

3 नूतन विश्व की तरफ प्रयाण

दो विश्वयुद्धों के बीच का वैश्विक प्रवाह

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद लोगों की जो आर्थिक दुर्दशा हुई उसे सुधारने में तत्कालीन सरकारें निष्फल गई उससे लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया। कई राष्ट्रों में तानाशाही का उदय हुआ। उसके परिणामस्वरूप वे द्वितीय विश्वयुद्ध के सृजनात्मक परिबल बने। इस संदर्भ में यहाँ निम्नलिखित घटनाक्रमों का अध्ययन करें :

(1) इटली में – फासीवाद (2) जर्मनी में – नाजीवाद (3) जापान में – सैन्यवाद (4) वैश्विक महामंदी – 1929-32

(1) इटली में फासीवाद : प्रथम विश्वयुद्ध में इटली विजेता राष्ट्रों के पक्ष में था और उनके ही पक्ष में रहकर युद्ध लड़ा। उसमें इटली का 12 अरब डॉलर का जंगी खर्च हुआ, 6 लाख सैनिकों की जानहानि हुई, फिर भी विजेता मित्र राष्ट्रों ने मनपसंद प्रदेश ले लिए और इटली की उपेक्षा हुई, जिससे इटली गुस्सा हुआ। इटली का राष्ट्रीय आत्मसम्मान भंग हुआ उसके लिए इटली की सरकार को उत्तरदायी मानकर इटली की जनता इस राष्ट्रीय अपमान का बदला तत्क्षण लेना चाहती थी। इटली को ऐसे कठिन संयोगों में से निकालने के लिए बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में 'फासिस्ट' दल की स्थापना की। उसका प्रतीक 'लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी' था, जो रोमन सम्राट की सर्वोपरिता का प्रतीक है। फासीवाद इटली के 'फासेज' शब्द से आया है। फासेज शब्द का अर्थ सभी वस्तुओं पर राज्य का अधिकार होता है। मुसोलिनी का मुद्रालेख था 'एक दल और एक नेता'। उसने अपने पक्ष के स्वयंसेवकों को सैनिक प्रशिक्षण दिया। उनका गणवेश काले रंग का था। मुसोलिनी ने सत्ता पर आने के बाद भूमध्य सागर के रहोड्ज और डोडिकानिज द्वीपों को तुर्की से छीन लिया। 1924 में अल्बेनिया, एबिसिनिया और फ्यूम बंदरगाह जीत लिया। इतनी सफलता पाने के पश्चात् मुसोलिनी राष्ट्रसंघ से अलग हो गया और 'रोम-बर्लिन-टोकियो' धुरी में वह शामिल हुआ। इस लिए इटली द्वितीय विश्वयुद्ध के लिए उत्तरदायी परिबल बना।

(2) जर्मनी में नाजीवाद : प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी की हार हुई। वह आर्थिकरूप से बर्बाद हो गया। पेरिस की शांति परिषद ने वर्सेल्स की संधि पर जर्मनी को हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। इस अन्यायपूर्ण संधि से जर्मनी के लोग अत्यंत क्रोधित थे। एडोल्फ हिटलर 'राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल' में (1919) शामिल हुआ। यह दल 'नाजी दल' के रूप में प्रसिद्ध है। नाजी दल की विचारधारा में राष्ट्रवाद और समाजवाद का समन्वय था। जर्मनी के राष्ट्रपति हिन्डेनबर्ग का अवसान होने से, हिटलर ने राष्ट्रपति पद ग्रहण करके जर्मनी में तानाशाही स्थापित की। हिटलर उग्र एवं आक्रामक नीति अपनाकर जर्मन प्रजा को संकुचित राष्ट्रवाद की तरफ ले गया। जर्मन प्रजा हिटलर को फ्युहरर (तारणहार) मानती थी।

नाजीवाद के सैनिक नीले रंग के सैनिक पोशाक पहनते और कंधे पर लाल रंग की पट्टी तथा स्वस्तिक 卐 जैसा प्रतीक लगाते था। सत्ता पर आने के बाद हिटलर का निरंकुश सत्तावादी और युद्धप्रिय स्वभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला। उसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी को एक महत्त्वपूर्ण सत्ता के रूप में उदित करना था; परंतु उसकी नीतियों का लक्ष्य जर्मन जाति के शुद्धीकरण के नाम पर यहूदियों, जिप्सियों और मानसिक रूप से विक्षिप्त (पागल) व्यक्तियों का नाश करना था। द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत तक असंख्य यूरोपीय यहूदियों ने जीवन खोया, जिसे होलोकास्ट (नरसंहार) के रूप में जानते हैं। हिटलर का विस्तारवाद, पड़ोसी देशों पर सैनिक कारवाई और निर्धारित समूह का नाश करने की नीति द्वितीय विश्वयुद्ध की तरफ ले जाने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण कारण बनीं।

(3) जापान में सैन्यवाद : प्रथम विश्वयुद्ध के बाद 1919 की वर्सेल्स की संधि में जापान को उसकी धारणा के अनुसार चीन के प्रदेशों का लाभ नहीं मिला। जर्मनी के बहुत से उपनिवेशों को इंग्लैंड और फ्रांस ने बाँट लिए। इससे जापान में बहुत असंतोष हुआ। 1921-22 की वॉशिंग्टन परिषद में इंग्लैंड और अमेरिका की नौसेना का केवल 35 % नौसेना रखने की सिफारिश जापान को स्वीकार करनी पड़ी। उसे सखालीन और साइबीरिया के द्वीप खाली करने पड़े। इससे जापान का युवावर्ग नाराज हुआ। उस समय के दौरान जापान में चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ। जापान के सैन्य राष्ट्रवाद ने विस्तारवाद की नीति को व्यापक बनाया। जापान को राष्ट्रसंघ की सुरक्षा समिति में स्थायी सदस्य पद नहीं मिला। जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को पश्चिमी देश नहीं रोक सके। जापान ने मंचूरिया पर अधिकार करके वहाँ अपनी मंचूको सरकार स्थापित की (1932), उसके उपरांत जापान ने कोरिया, मंगोलिया, सान्टुंग और चीन के कई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया और जर्मनी तथा इटली के साथ संबंध सुधार

कर अपने साम्राज्यविस्तार का दौर आरंभ किया। सम्राट मेइजी के बाद 1936 में गद्दी पर आए शहनशाह हीरोहीतो ने भी जापान की इन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया। इस तरह जापान ने राष्ट्रसंघ का त्याग किया (1933)।

(4) वैश्विक महामंदी - 1929-32 : यूरोप के अधिकांश भाग के राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों की ऐसी धारणा थी कि प्रथम विश्वयुद्ध के अंत में विश्व की युद्धेतर समस्याओं का भी अंत आ जाएगा; परंतु यह धारणा गलत सिद्ध हुई। एकाएक अमेरिका के 'वालस्ट्रीट' शेयरबाजार में बहुत अधिक मात्रा में शेयर बेचे जाने से शेयरों की कीमत अत्यंत चिंताजनक रूप से घटने लगी इसलिए विवेचकों ने उसे 'वालस्ट्रीट संकट' के नाम से पहचाना था (24 अक्टूबर, 1929)। इस संकट ने पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति को डावाँडोल कर डाला था। जिससे वैश्विक महामंदी का सृजन हुआ था। विश्व के अधिकांश राष्ट्र इस महामंदी के प्रभाव में आ गए थे। ग्रेट ब्रिटन जैसी महासत्ता को भी अपने प्रचलित मुद्रा पाउन्ड के समक्ष आरक्षित रूप से रखे जाते स्वर्ण भंडार की नीति त्यागनी पड़ी। उसका प्रभाव विश्व के अन्य राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार-उद्योग पर पड़ा। अमेरिका जैसे समृद्ध राष्ट्रों को आर्थिक स्थिति की अवगणना करके भी कठोर नियंत्रण लादना पड़ा। विश्व व्यापार घट कर आधा रह गया। इस प्रकार से द्वितीय विश्वयुद्ध की रूपरेखा का सृजन हुआ।

द्वितीय विश्वयुद्ध (1939-1945) — कारण

प्रथम विश्वयुद्ध के अंत में हुई वर्सेल्स की संधि में ही द्वितीय विश्वयुद्ध का बीजारोपण हो गया था। पेरिस शांति प्रक्रिया द्वारा क्रांतिकारियों ने अनेक राष्ट्रों को असंतुष्ट किया था। उसके बाद होनेवाली घटनाएँ अनेक राष्ट्रों को द्वितीय विश्वयुद्ध की तरफ ले गईं।

तो विद्यार्थी मित्रो ! आइए, हमसब द्वितीय विश्वयुद्ध के लिए उत्तरदायी कारणों का अध्ययन करें।

द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण

(1) उग्र राष्ट्रवाद : प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् जर्मनी, जापान और इटली में उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ। वर्सेल्स की संधि को जर्मनी और उसकी प्रजा कभी भी भूल न सकी थी। परिणामस्वरूप जर्मनी में नाजीवाद विचारधारा के कारण जहाँ-जहाँ जर्मन प्रजा बसती हो वह प्रदेश जर्मनी को मिलना चाहिए, ऐसा कहकर आस्ट्रिया और चेकोस्लोवेकिया के कई प्रदेश हिटलर ने हड़प लिया था। वर्सेल्स की संधि में इटली की अवहेलना हुई थी, उसे उसकी प्रजा नहीं भूल सकी थी। इटली में मुसोलिनी ने 'फासिस्ट' दल के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवाद शुरू करके साम्राज्यवादी नीति अपनायी। दूसरी तरफ एशिया में से जापान भी साम्राज्यवाद की दौड़ में कूद पड़ा था। इस प्रकार से विश्वशांति खतरे में पड़ गई थी।

(2) गुटबंदियाँ : प्रथम विश्वयुद्ध के बाद फ्रांस को हमेशा जर्मनी से भय होने से बेल्जियम, पोलैंड, रूमानिया तथा चेकोस्लोवेकिया के साथ मैत्री समझौता किया।

- इटली ने चेकोस्लोवेकिया, युगोस्लाविया, रूमानिया, हंगरी, ग्रीस, तुर्की और आस्ट्रिया के साथ समझौता किया।
- रूस ने जर्मनी, तुर्की, लिथुआनिया और ईरान के साथ समझौता किया।
- इटली ने जर्मनी और जापान के सहयोग से "रोम-बर्लिन-टोकियो" धुरी की रचना की।
- इंग्लैंड और फ्रांस ने लोकतंत्रात्मक मूल्योंवाला दूसरा गुट बनाया। जर्मनी ने रूस के साथ आक्रमक संधि की। इससे विश्व में भय का साम्राज्य खड़ा हो गया था। इस परिबल ने विश्वयुद्ध को गति दी।

(3) सैन्यवाद : प्रथम विश्वयुद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए प्रयास किए गए थे, उसके विपरीत यूरोप के राष्ट्र शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। यूरोप में हरएक राष्ट्र में एकमात्र शस्त्रों का उत्पादन बढ़ा। एक-दूसरे से बढ़कर युद्धशस्त्र बनाए गए। रूस, जर्मनी जैसे कई राष्ट्रों ने सेना में अनिवार्य प्रशिक्षण शुरू किया। हरएक राष्ट्र ने नौसेना, वायुसेना और स्थलसेना में वृद्धि की। पूर्व में जापान ने सैन्य शक्ति बढ़ाई। अंत में इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा भी अपनी शस्त्र सामग्री में वृद्धि किए जाने पर द्वितीय विश्वयुद्ध के नगाड़े बजने लगे थे।

(4) राष्ट्रसंघ की असफलता : प्रथम विश्वयुद्ध के बाद विश्व में शांति के लिए राष्ट्रसंघ की रचना की गई, परंतु राष्ट्रसंघ के पास विश्व के राष्ट्रों पर सर्वभौमत्व रखनेवाली सर्वोपरि संस्था नहीं बन सकी थी, या उसके पास अपने आदर्शों का पालन कराने के लिए अपनी सेना का अभाव था। सदस्य राष्ट्र राष्ट्रसंघ के पास अपने झगड़े लाने या उसका फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं थे। कई राष्ट्र तो राष्ट्रसंघ में से बाहर निकल गये थे, शुरुआत में रूस और जर्मनी ने राष्ट्रसंघ का साथ छोड़ दिया

उसके बाद इटली और जापान उससे बाहर निकल गए थे, क्योंकि इटली ने एबिसिनिया की आजादी छीन ली। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया, जर्मनी ने चेकोस्लोवेकिया के कई प्रदेश हड़प लिए फिर भी राष्ट्रसंघ उसे रोक न सका। अलग-अलग राष्ट्रों की सत्तालालसा अथवा सत्ताभक्ति राष्ट्रसंघ में बलवती बनी। राष्ट्रसंघ गुटबंदी नहीं रोक सका। राष्ट्रसंघ की यह सबसे बड़ी असफलता थी।

(5) वर्सेल्स की संधि : प्रथम विश्वयुद्ध के अंत में पेरिस शांति प्रक्रिया में वर्सेल्स की संधि की गई। उसमें जर्मनी को उत्तरदायी माना गया। इसलिए युद्ध दंड के रूप में 6.5 अरब पाउन्ड की बड़ी रकम देनी पड़ी। उसके रुहर प्रांत जैसे प्रदेश छीन लिए गए। जर्मनी की राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए खोल दी गई। इस तरह अपमानजनक और अन्यायपूर्ण संधि जर्मनी पर थोप दी गई। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने वर्सेल्स की संधि को 'कागज का टुकड़ा' कहकर अस्वीकार करने का आह्वान किया। उससे जर्मनी की प्रजा को युद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला। दूसरी तरफ जापान को भी इस संधि से असंतोष था। इस प्रकार वर्सेल्स की संधि से किसी न किसी प्रकार कई राष्ट्रों के साथ अन्याय हुआ था। इसलिए वर्सेल्स की संधि में ही द्वितीय विश्वयुद्ध का बीजारोपण हुआ था।

(6) एडोल्फ हिटलर की साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा : हिटलर द्वितीय विश्वयुद्ध की नींव में था। वह उग्र राष्ट्रवादी और सैनिकवादी मानसिकता रखता था, इसलिए वह किसी भी मूल्य पर जर्मनी की एकता, स्थिरता और समृद्धि चाहता था। हिटलर के साम्राज्यवाद का पहला शिकार आस्ट्रिया बना। हिटलर ने जर्मन सेना के साथ आस्ट्रिया में प्रवेश किया था (12 मार्च, 1938)।

म्यूनिच सम्मेलन के बाद दूसरे ही दिन चेकोस्लोवेकिया पर अधिकार किया था (1 अक्टूबर 1938)। उसके बाद मार्च, 1939 में लिथुआनिया के मेमेल (Mamal) बंदरगाह पर अधिकार किया था (मार्च, 1939)। इस तरह विशाल जर्मन राष्ट्र का उसने सृजन किया। हिटलर की साम्राज्यवादी नीति द्वितीय विश्वयुद्ध के लिए उत्तरदायी थी।

(7) जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण तात्कालिक कारण : उपर्युक्त सभी परिबलों ने समस्त विश्व को बारूद के बड़े ढेर पर लाकर बैठा दिया था। एक छोटी-सी चिनगारी विश्व में भयानक विस्फोट पैदा कर सके, ऐसी स्थिति थी और यह चिनगारी लगाने का कार्य जर्मनी ने शांत पोलैंड पर आक्रमण करके किया (1 सितंबर, 1939 को प्रात:काल)। उससे द्वितीय विश्वयुद्ध का आरंभ हुआ था। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को यह युद्ध तत्काल बंद करने की चेतावनी दी, परंतु जर्मनी ने उसकी उपेक्षा की इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध में कूद पड़े। परिणामस्वरूप समस्त विश्व में द्वितीय महायुद्ध की ज्वालाएँ फैलीं।

द्वितीय महायुद्ध की रूपरेखा

द्वितीय महायुद्ध शुरू होते ही विश्व पुन: दो भागों में विभाजित हो गया। एक तरफ इंग्लैंड और फ्रांस के नेतृत्व में 'मित्रराष्ट्रों' का गुट था। दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान जैसे 'धुरी राष्ट्रों' का गुट था। इसके अतिरिक्त युद्धखोर मानसिकता वाली अन्य कई शक्तियाँ इसमें शामिल थीं। जापान ने हवाई द्वीपों में स्थित अमेरिकन नौसेना पर आक्रमण किया। परिणामस्वरूप तटस्थ नीति छोड़कर अमेरिका ने पलटवार हमला किया। वह मित्र राष्ट्र के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया। इससे मित्र राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि हुई। जब घमासान युद्ध चल रहा था उस समय जापान की ताकत को रोकने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इन दो नगरों पर परमाणुबम फेंका, जिसमें जापान के एक लाख चौबीस हजार से अधिक लोग मारे गये और महाविनाश हुआ। परिणामस्वरूप जापान ने शरणागति स्वीकार की (11 अगस्त, 1945) और द्वितीय विश्वयुद्ध का अंत हो गया।

3.1 हिरोशिमा पर अणुबम का प्रहार

द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणाम – तात्कालिक परिणाम

(1) आर्थिक परिणाम : इस महायुद्ध से विश्व में भयंकर विनाश हुआ था। द्वितीय महायुद्ध में भाग लेनेवाले सभी राष्ट्रों का बेशुमार खर्च हुआ था। अमेरिका ने 350 अरब डालर और अन्य राष्ट्रों ने 1 हजार डालर से भी अधिक खर्च किया। उतनी ही मूल्यवान संपत्ति का नाश हुआ था। इंग्लैंड ने दो हजार करोड़ की संपत्ति खोई और जर्मनी की हानि की तो कल्पना ही कर सकते हैं। द्वितीय महायुद्ध के लिए विश्व के राष्ट्रों ने युद्ध में उपयोगी शस्त्रसामग्री के उत्पादन को महत्त्व दिया था। इसलिए जीवनोपयोगी आवश्यकता की वस्तुओं का अभाव पैदा हुआ, उत्पादन घटा, अवमूल्यन बढ़ा। लोगों को रोजी–रोटी की कमी पड़ने लगी। लोगों का आर्थिक जीवन अस्तव्यस्त हो गया था। परिणामस्वरूप विश्व के राष्ट्रों में महामंदी और विश्व की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में युग प्रवर्तक परिवर्तन हुए थे।

(2) चीन में साम्राज्यवाद की स्थापना : रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति (1917) ने साम्यवादी स्तर पर भावी विकास पथ तेजी से अपनाकर जो प्रगति प्राप्त की उससे विश्वभर में अनेक राष्ट्र प्रभावित हुए थे। चीन भी प्रभावित हुआ। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जापान की शक्ति क्षीण हो गई थी। इन परिस्थितियों में चीन पर से उसका प्रभाव घट गया। उसका लाभ लेकर वहाँ माओ–त्से–तुंग के नेतृत्व में चीन में हुई क्रांति के अंत में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई (1949)।

(3) शीत युद्ध (Cold War) का जन्म – दूरगामी परिणाम : द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व, अमेरिका और रूस इन दो महासत्ताओं में विभाजित हो गया था। युद्ध के दौरान दोनों राष्ट्र मित्र थे। युद्ध के पश्चात् दोनों के बीच मतभेद बढ़ता गया। इस तरह, लोकतंत्रात्मक देश अमेरिका और साम्यवादी देश रूस परस्पर विरोधी गुट के रूप में खड़े हुए थे। इन दोनों गुटों में विश्व के छोटे देश अपनी अनुकूलता के अनुसार शामिल हो गये। दोनों गुट ने एक–दूसरे के मत का खंडन और अपने मत के समर्थन के लिए जिन वाक् युद्धों और विचार युद्धों को अपनाया, उसने शस्त्रहीन ठंडे युद्ध की स्थिति का सृजन किया इससे अनेक बार तृतीय विश्वयुद्ध होते–होते बच गया था।

संयुक्त राष्ट्र

3.2 संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक

प्रथम विश्वयुद्ध के अंत में विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के उद्देश्य से राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी; परंतु द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ। अर्थात् राष्ट्रसंघ निष्फल गया। द्वितीय विश्वयुद्ध पूरा होने पर विश्व में पुन: एकबार शांति, सुरक्षा और

सहअस्तित्व के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र (संयुक्त राष्ट्रों U.N.) की स्थापना की गई थी (24 अक्टूबर 1945)। उसका कार्यालय न्यूयार्क में रखा गया था।

3.3 संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, न्यूयार्क

अमेरिका द्वितीय विश्वयुद्ध में शामिल हुआ उसी समय से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की दिशा में प्रयास चल रहे थे। मानव स्वातंत्र्य, शांति और सुरक्षा के उद्देश्य से अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमेरिकी कांग्रेस (संसद) को संदेश देते हुए चार महत्त्वपूर्ण स्वतंत्रताओं की घोषणा की :

(1) विचार और वाणी स्वातंत्र्य (2) धार्मिक स्वातंत्र्य (3) आर्थिक स्वातंत्र्य और (4) भय से मुक्ति के अधिकारों का समावेश किया गया।

3.4 संयुक्त राष्ट्र का ध्वज

उसके पश्चात् राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक महासागर के एक जहाज पर आठ मुद्दों का दस्तावेज तैयार किया, जो बाद में 'अटलांटिक दस्तावेज' के रूप में जाना गया। दस्तावेज में हरएक राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमत्व की सुरक्षा करने, शांति, सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक कल्याण और नि:शस्त्रीकरण के विषयों का समावेश किया गया था। उसके बाद 1943 के अक्टूबर में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के विदेशमंत्री विश्वशांति के लिए मास्को में एक साथ मिले, जिसे मास्को घोषणा के रूप में जाना गया था। 1943 के नवंबर में तेहरान में तीन मांधाताओं की परिषद आयोजित की गई। वॉशिंग्टन में 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज तैयार किया (1944 सितंबर में)। 24 अक्टूबर, 1945 को 51 सदस्य राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा हुई। उसमें भारत का भी समावेश होता है। तब से लेकर आज तक 24 अक्टूबर को यू.एन. दिवस (United Nations Day) के रूप में विश्वभर में मनाया जाता है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में 193 राष्ट्र सदस्य हैं।

संयुक्त राष्ट्र के अंग

संयुक्त राष्ट्र ने अपने उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए जिस तंत्र का गठन किया है, उसके निम्नलिखित मुख्य 6 अंग हैं :

1. सचिवालय 2. सामान्य सभा 3. सुरक्षा समिति 4. आर्थिक और सामाजिक समिति 5. अभिभावक समिति 6. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

इन अंगों में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नेदरलैंड के हेग शहर में है। उसके अतिरिक्त अन्य समितियों का मुख्य कार्यालय अमेरिका के न्यूयार्क में है।

संयुक्त राष्ट्र के अंगों के कार्य

(1) सामान्य सभा : संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है – सामान्य सभा। यह सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से बनी है। इसमें प्रत्येक राष्ट्र अधिक से अधिक पाँच प्रतिनिधियों को भेज सकता है; परंतु मतदान के समय प्रत्येक राष्ट्र का केवल एक ही मत माना जाता है। यह (1) अंतर्राष्ट्रीय संबधों से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा, सलाह, परामर्श या सिफारिश कर सकती है।

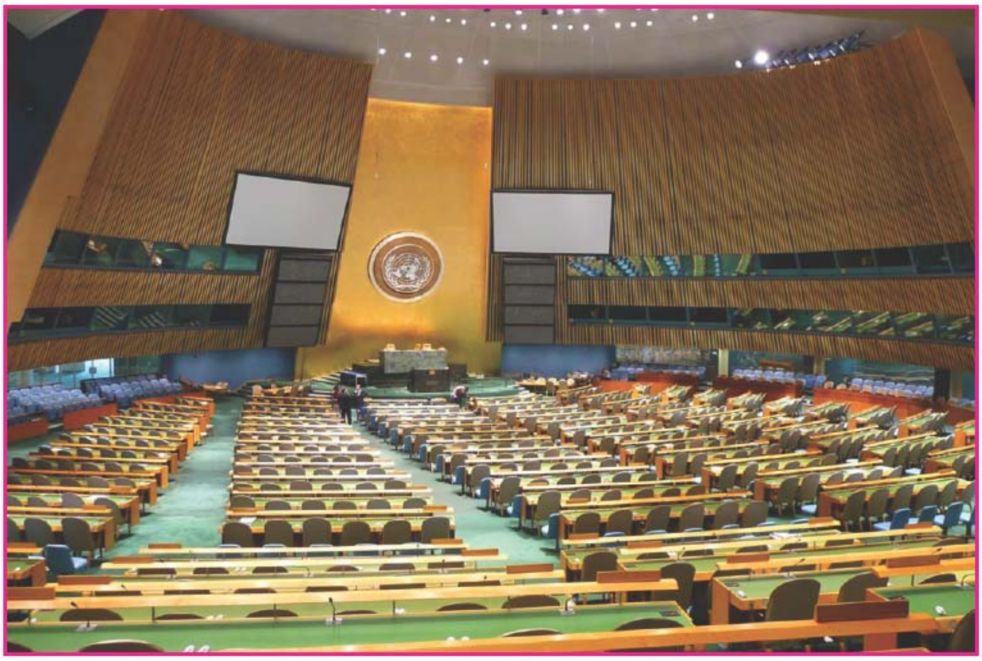

3.5 सामान्य सभा की सभाखंड

(2) महामंत्री हरएक वर्ष जो बजट प्रस्तुत करता है, उसे मंजूर करना तथा उसके खर्च की राशि का आवंटन करना। (3) राष्ट्रों के आर्थिक विकास, मानव अधिकार, नि:शस्त्रीकरण या सांप्रत अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों का निराकरण लाने का प्रयास करती है। (4) सामान्य मामलों में निर्णय $\frac{2}{3}$ सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है।

(2) सुरक्षा समिति : संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है। इसमें अमेरिका, ब्रिटन, फ्रांस, रूस और चीन ये पाँच स्थायी सदस्य हैं। बाकी 10 अस्थायी सदस्य हैं। इस समिति को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अत्यंत विशाल अधिकार दिए गए हैं।

राष्ट्रों के किसी भी झगड़े का निपटारा करने के लिए समझौता, जाँच और मध्यस्थता द्वारा शांतिमय तरीके से प्रश्नों को हल करती है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने के लिए पाँच स्थायी सदस्यों में से कोई भी एक मत स्वीकारात्मक न हो तो उस विषय पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। पाँच स्थायी सदस्य देशों की इस सत्ता को निषेधाधिकार (Veto) कहते हैं। रूस ने सबसे अधिक बार इसका उपयोग किया है।

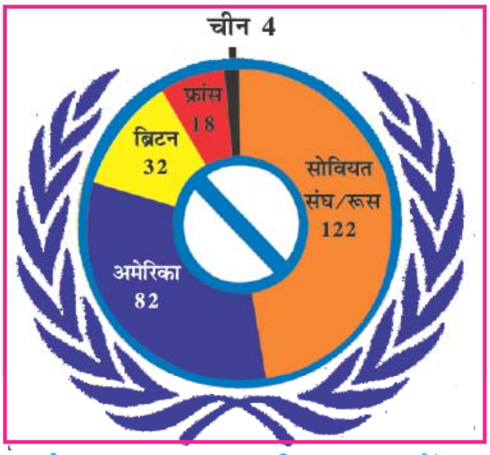

3.6 ई.स. 2006 तक स्थायी सदस्य राष्ट्रों द्वारा 'वीटो पावर' के किये गए उपयोग का चार्ट

(3) आर्थिक और सामाजिक समिति : इस समिति को इकोसोक (Ecosoc) भी कहते हैं। इसमें 54 सदस्य हैं। सामान्य सभा अपने निवृत्त होनेवाले $\frac{2}{3}$ सदस्यों को तीन वर्ष के लिए निर्वाचित करती है। यह समिति धर्म, जाति या प्रादेशिक भेदभाव के बिना विश्व के देशों के लोगों का जीवनस्तर ऊँचा लाने का प्रयास करती है। यह समिति और इसकी उपसमितियाँ विश्वभर में कार्य करती हैं।

- **WHO विश्व स्वास्थ्य संस्था :** विश्व के मानवों के स्वास्थ्य सुधार का कार्य करती है।
- **IMF अंतर्राष्ट्रीय बैंक तथा वित्तीय संचित पूँजी :** वित्तीय स्थिरता स्थपित करने का कार्य करती है।

3.7 FAO

3.8 ILO

3.9 UNICEF

3.10 UNESCO

- **FAO अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्था :** यह कृषि उत्पादन, वन और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने तथा पोषण का स्तर ऊँचा लाने में सहायता करती है।
- **ILO अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था :** विश्व के मजदूरों के अधिकार और न्याय दिलवाने का कार्य करती है।
- **(UNICEF) बालकों के लिए आकस्मिक सहायता अनुदान :** विश्व के बालकों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए पौष्टिक आहार, शिक्षा और बालकल्याण की प्रवृत्तियाँ करती है।
- **UNESCO शैक्षणिक-वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था :** यह संस्था निरक्षरता निवारण, शिक्षा द्वारा मानव का जीवनस्तर ऊँचा उठाने, शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक साधनों द्वारा राष्ट्र-राष्ट्र के बीच परस्पर सहयोग बढ़ाने का कार्य करती है।

इसके अतिरिक्त उसकी उपसंस्थाएँ और प्रादेशिक समितियाँ भी हैं, जो विविध कार्य करती हैं।

(4) अभिभावक समिति : इस समिति में सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्र होते हैं। उसमें सामान्य सभा द्वारा चुने गए देशों के प्रतिनिधि होते हैं। पहले से अभिभावकत्व (मेन्डेट) के अंतर्गत आनेवाले प्रदेश तथा जिन प्रदेशों को स्वतंत्रता नहीं मिली थी एवं द्वितीय विश्वयुद्ध में पराजित हुए प्रदेशों की देखरेख के लिए तथा उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जैसे सभी विषयों का विकास देखने का कर्तव्य अभिभावक समिति का है।

(5) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय : इसका मुख्यालय नेदरलैंड के हेग शहर में है। इसमें 15 न्यायाधीश हैं। उनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। किन्हीं दो राष्ट्रों के बीच होनेवाले विवादों का निपटारा करती है। राष्ट्रों के बीच होनेवाले झगड़े यदि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँ तो उनका फैसला करती है और कानूनी सलाह देने का कार्य करती है।

(6) सचिवालय : संयुक्त राष्ट्र के महामंत्री के कार्यालय को सचिवालय कहा जाता है। सामान्य सभा अपने महामंत्री की नियुक्ति पाँच वर्ष के लिए करती है। महामंत्री के कार्यों में सहायता करने के लिए मंत्री व्यवस्थापक, सहायक, अनुवादक और विशेषज्ञों का समावेश किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय न्यूयार्क में है। विश्व में शांति स्थापना हो, विश्व एकता और विश्वबंधुत्व का स्वप्न साकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रयत्नशील है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्दासहित उत्तर लिखिए :

(1) वैश्विक महामंदी (1929-32) के उदय का प्रभाव बताइए।

(2) द्वितीय विश्वयुद्ध के उद्‌भव के लिए उत्तरदायी तत्वों (परिबलों) की चर्चा कीजिए।

(3) द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणामों का उल्लेख कीजिए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए :

(1) संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

(2) संयुक्त राष्ट्र के अंग के रूप में आर्थिक-सामाजिक समिति के बारे में बताइए।

3. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(1) संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा (2) संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति

4. एक वाक्य में उत्तर लिखिए :

(1) द्वितीय विश्वयुद्ध के लिए कौन-सी संधि उत्तरदायी थी ?

(2) जर्मन तानाशाह कौन था ?

(3) इटली के तानाशाह का नाम लिखिए।

(4) द्वितीय विश्वयुद्ध का तात्कालिक कारण बताइए।

(5) संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यालय कहाँ है ?

(6) 'शीत युद्ध' से क्या तात्पर्य है ?

5. निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) जर्मनी में नाजीवाद का स्थापक कौन था ?

(A) हिटलर (B) मुसोलिनी (C) लेनिन (D) कोई भी नहीं

(2) विश्व के मानव के स्वास्थ्य सुधार का कार्य कौन करता है ?

(A) WHO (B) IMF (C) FAO (D) ILO

(3) निम्नलिखित में से सही विधान खोजकर लिखिए :

(A) जर्मनी में फासीवाद का उदय हुआ था।

(B) मुसोलिनी जर्मनी का नेता था।

(C) नाजीदल का प्रतीक 'लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी' था।

(D) मुसोलिनी ने इटली में फासीवाद की स्थापना की।

शिक्षक-विद्यार्थी प्रवृत्ति

- विश्व के रेखांकित मानचित्र में द्वितीय विश्वयुद्ध में शामिल समस्त देशों को दर्शाइए और उन देशों के नामों की सूची तैयार कीजिए।
- विश्व संस्थाओं के देशों और उनके प्रतीकों का चार्ट बनाइए।
- संयुक्त राष्ट्र के महामंत्रियों की सूची बनाइए।

•

4 भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन

प्रस्तावना

भारत निवास के दौरान अंग्रेज भारत की राजनैतिक परिस्थिति से अवगत हुए। भारत की राजनैतिक खटपटों और आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ई.स. 1757 में बंगाल में पदार्पण करके ई.स. 1857 के संग्राम तक 100 वर्ष के अपने शासनकाल के दौरान भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। अंग्रेजों ने अपने आधिपत्य को बनाए रखने के लिए देश में धीरे-धीरे मजबूत प्रशासकीय ढाँचे का विकास किया। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढाँचे द्वारा देश में समान कानून, समान प्रशासनिक व्यवस्था और ब्रिटिश प्रणालिकानुसार न्यायतंत्र लागू किया गया। फिर भी भारत में रहनेवाले अंग्रेजों ने इंग्लैंड के लिए अधिक लाभदायक कानून और प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। अंग्रेजों ने भारत का भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाकर, भारत का सबसे अधिक आर्थिक शोषण किया।

1857 का संग्राम

भारत में 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम के लिए राजनैतिक असंतोष, आर्थिक शोषण, सामाजिक और धार्मिक कारण (परिबल), सैनिक कारण तथा तात्कालिक कारण जिसमें एनफिल्ड राइफल को सेना में दाखिल करने की नीति उत्तरदायी थी। संग्राम के प्रथम शहीद मंगल पांडे थे। इस संग्राम में नानासाहब, तात्याटोपे, राजा कुँवरसिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुरशाह जफर आदि संग्राम में शामिल हुए थे। 1857 के संग्राम के अनेक परिणाम और प्रभाव खड़े हुए जिनमें भारत में कंपनी शासन का अंत और ब्रिटिश राज के शासन की शुरुआत (रानी विक्टोरिया की घोषणा), प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक, सामाजिक, धार्मिक नीति में परिवर्तन आदि का समावेश कहा जा सकता है। 1857 का संग्राम निष्फल जाने के लिए उसका निर्धारित समय से पहले शुरू होना, केन्द्रीय नेतृत्व का अभाव, अपर्याप्त और पुराने शस्त्र, संग्रामकारियों में राष्ट्रीय भावना की अपेक्षा निजी स्वार्थ की प्रधानता, योग्य और संगठित नेतृत्व का अभाव जैसे अनेक कारण उत्तरदायी थे। जिनका विस्तृत अध्ययन आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं।

बहिष्कार और स्वदेशी आन्दोलन

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलनों में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी, बंगभंग आन्दोलन (1905) के साथ-साथ बहिष्कार और स्वदेशी आन्दोलन। अंग्रेजों की कूटनीति के परिणामस्वरूप 'फूट डालो और राज करो' की नीति के कारण बहिष्कार और स्वदेशी आन्दोलन को गति मिली।

ब्रिटिश शासन के समय बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था। जिसमें आज का बंगाल, बिहार और ओडिशा का समावेश होता था। भारत के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केन्द्रबिंदु था। राष्ट्रीय आन्दोलन को वेग और विचार बंगाल से मिलता था। साथ ही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिन्दू और मुस्लिम एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। इसलिए 'फूट डालो और राज करो' नीति अंग्रेजों की कूटनीति द्वारा कौमवाद को प्रोत्साहित करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था।

वाइसराय कर्जन (1899-1905) द्वारा विशाल बंगाल प्रांत में प्रशासनिक कार्यक्षमता लाने के बहाने पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल ऐसे दो भाग किए गए।

बंगाल के विभाजन का उग्र विरोध शुरू हो गया था। 16 अक्टूबर, 1905 को बंगाल प्रांत का विभाजन लागू किया गया, उस दिन पूरे बंगाल प्रांत में 'राष्ट्रीय शोक दिवस' के रूप में मनाया गया। उस दिन सभी विदेशी माल के बहिष्कार का आन्दोलन और स्वदेशी माल के उपयोग को प्रोत्साहन देने का एलान भी किया गया। केवल बंगाली ही नहीं; बल्कि भारत के अन्य लोग भी मानने लगे कि हिंद में राष्ट्रवाद का ज्वार जिस जोरशोर से शुरू हुआ है, उसे रोकने के लिए यह विभाजन किया गया है। उस दिन समग्र बंगाल में हिंदुओं और मुस्लिमों ने एकदूसरे को राखी बाँधकर संगठन शक्ति का दर्शन कराया। इस आन्दोलन के तीन महत्त्वपूर्ण लक्षण थे, जिनमें (1) स्वदेशी अपनाना (2) विदेशीमाल का बहिष्कार करना (3)राष्ट्रीय शिक्षा अपनाना।

स्वदेशी आन्दोलन से भारत को खूब लाभ हुए, जबकि विदेशी माल का बहिष्कार के परिणामस्वरूप इंग्लैंड के व्यापार को बड़ा झटका लगा। मान्चेस्टर से आनेवाले कपड़े बंद हो गये। इंग्लैंड से आयात किए जानेवाले सिगरेट, तंबाकू, चीनी आदि का आयात भी घट गया और भारत में बने कपड़े की बिक्री बढ़ गई। स्वदेशी माल बनाने के कारखाने शुरू हुए। बंगाल के

अतिरिक्त हिंद के अन्य प्रदेश पंजाब, उत्तर-प्रदेश, मध्यप्रदेश, मुंबई तथा मद्रास (चेन्नई) आदि प्रांतों में भी संघर्ष का प्रभाव पड़ा। गुजरात में भी स्वदेशी की लड़ाई की गूँज सुनाई दी। इसकी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जबरदस्त गूँज सुनाई पड़ी और पार्लियामेंट को पुन: विचार करके मात्र छह वर्ष बाद (ई.स. 1911) बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा। हिंदवासियों के संगठन शक्ति की यह एक स्मरणीय विजय थी। अंग्रेज शासन के विरुद्ध जागृत हुई नई चेतना की यह उल्लेखनीय विजय थी।

मुस्लिम लीग (1906)

अंग्रेज 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपनाकर हिंदू और मुस्लिम के बीच वैमनस्य खड़ा करना चाहते थे। तत्कालीन वाइसराय मिन्टो और भारतीय मंत्री-मार्ले के साथ मिलकर भारत के राष्ट्रवाद को कुचल डालने की योजना बनाई। राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ति बढ़ गई, तब अंग्रेजों ने उच्च वर्ग के मुस्लिमों की तरफ़दारी करनी शुरू की। अलग मताधिकार और अलग मतदान मंडलों की माँग करने के लिए मुस्लिमों के एक समूह को समझाने में अंग्रेज सफल रहे। परिणामस्वरूप मुस्लिमलीग की स्थापना हुई (ई.स. 1906)। इस संस्था की स्थापना में मुस्लिमों के धार्मिक प्रधान आगा खाँ, ढाका का नवाब सलीमउल्ला खाँ, वाइसराय मिन्टो और उसका निजी मंत्री डनलोप स्मिथ ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुस्लिम कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित न रहे इसके लिए कांग्रेस अधिवेशन के दिन ही मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाता था। इस तरह से अलग प्रतिनिधित्व की माँग मुस्लिमों की नहीं; परंतु अंग्रेजों की नीति की ही सोच थी। मिन्टो ने ही मुस्लिमों को सहयोगी बनाने की नीति की शुरुआत की, इसीलिए मिन्टो को कई लेखक 'मुस्लिम कौमवाद का पिता' कहते हैं। एक इतिहासकार तो यहाँ तक लिखता है कि 'पाकिस्तान का सच्चा निर्माता मुहम्मद अली ज़ीन्ना या रहिमतुल्ला नहीं, बल्कि मिन्टो ही था।' तभी से हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष बढ़ा और अंत में हिंद के विभाजन में परिणमित हुआ।

उग्र क्रांतिकारी आन्दोलनों का उदय और विकास

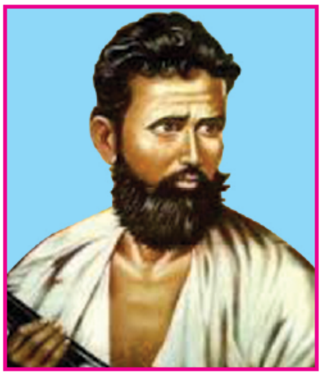
वासुदेव बलवंत फड़के

भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत वासुदेव बलवंत फड़के ने की। चाफेकर बंधुओं (दामोदर चाफेकर तथा बालकृष्ण चाफेकर), वीर सावरकर, बारीन्द्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल चाकी, रामप्रसाद 'बिस्मिल', अशफाकउल्ला खाँ, चंद्रशेखर 'आजाद', वीर भगतसिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रौशन सिंह जैसे अनेक क्रांतिवीरों ने राष्ट्रवाद की ज्योति प्रज्ज्वलित रखी। शस्त्र बनाने से लेकर उसके उपयोग करने का प्रशिक्षणप्राप्त युवकों ने अंग्रेज सरकार की नींद हराम कर डाली।

उग्र क्रांतिकारी आंदोलन हिंद में उदित होकर देश-विदेश में फैला। उसकी पूर्वभूमिका में बंगाल का विभाजन रद्द कराने के लिए चले आन्दोलन, सूरत के कांग्रेस अधिवेशन (1907) में हुए 'गरम' और 'नरम' दल जैसे दो भाग में विभाजन और कांग्रेस की मात्र प्रस्ताव, विनती का प्रबल विरोध जैसी परिस्थितियाँ हैं। लाल-बाल-पाल की त्रिपुटी ने गरम दल की नीति अपनाकर भारतीय युवा कार्यकर्ताओं में नई चेतना जगाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ढीलीढाली नीति को एक जोरदार नया मोड़ दिया।

खुदीराम बोस

रामप्रसाद 'बिस्मिल'

अशफाकउल्ला खाँ

चंद्रशेखर 'आजाद'

सरदार भगत सिंह

शिवराम राजगुरु

सुखदेव थापर

रौशन सिंह

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने उग्र भाषा में घोषित किया 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे प्राप्त करके रहेंगे' जो आजादी के क्रांतिकारियों के लिए मंत्र बन गया।

बालगंगाधर तिलक

तब भारत के नवयुवकों के एक वर्ग ने विदेशी शासन की गुलामी से आजादी प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। उग्र क्रांतिकारी लड़ाई के सिपाही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हँसते-हँसते बलिदान होने को तत्पर थे। वे प्राण दे सकते थे और आजादी की प्राप्ति के लिए दूसरों का प्राण ले सकते थे।

भारत में महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रांत, उत्तर प्रदेश और मध्यभारत में क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ फैली थीं। उन प्रवृत्तियों में 'मित्रमेला सोसायटी', 'अभिनव भारत समाज', अनुशीलन समिति, अंजुमन-ए-मुहिल्लाने वतन, इंडिन पेट्रिओट्स एसोसियेशन (बाद में 'भारत माता') आदि संस्थाएँ स्थापित करके क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को अधिक गति दी।

प्रथम दौर में 'संध्या', 'युगांतर', 'नवशक्ति' और 'वंदे मातरम्', 'केसरी', 'मराठा' जैसे समाचारपत्रों और पत्रिकाओं ने सतत बल प्रदान किया। अलीपुर हत्याकांड में 34 क्रांतिकारियों पर केस चलवाया गया। 'हावड़ा हत्याकांड' तथा 'ढाका हत्याकांड' के अनेक क्रांतिकारियों की गिरफतारी की गई, दिल्ली में वाइसराय हार्डिंग पर बम फेंककर हत्या करने का प्रयास; 13 नवंबर, 1909 को अहमदाबाद में रायपुर दरवाजा बाहर वाइसराय मिन्टो पर फेंका गया बम आदि घटनाएँ दृष्टांत के रूप में दी जा सकती हैं।

दूसरे दौर में (1920-42) 'काकोरी लूट केस', 'लाहौर हत्याकांड' और केन्द्रीय धारासभा (दिल्ली) में बम फेंकने की घटनाएँ घटीं। इन सभी प्रवृत्तियों में सहभागी क्रांतिवीरों के विषय में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं।

गुजरात में उग्रक्रातिकारी आन्दोलन

गुजरात में सशस्त्र क्रांति की भूमिका तैयार करनेवाले सर्वप्रथम नेता श्री अरविंद घोष थे; परंतु वे पर्दे के पीछे थे। अरविंद घोष के भाई बारीन्द्र घोष हमेशा आगे रहते (ई.स. 1902)। बारीन्द्र कुमार गुजरात आए और दक्षिण भाग को रौंद डाला। यहाँ उन्हें श्री छोटुभाई और श्री अंबुभाई पुराणी जैसे सशक्त साथी मिले। नर्मदा किनारे साकरिया स्वामी भी मिले। ये स्वामी 1857 में संग्राम के समय झांसी की रानी के साथ थे। बारीन्द्र कुमार ने वडोदरा, चरोतर (खेड़ा), अहमदाबाद, महेसाणा ऐसे हरएक जगह मध्यम वर्ग के युवकों को क्रांति के रंग में रंगा। इस संदर्भ में अहमदाबाद में रायपुर दरवाजा बाहर वाइसराय मिन्टो की बग्घी पर बम डालने की क्रांतिकारी घटना घटी थी।

अरविंद घोष 'भवानी मंदिर' नामक पुस्तक में क्रांति की योजना को चित्रित किया। उसका गुजराती भाषा में अनुवाद भी किया गया। इसके अतिरिक्त 'दक्षिण' सामयिक में उसे छपवाया। इसके अतिरिक्त क्रांति योजना का विचार फैलाने के लिए 'देशी वनस्पति दवाइयाँ', 'नहाने के साबुन बनाने के तरीके', 'कसरत', 'गुलाब की कहानियाँ', 'कानून का संग्रह' आदि शीर्षकवाली पुस्तिकाएँ प्रकाशित की गईं। जिससे अंग्रेजों को पता न चले। इन पुस्तिकाओं में बम बनाने के तरीके भी थे। चांदोद-करनाली के पास 'गंगनाथ विद्यालय'

की स्थापना की गई, जिसमें गुप्त रूप से क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ चलती थीं। गुजरात के अनेक युवक भी क्रांतिकारी प्रवृत्ति में शामिल हुए। सरकार ने उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाए; परंतु संघर्ष नहीं रुका। अंत में सरकार को भी लगा कि मात्र दमनचक्र से शासन नहीं चलेगा।

विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन

भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए विदेशों में भी क्रांतिकारी आन्दोलन की शुरुआत हुई थी।

भारत में शुरू हुई उग्र क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ भारत के बाहर ठेठ इंग्लैंड, केनेडा, जर्मनी, फ्रांस, म्यानमार (बर्मा), मलाया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, रूस आदि देशों तक फैलीं।

विदेशों में क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ और सक्रिय क्रांतिकारी

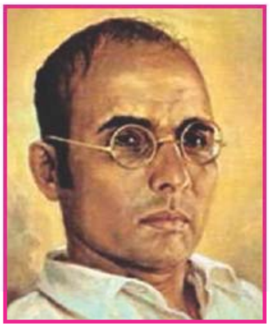
वीर सावरकर

श्यामजीकृष्ण वर्मा, मदनलाल धींगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उधमसिंह, राजा महेन्द्रप्रताप, मैडम भिखाईजी कामा, सरदारसिंह राणा, मौलाना अब्दुला, मौलाना बशीर, चंपक रमण पिल्लाई, डॉ. मथुरासिंह 'खुदाबख्श' जैसे क्रांतिकारी जुड़े हुए थे।

विदेश में क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ

मदनलाल धींगरा और उधमसिंह

श्यामजीकृष्ण वर्मा

મેડમ કામા

विदेश में होनेवाली क्रांतिकारी प्रवृत्तियों द्वारा भारत की क्रांतिकारी प्रवृत्ति को गति मिलती थी। इंग्लैंड से गुप्त रूप में रसोइये के बिस्तर में पिस्तौल (शस्त्र) भारत भेजते। क्रांतिकारियों की आलोचना करनेवाले अंग्रेज विलियम वायली की मदनलाल धींगरा ने हत्या की। 1907 में अमेरिका के केलिफोर्निया में 'इंडियन इन्डिपेन्डन्स लीग' संस्था स्थापित की गई, जिसका बाद में लाला हरदयाल ने 'गदर पार्टी' नाम रखा। चार भाषाओं में 'गदर' साप्ताहिक शुरू किया गया। इस प्रवृत्ति में तारकनाथ दास और करतारसिंह भी शामिल हुए। जर्मनी में चंपक रमण पिल्लाई ने 'हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल' की रचना करके इराक को मुख्यालय बनाया। वहाँ से भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई गई (ई.स. 1907)। जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड शहर में आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद' में सर्वप्रथम मैडम कामा ने तैयार किया हुआ राष्ट्रध्वज फहराया। अफगानिस्तान में राजा महेन्द्रप्रताप की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय अध्यक्ष' पद पर कामचलाऊ स्वतंत्र सरकार की रचना की गई, जिसमें बरकतुल्ला, आबिदुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेरसिंह, डॉ. मथुरासिंह आदि थे। इस सरकार ने रूस, ईरान, तुर्की आदि से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। तुर्की के प्रधान अनवर पाशा और गवर्नर को भी मिले। रेशमी रूमाल पर लिखे 'गालिबनामा' षड्यंत्र सभी मुस्लिमों ने एकत्रित-संगठित होकर ईसाइयों के विरुद्ध जंग शुरू किया और पकड़े गये। राजा महेन्द्रप्रताप ने अपने हस्ताक्षरवाले सोने की पट्‌टी रूस के जार के पास भेजी जिसमें 'जार को इंग्लैंड के साथ संबंध तोड़ डालने' के लिए कहा गया था। रूस के क्रांतिवीर ट्रोटस्की ने तो भारत के क्रांतिवीरों को सभी तरह की सहायता देने का वचन दिया था। बर्मा में सोहनलाल पाठक और सिंगापुर में परमानंद ने क्रांतिकारी प्रवृत्ति की। उसके अतिरिक्त कामागाटामारू और तोशामारू स्टीमरों की घटना ने क्रांतिकारियों को विदेशों में अंग्रेजों के विरुद्ध भावना जागृत करने में प्रेरणाशक्ति प्रदान की।

भारत के राष्ट्रीय और उग्र क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में देशभक्ति से भरे 18 से 24 वर्ष की आयु के युवक ही थे। मौत को मुट्‌ठी में लेकर कोई भी साहस और रोमांचक कार्य वे पूरा करते और पकड़े जाने पर हँसते-हँसते 'इंकलाब जिंदाबाद' और 'वंदेमातरम्' का गगनभेदी नारा लगाते हुए फाँसी के फंदे पर चढ़ जाते और इस तरह से मातृभूमि की आजादी के उत्तम ध्येय के लिए वीरगति को प्राप्त करते। उन्होंने जो ऊँची देशभक्ति, त्याग और बलिदान दिया है, वे युवा पीढ़ी को सदियों तक प्रेरणा देते रहेंगे।

मार्ले-मिन्टो सुधार (1909)

'फूट डालो और राज करो' की नीति अपनाकर अंग्रेजों ने हिन्दू और मुसलमान के बीच कौमी वैमनस्य खड़ा करने की योजना बनाई (ई.स. 1906)। आगा खाँ के नेतृत्व में मुस्लिमों का प्रतिनिधि मंडल वाइसराय मिन्टो से मिला। उस समय भारतीय मंत्री मार्ले था (ई.स. 1909)। इस सुधार को मार्ले-मिन्टो सुधार कहते हैं।

गांधीजी का भारत में आगमन

गांधीजी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध सत्याग्रह की लड़ाई सफलतापूर्वक लड़कर भारत वापस आए (1915)। अपने राजकीय गुरु गोपालकृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु श्रीमद् राजचंद्र से प्रेरणा लेकर गांधीजी ने भारत के बहुत से भागों का प्रवास करके भारतीय जीवन को पहचानने का प्रयास किया। हिंदुस्तान की गरीबी का मूल अंग्रेजों द्वारा होनेवाले शोषण को कारणभूत मानकर हिंद में से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के उपाय का विचार किया।

रोलेट एक्ट (ई.स. 1919)

ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के कानून विभाग के मंत्री रोलेट की अध्यक्षता में (ई.स. 1919) 'रोलेट एक्ट' बना।

यह कानून क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों का दमन करने के उद्देश्य से बना था। व्यक्ति स्वातंत्र्य और वाणी स्वातंत्र्य को समाप्त करनेवाला यह कानून काला कानून के रूप में जाना गया।

इस कानून के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती और उस पर मुकदमा चलाए बिना कई दिनों तक जेल में बंद रखा जा सकता था। जिससे गांधीजी ने उसे 'काला कानून' कहा। मोतीलाल नेहरू के मतानुसार 'दलील, अपील और वकालात का अधिकार' छीन लिया गया।

इस कानून से ब्रिटिश सरकार को विरोधियों का दमन करने की विशाल सत्ता मिल गई; इसलिए उनके नेताओं और जनता ने जगह-जगह विरोध किया। उसके विरोध में सभाएँ, जुलूस, प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन हुआ। सरकार ने दिल्ली में गांधीजी को गिरफ्तार किया (6 अप्रैल, 1919)। पंजाब में डॉ. सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किए जाने पर आन्दोलन उग्र हुआ। पंजाब में सरकार ने दमन का खुला दौर चलाया।

जलियाँवाला बाग - हत्याकांड (13 अप्रैल, 1919)

पंजाब में अमृतसर में से लोकप्रिय नेता डॉ. सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई। उसके विरोध में वैशाखी के त्योहार के दिन पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियाँवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ।

सेना के सैनिकों को लेकर जनरल ओडोनील डायर वहाँ पहुँच गया। बिना किसी पूर्व चेतावनी के निर्दोष जनता पर मशीनगन से गोलियों की वर्षा की। बाग के चारों ओर ऊँची दीवारें, बीच में खाली कुआँ और बाहर निकलने का एक ही सँकरा मार्ग होने से असंख्य लोग गोलीबार का भोग बने। सरकारी विवरण के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 घायल हुए; जबकि कांग्रेस के अनुसार 1000 लोग मारे गए। ब्रिटिश सरकार की ओर से जाँच करनेवाले 'हंटर कमीशन' ने जनरल डायर का बचाव किया और ' अज्ञानता में हुई प्रामाणिक भूल' के रूप में क्षम्य माना। दूसरी तरफ डायर जब इंग्लैंड वापस गया, तब उसे 2000 पाउन्ड तथा तलवार भेंट करके सम्मानित किया गया। इससे भारत के लोगों

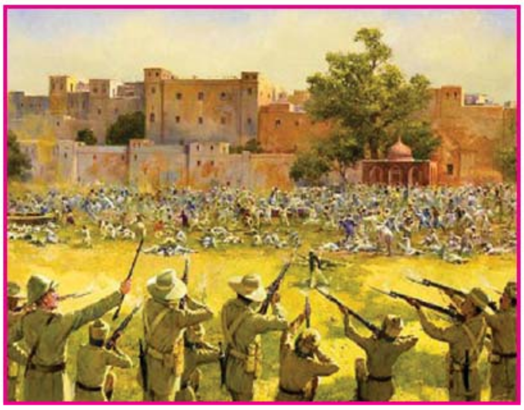

4.1 अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचार

4.2 जलियाँवाला बाग शहीद स्मारक

को जबरदस्त आघात लगा। इस अमानवीय हत्याकांड के बाद गांधीजी की अंग्रेजों के प्रति रहीसही श्रद्धा भी डगमगा गई। इस घटना ने समग्र देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग के भावी आन्दोलन की भूमिका भी इस हत्याकांड ने पूरी की।

खिलाफत आंदोलन

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान तुर्की, जर्मनी के पक्ष में शामिल हुआ था। इंग्लैंड की विजय के पश्चात् उसके साथ जो संधि की गई थी उसकी शर्तें अत्यंत कड़ी और अन्यायपूर्ण थीं। तुर्की का सुल्तान उस समय इस्लाम धर्म का खलीफा (धार्मिक बड़ा) था। उस पर जो कठोर शर्त लादी गई उसका विरोध करके उसे हल्की करने के लिए भारत में जो आन्दोलन हुआ उसे 'खिलाफत आन्दोलन' कहा जाता है। अली बंधु (मौलाना सौकतअली और मौलाना मोहम्मद अली) इस आन्दोलन के मुख्य नेता थे। हिन्दू-मुस्लिम एकता के विचार से गांधीजी ने उस आन्दोलन को समर्थन देने का अनुरोध किया। कांग्रेस के सहयोग से यह आन्दोलन व्यापक बना।

असहयोग आन्दोलन (1920-22)

असहयोग आन्दोलन को (दिसंबर, 1920) नागपुर अधिवेशन में स्वीकृति मिली। कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत 'स्वशासन' के बदले 'स्वराज्य' ही चाहिए, ऐसी माँग बुलंद की।

4.3 सामान्य जनता असहयोग आन्दोलन में

रचनात्मक पहलू

आन्दोलन के सकारात्मक पहलू में हिन्दू मुस्लिम एकता को दृढ़ बनाना, 'स्वदेशी' चीजवस्तुओं का आग्रह रखना, घर-घर चरखा चलाना, 'तिलक स्वराज्य फंड' में एक करोड़ रुपए इकट्ठा करना, खादी, अस्पृश्यता निवारण, शराब निषेध, राष्ट्रीय शिक्षा का समावेश होता था।

खंडनात्मक पहलू

जबकि दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों, धारासभाओं, सरकारी स्कूल-कॉलेजों का त्याग करना, सरकारी अदालतों, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में नियुक्ति सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देना, विदेशी वस्त्र और माल-सामान का बहिष्कार, सरकारी कार्यक्रम और उपाधियों वगैरह का बहिष्कार जैसे अनेक कार्यक्रमों का समावेश होता था।

असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम

आन्दोलन के प्रारंभ में महात्मा गांधी ने अपनी 'कैसरे हिंद' और रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 'नाइट हुड' सम्मान आदि का त्याग किया। देश के अन्य नेताओं ने भी अपनी उपाधि या पदवी का त्याग किया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विद्यालय और कॉलेज छोड़ दिए। जगह-जगह विदेशी कपड़े की होली जलाई। ड्यूक ऑफ कैनाट भारत आया तब उसका बहिष्कार किया गया (नवंबर 1921)। प्रिन्स ऑफ वेल्स के सम्मान का भी बहिष्कार किया गया। ऐसे कदम ने पूरे देश में अच्छी उत्तेजना उत्पन्न की। दूसरी तरफ राष्ट्रीय विद्यालय - कालेजों की स्थापना हुई, जिनमें काशी, बिहार, जामिया-मिलिया, गुजरात आदि में विद्यापीठ नाम से राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना हुई। स्वदेशी का प्रचार जोर-शोर से होने से इंग्लैंड से आयात होनेवाले कपड़े, जूते, मौजशौक की चीज-वस्तुओं में भारी कमी होने से उसकी गूँज ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुनाई दी। इंग्लैंड को हुए भारी नुकसान से सरकार चौंक उठी।

तिलक फंड में 1 करोड़ रुपए से अधिक धन एकत्र हुआ तथा आन्दोलन के दौरान हिन्दू-मुस्लिम एकता अनेक प्रसंगों पर प्रकट हुई। हिन्दू जमींदारों और मुस्लिम किसानों के बीच हुआ 'मोपला विद्रोह' (मलबार) टीकापात्र कहा जा सकता है और उसे ब्रिटिश सरकार ने कठोरतापूर्वक दबा दिया।

इस आन्दोलन को निष्फल बनाने के लिए सरकार ने दमन नीति का सहारा लिया, अंधाधुंध लाठीचार्ज, गोलीबार, सामूहिक गिरफ्तारी और अमानवीय अत्याचार किए गए। हिन्दू-मुस्लिम एकता को तोड़ने के असफल प्रयास हुए।

चौरी-चौरा की घटना और आन्दोलन स्थगित होना

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरीचौरा कस्बे में (5 फरवरी, 1922) निकले जुलूस के लोगों पर पुलिस ने गोलियाँ चलाई। पुलिस की गोलियाँ समाप्त हो गईं तब वे पुलिस चौकी में जाकर छिप गए। उत्तेजित भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दिया। जिसमें 21 पुलिसवाले मारे गए। इस हिंसक घटना की खबर मिलते ही गांधीजी ने बताया कि **'अहिंसा का मूल्य नहीं समझनेवाले लोगों के हाथ में सत्याग्रह का शस्त्र रखकर मैंने हिमालय जैसी भूल की है।'** ऐसा कहकर असहयोग आन्दोलन तत्काल वापस ले लेने की घोषणा की।

असहयोग आन्दोलन का महत्त्व और उसका प्रभाव

इस आन्दोलन को अपने उद्‌देश्यों को प्राप्त करने में भारी सफलता नहीं मिली थी; परंतु अपने नकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा उसने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत किया। सरकार की तरफ एक विरोधी वातावरण निर्मित हुआ। लोगों में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भावना प्रबल बनी। भारत के सभी वर्गों में राजनैतिक जागृति आयी। स्वराज्य के लिए उनकी श्रद्धा अडिग बनी। लोगों में से लाठी, दंड और जेल का भय दूर हुआ। युवक और स्त्रियाँ भी राष्ट्रसेवा में आगे आईं और कांग्रेस लोगों की संस्था बनी। देश में राष्ट्रीय शिक्षा देनेवाली संस्थाएँ शुरू हुईं। अंग्रेजी की जगह हिन्दी को महत्त्व मिला। जो राष्ट्रीय आन्दोलन अबतक शहरों-नगरों तथा बुद्धिजीवियों तक सीमित था, वह गाँव-गाँव और समान जनता तक फैला।

स्वराज्य दल

लोगों में राजनैतिक जागृति को टिकाए रखने के उद्देश्य से असहयोग का आन्दोलन-स्थगित होने के बाद चितरंजनदास मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य दल की रचना की। उनका उद्देश्य धारासभाओं में प्रवेश कर सरकार की अयोग्य नीतियों का विरोध करना था। स्वराज्य दल के स्थापकों ने भी गांधीजी के अस्पृश्यता निवारण, हिन्दू-मुस्लिम एकता, चरखा चलाना, नशाबंदी आदि रचनात्मक कार्यक्रमों को स्वीकार किया।

उस समय (नवम्बर, 1923) आयोजित धारासभाओं के चुनाव में स्वराज्य दल शामिल हुआ और केन्द्रीय धारासभा और कुछ प्रांतों की धारासभाओं में स्वराज्य दल के उम्मीदवार चुनकर आने से स्पष्ट बहुमत मिला। जबकि बंगाल प्रांत में बहुमत नहीं मिला, फिर भी एक बड़े और मजबूत दल के रूप में स्थान प्राप्त कर सका। केन्द्रीय धारासभा में दल के नेता के रूप में मोतीलाल नेहरू और बंगाल प्रांत में नेता के रूप में चित्तरंजन दास का चयन किया गया।

स्वराज्य दल ने सरकारी बजट और विधेयक को नामंजूर कर सरकारी अन्यापूर्ण नीतिरीति का विरोध किया जिससे जनता के प्रश्नों की तरफ सरकार को ध्यान देने के लिए विवश होना पड़ा। स्वराज्य दल के कार्यों के कारण ही सरकार को 'साइमन कमीशन' की नियुक्ति दो वर्ष पहले करनी पड़ी।

धारासभा में स्वराज्य दल ने अनुशासित रूप से कार्य किया, उच्च संसदीय प्रणाली स्थापित की। भारत के लोगों में लोकतंत्रात्मक पद्धति और संवैधानिक रूप से शासन चलाने की क्षमता है, ऐसा ब्रिटिश सरकार के समक्ष साबित करके बताया। ऐसे सुंदर कार्य के परिणामस्वरूप हिंद का शिक्षित वर्ग स्वराज्य दल की तरफ आकर्षित हुआ। लोगों में भी राष्ट्रीय जागृति का पुनः संचार हुआ। 'स्वराज्य प्राप्ति' को अधिक करीब लाने में इस दल ने अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन सभी में उसका महत्त्व और मूल्य निहित है।

जून, 1925 में चितरंजनदास का अवसान होने से 'स्वराज्य दल' कमजोर पड़ा। कई सदस्य सरकार को सहयोग देते तो कई 'नेशनल दल' नामक नए दल स्थापित किए, जिससे स्वराज्य दल की प्रतिष्ठा कम हो गई। उसके बाद चुनाव में तो मद्रास प्रांत के अतिरिक्त सर्वत्र उनके उम्मीदवारों की भारी पराजय हुई (ई.स. 1926)। बिपिनचंद्र पाल और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने तो उनके कार्यों की जोरदार आलोचना भी की।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्दासहित उत्तर लिखिए :

(1) बहिष्कार आन्दोलन और स्वदेशी आन्दोलन के स्वरूप और परिणामों की चर्चा कीजिए।

(2) उग्र क्रांतिकारी आन्दोलन के उदय और विकास का वर्णन कीजिए।

(3) असहयोग आन्दोलन के कार्यक्रमों, घटनाओं को बताकर उनके प्रभाव बताइए।

2. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(1) विदेशों में क्रांतिकारी आन्दोलन

(2) रोलेक्ट ऐक्ट

(3) जलियाँवाला बाग-हत्याकांड

(4) स्वराज्य दल

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

(1) बंगाल का विभाजन कब और किसने किया ? किसलिए ?

(2) गुजरात में हुए उग्र क्रांतिकारी आन्दोलन के बारे में बताइए।

(3) गांधीजी ने रोलेट ऐक्ट को 'काला कानून' क्यों कहा ?

(4) असहयोग आन्दोलन क्यों स्थगित रखना पड़ा ?

(5) 'स्वराज्य दल' की प्रतिष्ठा किन कारणों से घट गई ?

4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) बंगाल - विभाजन लागू किया जानेवाला दिन किस दिवस के रूप में मनाया गया ?

(A) राष्ट्रीय शोक दिवस (B) बंगभंग दिवस

(C) स्वतंत्रता दिवस (D) तीनों में से एक भी नहीं

(2) किस सुधार ने मुस्लिमों को कौमी मतदान मंडल दिया ?

(A) मोन्ट-फर्ड (B) इल्बर्ट बिल

(C) अगस्त ऑफर (D) मार्ले-मिन्टो

(3) गुजरात में सशस्त्र क्रांति की भूमिका किसने तैयार की थी ?

(A) बारीन्द्रनाथ घोष (B) छोटुभाई पुराणी

(C) अंबुभाई पुराणी (D) अरविंद घोष

(4) विदेश की भूमि पर हिंद का सूचित राष्ट्रध्वज सर्वप्रथम किसने फहराया ?

(A) श्यामजीकृष्ण वर्मा (B) राणा सरदारसिंह

(C) मैडम भिखाईजी कामा (D) मदनलाल धींगरा

प्रवृत्ति

- इस प्रकरण में दी गई प्रवृत्तियों के फोटोग्राफ मिलें तो उन्हें एकत्रित करें।
- 1857 के संग्राम के मुख्य नेताओं तथा क्रांतिकारियों की पुस्तकें प्राप्त कर अध्ययन करें।
- 1857 के संग्राम के मुख्य केन्द्र दर्शानेवाला मानचित्र तैयार कीजिए।
- अपने जिले के स्वतंत्रता सेनानियों की सूची बनाइए ।

5 भारत : आजादी की तरफ प्रयाण

1920 से 1947 की अवधि को गांधीयुग या गांधीयुग के आन्दोलनों का युग माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का यह दूसरा दौर संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने की लड़ाई का तो है ही, साथ-साथ स्वतंत्रता की लड़ाई का भी है। इस आन्दोलन के जिन प्रवाहों में से गुजरे और उसका जो एक संकुल प्रभाव खड़ा हुआ, उसका यहाँ अवलोकन करेंगे।

साइमन कमीशन (1927)

मोन्टफर्ड (मोन्टेग्यू – चेम्सफर्ड 1919) सुधार में एक व्यवस्था यह थी कि सुधार को किस प्रकार से लागू किया गया है और सुधार की आवश्यकता के संबंध में अध्ययन करने के लिए 10 वर्ष बाद एक कमीशन बनाना; परंतु दो वर्ष पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। जॉन साइमन की अध्यक्षता में रचित साइमन कमीशन में सात सदस्य थे और वे सभी अंग्रेज थे। भारतीयों का दुःख-दर्द भारतीय ही समझ सकते हैं। इस विचार से कमीशन में भारतीय सदस्यों को शामिल करने की सिफारिश भारतीयों ने की, परंतु अंग्रेजों ने सिफारिश नहीं स्वीकार की। अतः भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निश्चय किया। साइमन कमीशन के भारत आगमन के समय लोगों ने सभा, जुलूस, 'साइमन गो बैक' के नारे और काले झंडे फहराकर विरोध किया। जिसके विरुद्ध सरकार ने दमननीति का उपयोग किया। सरकारी दमननीति का भोग लाला लजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू भी बने। लाहौर में जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला लजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए। थोड़े दिन बाद उनका अवसान हो गया (1919)।

लालाजी की मृत्यु के समाचार से भगत सिंह, राजगुरु आदि क्रांतिकारी उत्तेजित हुए और लाठीचार्ज का आदेश देनेवाले अंग्रेज पुलिस अधिकारी सांडर्स की हत्या कर दी गई।

नेहरू कमिटी

सायमन कमीशन का बहिष्कार होने से भारतीय मंत्री बर्कन हेड ने सायमन कमीशन का विधेयक प्रस्तुत करते समय बताया कि भारत के नेता सभी दलों के अनुकूल संविधान बनाकर दें तो ब्रिटिश सरकार उस पर विचार करेगी। इस आह्वान को चुनौती समझकर भारतीय राष्ट्रीय महासभा ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमिटी की रचना की। जो विवरण दिया वह नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, जिसमें स्थानीय स्वराज (डोमिनियन स्टेट्स), स्वतंत्र न्यायतंत्र, मूलभूत अधिकार, वयस्क मताधिकार आदि विषयों का समावेश किया गया, परंतु अंग्रेज सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया।

मोतीलाल नेहरू

पूर्ण स्वराज्य की माँग, 1929

उस समय भारतीय राष्ट्रीय महासभा में जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस जैसे युवा नेता सक्रिय हुए। वे पूर्ण स्वराज्य के पक्षधर थे। स्थानीय स्वराज्य से युवावर्ग को संतोष नहीं था। परिणामस्वरूप लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय महासभा में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद 26 जनवरी, 1930 को स्वतंत्रता की सपथ लेकर प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय हुआ और इस दिन का महत्त्व बनाए रखने के लिए सन् 1950 में हमारा संविधान इस तारीख को लागू किया गया।

जवाहरलाल नेहरू

दांडीकूच

दांडीकूच : 12 मार्च से 6 अप्रैल, 1930

सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधीजी ने दांडी गाँव के समुद्र किनारे जाकर नमक कानून को भंग करने का निश्चय किया। 11 मार्च की शाम को आश्रम में हजारों लोगों की जनसंख्या को सत्याग्रह का संदेश दिया। लोगों की गिरफ्तारी होने पर भी दृढ़तापूर्वक अहिंसक रूप से सरकार के विरुद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। अहमदाबाद के साबरमती हरिजन आश्रम (अब गांधी आश्रम) से 12 मार्च, 1930 को ''वैष्णव जन तो तेने रे कहिये, जे पीड पराई जाणे रे'' गाया गया और 'भणे नरसैयो तेनुं दर्शन करता कुल इकोतर तार्या रे', ''शूरा संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई शूर नहीं'' यह पूरा होने पर महाप्रयाण शुरू हुआ। गांधीजी ने अपने सहयोगियों के साथ दांडी कूच की शुरुआत की। अहमदाबाद से दांडी की दूरी लगभग 370 किमी है। दांडी यात्रा में असलाली, बारेजा, नड़ियाद, आणंद, बोरीयावी, रास, जांबुसर, भरूच, सूरत, नवसारी जैसे छोटे-बड़े नगरों में सभाएँ करके लोगों को सविनय अवज्ञा आन्दोलन और नमक कानून भंग की अनिवार्यता की जानकारी दी। गांधीजी ने भाट नामक स्थान पर (29 मार्च, 1930) कहा कि ''कौवे-कुत्ते की मौत मरूँगा परंतु जब तक स्वराज नहीं मिलेगा तब तक आश्रम में वापस नहीं लौटूँगा।'' यह कूच जिन गाँवों में से गुजरती वहाँ लोग रास्ते की सफाई करते, पानी छिड़ककर तोरण बांधकर सजाते। इस यात्रा ने लोगों में अपूर्व जागृति, गजब की श्रद्धा, चेतना और एकता जगाने का अद्भुत कार्य किया। पूरे देश में सत्याग्रह की लहर दौड़ गई। गांधीजी अपने साथियों के साथ 24 दिन की पदयात्रा के बाद दांडी पहुँचे (15 अप्रैल, 1930)।

5.1 दांडीकूच का मार्ग

नमक का कानून तोड़ते हुए गांधीजी

6 अप्रैल, 1930 की सुबह ठीक 6:30 बजे समुद्र किनारे गांधीजी ने जमे हुए नमक में से एक मुट्ठी नमक लेकर नमक के अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ा। गांधीजी ने कहा, ''मैंने नमक कानून को तोड़ दिया।'' और उस समय वहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ''मैं ब्रिटिश साम्राज्यरूपी इमारत की नीव में नमक लगा रहा हूँ।'' श्री महादेवभाई देसाई दांडीकूच की तुलना ''महाभिनिष्क्रमण'' के साथ करते हैं। दुनिया भर के पत्रकारों, फोटोग्राफरों ने भी इस स्थान पर आकर आँखों देखा विवरण समाचारपत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित किए। इस तरह 12 मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुई विश्वविख्यात दांडीकूच की भौतिक समाप्ति थी; परंतु ब्रिटिश सल्तनत की इमारत की नीव में नमक लगना शुरू हो गया था।

इस तरह देश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू हुआ। सरकार ने दमन के कोड़े बरसाए, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, गोलीबार, स्त्रियों और बालकों पर जुल्म करने पर भी लड़ाई कमजोर नहीं पड़ी।

दांडीकूच के दौरान विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराबबंदी, हिन्दू-मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता निवारण आदि अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

दांडीयात्रा और नमक सत्याग्रह से आई जागृति के कारण असहयोग आन्दोलन और सत्याग्रह के कार्यक्रम देशभर में शुरू हुए। इन कार्यक्रमों में स्वदेशी आन्दोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराबबंदी के लिए शराब के अड्डों पर पिकेटिंग, महसूल सहित करवेरा न भरने का आन्दोलन, अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम संबंधी सत्याग्रह सभाएँ और जुलूस के कार्यक्रम हुए। इस जागृति तथा आन्दोलन को कमजोर करने तथा कुचल डालने के लिए सरकार द्वारा लाठीचार्ज तथा कारावास सहित दमनकारी कदम उठाए गए। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप देश की रेलवे, पुलिस स्टेशन, पोस्ट आफिस तथा अन्य सरकारी इमारतों पर तोड़फोड़, हमले जैसे कुछ हिंसक घटनाएँ भी घटीं। इन घटनाओं में सरहद के गांधी अब्दुल गफ्फार खाँ के नेतृत्व में आन्दोलन, मुंबई के पास वडाला के पीठे पर नागरिकों का हमला, दिल्ली में कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में शराबबंदी के लिए पिकेटिंग, सूरत के धरासणा तथा विरमगाम क्षेत्र में हुए नमक सत्याग्रहों के अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में से पढ़ाई छोड़ देने के कार्यक्रम मुख्य थे।

गांधी-इरविन समझौता, गोलमेज परिषद और सत्याग्रह का स्थगन

ब्रिटिश सरकार ने भारत को किस प्रकार का संविधान तथा सुधार देगी इसके लिए गोलमेज (Round table conference) परिषदें बुलाई (नवंबर, 1930) पहली परिषद लंदन में आयोजित की गई (नवंबर, 1930) परंतु वह कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण निष्फल गई। इससे कांग्रेस को मनाने के लिए गांधीजी और इरविन के बीच गांधी-इरविन समझौता हुआ (मार्च, 1931) जिसमें सत्याग्रह की नीति, जिसमें नमक बनाने की स्वतंत्रता और शांत पिकेटिंग की सहमति मुख्य मुद्दा रहा। उसके बाद द्वितीय गोलमेज परिषद में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मात्र गांधीजी उपस्थित रहे, परंतु ब्रिटिश पक्ष द्वारा संविधान निर्माण की चर्चा के लिए अलग-अलग कौमों के लिए अलग-अलग मतदान मंडल का विभाजनकारी मुद्दा उठाए जाने पर गांधीजी निराश हुए और अंत में यह परिषद निष्फल गई।

भारत छोड़ो आन्दोलन (1942-43)

विश्वयुद्ध में बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने व्यक्तिगत सत्याग्रह बंद करने का निर्णय लिया (जनवरी, 1942)।

क्रिप्स दरखास्त द्वारा यह सिद्ध हुआ कि ब्रिटिश सरकार सत्ता छोड़ना नहीं चाहती थी तथा हिन्दुस्तान को स्वराज्य देने का उसका इरादा नहीं था। वह भारत की जनता को ठगने का प्रयास कर रही है, ऐसा लगने पर भारतीय हताश होकर क्रोधित हुए। गांधीजी ने जनता की निराशा दूर करके एक नई और अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए उसे तैयार किया।

मुंबई में आयोजित कांग्रेस महासमिति की बैठक में गांधीजी के नेतृत्व में 8 अगस्त, 1942 की रात्रि में 'हिंदछोड़ो' का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव के दूसरे दिन प्रात:काल गांधीजी, वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद के साथ ही देश के अग्रगण्य कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की गई। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रांतीय और जिला स्तर के कांग्रेसी नेताओं को भी पकड़ लिया गया। गांधीजी सहित सभी नेताओं की गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप देश के शहरों तथा गाँवों में एकाएक जोरदार हड़तालें हुईं और गांधीजी ने कहा कि 'आजादी के लिए मेरी यह अंतिम लड़ाई है।' और उसके लिए लोग सबकुछ बलिदान करने के लिए तैयार थे। उनका सूत्र था, 'करेंगे या मरेंगे।'

'हिंद छोड़ो' आन्दोलन के दौरान हड़तालें

देश के गाँवों और शहरों में मजदूर, किसान, युवक, विद्यार्थी, शिक्षक, व्यापारी तथा स्त्रियों आदि ने इस कार्यक्रम में आगे आकर भाग लिया। मजदूरों ने कारखानों में हड़तालें की। जमशेदपुर के लोहे के कारखाने में तथा मुंबई और मद्रास की कपड़ा मिलों में हड़तालें हुईं। अहमदाबाद की 75 मिलों के एक लाख चालीस हजार मजदूरों ने 105 दिन तक हडताल रखी। देशभर में शांत और अपूर्व हड़ताल हुई। विद्यालय-कॉलेजों में हड़तालें हुई। अहमदाबाद में साढ़े तीन महीने तक बाजार बंद रहे।

'हिंद छोड़ो' आन्दोलन के दौरान तोड़फोड़ की प्रवृत्तियाँ

देश में चारों तरफ लोगों का क्रोध ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन नीति अपनाने के विरुद्ध शहरों तथा गाँवों में लोगों की टोलियों द्वारा तार, टेलीफोन, रेलवे लाइन, सरकारी मकान, पोस्ट आफिस, पुलिस स्टेशन, सरकारी कार्यालय, पुल, मार्गों, विद्यालय-कालेज के मकानों, रेलवे स्टेशनों आदि को तोड़ डालने, संपत्ति लूटने और आग लगाने की घटनाएँ बड़ी संख्या में हुईं। रेलवे का बहुत नुकसान हुआ। कुछ क्षेत्रों में लोगों ने बम का भी उपयोग किया।

संघर्ष को कुचल डालने में सरकार की असफलता

इस संघर्ष की उग्रता और व्यापकता के कारण सामूहिक गिरफ्तारी और भारी दमन नीति से थोड़े समय में सरकार की कुचल डालने की नीति सफल नहीं हुई। पूरे देश में जगह-जगह बहुत व्यापक मात्रा में संघर्ष का फैलाव, तोड़फोड़ द्वारा सरकारी व्यवस्था को तहस-नहस करने का प्रयास हुआ। 70,000 से भी अधिक लोगों को जेल में बंद कर दिया। इस आन्दोलन के दौरान 538 राउण्ड गोली चलाई गईं। 1028 लोगों ने अपने प्राण गँवाए। 3200 लोग घायल हुए। अहमदाबाद और पटना में गोली चलाये जाने से बड़ी संख्या में विद्यार्थी मारे गए। इस संघर्ष में लोगों ने जो व्यक्तिगत तथा सामूहिक वीरता बताई उससे विश्व के साथ ब्रिटिश सरकार पर भी ऐसी छाप पड़ी कि अब अधिक समय भारत में तो अपना शासन टिकाए नहीं रख सकते। लोगों ने स्वयंभू आन्दोलन चलाया। 'भारत छोड़ो' शब्द लोगों ने स्वयंस्फूर्त घोषणा के रूप में अपनाया था। इस सूत्र से डोमिनियन स्टेट्स (उपनिवेशिक स्वराज्य) का ख्याल अदृश्य हो गया। अब तो पूर्ण स्वराज्य ही चाहिए उसके लिए कटिबद्ध हुए। उसके बाद पाँचवें वर्ष भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता मिली।

आजाद हिंद फौज और सुभाषचंद्र बोस

सुभाषचंद्र बोस का जन्म ओड़िशा राज्य के कटक शहर में हुआ था (23 जनवरी 1897)। उनके पिता रायबहादुर जानकीनाथ बोस सरकारी वकील थे। माता श्रीमती पार्वती देवी धार्मिक प्रवृत्तिवाली थीं। कोलकाता की प्रेसिडेन्सी कॉलेज में से बहुत अच्छे अंकों से परीक्षा पास करके विशेष अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ से बहुत कठिन मानी जाती ICS (इंडियन सिविल सर्विस) की परीक्षा चौथे नम्बर से उत्तीर्ण करके वे कोलकाता वापस लौटे। ऐसा सोचा था कि यह बंगाली लड़का भविष्य में ब्रिटिश सरकार में वफादार सेवक बनेगा। उसी ने भारत की ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य किया। कोलकाता में प्रेसिडेन्सी कालेज में अंग्रेज अध्यापक ओट द्वारा रंगभेद की नीतियों और भारतीय विद्यार्थियों के साथ अपमानजनक व्यवहार और अभिमान के कड़वे अनुभवों ने उनके मस्तिष्क में क्रांति के बीज बोये। उन्हें भारत के स्वातंत्र्य संग्राम में बहुत अधिक रुचि थी। वे भारतीय महासभा के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। वे 'राष्ट्रीय स्वराज दल' में जुड़कर (1923) थोड़े समय में ही युवकों के अतिप्रिय नेता बन गए। सविनय अवज्ञा आन्दोलन की लड़ाई में वे आगे रहे थे और कारावास भोगा था। ई.स. 1938 में मात्र 41 वर्ष की युवावस्था में हरिपुरा (सूरत) कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होना उनकी लोकप्रियता और योग्यता का द्योतक था।

सुभाषचंद्र बोस और गांधीजी

सुभाषबाबू के विचारों का गांधीजी के विचारों के साथ विशेष मेल नहीं बैठने के कारण उनका गांधीजी के साथ मतभेद होने से उन्होंने कांग्रेस छोड़कर 'फारवर्ड ब्लॉक' नामक नए राजनैतिक दल की स्थापना की और अविरत सभाएँ संबोधित करने, देश में प्रवास करने, ब्रिटिशरों के विरुद्ध जनमत जाग्रत करने के आशय से जगह-जगह प्रवास किया। अंत में हिंद सुरक्षा धारा के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार करके कारावास में बंद कर दिया गया (ई.स. 1940)। कारावास में एक राजनैतिक कैदी के रूप में उनके साथ अनुचित व्यवहार होने से उन्होंने आमरण उपवास किया। उनकी तबीयत खराब होने से उन्हें उनके निवासस्थान पर ही नजरबंद रखा गया; परंतु वे पठान का वेश बदलकर कोलकाता से पेशावर, काबुल, ईरान, रूस होकर बर्लिन (जर्मनी) पहुँचे (28 मार्च, 1942)। जर्मनी में भारतीयों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। बर्लिन रेडियो पर उन्होंने अपने देशवासियों को ब्रिटेन के विरुद्ध जेहाद जगाने का अनुरोध किया। जर्मनी में हिटलर के साथ भारत की आजादी के विषय में चर्चा की (29 मई, 1941)। उन्होंने पहले रोम और पेरिस में स्वतंत्र भारत से संबंधित सैनिक दल स्थापित किया, जिसमें 3000 भारतीयों की भर्ती की। भारत में से भागकर जापान में बसे हुए भारतीय क्रांतिकारी नेता रासबिहारी बोस ने सभी मंडलों को जोड़नेवाली एक संस्था इन्डियन इन्डिपेन्ड्स लीग नामक केन्द्रीय संस्था स्थापित की।

उन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आजाद हिंद फौज तैयार करने का निर्णय लिया। जिसमें विश्व में अलग-अलग देशों में बसनेवाले भारतीयों; जैसे कि मलाया, जापान, चीन, सुमात्रा, जावा, होंगकोंग, बोर्नियो, अंदमान, ब्रह्मदेश (म्यानमार) आदि स्थानों से 100 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। जिसमें जापान के हाथ में युद्धकैदी के रूप में पकड़े गए कैप्टन मोहनसिंह इस परिषद में उपस्थित हुए। जिसमें रासबिहारी बोस चुने गए।

आजाद हिंद फौज और इन्डियन इन्डिपेन्डन्स लीग

अंग्रेजों की कठोर सुरक्षा को भेदकर सुभाषचंद्र बोस एक सबमरीन द्वारा बर्लिन से चालाकीपूर्वक जापान पहुँचे (1943)। यह एक जोरदार साहस था। वहाँ रासबिहारी बोस ने हिंदमुक्ति की इस फौज इन्डियन इन्डिपेन्डन्स लीग का सर्वोच नेतृत्व सुभाषचंद्र बोस को संभालने का आमंत्रण दिया। यह निश्चित किया गया कि यह फौज मात्र भारतीय सैनिकों और भारतीय अधिकारियों की ही होगी और भारत की मुक्ति के लिए ही लड़ेगी। उसमें जापान और अग्निएशिया के भारतीयों की मदद मिली। जापान के प्रधानमंत्री टोजो के साथ मुलाकात हुई। उसने भारत के पूर्ण स्वराज्य के लिए सभी प्रकार की सहायता करने का निश्चय किया। जापानी सेना भारत में जैसे-जैसे आगे बढ़ती वैसे-वैसे कामचलाऊ सरकार का वहाँ गठन करके वहाँ की व्यवस्था उसे सौंपेगी और जापान उसे मान्यता भी देगा।

2 जुलाई, 1943 को सुभाषचंद्र जापान से सिंगापुर गए और वहाँ सर्वसम्मति से 4 जुलाई, 1943 को 'इंडियन इन्डिपेन्डन्स लीग' के अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया। साथ-साथ रासबिहारी बोस ने 'इंडियन नेशनल आर्मी' (INA) 'आजाद हिंद फौज' के प्रधान पद से स्वेच्छापूर्वक निवृति लेकर सुभाषचंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के प्रधान के रूप में नियुक्ति की। वहाँ बसनेवाले भारतीयों को अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने लिए योग्य और समर्थ नेता मिला। तब से सुभाषचंद्र बोस को उन्होंने "नेताजी" का प्यारा नाम दिया। नेताजी ने सैनिकों को "चलो दिल्ली", "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा" और 'जय हिंद' का नारा दिया । अपने कुशल मार्गदर्शन द्वारा समांतर सरकार की रचना की। दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों की यात्रा करके वहाँ के भारतीयों से मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उन्हें सर्वस्व बलिदान देने की माँग की।

सुभाषचंद्र बोस द्वारा कामचलाऊ सरकार की स्थापना

आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालने के साथ ही सुभाषचंद्र बोस ने कामचलाऊ सरकार की रचना की, जिसमें वे प्रधानमंत्री और सेना के सर्वोच्च सेनापति बने। भारत की इस कामचलाऊ सरकार को जापान, जर्मनी, चीन, इटली, बर्मा आदि देशों ने मान्यता दी। इस सरकार ने हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगा ध्वज स्वीकार किया। आय के लिए जापान की सहायता, स्वैच्छिक अनुदान, संपत्ति कर लगाना निश्चित किया। नेताजी ने 1943 में अंदमान-निकोबार टापुओं की मुलाकात लेकर इन टापुओं को क्रमश: 'शहीद' और 'स्वराज्य' नाम दिया।

अंतिम दौर और सुभाषचंद्रबाबू का बलिदान

मई, 1944 में नेताजी के नेतृत्व में सेना की टुकड़ी ने रंगून, प्रोम, कोहिमा (वर्तमान नागालैंड की राजधानी) आदि प्रदेश अधिकार में ले लिया। इसके उपरांत इम्फाल (वर्तमान मणिपुर की राजधानी) भी जीत लिया; परंतु द्वितीय विश्वयुद्ध के इस काल में ब्रिटेन की ओर से अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा और जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर बम डालने से जापान ने शरणागति स्वीकार की जिससे नेताजी को जापान की ओर से मिलनेवाली सहायता बंद हो गई। तदुपरांत ब्रिटन के हवाई जहाजों की आजाद हिंद फौज पर की गई बमबारी के कारण स्थिति अधिक खराब हो गई थी। नेताजी ऐसी कठिन परिस्थिति में विमान द्वारा बैंगकाक-सायगोन-फर्मोसा द्वीप के ताइपेई विमान केन्द्र पर पहुँचे परंतु विमान में अचानक आग लगने से (18 अगस्त्, 1945) हॉस्पिटल में चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो गई। सुभाषबाबू का अवसान विमान दुर्घटना में होने के बारे में आज भी एक अनसुलझा हुआ रहस्य है।

स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन

आजाद हिंद फौज के पकड़े गए सेनापतियों पर राजद्रोह का केस चलाया गया। भुलाभाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू फौज की ओर से केस लड़े परंतु ब्रिटिश सरकार ने उन सेनापतियों को सजा की, जिसका प्रचंड लोक विरोध होने से वापस लेना पड़ा और इस घटना से और मुंबई के नौका विद्रोह (1946) के कारण अंग्रेजों ने भारत को स्वराज्य देने की चर्चा शुरू

की और ब्रिटन के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि (20 फरवरी, 1947) ब्रिटिश सरकार कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार रचित सरकार को भारत की समस्त सत्ता सौंपकर जून, 1948 तक विदा होगी।

इसी दौरान भारत का वइसराय के रूप में वेवल की जगह माउन्ट बेटन की नियुक्ति हुई। उस समय भारत में हुए दंगों के कारण देश की स्थिति अत्यंत करुण थी। संविधान सभा की रचना के लिए जुलाई, 1946 के चुनाव में कांग्रेस को 210 में से 201 और मुस्लिम लीग को 78 में से 73 सीटें मिली। परिणामस्वरूप लीग ने पाकिस्तान के लिए प्रबल माँग की और सरकार पर दबाव लाने के लिए (16 अगस्त, 1946) सीधी कारवाई दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया, जिससे पूरे भारत में कौमी दंगे होने लगे। यह देखकर सरदार पटेल, नेहरू सहित कांग्रेस के नेताओं को लगा कि पाकिस्तान की माँग को स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं। मुस्लिम लीग और जिन्ना का हठाग्रह 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार हुआ। लीग ने (31 जनवरी, 1947) पाकिस्तान प्राप्ति के लिए उग्र कार्यक्रम का आग्रह के कारण भारत विभाजन स्वीकार करने की परिस्थिति पैदा हुई। इन संयोगों में माउन्ट बेटन ने नेहरू और सरदार को समझाया कि "अनेक स्वायत्त और विरोधी इकाईवाले निर्बल केन्द्र सरकार की अपेक्षा केन्द्र के अधीन ऐसे प्रशासनिक इकाइयों के साथ सुदृढ़ केन्द्र सरकार वाला भारत अधिक शांति प्राप्त कर सकेगा।" नेताओं को यह तर्क उचित लगा। उन्होंने (नेहरू और सरदार) गांधीजी के साथ परामर्श किया। गांधीजी ने विवश होकर भारत के विभाजन को भारी मन से स्वीकार किया।

माउन्ट बेटन योजना (जून, 1947) और भारत का विभाजन

आजादी और भारत के विभाजन की स्वीकृति हुई, उसकी मीटिंग
(माउन्ट बेटन योजना और भारत का विभाजन संबंधी फोटो)

वाइसराय माउन्ट बेटन ने अपना स्थान संभाल लिया (24 मार्च, 1947)। उसके मतानुसार भारत का विभाजन करने के अतिरिक्त अब कोई उपाय बाकी नहीं बचा था। सरदार पटेल जैसे कई प्रत्यक्षदर्शी नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार लेने का आग्रह किया था। इस तरह इन संयोगों में लंबी चर्चा और विचार-विमर्श के अंत में (3 जून,1947) वाइसराय माउन्ट बेटन ने अखंड भारत के दो भाग करने की अंतिम योजना प्रस्तुत की, जिसे 'माउन्ट बेटन योजना' कहते हैं।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस योजना को स्वीकार किया। जबकि वाइसराय माउन्ट बेटन ने पंजाब, बंगाल के हिन्दू बाहुल्य विस्तारों को भारत के साथ और मुस्लिम बहुल विस्तारों को पाकिस्तान के साथ तथा वायव्य सीमा प्रांत बलूचिस्तान और सिलहट क्षेत्रों को भी पाकिस्तान के साथ जोड़ने के निर्णय को स्वाकृति दी।

हिंद स्वातंत्र्य कानून (जुलाई, 1947)

वाइसराय माउन्ट बेटन की योजना के अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हिंद स्वातंत्र्य कानून (जुलाई, 1947) पारित किया।

इस कानून के अनुसार भारतीय संघ ने प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में माउन्ट बेटन को और पाकिस्तान ने जनाब जिन्ना को चुना। इस कानून से भारत की पराधीनता समाप्त हुई इसीलिए गांधीजी इस धारा को 'ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को दिया गया एकमात्र उत्तम और श्रेयस्कर कानून' कहते हैं।

ब्रिटिश शासन के अंतिम वाइसराय माउन्ट बेटन द्वारा सत्ता सौंपने की कार्यवाही की शुरुआत नई दिल्ली में एक समारोह

आयोजित (14 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि) करके की गई। ध्वजस्तंभ पर से इंग्लैंड का राष्ट्रध्वज-युनियन ज़ैक नीचे उतारा गया और भारत का तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराया गया। माउन्ट बेटन ने भारत को स्वतंत्रता का दस्तावेज भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए चक्रवर्ती सी. राजगोपालाचारी को सौंपा। सत्ता हस्तांतरण की सारी कार्यवाही पूरी हुई। समग्र वातावरण हर्षोल्लास की लहरों से गूँज उठा। 15 अगस्त, 1947 का सुंदर प्रभात उदित हुआ। समस्त भारत की जनता ने आनंद और उल्लास से प्रथम स्वतंत्रता दिवस के समारोह को मनाया। जगह-जगह तोरण बाँधे गए, विद्यालयों में मिठाइयाँ बाँटी गई, सभी ने प्रतिज्ञा पूरी होने से राहत अनुभव किया, परंतु महात्मा गांधीजी हिंद विभाजन से दु:खी होने से वे गहरे शोक और चिंतन में डूबे थे।

स्वतंत्र भारत और उसके समक्ष तत्कालीन समस्याएँ

माउन्ट बेटन योजना और हिंद स्वातंत्र्य धारा (India Independece Act, 1947) के परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान की विभाजित स्वतंत्रता भारत और पाकिस्तान, इन दो स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए (1) सैनिकों की व्यवस्था (2) संपत्ति संबंधी समस्याएँ (3) लेन-देन के हिसाब (4) निराश्रित की समस्या (5) सार्वजनिक सेवाएँ और उसके लिए अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था के उपरांत (6) भारत के पश्चिम में स्थित पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी तरफ का पूर्वी पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ निर्धारित करने आदि मुख्य समस्याओं का निराकरण करना था।

इन परिस्थितियों के निराकरण के लिए माउन्ट बेटन की अध्यक्षता में भारत-पाकिस्तान के दो-दो मिलकर पाँच प्रतिनिधियों की समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए संबंधित प्रश्नों के जानकार विशेषज्ञों की अलग-अलग समिति नियुक्त की और मतभेद की स्थिति में भारत के भुतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के एक- एक प्रतिनिधियों से बना पंचायती आयोग जो फैसला दे उसे अंतिम मानने को दोनों देशों ने स्वीकार किया। भारतीय सेना के सेनापति ने सेना और सैन्य सामग्री का विभाजन पूरा करने पर (फरवरी, 1948) ब्रिटिश सरकार ने भारत से विदा लिया। सैनिक, न्यायिक और प्रशासनिक आदि सेवा करनेवाले अधिकारियों को भारत-पाकिस्तान विकल्प स्वीकार करने तथा उससे संबंधित वेतन-भत्ता, नौकरी की सुरक्षा का विश्वास दिलाया गया। भारत और पाकिस्तान छोड़कर आनेवाले निर्वासित नागरिकों, उनकी तथा दोनों देशों की संपत्ति, रोजगार, व्यवसाय आदि समस्याओं को धैर्य और कुशलतापूर्वक हल किया गया। भारत में 562 देशी रजवाडों को स्वतंत्र भारत संघ में जोड़ने का भगीरथ प्रश्न सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपने दृढ़ निश्चय, लौह मनोबल और कूटनीतिपूर्ण बातचीत द्वारा हल किया।

फिर भी विभाजन के कारण हुए कौमी दंगों का प्रभाव, महात्मा गांधीजी की हत्या का आघात, स्वतंत्र भारत को सुशासन देकर स्वावलंबी बनाना, कृषिक्षेत्र की कमजोर स्थिति, देश में शांति और सुलह का वातावरण तैयार करना, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा जैसे प्रश्नों आदि विषयों के निराकरण के लिए दीर्घकालीन आयोजन आवश्यक बना।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्दासहित उत्तर लिखिए :

(1) 'भारत छोड़ो' आन्दोलन और इस आन्दोलन की विविध घटनाएँ बताइए।

(2) आजाद हिंद फौज द्वारा भारत को आजादी दिलाने में किए गए प्रयत्नों के बारे में बताइए।

2. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(1) साइमन कमीशन

(2) पूर्ण स्वराज्य की माँग

(3) दांडीकूच

(4) सुभाषचंद्र बोस

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-दो वाक्यों में लिखिए :

(1) भारत के लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया ?

(2) 'आजाद हिंद फौज' के नारे बताइए।

(3) माउन्ट बेटन की योजना कब प्रस्तुत हुई ?

(4) अंग्रेजों ने भारत को सत्ता सौंपी उस समय भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया ?

4. निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) साइमन कमीशन कितने सदस्यों का बना था ?

(A) 5 (B) 6

(C) 7 (D) 8

(2) दांडीकूच कब आरंभ की गई ?

(A) 12 अप्रैल, 1930 (B) 12 मार्च, 1931

(C) 12 मार्च, 1930 (D) 12 मार्च, 1929

(3) किस व्यक्ति ने दांडीकूच की तुलना 'महाभिनिष्क्रमण' के साथ की है ?

(A) महादेवभाई देसाई (B) सरदार वल्लभभाई पटेल

(C) मौलाना आजाद (D) सुभाषचंद्र बोस

(4) डोमिनियन स्टेट्स से क्या अभिप्राय है ?

(A) उपनिवेशिक स्वराज्य (B) संप्रदायिकता

(C) पूर्ण स्वराज्य (D) तानाशाही

(5) मोन्टफर्ड के सुधार में सुधार की समस्या के लिए कितने वर्ष में कमीशन नियुक्त करने की व्यवस्था थी ?

(A) 20 वर्ष (B) 10 वर्ष

(C) 7 वर्ष (D) 5 वर्ष

(6) साइमन कमीशन का विरोध के समय लाठीचार्ज से किसकी मृत्यु हुई थी ?

(A) पंडित जवाहरलल (B) लाला लजपत राय

(C) गोविंदवल्लभ पंत (D) मोतीलाल नेहरू

(7) 'नेताजी' का प्यारा नाम किसे मिला था ?

(A) सुभाषचंद्र बोस (B) वल्लभभाई पटेल

(C) रासबिहारी बोस (D) जवाहरलाल नेहरू

(8) हिन्दुस्तान के विभाजन के समय भारत का अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था ?

(A) मोन्टेग्यु चेम्सफोर्ड (B) वेलेस्ली

(C) माउन्ट बेटन (D) डलहौजी

प्रवृत्ति

- गुजरात के रेखांकित नकशे में दांडीकूच का मार्ग बनाइए।
- दांडीकूच में भाग लेनेवाले व्यक्तियों की सूची तैयार कीजिए।
- सुभाषचंद्र बोस की पुस्तक पढ़िए।

6 1945 के बाद का विश्व

प्राचीनकाल में भारत और विश्वभर में लड़े गए असंख्य युद्धों के विवरण से इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं फिर भी उन युद्धों में सदा अविस्मरणीय वैश्विक प्रभाव रखनेवाले युद्धों में अधिकांशत: आधुनिक युग के दो महायुद्धों (प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध) का समावेश किया जा सकता है। प्रथम विश्वयुद्ध के अंत में विश्व में स्थायी शांति स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, परंतु अपनी कुछ सीमाओं के कारण वह निष्फल हो गया और ई.सन् 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय की हताश मनोदशा और भयंकरता ने मानव जाति को शांति और स्वातंत्र्य की रक्षा के लिए प्रयासों की पुन: एकबार आवश्यकता समझाई। परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई (24 अक्टूबर 1945)।

संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज

संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज का आरंभ प्रस्तावना से होता है और उसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य दर्शाए गए हैं। ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(1) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। इसके लिए शांति के अवरोधक तत्वों को रोकना या दूर करना तथा आक्रमण या शांति भंग के कृत्यों को दबा देने के लिए प्रभावकारी सामूहिक कदम उठाना। हरएक अंतर्राष्ट्रीय झगड़े का शांतिपूर्ण उपायों द्वारा हल निकालना।

(2) आत्मनिर्णय तथा समान अधिकार के आधार पर राष्ट्र-राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करने तथा विश्वशांति बनाए रखने के लिए सभी उचित कदम उठाना।

(3) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवतावादी समस्याओं का निराकरण लाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा जाति, भाषा, लिंग या धार्मिक भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए मूलभूत स्वतंत्रताओं या मानव अधिकारों के प्रति आदरभाव उत्पन्न करना।

(4) इन समान ध्येयों को सिद्ध करने के लिए कार्यरत अलग-अलग राष्ट्रों के बीच संवादिता लानेवाली केन्द्रीय संस्था के रूप में कार्य करना।

इस तरह, दस्तावेजों से प्रमाणित होता है कि युद्ध को तिलांजलि और चिरशांति की झंखना संयुक्त राष्ट्र का मुख्य ध्येय है, ऐसा कह सकते हैं।

शीत युद्ध (1945-1962) — कारण और परिणाम

द्वितीय विश्वयुद्ध का महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस जैसी महासत्ताओं से विश्व का नेतृत्व अमेरिका और रूस ने लिया। युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका एक साथ रहे; परंतु युद्ध पूरा होने के बाद रूस की शासन पद्धति की विचारधारा भिन्न होने के कारण अमेरिका और इंग्लैंड रूस से अलग पड़ गए। युद्ध के बाद के समय में ये दोनों सत्ताएँ विश्व राजनीति के केन्द्र स्थान में रहकर दोनों ने विश्व में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए सक्रिय प्रयास किए। इस अवधि के दौरान विश्व दो सत्तागुटों और सैन्यगुटों में विभाजित हो गया। सत्ता के दो ध्रुव (अमेरिका और रूस) में केन्द्रीकरण हुआ इसलिए इस अवधि को द्विमुखी विश्व व्यवस्था अवधि के रूप में जाना जाता है। विश्व युद्ध के बाद इन दो महासत्ताओं के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण न रहे। दोनों गुटों के बीच असंतोष का वातावरण निर्मित हुआ। सत्ता के लिए खींच-तान और अत्यंत तंग परिस्थिति का निर्माण होने के कारण इस अवधि को 'शीत युद्ध' की अवधि के रूप में पहचानते हैं।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् विश्व के मुख्य शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच सत्ता संबंधों में परिवर्तन हुए। नाजीवादी जर्मनी और फासीवादी इटली के विरुद्ध मित्र देशों के रूप में लड़े और विजयी हुए अमेरिका और रूस दोनों विरोधी सत्ता गुट सैन्य गुट बने। दोनों शक्तिशाली राष्ट्र बने और उनके बीच शीत युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस की विजय तो हुई परंतु युद्ध में हुए भयंकर नुकसान के कारण दोनों महासत्ता के रूप में अपना स्थान खो बैठे। युद्ध में हारे हुए जर्मनी, इटली और जापान आर्थिक, राजनैतिक और सैन्य सभी तरह से बर्बाद हुए। युद्ध के पिछले दौर के दौरान सोवियत यूनियन (रूस) ने जर्मनी के पूर्व भाग के अतिरिक्त अन्य पूर्व यूरोप के देश जैसे कि आस्ट्रिया, अल्बेनिया, हंगरी, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया और

बाल्टिक राज्यों पर सैन्य अधिकार जमाया। इन देशों में साम्यवादी दलों को सत्ता सौंपी, जिससे उन पर रूस का वर्चस्व रहा। इस अवधि के दौरान रूस ने अणु परीक्षण (1949) करके एकमात्र अणुबम रखनेवाले प्रभुत्वशाली सत्ता अमेरिका को चुनौती दी। पश्चिम यूरोप के जिन देशों को ब्रिटिश अमेरिकी दलों ने मुक्त किया था. वहाँ धीरे-धीरे लोकतंत्रात्मक शासन प्रथा स्थापित हुई।

सैन्य गुटों में बटा विश्व

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप और विश्व के देश एक या दूसरे सत्ता गुटों के साथ जुड़ने से दो दिशा में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और गतिमान बनी। दोनों सत्ता गुटों के बीच अविश्वास का वातावरण निर्मित हुआ। इसमें कई सैन्य गुट निर्मित हुए। सोवियत संघ और साम्यवाद से बचने के लिए अमेरिका की प्रेरणा से उत्तर अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित देशों का 'नाटो' नामक एक संगठन NATO (North Atalantic Treaty Organization) अप्रैल 1949 में बना। दक्षिण और पूर्व एशिया के देशों की रक्षा के लिए अन्य सैन्य गुट की रचना की। यह गुट सीटो (SEATO - South East Asia Treaty Organization - ई.स. 1945) के रूप में जाना गया।

इस सैनिक संगठन के विरुद्ध रूस ने 'वॉर्सा संधि' के नाम से सैनिक संगठन की रचाना की। इस संगठन के आल्बेनिया, बल्गेरिया, चकोस्लोवेकिया, पूर्वजर्मनी, हंगरी, पालैंड, रूमानिया और रूस सदस्य थे। मध्य पूर्व के देशों में इंग्लैंड की प्रेरणा से 'सेन्टो' (CENTO - Central East North Treaty Organization)(बगदाद समझौता) नामक एक गुट निर्मित हुआ, परंतु इराक में क्रांति होने से वह गुट से अलग हो गया। बाद में इस गुट का नेतृत्व अमेरिका ने किया।

शस्त्रीकरण, नि:शस्त्रीकरण, परमाणु शस्त्रों का सृजन और उनका उपयोग

शीत युद्ध के दौरान समग्र विश्व पर प्रभुत्व जमाने के लिए दोनों महासत्ताओं के बीच उग्र स्पर्धा हुई और शस्त्र स्पर्धा तथा शस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने की होड़ लगी। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणुबम फेंककर अपनी सर्वोपरिता सिद्ध की (1945)। इसके बाद चार वर्ष में सोवियत यूनियन (रूस) ने परमाणु परीक्षण करके अपनी सर्वोपरिता सिद्ध की।

अमेरिका के दक्षिण-पश्चिम में स्थित साम्यवादी शासन व्यवस्थावाले क्यूबा की अमेरिका ने ई.स. 1961-62 में घेराबंदी घोषित की। अमेरिका के आक्रमण के भय से क्यूबा की रक्षा करने के लिए सोवियत यूनियन ने परमाणु शस्त्रों से सुसज्जित मिसाइलवाले जहाज कैरेबियन सागर में भेजा। दोनों महासत्ताओं ने एक-दूसरे को परमाणु शक्ति का उपयोग करने की धमकी दी। अंत में अमेरिका और सोवियत यूनियन के राष्ट्राध्यक्षों के बीच पहली बार 'हॉटलाइन' पर बात हुई। जिससे सोवियत यूनियन ने अपना जहाज वापस करने का विचार करके वापस ले लिया। और दोनों के बीच युद्ध होने से बच गया। इस घटना को 'क्यूबा संकट' के रूप में जाना जाता है। इससे दोनों सत्ताओं के बीच परस्पर संवाद का आदान-प्रदान शुरू हुआ। दोनों महासत्ताओं के बीच गलतफहमी दूर होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। दोनों महासत्ताओं ने परमाणु शस्त्र का उपयोग न करके मानव कल्याण का कार्य किया। इस कारण क्यूबा की समस्या को शीतयुद्ध के अंत की शुरुआत माना जाता है।

अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटन परमाणु शस्त्रों का नि:शस्त्रीकरण और परमाणु शक्ति का परीक्षण तथा उत्पादन और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत हुए। इसे परमाणु परीक्षण निषेध संधि के रूप में जाना जाता है। इस संधि पर फ्रांस ने हस्ताक्षर नहीं किया और परमाणु परीक्षण करना जारी रखा। साथ ही चीन ने भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया और 1964 में परमाणु परीक्षण किया। यह संधि एक-दूसरे देश पर परमाणु परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगाती थी। फिर भी विश्व के पाँच राष्ट्र अणु शस्त्र रखनेवाले राष्ट्र बन चुके थे। चीन के अतिरिक्त चार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति के स्थायी (वीटो सत्ताधारी) सदस्य राष्ट्र थे।

परमाणु शस्त्र विघातक, रासायनिक-जैविक शस्त्र तथा उन्हें दूरी तक पहुँचानेवाले प्रक्षेपास्त्र (मिसाइल) के उत्पादन की अद्यतन टेकनोलॉजी इन पाँच राष्ट्रों के पास थी। मानव जाति की ही नहीं समग्र जीवसृष्टि के साथ अखिल विश्व का अनेक बार विनाश कर सके ऐसे राष्ट्र के भय से विश्व भयभीत था।

दो महासत्ताओं के बीच शीतयुद्ध की तीव्रता घटने या उनके बीच संबंध सुधार की प्रक्रिया शुरू होने पर महासत्ताओं ने परमाणु शस्त्रों पर अंकुश रखने और कमी करने वाली संधियों पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने इन संधियों का स्वागत किया है, परंतु यह हमेशा नि:शस्त्रीकरण की पहल करता है। जब तक परमाणु शस्त्रों का संपूर्ण नि:शस्त्रीकरण नहीं होगा, तबतक परमाणु शस्त्रों के खतरे से विश्व मुक्त नहीं हो सकता।

एशिया में स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान एशिया के पराधीन देशों में स्वतंत्रता का आन्दोलन शुरू हो चुका था। भारत में ब्रिटिशरों की भेदभाव की नीति के कारण आजादी के साथ ही भारत के दो भाग हुए। इस तरह, भारत और पाकिस्तान ऐसे दो स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आए। आजादी की लंबी लड़ाई के पश्चात् भारत देश आजाद हुआ (1947)। इसी तरह ब्रिटेन के साथ कई राष्ट्र संघर्ष करके स्वतंत्र हुए, उनमें म्यानमार और श्रीलंका (1948), इंडोनेशिया (1949) भी स्वतंत्र हुए, उसमें संयुक्त राष्ट्र का महत्त्वपूर्ण योगदान था। इसी दौरान एशियाई देश लाओस, कंबोडिया भी स्वतंत्र राष्ट्र बने।

अफ्रीका में स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय

अफ्रीका के देशों के लिए द्वितीय विश्वयुद्ध का सुखद परिणाम आया। महायुद्ध पूरा हुआ तब केवल एबिसीनिया (इथोपिया), दक्षिण अफ्रीका संघ, इजिप्त स्वतंत्र थे। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान और बाद में एशिया के देशों में चल रहे स्वतंत्रता आन्दोलन गतिमान हुए और स्वतंत्रता की माँग करने लगे। परिणाम यह हुआ कि 1951 से 1966 तक के सोलह वर्ष के समय में अफ्रीका के 40 छोटे-बड़े देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। साम्राज्यवादी सत्ताएँ विश्व में अपना प्रभुत्व छोड़नेवाली नहीं थी। इसलिए उन्होंने सत्ता टिकाए रखने के लिए प्रयत्न भी किए थे, परंतु कई देश इन दो महासत्ता गुट या सैन्य गुट के साथ न जुड़कर स्वयं स्वतंत्र रहकर अपने राष्ट्र का विकास चाहते थे।

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन

विश्व की दो महासत्ताओं में विश्व विभाजित हो गया। दो विरोधी महासत्ताएँ और सैन्य गुट (अमेरिका और रूस) के साथ कई राष्ट्र शामिल हुए और कई राष्ट्र शामिल नहीं हुए। यानी कि विश्व में किसी भी सत्ता गुट या सैन्य गुट में न जुड़नेवाले राष्ट्र निर्गुट और उनके द्वारा अपनाई गई विदेशनीति 'गुटनिरपेक्ष' नीति के रूप में जानी जाती है।

विश्व की दो महासत्ताओं की विचारधारा में जुड़े बिना तटस्थ राष्ट्र एक दूसरे के सहयोग से परंतु अपने अस्तित्व के साथ सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, इजिप्त के राष्ट्रपति कर्नल नासर और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो का गुटनिरपेक्ष नीति को प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ। विचारविमर्श के अंत में इन्डोनेशिया के बान्डुंग में तटस्थ राष्ट्रों की एक परिषद आयोजित की (1955)। इस परिषद में एशिया के 23 और अफ्रीका के 6 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। परिषद ने विश्व के गरीब देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा साम्राज्यवाद का विरोध करने का ध्येय घोषित किया। इस परिषद में तटस्थ देशों के संगठन के स्वरूप और भावी कार्यक्रम निश्चित किए गए। 1961 में बेलग्रेड में आयोजित परिषद में विधिपूर्वक गुटनिरपेक्ष आन्दोलन (NAM - नोन एलाइन मूवमेन्ट) संस्था की स्थापना हुई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई। गुटनिरपेक्षवादी आन्दोलन ने मूल्यवान नेतृत्व प्रदान किया। नेहरू मानते थे कि कोई भी सत्ता गुट या सैन्य गुट में शामिल होने के बदले तटस्थ रहने से राष्ट्रीय हितों की रक्षा अधिक अच्छी तरह हो सकती है। भारत की यह मान्यता रही है कि विश्व का दो प्रतिस्पर्धी सत्ता गुटों या सैन्य गुटों में विभाजन विश्वशांति के लिए खतरा रूप और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए हानिकारक है।

आज विश्व के सबसे अधिक देश गुटनिरपेक्षवादी गुट के सदस्य हैं। क्वालालंपुर में 13वाँ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया (2003)। अंतिम चार दशक में विश्व स्तर पर अनेक घटनाएँ घटी हैं। सोवियत संघ का विघटन होने से रूस का वर्चस्व कम हुआ है। अमेरिका एकमात्र महासत्ता के रूप में मजबूत बन रहा है। अलबत, विश्व के देशों की साम्राज्यवादी नीति घटती जा रही है। इन संयोगों में गुटनिरपेक्षवादी गुटों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है।

तटस्थ राष्ट्रों ने गुटनिरपेक्षवादी का नया अभिगम अपनाकर विश्व की राजनीति में उचित योगदान देने में सफल रहे हैं। विश्व में सर्वत्र शांति बनी रहे, युद्धकीय घटनाएँ न बने, मानव समाज और राष्ट्रीयता की भावना बनी रहे तथा महासत्ता नि:शस्त्रीकरण अपनाने का विचार विकसित करे, इसके लिए नैतिक प्रभाव स्थापित करने में गुटनिरपेक्षवाद को सफलता मिली है।

जर्मनी का विभाजन और एकीकरण

प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध होने की शुरुआत का श्रेय जिसे दिया जाता है, उस जर्मनी को द्वितीय विश्वयुद्ध में भी ध्वंस

हुआ इससे उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रीढ़ टूट गई। ऐसा कोई नेता नहीं था जो जर्मनी को पुनः खड़ा कर सके। युद्ध समाप्त होने पर विजेता राष्ट्रों ने जर्मनी को चार प्रशासनिक विभागों में बाँट डाला। उसकी व्यवस्था इस तरह की गई। सोवियत यूनियन की लाल सेना (रेड आर्मी) ने पूर्व भाग पर सैनिक कब्जा किया था। इसलिए पूर्व जर्मनी का संचालन सोवियत यूनियन को सौंपा गया। जर्मनी के नैऋत्य भाग का संचालन अमेरिका को, फ्रांस के नजदीक के प्रदेशों का संचालन फ्रांस को, बेल्जियम से सटे हुए जर्मन विस्तार का संचालन ब्रिटेन को सौंप दिया गया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी रूस और संकलन समिति के बीच विभाजित कर दिया गया था। उनके बीच प्रशासनिक एकता के लिए संकलन समिति की रचना भी की गई थी। इस तरह से जर्मनी पर चार देशों का प्रशासन स्थापित किया गया। सत्ता गुटों के बीच अविश्वास का वातावरण खड़ा होने से सोवियत यूनियन को पूर्व जर्मनी पर से अपनी सत्ता के चले जाने का भय लगा, इसलिए पूर्व जर्मनी उसके कहने में रहे ऐसी कठपुतली सरकार स्थापित कर दिया।

अमेरिका फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने संचालन अंतर्गत के पश्चिमी जर्मनी के प्रदेशों का एकीकरण करके 'फेडरल रिपब्लिक ऑफ इस्ट जर्मनी', के रूप में निर्माण किया। पश्चिम जर्मनी के तीन विभागों का एकीकरण किया गया उसी तरह बर्लिन के भी तीन विभागों को एक किया गया। इस प्रक्रिया के विरोध स्वरूप सोवियत यूनियन ने बर्लिन की नाकाबंदी घोषित की (अप्रैल 1948)। परिणाम स्वरूप पश्चिमी देश और सोवियत यूनियन के बीच भारी तनाव पैदा हुआ। इस दौरान पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को अलग करनेवाली 42 किमी लंबी दीवार बनाई गई। पूर्व बर्लिन में रहनेवाले जर्मन जुल्म और कठोरतापूर्ण वातावरण में से पश्चिमी बर्लिन के मुक्त और खुले वातावरण में भाग जाने के लिए उतावले हुए तथा दो विभाग में अपने कुटुम्बीजनों, स्नेहियों और मित्रों के पास पहुँच जाने की असंख्य घटनाएँ घटने लगीं। लोग दीवार कूदकर या जलमार्ग तैरकर पश्चिम बर्लिन में जाने के लिए मर्णांतक प्रयास करते। पूर्व जर्मनी की साम्यवादी सरकार को हटाने का प्रयास करनेवाले लोगों को गोली मारने जैसे क्रूरतापूर्ण कदम उठाये जाते। इसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गँवाई। उसके बाद के साढ़े चार दशक के समय में पश्चिमी जर्मनी ने खूब विकास किया। उसने आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में सिद्धि प्राप्त की, जो जर्मन चमत्कार के रूप में जाना जाता है।

1990 तक के समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्त्वपूर्ण और दूरगामी परिवर्तन आए जिसके कारण शीतयुद्ध का प्रवाह मंद पड़ गया। साम्यवादी यूरोप के पूर्व देश और पश्चिम यूरोप के लोकतंत्रात्मक देशों के बीच का अंतर घटने लगा। उनके बीच अवरोध समान मजबूत आवरण अदृश्य होने लगा। परिणामस्वरूप सोवियत संघ का विघटन हुआ (उसकी चर्चा बाद में करेंगे)। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच कड़वाहट खड़े करने वाले कोई मुद्दे अब नहीं रहे। इससे दोनों देशों के बीच समझौता हुआ जिसके परिणामस्वरूप दोनों जर्मनी का एकीकरण हुआ (3 अक्टूबर, 1990)। बर्लिन की दीवार जो जर्मन लोगों के लिए दुःख, वियोग, संताप और करुणा और क्रूरतापूर्ण जोर-जबरदस्ती का प्रतीक थी उसे हर्ष और उल्लास से लोगों ने तोड़ दिया और जर्मन लोगों ने दिल से अपना आनंद व्यक्त किया। संयुक्त बने जर्मनी ने 1990 के बाद के दशक में तीव्र गति से प्रगति की। राजनैतिक, आर्थिक, व्यापार वाणिज्य, सामाजिक आदि क्षेत्र में प्रगति करके वह यूरोप का अत्यंत संपन्न राष्ट्र बना है।

सोवियत रूस का विघटन

बीसवीं सदी के अंतिम दौर के दौरान सोवियत यूनियन के राष्ट्राध्यक्ष गोर्बोचोव की उदारवादी नीति के कारण सोवियत यूनियन की विचारधारा में आए परिवर्तन से सोवियत यूनियन (रूस) का विघटन हुआ। सोवियत यूनियन का शांतिपूर्ण विघटन विश्व राजनीति की स्मरणीय घटना मानी जा सकती है। मिखाइल गोर्बोचोव साम्यवादी दल के नए महामंत्री के रूप में 11 मार्च, 1985 में सत्ता में आए। वे उदारवादी विचारधारा के थे। रूस ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति की। वह अमेरिकी महासत्ता के समान शक्तिशाली था।

गोर्बोचोव की 'ग्लासनेस्त' (खुलापन) और पेरेस्ट्रोइका (आर्थिक और सामाजिक सुधार की नीति) नीतियों के कारण सोवियत समाजवादी प्रजातंत्रात्मक संघ की स्वतंत्रता प्राप्ति की उत्कंठा जाग्रत होने से सोवियत संघ के घटक राज्यों द्वारा एक-एक करके स्वतंत्रता की घोषणा करने की प्रक्रिया शुरू हुई। धीरे-धीरे सोवियत यूनियन के प्रशासनिक तंत्र पर साम्यवादी दल, अमलदारशाही और लालसेना (रेडआर्मी) की पकड़ ढीली पड़ने लगी।

सोवियत यूनियन के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई (ई.स. 1990)। अंत में कुल 15 राज्यों में से 14 राज्य स्वतंत्र होने से विघटन की प्रक्रिया पूरी हुई (दिसंबर 1991)।

आंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का योगदान

आजादी के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। विश्व में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, काले–गोरे के बीच रंगभेद आदि बुराइयों को दूर करने के लिए तथा उसके विरुद्ध होनेवाले आन्दोलनों का भारत ने हमेशा समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के आदेश से भारत ने कोरिया के युद्ध में घायल सैनिकों की चिकित्सा के लिए दवाइयाँ और चिकित्सक टुकड़ी भेजी थी। गाजा, सायप्रस, कांगो, श्रीलंका आदि में निर्मित संकट के समय संयुक्त राष्ट्र के शांतिस्थापक दलों में भारत ने अपने सैनिकों को भेजकर उन देशों में शांति स्थापित करने में सक्रिय कार्य किया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में तथा सम्पूर्ण विश्व के लोगों की स्वतंत्रता और सुख–समृद्धि के लिए तमाम प्रयत्नों को भारत ने सक्रिय सहयोग दिया है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में परमाणु शस्त्रों का सम्पूर्ण नि:शस्त्रीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत करके भारत ने शांति की इच्छा व्यक्त की है। घातक शस्त्रों का उत्पादन बंद करके तथा सैन्य संख्या घटाकर उस धन को विश्व की गरीब तथा भुखमरी से पीड़ित जनता के आर्थिक–सामाजिक विकास करने की माँग भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष हमेशा किया है। इस तरह विश्वशांति भारत की विदेशनीति का मुख्य सिद्धांत है। विश्वशांति के लिए राष्ट्र–राष्ट्र के बीच सहयोग, विश्वास और समझदारी का वातावरण स्थापित करने के लिए भारत ने सतत प्रयास किया है।

भारत का अन्य देशों के साथ संबंध

भारत का अमेरिका के साथ संबंध

भारत और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका (यूएस) दोनों प्रजातंत्रात्मक देश हैं। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच अनेक समानताएँ होने पर भी भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के संबंधों में उतार–चढ़ाव आते रहे हैं।

आजादी प्राप्त करने के बाद भारत ने किसी भी सत्ता गुट में शामिल न होकर गुटनिरपेक्ष नीति स्वीकार की, जो यूनाइटेड स्टेट्स को अच्छा नहीं लगा। उसे आशा थी कि भारत लोकतंत्रात्मक गुट में शामिल होगा, परंतु भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई क्योंकि उसे अपनी आर्थिक स्थिति विकसित करनी थी।

जम्मू–कश्मीर के मामले में भी यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था। पाकिस्तान युनाइटेड स्टेट्स के सत्तागुट और सैन्य संगठन के साथ जुड़ा जबकि भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति स्वीकार की थी। इस कारण से भी भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच अच्छे संबंध नहीं विकसित हो सके। तथा भारत ने परमाणु शस्त्र संबंधी संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किया। क्योंकि 'सर्वग्राही परमाणु परीक्षण संधि' और 'सर्वग्राही परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि' पर भारत हस्ताक्षर करे, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ने आग्रह रखा है; परंतु ये दोनों संधियाँ भेदभावपूर्ण और राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक होने से भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। अपने इरादों और आग्रह की अवहेलना होने पर यूनाइटेड स्टेट्स भारत पर नाराज हुआ जबकि भारत ने पोखरण (राजस्थान) में सफल परीक्षण किया (1998) तब उसने गंभीरता से लिया। उसने भारत के विरुद्ध कई प्रतिबंध लगाए जो समय बीतने पर नरम पड़ा। आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में भारत को अमेरिका की सहायता मिलती रही है।

यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयार्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर, 2001 को हुए आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों में सुधार आया है। भारत ने भी आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है। इस बात को वह अब स्वीकार करने लगा है और दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंध बनाने की इच्छा रखता है।

सितंबर 2014 और 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका की मुलाकात ली थी और संयुक्त राष्ट्र की महासभा को भी संबोधित किया था। यूनाइटेड अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी, 2015 को भारत के 66 वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य मेहमान के रूप में भारत आए थे। भारतीय गणतंत्र दिवस में भाग लेनेवाले अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस तरह भारत और अमेरिका के संबंध सौहार्दपूर्ण हो रहे हैं। आतंकवाद की समस्या पर दोनों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष चिंतित है।

भारत और सोवियत यूनियन (रूस) के बीच संबंध

भारत में बड़े उद्योग स्थापित करने में, रक्षा के क्षेत्र में सुसज्जित होने में सोवियत रूस ने आर्थिक और तकनीकी मदद की है। कश्मीर की समस्या पर सोवियत यूनियन ने भारत का पक्ष लिया है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में कश्मीर के

मसले पर भारत विरुद्ध प्रस्ताव न हो इसके लिए अनेक बार 'वीटो' सत्ता का उपयोग किया है। कश्मीर समस्या पर वैश्विक स्तर पर भारत के मत का समर्थन किया है। इस तरह से रूस और भारत के बीच प्रगाढ़ संबंध रहे हैं।

भारत – पड़ोसी देशों के साथ संबंध

भारत-पाकिस्तान : भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ई.स. 1948, 1965 और 1971 में तीन बार युद्ध हुए जिसमें हर बार पाकिस्तान की पराजय हुई। दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता और शिमला समझौता होने पर भी पाकिस्तान इन समझौतों का निष्ठापूर्वक अनुसरण नहीं करता। 1999 (कारगिल) में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपनी समस्या का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान लाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

भारत-चीन : ऐसा कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच संबंधों की शुरुआत ई.स. 1954 में हुई। चीन ने जब सीमाओं का नक्शा प्रकाशित किया तब भारत और चीन के संबंधों में दरार पड़ी। इस नक्शे में चीन ने भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र अपने में दर्शाया, जिससे भारत ने उसका कड़ा विरोध किया। भारत और चीन के बीच सीमा दर्शाने वाली मैकमोहन रेखा को चीन ने अस्वीकार किया, इससे दोनों देशों के बीच मतभेद शुरू हुआ। चीन ने (1962) में भारत पर आक्रमण किया और जिस प्रदेश को उसने अपने प्रदेश के रूप में दिखाया था उस पर कब्जा किया। भारत ने सीमा की रक्षा के लिए सेना भेजा। चीन ने एकतरफा युद्ध विराम घोषित किया और इस तरह से युद्ध समाप्त हो गया। इस प्रश्न को हल करने के लिए मंत्रणाएँ आयोजित की जाती हैं, परंतु कोई समाधान नहीं हो सका है। फिर भी अंतिम दशक के दौरान भारत और चीन के बीच परस्पर सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित होते रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री जीन पींग के बीच रिवरफ्रंट, अहमदाबाद में सौजन्यपूर्ण मुलाकात हुई (2014)।

भारत-बांग्लादेश : बांग्लादेश ने बहुत संघर्ष करके स्वतंत्रता प्राप्त की। ई.स. 1971 में एक स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ। उसमे पहले यह पाकिस्तान का हिस्सा था। एक नवोदित राष्ट्र के रूप में भारत ने बांग्लादेश को आर्थिक, तकनीकी और भौतिक साधनों की बहुत अधिक मदद की, परंतु कुछ बातों में भारत और बांग्लादेश के बीच मतभेद हुए हैं। गंगा नदी के पानी के उपयोग और विभाजन के संबंध में हुई चर्चा द्वारा समाधान किया गया। अतिवृष्टि, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा के समय भारत ने बांग्लादेश को पर्याप्त मात्रा में मदद की है। दोनों राष्ट्रों के बीच 2015 में विवादित भूमि क्षेत्र और उस क्षेत्र के लोगों की नागरिकता के संबंध में समस्या का निराकरण बातचीत से हुआ है।

भारत-भूटान : भारत ने भूटान के साथ स्थायी शांति और मित्रता की संधि की (1949)। भूटान ने भी रक्षा और विदेश नीति में भारत को विश्वास में लेना स्वीकार किया। भारत ने भूटान को दूरसंचार और यातायात के विकास में मदद देना स्वीकार कर संबंध को मजबूत बनाया। प्रधानमंत्री नेहरू ने भूटान की मुलाकात ली थी (1958)। भारत के राष्ट्रपति ने भूटान की मुलाकात ली (1970)। भूटान को यू.एन. का सदस्य बनाने में भारत ने मदद की (1971)। भारत – भूटान के साथ संबंधों में कभी भी कटुता नहीं आई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी ने भूटान की मुलाकात ली थी (जून, 2014)। उस समय प्रधानमंत्री ने चर्चा के दौरान कहा था कि भारत प्रगति करेगा तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ोसी देशों पर पड़ेगा। दोनों देशों के पारस्परिक सुरक्षा संबंधी सहयोग पर संतोष व्यक्त किया गया था।

भारत-श्रीलंका : श्रीलंका के साथ भारत का संबंध बहुत पुराना है। बहुत से भारतीय विशेषरूप से तमिल लोग बहुत अधिक समय से श्रीलंका में बसे हैं और वहाँ स्थायी हुए हैं। उन लोगों की नागरिकता का प्रश्न दोनों के बीच मतभेद का मुद्दा बना, परंतु दोनों देशों ने समझौता द्वारा हल करने का प्रयास किया है। श्रीलंका के तमिल संगठनों और श्रीलंका की सरकार तमिल समस्या का शांतिपूर्ण समाधान करे, ऐसी भारत की इच्छा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी ने श्रीलंका की मुलाकात ली (13 मार्च, 2015)। श्रीलंकन तमिल असरग्रस्तों के पुनर्वास के लिए 27,000 मकान भारत की आर्थिक सहायता से बनवाया है। आज श्रीलंका के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।

भारत-नेपाल : नेपाल और भारत के बीच संबंधों का आरंभ और देशों के बीच किए गए समझौते से हुआ (ई.स. 1950)।

इस समझौते के अनुसार दोनों ने एक-दूसरे के सार्वभौम और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा को स्वीकार किया है तथा दोनों देश के नागरिकों के एक-दूसरे के देश में मुक्त आवागमन को मान्य रखा है। नेपाल के सामाजिक-आर्थिक विकास में भारत ने बड़ी मदद की है। नेपाल के बहुत से विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए भारत आते हैं। हिमालय से निकलनेवाली कई नदियाँ नेपाल में से होकर भारत में आती हैं। बरसात के मौसम में उनमें भारी बाढ़ आती है और इसलिए भारत को बहुत अधिक नुकसान होता है। नदियों के बाढ़ को रोकने के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता करने के लिए भारत प्रयत्न करता है। 25 अप्रैल, 2015 को नेपाल में 7.8 की तीव्रता का भूकम्प आया था उसमें लगभग 8000 लोगों की मृत्यु हुई। इस भीषण दुर्घटना में भारत ने बचाव-राहत तथा पुनर्वसन में नेपाल की मदद की।

भारत-अफगानिस्तान : भारत अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। अफगानिस्तान के नवसृजन में भारत का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। भवन निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत का महत्त्वपूर्ण योगदान है। उसके आर्थिक-सामाजिक उत्कर्ष के लिए भारत ने आर्थिक मदद की है। प्राकृतिक आपदा के समय भारत ने आर्थिक मदद की है। अफगानिस्तान के पार्लियामेंट हाउस का निर्माणकार्य भारत ने किया है।

भारत-म्यानमार : भारत का म्यानमार (बर्मा) के साथ भी सौहार्दपूर्ण संबंध रहा है। भारत की आजादी के बाद म्यानमार को स्वतंत्रता मिली (1948)। तब से दोनों देशों के बीच मैत्री संबंध बना हुआ है। आजादी के बाद म्यानमार ने भारत से विकास हेतु आर्थिक सहायता की माँग की। भारत ने तात्कालिक सहायता प्रदान की क्योंकि भारत म्यानमार को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहता था।

भारत की विदेशनीति का ध्येय विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यद्यपि प्रसंगानुसार पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, फिर भी भारत ने सहअस्तित्व की प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार सबल होने पर भी अपने से छोटे पड़ोसी राष्ट्रों की आर्थिक नीति को प्रभावित किए बिना पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(1) संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य बताइए।

(2) गुटनिरपेक्षनीति का अर्थ समझाइए।

(3) 'शीत युद्ध' के परिणामों की संक्षेप में चर्चा कीजिए।

(4) जर्मनी का विभाजन और एकीकरण के विषय में संक्षेप में बताइए।

(5) भारत और रूस के बीच के संबंधों की संक्षेप में चर्चा कीजिए।

(6) 'सैनिक गुटों', 'नाटो', 'सीटो' और 'वर्सा' के बारे में जानकारी दीजिए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए :

(1) द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद महासत्ताओं के बीच के संबंध तनावपूर्ण क्यों बने ?

(2) गुटनिरपेक्ष नीति के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या विचार रखते थे ?

(3) परमाणु अप्रसार संधि से क्या तात्पर्य है ? भारत ने उस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया ?

3. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(1) शस्त्रीकरण और नि:शस्त्रीकरण

(2) क्यूबा का संकट

(3) सोवियत यूनियन का विघटन

(4) बर्लिन की नाकाबंदी

4. निम्नलिखित विधानों के कारण दीजिए :

(1) संयुक्त राष्ट्र की स्थापना ने नए विश्व की नींव रखी है।

(2) क्यूबा के संकट को शीत युद्ध के अंत के आरंभ के रूप में माना जाता है।

5. नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज का आरंभ किससे होता है ?

(A) घोषणापत्र से (B) प्रस्तावना से

(C) मानवअधिकार से (D) संविधान से

(2) अनेक विद्वान किस घटना को शीत युद्ध की शुरुआत मानते हैं ?

(A) बर्लिन की नाकाबंदी (B) जर्मनी का विभाजन

(C) जर्मन चमत्कार (D) जर्मनी का एकीकरण

(3) सोवियत यूनियन के नेतृत्व वाले देश कौन-सी विचारधारा को मानते थे ?

(A) लोकतंत्र (B) साम्राज्यवादी

(C) साम्यवादी (D) उदारमतवादी

(4) भारत में गुटनिरपेक्ष की विदेशनीति के प्रवर्तक कौन थे ?

(A) लालबहादुर शास्त्री (B) डॉ. राधाकृष्णन

(C) पंडित जवाहरलाल नेहरू (D) श्रीमती इंदिरा गांधी

(5) अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस नीति ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है ?

(A) गुटनिरपेक्ष नीति (B) शीतयुद्ध की नीति

(C) नि:शस्त्रीकरण की नीति (D) उपनिवेशवाद की नीति

शिक्षक प्रवृत्ति

- जर्मनी के एकीकरण के विषय में जानकारी देना और उस संबंध में चित्र दर्शाना।
- सर्वनाश और विश्वशांति के बीच मानव जाति को चयन करना है – इस विषय पर चर्चासभा का आयोजन करना।
- संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के विषय में वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन करना।

विद्यार्थी प्रवृत्ति

- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद स्वतंत्र हुए देशों की सूची तैयार करना।
- पुराने सोवियत यूनियन और रूस से अलग हुए प्रजातंत्रात्मक राज्यों के नक्शे तैयार करना।
- सोवियत रूस, संयुक्त राष्ट्र और द्वितीय विश्वयुद्ध के विषय में इन्टरनेट पर से जानकारी एकत्र कीजिए।
- समाचारपत्रों में से संयुक्त राष्ट्र के विषय में आनेवाले समाचारों के कटिंग्स एकत्र करें।

•

7 स्वातंत्र्योत्तर भारत

ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने हिंद स्वातंत्र्य धारा जुलाई, 1947 में पारित किया। इस धारा की व्यवस्था के अनुसार भारत का भारतीय संघ और पाकिस्तान संघ ऐसे दो राष्ट्र अस्तित्व में आए। देश के समक्ष मुख्य दो प्रश्न खड़े हुए :

(1) भारत के अनुरूप संविधान निर्माण करना।

(2) भारत की रियासतों पर से ब्रिटिश ताज की सार्वभौम सत्ता का अंत होने से उन्हें भारत संघ में जोड़कर अखंड भारत का निर्माण करना।

उस समय देशी राज्य-रियासतों की संख्या 562 थी। स्वतंत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 48 % क्षेत्रफल देशी राज्यों क्षेत्रफल का था। उसी तरह से भारत की कुल जनसंख्या की 20 % जनसंख्या देशी राज्यों की थी। कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर बड़े राज्य थे। अन्य छोटे राज्य भी थे। ऐसे राज्य भी थे जिनका कद एक छोटे गाँव से भी छोटा था। इन राज्यों के राजा, नवाबों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए समझाने का भगीरथ कार्य था। यह कार्य तेजी से करना था।

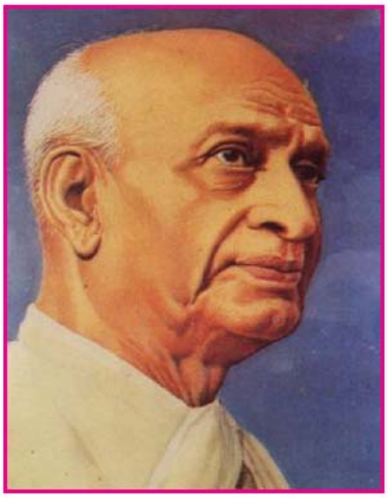
सरदार वल्लभभाई पटेल

स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर सर्वप्रथम भावनगर के महाराजा कृष्णकुमार सिंह ने भावनगर में उत्तरदायी सरकार की शुरुआत की थी (15 फरवरी, 1948)। सरदार पटेल के प्रयत्नों से संयुक्त सौराष्ट्र राज्य की रचना होने से भावनगर राज्य उसमें विलीन हो गया (15 फरवरी, 1948)। सौराष्ट्र राज्य की रचना की इस घटना को जवाहरलाल नेहरू ने समकालीन इतिहास का सबसे महत्त्वपूर्ण उल्लेखनीय एकीकरण माना है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तत्कालीन उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री सरदार वल्लभाई पटेल ने देशी राजाओं से अपील किया कि उनके शासन में रहनेवाली प्रजा और भारतीय संघ के हित में वे अपने राज्य को स्वेच्छापूर्वक भारतीय संघ में शामिल होने की सम्मति दें। उन्होंने राजाओं में देशभक्ति जागृत की। व्यावहारिक बुद्धि से उन्होंने लगभग सभी देशी राज्यों का भारत में विलीनीकरण की प्रक्रिया शुरू की। राजा रजवाड़ों को एक मजबूत, अखंड और समृद्ध भारत की नीव रखने में अपना सहयोग देने के लिए कहा। उनके अधिकार और हितों की रक्षा करने का सरदार पटेल ने विश्वास दिलाया। सरदार पटेल और उनके सचिव वी. पी. मेनन की सहायता से 'दस्तावेज' और 'जैसे थे समझौता' का मसौदा तैयार किया गया था। उससे संबंधित मंत्रियों और राजाओं की संयुक्त समिति ने उसको अंतिम स्वरूप दिया। राजाओं को इन शर्तों से संतोष हुआ। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के अतिरिक्त सभी (559) राज्यों ने उसे स्वीकार करके भारतीय संघ में अपने राज्य को विलीन कर दिया।

हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर का जुड़ना

हैदराबाद : दक्षिण भारत में स्थित हैदराबाद राज्य के निजाम ने अपने राज्य को 15 अगस्त को स्वतंत्र घोषित किया। उसकी भौगोलिक परिस्थिति की ओर ध्यान देने पर ऐसा लगा कि उसे भारत के साथ जुड़ना चाहिए। वह चारों ओर से भारतीय संघ के प्रदेशों से घिरे होने के कारण वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में नहीं टिक सकेगा। इसका ध्यान दिलाया गया, परंतु निजाम ने स्पष्टता की कि यदि देश का विभाजन होगा तो भौगोलिक कारण से पाकिस्तान में और वैचारिक कारण से भारत में नहीं शामिल हो सकेगा। इसके कारण वह स्वतंत्र रहना पसंद करेगा। निजाम को समझाने के लिए बातचीत शुरू की, निजाम की ओर से बातचीत करनेवाले को सरदार पटेल ने स्पष्ट बताया कि हैदराबाद की जनता भारतीय संघ में मिले इसी में सबका हित है। निजाम के अधिकारियों और सेना ने प्रजा पर अत्याचार करना शुरू किया। स्थिति असह्य बनने पर परिस्थिति से तंग आकर भारत सरकार ने पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला दिया (18 सितंबर, 1948)। निजाम ने शरणागति स्वीकार की। निजाम को उसके हितों की रक्षा का विश्वास दिलाया गया, इसमें कनैयालाल मुन्शी ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद राज्यों की पुन: रचना (1956) होने से हैदराबाद राज्य को आंध्रप्रदेश में मिला लिया गया।

जूनागढ़ : जूनागढ़ सौराष्ट्र में शामिल है। उसके नवाब ने अपने राज्य को पाकिस्तान के साथ जोड़ने का पत्र लिख दिया। पाकिस्तान ने स्वीकृति भी दे दी। मुंबई से जूनागढ़ के नागरिकों ने जूनागढ़ को भारतीय संघ में जोड़ने के लिए ''आरजी हुकूमत'' की स्थापना की। सौराष्ट्र के लगभग सभी राजाओं और लोगों ने नवाब का पाकिस्तान के साथ जुड़ने का विरोध किया। नवाब के शासक ने जूनागढ़ राज्य की प्रजा को त्रास दिया। मांगरोल और माणावदर ने भारत में जुड़ने की इच्छा व्यक्त करने पर उनकी रक्षा के लिए आयोजित भारतीय सैन्य और नौसेना ने जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान चला

गया और भारत ने जूनागढ़ पर अधिकार कर लिया (9 नवंबर, 1947)। बाद में लोकमत लिया गया जिसमें प्रचंड बहुमत से भारत में मिलने के पक्ष में मत दिया। इस तरह सरदार पटेल की बुद्धिमानी और जूनागढ़ के नागरिकों की प्रबल इच्छाशक्ति द्वारा जूनागढ़ का भारतीय संघ में विलय हो गया।

कश्मीर : कश्मीर के महाराजा हरिसिंह डोगरा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था। इसी दौरान कश्मीर को अपने साथ शामिल करने के लिए पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया। आक्रमण, अत्याचार, लूटपाट होने से राजा हरिसिंह ने भारत से सैनिक सहायता की माँग की, परंतु उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था इसलिए उसे हस्ताक्षर करने के लिए भारत तरफ से कहा गया। हरिसिंह ने तत्काल विलयपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। भारतीय सेना ने तत्काल कश्मीर जाकर उसकी रक्षा की परंतु उस समय में कश्मीर के तिहाई भाग पर पाकिस्तान ने अपना अधिकार कर लिया था। भारत ने पाकिस्तान विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में शिकायत की। सुरक्षा समिति ने युद्ध विराम करने के लिए कहा। अभी आज भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश के कई भागों पर पाकिस्तान का अंकुश है। परन्तु वह प्रदेश वैंधानिक रूप से भारत का भाग है, यह सच्चाई निर्विवाद है और भारत-पाकिस्तान के बीच के संबंधों में आज भी कश्मीर का सुलगता प्रश्न है। इस तरह 1948 के अंत से पहले भारत में राजनैतिक एकता सिद्ध हुई तथा अहिंसक ऐतिहासिक क्रांति पूरी हुई।

फ्रांसीसी और पुर्तगाली उपनिवेशों का भारत संघ में विलय

26 जनवरी, 1950 तक में भारत के देशी राज्य-रियासतों का भारतीय संघ में विलय हो चुका था, परंतु यूरोपीय साम्राज्यवाद के कारण रहे-सहे प्रदेश फ्रेंच और पुर्तगीज के अधीन थे। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त होने पर फ्रांस और पुर्तगाल की सरकारों को उनके अधीनस्थ भारतीय प्रदेशों को भारत को सौंप देने का अनुरोध किया।

भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय फ्रेंचों के अधीन प्रदेशों के लोगों की तीव्र इच्छा भारतीय संघ के साथ शामिल हो जाने की थी। इसके लिए उन्होंने स्वतंत्र होने के लिए आन्दोलन चलाया। फ्रेंच, पुर्तगीज सत्ताओं ने कुचल डालने का प्रयास किया। फ्रेंचों के इस व्यवहार को देखकर पुडुचेरी (पांडिचेरी) में लोगों ने विशाल सभा आयोजित करके फ्रेंच सरकार को 'भारत छोड़ो' का एलान किया (1948)। ई.स. 1950 तक फ्रांस और भारत के बीच शांतिमय समाधान के लिए बातचीत चलती रही। येनाम में लोगों ने 1954 को मुक्ति सेना रचकर उसका संचालन अपने हाथ में ले लिया। फ्रांस ने लोगों के मिजाज और भारतीय संघ के साथ जुड़ने की (13 अक्टूबर, 1954) तीव्र इच्छा तथा समय को परखकर अपने उपनिवेशों को भारत को सौंप देने के लिए बातचीत को सार्थक बनाने के लिए उपनिवेशों का अधिकार भारत को सौंपना स्वीकार किया। फ्रेंच सरकार ने अपने पाँच उपनिवेश पुडुचेरी (पांडिचेरी), कारैकाल, चंद्रनगर, माहे और येनाम भारत को सौंप दिए। भारत सरकार ने इन प्रदेशों का प्रशासन अपने हाथ में लिया और उसे केन्द्रशासित संघीय प्रदेश के रूप में दर्जा दिया, जो वर्तमान समय में जारी है।

भारत के राज्यों की पुनर्रचना होने से पुडुचेरी (पांडिचेरी), कराइकल (तमिलनाडु), माहे (केरल), येनाम (आंध्रप्रदेश) और चंद्रनगर (पश्चिम बंगाल) में हैं। इन सभी प्रदेशों का प्रशासनिक केन्द्र पुडुचेरी है।

गोवा, दीव, दमण का विलय : 15 अगस्त, 1947 से अनेक राजनैतिक दलों और सत्याग्रही समूहों ने गोवा, दीव और दमण में प्रवेश किया। जिसमें वहाँ की सरकार द्वारा अत्याचार किए जाने से 'गोवामुक्ति आन्दोलन' में सत्याग्रही शहीद हुए। पुर्तगाली शासकों के अत्याचार बढ़ गए। इससे गोवा में परिस्थिति स्फोटक बनी। अंत में भारत सरकार ने जनरल चौधरी के नेतृत्व में 'आपरेशन विजय' शुरू किए जाने पर भारतीय सैन्य दलों ने गोवा, दीव और दमण में प्रवेश किया (18 दिसंबर, 1961)। पुर्तगाल की सैनिक टुकड़ी पीछे हटती गई। स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना को सहयोग देकर स्वागत किया और गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल डी-सिल्वा ने 19 दिसंबर की रात्रि को शरणागति स्वीकार की। इस तरह गोवा, दीव, दमण में से पुर्तगाली शासन का अंत हो गया और भारत का तिरंगा फहराया और भारत की धरती पर से पश्चिमी साम्राज्यवाद का अंत हुआ। भारत के संविधान में 12वें सुधार के अनुसार गोवा, दीव, दमण, दादरा, नगर-हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया (12 मार्च, 1962)। इन प्रदेशों को 'भारतीय संघ प्रदेश' (यूनियन टेरिटरी) का दर्जा दिया गया (1987 में 30 मई)। दमण और दीव का मुख्यालय दमण है। गोवा का मुख्यालय पणजी है।

नए राज्यों की रचना

भारत स्वतंत्र हुआ, देशी राज्यों-रियासतों के एकीकरण की जानकारी प्राप्त की। भारत ने संघीय व्यवस्था स्वीकार की इस लिए संघ के घटक ऐसे राज्यों की रचना, पुनर्रचना करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। पहले के ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों का एकीकरण होने से बने राज्यों को चार वर्गों में विभाजित किया गया, जो निम्नलिखित हैं :

(अ) वर्ग के राज्यों में - मुंबई, असम, आंध्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का समावेश होता था।

(ब) वर्ग के राज्यों में - जम्मू-कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, मध्यभारत, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर - कोचीन और पेसू (पटियाला एन्ड ईस्ट पंजाब स्टेट्स, यूनियन)

(क) वर्ग के राज्यों में - अजमेर, भोपाल, कूर्ग, दिल्ली, बिलासपुर, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और विंध्य प्रदेश ऐसे कुल दस राज्यों का समावेश होता था।

(ड) वर्ग के राज्य के रूप में - अंडमान और निकोबार द्वीपों का समावेश किया गया था।

ये सभी राज्य भारतीय संघ के अभिन्न भाग थे। इन चार प्रकार के राज्यों का दर्जा एक समान नहीं था।

भारत के राज्य संविधान का अमल 1950 में हुआ, उस समय पहले बताए अनुसार चार प्रकार के राज्य थे; परंतु यह व्यवस्था कामचलाऊ थी, स्थायी नहीं थी। भाषावार राज्य की रचना करने की माँग पूरे देश में उदित हुई। इससे 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने संसद में ''राज्य पुनर्रचना आयोग'' नियुक्त करने की घोषणा की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश फजलअली (चेयरमैन) और दो अन्य सदस्यों में हृदयनाथ कुँजरू और के. एम. पनिकर नियुक्त हुए। राज्य पुन:रचना आयोग समग्र देश में विविध प्रजाकीय अभिप्राय, मतव्य, निवेदन, मुलाकातों, पत्रव्यवहार द्वारा प्रजा का सुझाव प्राप्त करके आयोग ने सिफारिश की। उपरांत मुंबई द्विभाषी राज्य बना, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र प्रदेश होंगे और उसकी राजधानी मुंबई होगी, ऐसा निर्णय लिया गया। इन सभी सिफारिशों के साथ विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा में मंजूर होने पर उसकी राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर 1956 में कानून बनाया गया।

इस तरह पुराने अ, ब, क, ड प्रकार के राज्यों को समाप्त करके भारत के संविधान के प्रथम परिशिष्ट में सुधार किया गया और उसके स्थान पर घटक राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश ऐसे दो वर्ग हुए। जो नए 14 घटक राज्य बने, उनमें आंध्र, असम, उड़ीसा, कर्णाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मद्रास, बिहार, मध्य प्रदेश, मुंबई और राजस्थान थे। जो पाँच संघप्रदेश बने उनमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप टापू थे।

अंत में केन्द्र सरकार को मुंबई पुनर्रचना कानून ई.स. 1960 में पारित करना पड़ा। 25 अप्रैल, 1960 को उसे मान्यता मिली और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई निश्चित की गई। सौराष्ट्र और कच्छ सहित गुजरात नया राज्य (1 मई, 1960) बना और इस दिन को गुजरात स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है।

असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड जैसी सात बहनें (सेवन सिस्टर्स) के रूप में पहचाने जानेवाले सात राज्यों की रचना हुई।

बड़े राज्यों में से छोटे अलग राज्य बनाने की माँग सतत जारी रही। अंत में ई.स. 2000 में बिहार में से झारखंड (राजधानी-राँची), मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ (राजधानी-रायपुर), उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड (राजधानी-देहरादून) ऐसे तीन राज्यों की रचना की गई। 2014 में आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना का अलग राज्य के रूप में रचना हुई। अभी भी राज्यों के पुन:रचना की माँग चालू है। जिसमें महाराष्ट्र में से अलग विदर्भ राज्य की माँग का समावेश होता है।

वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इसके अतिरिक्त केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमण, दीव, दादरा और नगर हवेली, अंदमान एवं निकोबार है। इस तरह भारतीय संघ में 28 राज्य, दिल्ली राज्य 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, 7 संघशासित प्रदेश हैं।

7.1 भारत : राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश

प्रदेशवाद

भारत विविधता में एकतावाला देश है, जिसमें विविध भाषा बोलनेवाले, विविध धर्म, विविध जाति और संस्कृतवाले लोग रहते हैं। देश में निहित विविधताएँ शायद ही किसी देश में देखने को मिलती होंगी। किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लम्बे समय से लोग रहते हों तब उनमें अपनत्व की भावना जगती है। भाषा, धर्म, रीति-रिवाज, जीवनशैली, ऐतिहासिक परंपराएँ आदि एक-दूसरे के साथ साम्य रखने के कारण एक ही क्षेत्र में रहनेवाले लोगों नें आत्मीयता, एक-दूसरे के प्रति प्रेम अधिक मजबूत बनता है। सांस्कृतिक विकास किसी एक जाति अथवा लोगों के सामूहिक प्रयत्नों और सिद्धियों का सामूहिक परिणाम होता है।

प्रदेशवाद को प्रोत्साहन देना या उसका प्रभाव बढ़ने के लिए अमुक नेता, अगुआ या कुछ उपद्रवी तत्व लोगों की भावनाओं को बहकाने का कार्य करते हैं। इस तरह प्रदेशवाद की वृत्तियों को जगानेवाले और उसे उत्तेजित करनेवाले तथा बहकाने वाले तत्व देश की राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक हैं। व्यक्ति को विकास करने के लिए महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, उसे सिद्ध करने की प्रेरणा देना आवश्यक है। अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता ऐसी भावना से प्रदेश का विकास सर्वांगी नहीं हो सकता, साथ ही यदि वह उग्र स्वरूप धारण करे तो वह अनिष्टता को आमंत्रित करता है। अपने प्रदेश और राष्ट्र को हानि पहँचानेवाला कार्य नहीं करना चाहिए। समग्र देश के हित का ध्यान रखना आवश्यक है। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रदेश की अपेक्षा राष्ट्र का स्थान ऊँचा रहना चाहिए।

भारतीय समाज में विदेशी लोगों और उनके सांस्कृतिक मूल्यों का एक प्रकार का समन्वयीकरण हुआ, परंतु साथ-साथ वे सभी लोग जिन-जिन प्रदेशों में बसे और स्थायी निवास करने से वहाँ की भूमि के लिए एक प्रकार का लगाव और प्रेमभाव पैदा हुआ, जिसे प्रदेशवाद की भावना कहते हैं। ऐसा प्रेम या भावना का होना लंबी अवधि की प्रक्रिया का परिणाम था। समय बीतने पर प्रदेशवाद की भावना में संकुचितता पैदा होने लगी। प्रादेशिकता के उदय और विकास के लिए भाषा, जाति और धर्म इन तीन तत्वों को महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है।

भाषा : भाषावाद ने प्रादेशिकवाद को प्रोत्साहन दिया है। उत्तर भारत में हिंदी भाषा और दक्षिण भारत शैहिंदीभाषी से प्रदेशवाद की माँग तीव्र हुई है। भारत में प्रदेशवाद की उग्रता तो देश में भाषावार राज्यों की पुनःरचना करने के लिए बने आयोग की (स्टेट्स रि-आर्गेनाइजेशन कमीशन) सिफारिशों के अनुसार कुछ परिवर्तन के साथ निर्मित कानून और उसका अमल कराने के बाद के समय में देखा गया।

धर्म और जाति : भारत में विविध धर्मों के लोग रहते हैं। कुछ राज्यों में किसी एक ही कौम के बहुसंख्यक लोग अपना धर्म पालन करके रहते हैं। उदा.स्वरूप नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल आदि के रीति-रिवाज, जीवनशैली, व्यवसाय में विविधता रही है। आसाम में बोडो जाति के लोग अपने अलग प्रदेश के लिए उग्र आन्दोलन चला रहे हैं। वहाँ उल्फा उग्रवादी भी सक्रिय हैं। प्रदेशवाद के कारण पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ। इसी तरह बिहार में से झारखंड, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों की रचना हुई है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र में से अलग विदर्भ राज्य बनाने की माँग हो रही है। इस तरह से एक ही प्रदेश में बहुमतवाले और एक ही भाषा बोलनेवाले लोग अपने लिए अलग राज्य की माँग करें, अपने प्रदेश का विकास करें और लाभ प्राप्ति के लिए आन्दोलन करें तो वह देश के हित में नहीं है।

भारत के संविधान में भारत को सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। राज्यों की पुनर्रचना के समय प्रादेशिक भावना की अपेक्षा समग्र देश की राष्ट्रीय एकता का विचार करके निर्णय लेना चाहिए।

प्रादेशिक असमानता

विदेशी शासकों ने जहाँ आर्थिक लाभ न प्राप्त हो वहाँ ऐसे विकासात्मक कार्य नहीं किए गए। परिणामस्वरूप ऐसे में प्रादेशिक असमानता विकसित हुई।

भारत स्वतंत्र होने के पश्चात् सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग की रचना की। उसका मुख्य उद्देश्य अलग-अलग प्रदेशों का आर्थिक सहित अन्य क्षेत्रों में संतुलित विकास करना था। प्रदेशवाद के दबाव, राजनैतिक कारणों से विकास योजनाएँ अपने प्रदेश में ले जाने की खींचतान, विकास के स्रोत, मजदूरी आदि अनेक परिबल उसमें भूमिका निभाते रहे। इससे संतुलित विकास के मामले में असमानता दिखाई देती है।

इस तरह देश में विकसित, मध्यम विकसित और अल्पविकसित राज्य देखने को मिलते हैं। कुछ राज्यों के आंतरिक-प्रादेशिक विकास में भी असमानता देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र विकसित कक्षा में है, परंतु विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्र पिछड़े हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में रायलसीमा तथा तेलंगाना राज्य के कुछ क्षेत्र अल्प विकसित हैं। कई राज्य कृषि विकास में तो कई औद्योगिक विकास में विशेष आगे हैं। इस तरह राज्यों-राज्यों के बीच असमानता के लिए अनेक कारण देखने को मिलते हैं। उनमें से प्रदेशवाद का जन्म होता है। दो पड़ोसी राज्य भारत के हों तो भी सीमा-जमीन के संबंध में विवाद चल रहे हैं। उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र तथा कर्णाटक राज्य के बीच तथा पंजाब और हरियाणा राज्यों की सीमा के संबंध में भूमि विवाद चल रहा है।

किसी प्रदेश की भूमि पर जल वितरण और खनिज, जल, औद्योगिक कच्चा माल और कृषि क्षेत्र की अनुकूलता के अनुसार लाभ स्वयं को मिले, ऐसी संकुचित मनोवृत्ति कई जगहों पर दृष्टिगोचर होती है। इस प्रदेशवाद या प्रादेशिक संकुचित भावना के क्षुद्र स्वार्थ या महत्त्वाकांक्षा के कारण राष्ट्रीय एकता को हानि पहुँचाती है। देश स्वतंत्र होने के पश्चात् प्रदेश की अपेक्षा राष्ट्र का स्थान ऊँचा है, उसे स्वीकार कर राष्ट्रीय भावना का विकास कर राष्ट्र की गरिमा, स्थान ऊँचा बना रहे ऐसे उपाय करने चाहिए।

विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास

विश्व के अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत ने अंतिम आधी सदी में टेक्नोलॉजी के विकास के क्षेत्र में जो सिद्धियाँ प्राप्त की हैं वह अतिविकसित देशों की बराबरी कर सकने जैसी हैं, ऐसा कह सकते हैं। मर्यादित और अल्प साधन, साक्षरता की कम मात्रा के परिप्रेक्ष में भारत का विज्ञान और टेक्नोलॉजी क्षेत्र का विकास उल्लेखनीय माना जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत का नेतृत्व करनेवाले महानुभावों और विविध विद्वान वैज्ञानिकों जैसे कि डॉ. होमीभाभा, डॉ. राजा रामन्ना, डॉ. विक्रम साराभाई, डॉ. सी. वी. रामन तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र के सर एम. विश्वेशरैया, साम पित्रोड़ा, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम (भारत के पूर्व राष्ट्रपति) तथा मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट को सफल बनानेवाले ई. श्रीधरन तथा ऐसे अन्य वैज्ञानिक, इंजीनियर, टेक्नोक्रेट आदि के योगदान उल्लेखनीय माने जाते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों की संस्थाएँ जैसे कि इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइन्सेज और इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) तथा फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी सहित अनेक संस्थाएँ गिनी जा सकती हैं। भारतीय महिलाओं का भी इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान रहा है, जो निम्नलिखित हैं :

विज्ञान और टोक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान : :

क्रम	नाम	क्षेत्र
1.	जानकी अम्मा	वनस्पतिशास्त्र
2.	असीमा चटर्जी	रसायनशास्त्र
3.	डॉ. इंदिरा आहूजा	चिकित्साविज्ञान
4.	शकुंतला देवी	गणितशास्त्र में मानव संगणक (Human computer)
5.	कल्पना चावला	अवकाशक्षेत्र
6.	सुनीता विलियम्स	अवकाशक्षेत्र

इसके अतिरिक्त विविध क्षेत्रों में महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है और इन्होंने राष्ट्रीय विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

स्वतंत्रता के समय अनाज के लिए परावलंबी रहनेवाले अपने देश में आजादी के बाद जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने पर भी कृषि क्षेत्र में हुई हरित क्रांति के परिणामस्वरूप अनाज उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्वावलंबन महत्त्वपूर्ण सिद्धि मानी जा सकती है। बहुलक्षीय बाँध बनाने के लिए जलाशय, नहर, जलसंचय के अतिरिक्त कृषि वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र में कार्यरत टेक्नोलॉजी का उपयोग तथा कृषि यूनिवर्सिटी की स्थापना होने से सतत होने वाले संशोधनों का भी भारत के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

परमाणु विज्ञान और टोक्नोलॉजी का शांतिमय उपयोग करने के लिए संशोधन संस्थाएँ और प्रयोगशालाओं का उल्लेख करना पड़ेगा। भाभा परमाणु क्षेत्र संशोधन उपरांत वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नोक्रेटों के संयुक्त पुरुषार्थ द्वारा बनाए गए परमाणु केन्द्रों द्वारा ऊर्जा की माँग को पूरा करने में हम सफल रहे हैं, इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिए राजस्थान के पोखरण में दो बार किए गए अणु परीक्षण को समस्त विश्व को ध्यान में लेना पड़ा है।

अवकाश संशोधन क्षेत्र में भारत ने बाह्य अवकाश में उपग्रह छोड़ने के लिए विशिष्ट प्रकार के यान GSLV (जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट लाँच व्हीकल) और अंत में मंगलग्रह पर पहुँचने का अभियान तथा क्रमश : आर्यभट्ट (1975), भास्कर (1979), रोहिणी (1979) तथा PSLV (पोलर सेटेलाइट लाँच व्हीकल) उपग्रह छोड़ने में संपूर्ण स्वावलंबन एक अद्वितीय उपलब्धि मानी जाएगी। इस सिद्धि के लिए भारत की संस्था इसरो की भूमिका उल्लेखनीय रही है। इतना ही नहीं वैश्विक कक्षा की तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में भारतीय वैज्ञानिकों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इतना ही नहीं वैश्विक कक्षा की तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में भारतीय वैज्ञानिकों के उल्लेखनीय योगदान देखने को मिलते हैं। संदेश व्यवहार के क्षेत्र में टेलीफोन, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टेबलेट, फैक्स, ई-मेल, ट्वीटर और कम्प्यूटर वॉट्सएप द्वारा भारत विश्व के अन्य प्रगतिशील देशों की पंक्ति में आ गया है। (प्रशासनिकतंत्र में बढ़ता उपयोग परोक्ष रूप से पर्यावरण की रक्षा के लिए तथा कार्बन क्रेडिट देने में सफल रहा है।)

उद्योग, ऊर्जा, कृषि और स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग और उनमें हो रहे सतत संशोधन और विकास (रिसर्च एन्ड डेवलेपमेंट) के कारण डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के नारे विश्वविख्यात बन गए हैं। समुद्री संशोधन क्षेत्र में विकास के प्रयास, मानव संसाधनों के उत्तम उपयोग के प्रयास, मार्गों और बंदरगाहों का विकास तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानवजीवन के सर्वांगीण विकास के लिए हो रहे प्रयास सीमा चिह्न रूप हैं। संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा 21 जून का दिन 'विश्व योग दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय भारत के उज्जवल भविष्य का द्योतक है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

(1) देशी राज्यों के विलीनीकरण के संबंध में संक्षेप में जानकारी दीजिए।

(2) हैदराबाद और जूनागढ़ के राज्य भारतीय संघ में किस तरह शामिल हुए उनकी संक्षेप में चर्चा कीजिए।

(3) दीव, दमण और गोवा के भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया की जानकारी दीजिए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में संक्षेप में बताइए :

(1) देशी राज्यों को भारतीय संघ में जोड़ने के लिए सरदार पटेल ने क्या अपील की थी ?

(2) हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई क्यों करनी पड़ी थी ?

(3) फ्रेंच सरकार अपने उपनिवेशों को भारत को सौपने के लिए क्यों तैयार हुई ?

(4) 'ऑपरेशन विजय' से क्या अभिप्राय है ? वह क्यों किया गया ?

3. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(1) देशी राज्यों - रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान

(2) भारत का टेक्नोलॉजी क्षेत्र में विकास

(3) हरितक्रांति

(4) प्रदेशवाद

(5) प्रादेशिक असमानता

4. निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के पहले गृहमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी ?

(A) सुभाषचंद्र बोस (B) वडोदरा के गायकवाड़

(C) सरदार वल्लभभाई पटेल (D) मोतीलाल नेहरू

(2) निम्नलिखित में से कौन-सा प्रदेश केन्द्रशासित प्रदेश नहीं है ?

(A) चंडीगढ़ (B) हिमाचल प्रदेश

(C) लक्षद्वीप (D) पुडुचेरी

(3) वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने राज्य अस्तित्व में हैं ?

(A) 26 (B) 27

(C) 28 (D) 29

(4) ई.स. 2014 में आंध्रप्रदेश में से कौन-सा राज्य अलग हुआ ?

(A) उत्तराखंड (B) छत्तीसगढ़

(C) तेलंगाना (D) बिहार

(5) झारखंड राज्य किस राज्य में से अलग हुआ ?

(A) छत्तीसगढ़ (B) बिहार

(C) तेलंगाना (D) उत्तराखण्ड

(6) निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य सेवन सिस्टर्स में से नहीं हैं ?

(A) मणिपुर, असम (B) त्रिपुरा, अरुणाचल

(C) मिजोरम, नागालैंड (D) उत्तराखंड, झारखंड

(7) निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य भारतीय संघ में 29 राज्यों में से एक नहीं है ?

(A) आंध्र प्रदेश (B) गोवा

(C) दिल्ली (D) गुजरात

(8) गुजरात राज्य का स्थापना दिवस कौन-सा है ?

(A) 1 मई-1961 (B) 1 मई-1960

(C) 1 मई-1962 (D) 1 मई-1970

(9) भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए किस आयोग की रचना की ?

(A) कृषि आयोग (B) शिक्षा आयोग

(C) योजना आयोग (D) कोठारी आयोग

प्रवृत्ति

- उत्तर-पूर्व के राज्य (सेवन सिस्टर्स) के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए।
- जूनागढ़ की आरजी हुकूमत के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए।

इकाई 2 : आधुनिक राष्ट्र का निर्माण

अभी तक हमने भारत में ब्रिटिश शासन का उदय, भारत के धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आन्दोलनों, बीसवीं सदी के राजनैतिक प्रवाहों, दो विश्वयुद्धों, रूसी क्रान्ति, एशिया तथा अफ्रिका के देशों में विद्यमान राष्ट्रवाद के अलावा स्वातन्त्र्योत्तर भारत के विषय में विस्तृत अध्ययन किया।

अब, इस इकाई में हम आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत के निर्माण का अध्ययन करेंगे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम शासन-व्यवस्था के लिए संविधान निर्माण की आवश्यकता उत्पन्न हुई। संविधानसभा ने विशाल भारत की वैविध्यपूर्ण जनता की अपेक्षाओं, आकाक्षांओं को पूरा करने के लिए विश्व के श्रेष्ठ लोकतन्त्रात्मक देशों के संविधान के महत्त्वपूर्ण तत्वों को समाविष्ट कर भारत के लिए एक विस्तृत, ब्यौरेवार तथा लिखित संविधान का निर्माण किया। जिसका अमल 26 जनवरी, 1950 से शुरू हुआ और तब से भारत एक लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बना।

अनेक भाषाओं, धर्मों, जातियों और संस्कृतियों को समाविष्ट करनेवाले भारत जैसे देश का शासन लोकतन्त्रात्मक पद्धति से तथा सुचारु रूप से किया जा सके, इसलिए भारत में लोकतन्त्र, सार्वभौमिकता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, बन्धुत्व तथा समानता के सिद्धान्तों के आधार पर देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मूलभूत उद्देश्य स्पष्ट किया था।

मनुष्य के मानवीय गौरव में वृद्धि के लिए, व्यक्ति स्वातन्त्र्य की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की स्थिरता तथा राज्य की निरकुंशता के समक्ष सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत अधिकार प्राप्त होना आवश्यक है।

राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आधार पर राज्य अपने अनुकूल संयोगों के अनुसार एक ऐसी नीति का निर्माण और पालन करे, जिससे राज्य में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो, जिसमें सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजकीय न्याय प्राप्त हो सके, ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों का संविधान में प्रावधान किया गया है।

सरकार के मुख्य तीन अंग हैं – विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। इन तीनों अंगों की रचना तथा उनके कार्य और सत्ताओं का विस्तृत उल्लेख संविधान निर्माताओं ने संविधान में किया है। लोकतन्त्रात्मक शासन को स्वीकार करने वाले देश का शासन किस प्रकार किया जाय, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं से लेकर पंचायती राज तक लोकतन्त्रात्मक प्रक्रिया का अमल हो तथा लोकतन्त्र का लाभ लोगों को प्राप्त हो, इन उद्देश्यों से संविधान में समय-समय पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

देश में कानूनों के पालन, अधिकारों की सुरक्षा तथा मूलभूत कर्तव्यों के लिए स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा एकल न्यायतन्त्र की व्यवस्था लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था का आधार स्तम्भ है, जब कि निष्पक्ष, पारदर्शी तथा न्यायपूर्ण चुनावों का आयोजन यह लोकतन्त्र का थर्मामीटर है। लोकतन्त्र शासन में भाग लेने के लिए प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्र और समान है। इसके लिए सभी नागरिकों को सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। सभी लोगों को शासन व्यवस्था के समक्ष अपना विचार प्रस्तुत करने का अधिकार है। आम चुनावों, चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों तथा लोकमत का निर्माण करनेवाली संस्थाओं की कार्यपद्धति तथा विविध माध्यमों पर राजनैतिक रूप से जागृत जनता सतत निगरानी रखती है तथा चुनावों में मतदान के द्वारा एक प्रामाणिक, निष्ठावान, जागृत तथा लोकतन्त्रात्मक पद्धति से आधुनिक भारत के निर्माण में अपना यथासम्भव योगदान देते हैं।

8 भारतीय संविधान की रचना और लक्षण

संविधान का अर्थ

'किसी भी देश को चलाने के लिए बनाए गए नियमों का व्यवस्थित संग्रह देश का संविधान कहलाता है।'

महत्त्व

संविधान देश का मूलभूत और महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार देश में कानूनों का निर्माण किया जाता है। देश में लागू कानून संविधान के साथ सुसंगत तथा संवैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन ही होने चाहिए। संविधान कानूनों से भी ऊँचा होता है। संविधान में समय के साथ लोगों की बदलती हुई आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, आकाक्षांओं, इच्छाओं तथा उच्चभावनाओं का प्रतिध्वनि होता है। जिससे संविधान को जीवन्त और मूलभूत दस्तावेज कहा जाता है।

संविधान के निर्माण की प्रक्रिया

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेज सरकार द्वारा भारत की स्वतन्त्रता के प्रश्नों का निराकरण करने का कार्य 25 मार्च, 1946 को तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन को सौंपा गया। जिसने संविधान के निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिए संविधान सभा की रचना की।

संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। जिसमें अलग-अलग सम्प्रदाय, धर्म, जाति लिंग तथा भौगोलिक प्रदेशों के व्यक्तियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों इसी प्रकार विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। इस प्रकार संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुलकलाम आजाद, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, एच. पी. मोदी, एच. वी. कामथ, फ्रेन्क एन्थनी, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्णस्वामी आयंगर, बलदेवसिंह तथा महिला प्रतिनिधियों में सरोजनी नायडू, विजयालक्ष्मी पण्डित जैसे महत्त्वपूर्ण लोगों का समावेश किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्रप्रसाद थे, जबकि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे।

इस संविधानसभा ने अपनी कार्यवाही 9 दिसम्बर 1946 से शुरू की। 2 वर्ष 11 मास तथा 18 दिन में कुल 166 बैठकें आयोजित कर संविधान सभा ने संविधान के निर्माण की कार्यवाही पूर्ण की। इस प्रक्रिया में संविधान सभा द्वारा दुनिया के अलग-अलग देशों के संविधान के महत्त्वपूर्ण लक्षणों का अध्ययन तथा उस पर विस्तृत विचार-विमर्श कर भारतीय संविधान को अन्तिम स्वरूप प्रदान किया गया। संविधान में प्रथम 295 अनुच्छेद (आर्टिकल्स) तथा 8 परिशिष्ट थे। जिसके बाद संविधान में सुधार के साथ 395 अनुच्छेद (आर्टिकल्स) तथा 9 परिशिष्ट के साथ संविधान का स्वरूप निश्चित हुआ। 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से संविधान को पारित कर उसे कानूनी स्वरूप प्रदान किया। 26 जनवरी, 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया तथा भारत को एक ''प्रजातन्त्रात्मक राष्ट्र'' घोषित किया गया। इसलिए हम 26 जनवरी को 'गणतन्त्र-दिवस' के रूप में पूरे धूमधाम से मनाते है। भारतीय संविधान में 'चार सिंहों की मुखाकृति' को राष्ट्रीय चिह्न तथा 'सत्यमेव जयते' को राष्ट्रसूत्र के रूप में घोषित किया गया है। हमारे संविधान में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों, कर्तव्यों, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्तों, सरकार के अंग तथा उनके कार्यों तथा प्रशासन संम्बंधित सूचनाओं और न्यायपालिका की व्यवस्था जैसी अनेक महत्त्वपूर्ण बातों का समावेश किया गया है। इसलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा, ब्यौरेवार तथा विशाल लिखित दस्तावेज माना जाता है।

प्रस्तावना क्या है ?

प्रस्तावना संविधान का प्रारम्भिक केन्द्रस्थ तथा महत्त्वपूर्ण तत्व है। संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना में दर्शाए गए शब्दों के आधार पर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के समान माना जाता है।

प्रस्तावना में दर्शाए गए शब्द निम्नानुसार है :

भारत का संविधान

प्रस्तावना

''हम भारत के लोग, भारत को एक
सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक
गणराज्य बनाने के लिए
तथा उसके समस्त नागरिकों को :
सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक **न्याय**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास,
धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समानता**
प्राप्त करने के लिए
तथा उन सबमें
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की
एकता और अखंडता सुनिश्चित करनेवाली **बंधुत्व**
बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर
अपनी इस संविधान सभा में
26 नवम्बर, 1949 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी,
सम्वत 2006 विक्रमी) को
एतद् द्वारा
इस संविधान को अंगीकृत,
अधिनियमित और
आत्मार्पित करते हैं।''

1976 में हुए 42 वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में सार्वभौम शब्द के बाद "समाजवादी" "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को जोड़ा गया, उसी प्रकार 'राष्ट्रीय एकता' तथा 'राष्ट्र की अखंडता' का भी समावेश किया गया।

प्रस्तावना में संविधान के मूलभूत उद्देश्यों, आदर्शों तथा सिद्धान्तों को महत्त्व दिया गया है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों के साथ भारत में लोककल्याणकारी राज्य स्थापित करने की उच्चभावना तथा आदर्शों को सिद्ध करने की इच्छा का स्पष्टीकरण किया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना द्वारा संविधान निर्माताओं की मानसिकता का परिचय प्राप्त होता है।

प्रस्तावना का महत्त्व

प्रस्तावना, संविधान की आत्मा समान होने के कारण उसका विशेष महत्त्व है। प्रस्तावना के द्वारा किसी भी कानून के निर्माण तथा उसे समझने और उसका अर्थघटन करने में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कानून का उद्देश्य तथा उसके आदर्श, कानून के निर्माण के पीछे संसद की क्या नीति है, यह समझने में प्रस्तावना सहायक होती है। किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कानूनों का निर्माण किया जाता है, इसका स्पष्ट निर्देश हमें प्रस्तावना से प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान का सार है।

कानून के किसी भाग या जानकारी में कोई अस्पष्टता या विसंगति उत्पन्न हो, कानून का उद्देश्य स्पष्ट न होता हो, तो उस समय प्रस्तावना कानून को समझने तथा उसका अर्थघटन करने में सहायक सिद्ध होती है। इस प्रकार संविधान में समाहित प्रावधानों को समझने में प्रस्तावना एक दिशासूचक यंत्र की भूमिका निभाता है।

प्रस्तावना, राष्ट्र की एकता, अखंडिता तथा नागरिकों के बीच भाईचारे की महान भावनाओं और आदर्शों का प्रतिबिम्ब है। प्रस्तावना उच्चआदर्शों और उद्देश्यों की रीढ़ के समान है।

प्रस्तावना के मुख्य आधारस्तम्भ

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किए गए आधारभूत शब्द जैसे – हम भारत के लोग, सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, बन्धुत्व, न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रीय एकता और अखण्डता इत्यादि है। जिसमें से हम मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन आधार स्तम्भों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे :

(1) लोकतन्त्र : भारत के संविधान में अन्तिम सार्वभौमिक सत्ता भारत की जनता को प्रदान की गई है। हमारे देश में किसी एक व्यक्ति अथवा समूह का शासन नहीं है, बल्कि सत्ता की अन्तिम बागडोर जनता के हाथ में होती है।

लोकतन्त्र (Democracy) शब्द मूल ग्रीक शब्द 'Demos' (लोक) तथा 'Kratos' (सत्ता) से उत्पन्न हुआ है। राज्यसत्ता स्थापित करने का अधिकार कुछ निरंकुश लोगों के पास न होकर बल्कि यह जनता के हाथ में है। लोकतन्त्र एक ऐसी राज्यव्यवस्था है जिसमें देश की जनता को समाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय प्राप्त हो तथा लोगों को शासन व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार प्राप्त हो।

भारतीय संविधान में सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार सिद्धान्त के आधार पर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनी संसद (लोकसभा) तथा कार्यपालिका (मंत्रिमण्डल तथा प्रशासनिक तंत्र) जनता के प्रति जवाबदार होती हैं। कार्यपालिका की सत्ताएँ असीमित नहीं होती हैं। उसे एक निश्चित समय के लिए शासन की बागडोर सौंपी जाती है। इसी प्रकार राज्यस्तर तथा स्थानीय स्तर पर लोग सरकार का चुनाव करते हैं। इस तरह लोकतन्त्रात्मक राज्य अर्थात् 'जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए चलने वाला राज्य।' इस तन्त्र में वास्तविक सत्ता जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से बने मंत्रिमण्डल के पास होती है। मंत्रिमण्डल संसद के प्रति जवाबदार होता है। भारत एक गणतन्त्रात्मक देश इसलिए कहा जाता है कि यहाँ कोई भी नागरिक जो संविधान में निर्धारित योग्यता को पूरा करता है वह व्यक्ति सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित होता है। वह किसी भी वंशपरम्परागत विरासत के अन्तर्गत इस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। पाँच वर्ष तक वह अपने पद पर रह सकता है। संसदीय सरकार में संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर कार्य किए जाने के कारण इसे जवाबदार सरकार (उत्तरदायी सरकार) भी कहा जाता है। भारत की लोकतन्त्रात्मक सरकार स्वतन्त्रता, समानता तथा बन्धुत्व के विचार को स्वीकार करे, तथा इन उद्देश्यों को पूरा करने

के लिए प्रयत्नशील रहे, ऐसी स्पष्टता संविधान की प्रस्तावना में की गई हैं। संविधान निर्माताओं ने भारत की जनता को सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदान कर एक साहसपूर्ण कार्य किया है।

भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्त, संसद, विधानसभा, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यापालिका तथा चुनाव आयोग की रचना और उसके कार्य आदि उपबन्ध भारत को लोकतन्त्रात्मक देश के रूप में घोषित करते हैं।

सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार अर्थात् किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, शिक्षा, आय अथवा जन्मस्थान के भेदभाव के बिना, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय, उसे मत देने का अधिकार है। यद्यपि मतदाता सूची में नागरिक का नामांकन आवश्यक है।

(2) समाजवाद : भारत में 1976 में आपातकालीन शासन के दौरान 42 वें संवैधानिक सुधार के द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवाद' शब्द जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में की गई अधिकांश व्यवस्थाओं का मूलभूत उद्देश्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 'सामाजिक क्रान्ति' द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक समानता के आधार पर एक 'लोककल्याणकारी राज्य' की स्थापना है।

संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय तथा समानता प्राप्त हो, ऐसी विचारधारा को स्वीकारने वाली समाज रचना का उद्देश्य राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में किया गया है।

समाजवादी, समाज-रचना में राष्ट्रीय सम्पत्तियों का न्यायपूर्ण विभाजन, उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था पर राज्य का स्वामित्व हो, राज्य के विविध क्षेत्रों तथा व्यवसायों में कार्यरत लोगों के बीच आय की असमानता को कम करने का प्रयत्न करना, किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के हाथ में सम्पत्तियों का केन्द्रीकरण न करना, समाज के सभी लोगों को स्वस्थ और गौरवपूर्ण विकास के लिए अवसर तथा सुविधाएँ प्राप्त हों, जिससे सामाजिक कल्याण को सिद्ध किया जा सके तथा अमीर-गरीब के भेद को समाप्त कर, लोगों के जीवनस्तर को ऊँचा लाकर उनमें सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्राप्त करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का समावेश भारतीय संविधान में किया गया है। जिसके कारण भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है।

(3) धर्मनिरपेक्ष : 1976 के 42 वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को जोड़ा गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष अथवा असाम्प्रदायिक (सेक्युलर) राज्य है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार भारत धार्मिक राज्य नहीं बन सकता। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। जिससे धार्मिक मामलों में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता है और न ही किसी धार्मिक प्रवृत्ति का समर्थन करता है। राज्य किसी भी असाम्प्रदायिक (धर्मनिरपेक्ष) प्रवृत्ति को धर्म के साथ नहीं जोड़ सकता है। देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म के पालन की स्वतन्त्रता है। धर्म अथवा सम्प्रदाय के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात अथवा भेदभाव नहीं कर सकता है। सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर तथा मूलभूत अधिकारों का समान रूप से उपयोग करने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूलभूत तत्व तथा लोकतन्त्र का अनिवार्य लक्षण माना जाता है।

'सर्व धर्म समदृष्टि' तथा 'सर्वधर्म समभाव' के सिद्धान्त को स्वीकार करने वाले भारतीय संविधान में राज्य द्वारा किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिए जाने का उल्लेख किया गया है। व्यक्ति की अपनी धार्मिक मान्यता, आस्था तथा श्रद्धा रखने के साथ उसका प्रचार-प्रसार करने के नागरिक अधिकार पर राज्य कोई प्रतिबन्ध या अवरोध नहीं लगा सकता।

संविधान के मूलभूत लक्षण

26 जनवरी 1950 से लागू विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत तथा ब्यौरेवार भारत के लिखित संविधान के कुछ विशिष्ट तथा मूलभूत लक्षण निम्न अनुसार हैं :

(1) लिखित दस्तावेज : ब्रिटेन और इजराइल को छोड़कर भारत सहित विश्व के सभी लोकतन्त्रात्मक देशों के संविधान लिखित स्वरूप में हैं। भारत की सामाजिक, भौगोलिक तथा वैविध्यपूर्ण परिस्थिति तथा पूर्व इतिहास को ध्यान में रखते हुए संविधानसभा ने भारत के लिए लिखित संविधान का स्वरूप निश्चित किया।

(2) संविधान का आकार : भारत का संविधान 22 भागों में विभाजित है। 395 अनुच्छेदों (आर्टिकल्स) तथा 8 परिशिष्टों (वर्तमान में 12 परिशिष्टों) का समावेश किया गया है। इस संविधान में केन्द्र तथा राज्यों की शासन व्यवस्था तथा उनके आन्तरिक सम्बन्ध, लोगों के मूलभूत अधिकार, कर्तव्य, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्त, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, स्थानीय स्वराज की संस्थाएँ, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग तथा समाज के वंचित समूहों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं, जिसके कारण हमारा संविधान विश्व के दूसरे संविधानों की अपेक्षा विशाल, विस्तृत तथा ब्यौरेवार है।

(3) एकल नागरिकता : अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त है अर्थात् पहली नागरिकता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA) की तथा दूसरी वह जिस राज्य में निवास करता है उस राज्य की नागरिकता। जबकि हम भारत के किसी भी राज्य में निवास करते हों हमें एक ही नागरिकता प्राप्त है, वह है भारतीय नागरिकता। हमारे यहाँ राज्य की नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) मजबूत केन्द्रवाला समवाय तन्त्र : भारतीय संविधान में कहीं पर भी समवाय तन्त्र (फेडरल) शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के अनुसार भारत 'राज्यों का संघ' (यूनियन ऑफ स्टेट्स) है। इस प्रकार भारत एक संघीय राज्य है। 'संघ' शब्द द्वारा, भारत में संघ (केन्द्र) तथा इकाई राज्यों के बीच कभी भी परिवर्तन न किया जा सके, ऐसे स्थायी संबंधों का लिखित स्वरूप में संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इकाई राज्यों को संघ (केन्द्र) से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ सरकार को अनेक महत्त्वपूर्ण सत्ताएँ प्रदान की गई हैं। समवाय तन्त्र में केन्द्र सरकार तथा प्रदेशों की राज्य सरकारों के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन किया गया है। जिससे राज्य सरकार अपने प्रदेश में, अपने कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण कर सके। संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच किए गए सत्ता विभाजन के अनुसार दोनों अपनी सत्ता का उपभोग करते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में तटस्थ, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायतन्त्र की व्यवस्था की गई है, जो केन्द्र तथा राज्यों के बीच सत्ता और कार्य विभाजन को लेकर उत्पन्न किसी भी विवाद के सन्दर्भ में संविधान का अर्थघटन करके विवाद का समाधान करता है।

भारत में केन्द्र और राज्यों के बीच सत्ता का स्पष्ट और विस्तृत विभाजन किया गया है। जिसके लिए संविधान में तीन सूचियाँ बनाई गई हैं :

(i) संघ (केन्द्र) सूची : संघ सूची में कुल 97 विषयों का समावेश किया गया है। जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद (संघ सरकार) को प्राप्त है। राष्ट्रीय महत्त्व के विषय जैसे संरक्षण, विदेशी मामले, परमाणुशक्ति, वित्त, बीमा, बैंकिंग, डाक-तार, रेलवे आदि क्षेत्रों पर केन्द्र सरकार का अधिकार है।

(ii) राज्य सूची : इनमें कुल 66 विषयों का समावेश किया गया है। जिन पर कानून बनाने की सम्पूर्ण सत्ता राज्यों की विधानसभाओं को प्राप्त है। कानून और व्यवस्था, शिक्षा, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएँ, कृषि-सिंचाई, स्वास्थ्य, जमीन, आन्तरिक व्यापार और वाणिज्य विषयक सेवाओं आदि का समावेश राज्य-सूची में किया गया है। अगर केन्द्र को ऐसा लगे कि किसी राज्य में कानून और व्यवस्था भंग हो रही है, तो उस राज्य की सहमति अथवा सहमति के विरुद्ध भी केन्द्र उस राज्य में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को भेज सकता है।

(iii) संयुक्त (समवर्ती) सूची : संयुक्त सूची में कुल 47 विषयों का समावेश किया गया है। जिस पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों को प्राप्त है। लेकिन जब भी केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा बनाए गए कानून के कारण दोनों के बीच विवाद या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोपरि माना जाता है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था में संयुक्त (समवर्ती) सूची के विषयों के सन्दर्भ में केन्द्र (संघ) को विशेष सत्ता सौंपी गई है। इस सूची में दीवानी और फौजदारी मामले, विवाह, तलाक तथा भरण-पोषण, शिक्षा, आर्थिक आयोजन, व्यापारी संघ आदि का समावेश किया गया है।

शेष सत्ताएँ

जिन विषयों के सन्दर्भ में केन्द्र तथा राज्यों के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन नहीं किया जा सका ऐसे विषयों का समावेश शेष सत्ता में किया गया है। इन अतिरिक्त विषयों अथवा शेष सत्ता में शामिल विषयों पर कानून का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करने की सम्पूर्ण सत्ता केन्द्र सरकार (संसद) को प्राप्त है।

भारत में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय साधनों का भी विभाजन किया गया है। उत्पाद शुल्क, आयात-निर्यातकर, आयकर आदि अधिक आय प्राप्त करने वाले करों (Taxes) को लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार को, जबकि विक्रय कर, मनोरंजन कर, राजस्व, शिक्षण कर जैसे कम आय वाले करों को लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को प्रदान किया गया है। इसीलिए राज्यों को केन्द्र से अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली सहायता पर आधार रखना पड़ता है।

(5) आपातकाल के दौरान एकतन्त्रीय व्यवस्था : भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है :

(i) युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र सेनाओं द्वारा विद्रोह की परिस्थिति में, जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है।

(ii) राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति भंग हो रही हो अथवा संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार राज्यसरकार प्रशासन न कर रही हो तो केन्द्र सरकार संवैधानिक आपातकाल घोषित कर राज्य में 'राष्ट्रपतिशासन' लागू कर सकती है।

(iii) सतत मूल्यवृद्धि के कारण देश की अर्थव्यवस्था तेजी से कमजोर होने लगती है, उस समय देश में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है।

इस प्रकार, इन तीनों आपातकालीन परिस्थितियों में हमारी संघीय शासन व्यवस्था सम्पूर्ण रूप से एकतन्त्रीय व्यवस्था में बदल जाती है। आपातकाल लागू रहने तक संघीय शासन व्यवस्था रहती है।

(6) संसदीय शासन पद्धति : जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से लोकसभा की रचना होती है। लोकतन्त्र में लोकसभा ही वास्तविक सत्ता होती है। संसद के दो सदन है : ऊपरी सदन - राज्यसभा तथा निचला सदन - लोकसभा है। संसद सदस्यों में से मंत्रिमण्डल की रचना होती है। मंत्रिमण्डल संसद के प्रति जवाबदार होता है। मंत्रिमण्डल को जब तक लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है तभी तक वह सत्ता पर रह सकता है। संसदीय सरकार संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर कार्य करता है। मंत्रिमण्डल द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। केन्द्र में प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से तथा राज्यों का प्रशासन राज्यपाल (गवर्नर) के नाम से चलता है लेकिन वास्तविक सत्ता का उपयोग केन्द्र में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमण्डल तथा राज्यों में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। राज्य का मंत्रिमण्डल राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदार होता है। लोकसभा अस्थायी सदन है। इसकी रचना पाँच वर्ष के लिए की जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है जो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा में विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ, अनुभवी ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत करता है। राज्यसभा स्थायी सदन है। उसके $\frac{1}{3}$ सदस्य हर दूसरे वर्ष निवृत्त होते हैं और उतने ही नये सदस्यों का चुनाव होता है। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की सत्ताएँ कम हैं जबकि लोकसभा की सत्ताएँ महत्त्वपूर्ण, सर्वोपरि तथा निर्णायक हैं।

(7) स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा सुग्रथित न्यायतन्त्र : संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष, संलग्न तथा सुग्रथित न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, बीच में अर्थात् राज्यस्तर पर उच्च न्यायालय तथा निचले स्तर पर जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय , इसके उपरान्त विशेष न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भारत के सभी न्यायालयों को मान्य होता है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक मामलों या किसी कानून के अर्थघटन से सम्बन्धित उत्पन्न हुए विवाद को हल करने की अन्तिम सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करती है।

(8) संविधान संशोधक उपबन्ध : भारतीय संविधान विश्व के दूसरे देशों के संविधान की तुलना में परिवर्तनशील है। समय और संयोगों के अनुसार समय-समय पर संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। संविधान में सुधार से सम्बन्धित धाराओं को तीन भागों में बाँटा गया है :

(i) कुछ परिस्थितियों में संसद में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेनेवाले सदस्यों के सामान्य बहुमति से सुधार किया जा सकता है।

(ii) कुछ परिस्थितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की बहुमति तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की $\frac{2}{3}$ (दो तृतीयांश) सदस्यों की स्पष्ट बहुमति द्वारा संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है।

(iii) संविधान के कुछ भाग में सुधार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बहुमति उसी प्रकार उपस्थित तथा मतदान में भाग लेनेवाले सदस्यों की $\frac{2}{3}$ (दो तृतीयांश) बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक है।

यदि केन्द्र तथा राज्यों के आन्तरिक सम्बन्ध या उच्च न्यायालय के स्वरूप में परिवर्तन करना हो, तो आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। न्यायालय के फैसले के आधार पर भी संविधान में सुधार किया जाता है। संविधान के मूलभूत स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कुछ मामलों में संसद के सामान्य बहुमति से किए जाने वाले परिवर्तनों के कारण भारतीय संविधान परिवर्तनशील तथा लचीला माना जाता है लेकिन कुछ विशेष मामलों में संविधान में सुधार नहीं किया जा सकता है। राज्यों की स्वीकृति के बिना संशोधन सम्भव न होने के कारण हमारा संविधान दृढ़ है। यद्यपि दोनों का मिश्रण भारतीय संविधान का सर्वप्रमुख लक्षण है।

(9) सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार : इस विषय पर हमने आगे विस्तृत चर्चा की है। भारत में संविधान के द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को बिना किसी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आय, सम्प्रदाय, संपत्ति, जन्मस्थान आदि के भेदभाव के बिना स्वतंत्ररूप से समान मत देने का अधिकार वास्तव में एक प्रगतिशील तथा साहसपूर्ण कदम है। मत देने के अधिकार के कारण लोकतन्त्र में प्रत्येक नागरिक को मतदान द्वारा अपना मनपसन्द उम्मीदवार चुनने का अधिकार है। चुनावों में दिनो-दिन युवा मतदाताओं की बढ़ती संख्या, जागृति, उत्साह, मतदान जागृति के कारण मतदान प्रमाण में वृद्धि इसी प्रकार राजनैतिक क्षेत्रों में युवाओं की सक्रियता - यह लोकतन्त्र की परिपक्वता तथा सफलता की निशानी है।

(10) धर्मनिरपेक्षता (असाम्प्रदायिकता) : प्रस्तावना में हमने इस विषय पर विस्तृत चर्चा की है। भारतीय संविधान में सर्वधर्म समभाव तथा सभी धर्मों के प्रति समान आदरभाव को स्वीकार किया गया है। राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहन या उसका समर्थन नहीं करता है। राज्य का अपना स्वयं का कोई धर्म या सम्प्रदाय नहीं है। इस मामले में राज्य तटस्थ है। भारतीय संविधान साम्प्रदायिक पक्षपात अथवा धार्मिक मामलों से दूर है। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। संविधान में सभी धर्म के अनुयायियों को अपने पसंद के अनुसार धार्मिक मान्यता, श्रद्धा तथा आस्था के अनुसार धर्म का पालन करने, प्रचार-प्रसार करने की स्वतन्त्रता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अनेक विशेषाधिकार तथा सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समान नागरिक कानून का समावेश, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है।

(11) न्यायिक समीक्षा : न्यायिक समीक्षा संविधान का एक विशिष्ट लक्षण है। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्र के आधीन जो कार्य या प्रशासन किया जाता है, उस पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व न्यायालय को सौंपा गया है। संसद की सत्ताओं की अवगणना किए बिना न्यायिक समीक्षा के सिद्धान्तों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास संविधान में किया गया है। संसद अथवा विधानसभाओं द्वारा निर्मित कानूनों तथा अध्यादेशों, प्रशासनिक आदेशों, न्यायिक फैसलों तथा संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने की सत्ता न्यायालय को सौंपी गई है। अगर न्यायालय को विश्वास हो कि बनाए गये कानून, संशोधन तथा जारी किए गए अध्यादेश संविधान के मूलभूत सिद्धान्तों के साथ सुसंगत नहीं हैं तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर के रद्द कर सकता है।

(12) मूलभूत अधिकार और कर्तव्य : भारत के लोग एक स्वतन्त्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में गौरवपूर्ण जीवन जी सकें, इसके लिए संविधान द्वारा लोगों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिकों के सर्वांगीण विकास के साथ राष्ट्र के विकास के आवश्यक स्वतन्त्रताओं की पुष्टि के साथ अधिकार और कर्तव्य, यह लोकतन्त्रात्मक समाज की बहुमूल्य पूँजी है। संवैधानिक उपचार का अधिकार तथा छः से चौदह वर्ष की उम्र के बालकों के लिए सार्वत्रिक अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का भी संविधान में समावेश किया गया है।

(13) राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्त : लोगों की रक्षा तथा उनके कल्याण के लिए प्रयत्न करने का कार्य राज्य को सौंपा गया है। राज्यों का प्रशासन तथा नीतियों के निर्माण में राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्त राज्यों को आवश्यक मार्गदर्शन देते हैं, जिसके कारण इन सिद्धान्तों को ''मार्गदर्शक सिद्धान्त'' कहा जाता है।

(14) पिछड़े वर्गों तथा आदिवासी जातियों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ : समाज के पिछड़े वर्गों अथवा पिछड़ी जातियों तथा विकास में पीछे रह गए समूहों के उत्कर्ष के लिए तथा उन्हें सामान्य प्रवाह में जुड़ने के लिए सक्षम बनाने हेतु संविधान में विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं। विधानसभाओं, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के निर्वाचन में इन्हें पर्याप्त राजकीय प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इसलिए कुछ सीटें (बैठकें) इनके लिए आरक्षित रखी जाती हैं। इन वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए समान अवसर प्राप्त हो, इसके लिए निर्धारित सीटों (बैठकों) का कुछ भाग इनके लिए आरक्षित रखा जाता है। पिछड़े वर्ग के बालकों के शैक्षणिक विकास के लिए इन्हें छात्रवृत्ति, शुल्कमुक्ति का लाभ तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इनके लिए संविधान में ''सकारात्मक भेदभाव'' अथवा ''रक्षणात्मक भेदभाव'' की नीति की विशेष व्यवस्था की गई है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए :

(1) भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्शों का उल्लेख किया गया है ?

(2) सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं ?

(3) भारत का संविधान संघीय है। इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।

(4) संसदीय शासन पद्धति की सरकार के लक्षण बताइए।

(5) सुग्रथित न्यायतन्त्र अर्थात् क्या ?

(6) संविधान में सुधार के लिए किए गए प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए।

(7) 'समाजिक तथा आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता अधूरी है'। समझाइए।

2. निम्नलिखित विधानों को समझाइए :

(1) प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है।

(2) प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मानसिकता को समझने के लिए चाबी (कुन्जी) स्वरूप है।

(3) प्रस्तावना दिशासूचक यन्त्र के समान है।

(4) भारतीय संविधान में संघीय शासन तथा एकतन्त्रीय शासन दोनों का समन्वय है।

(5) भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।

(6) भारत एक लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है।

(7) भारत एक अखण्ड तथा अविभाज्य संघ राज्य है।

(8) भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल, लिखित तथा ब्यौरेवार दस्तावेज है।

3. निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों को समझाइए :

(1) दोहरी नागरिकता (2) संसदीय शासन पद्धति (3) उत्तरदायी सरकार (4) संघसूची

(5) राज्यसूची (6) संयुक्त (समावर्ती) सूची (7) शेष सत्ता (8) समाजवाद

(9) लोकतन्त्र (10) न्यायिक समीक्षा

4. नीचे दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए :

(1) संविधान निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ ?

(A) ई.स. 1948 (B) ई.स. 1949 (C) ई.स. 1950 (D) ई.स. 1947

(2) संघ सूची में कितने विषयों का समावेश किया गया है ?

(A) 66 (B) 47 (C) 97 (D) 87

(3) भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ?

(A) कन्हैयालाल मुन्शी (B) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (C) श्यामाप्रसाद मुखर्जी (D) सरदार पटेल

(4) भारतीय संविधान कब लागू किया गया ?

(A) 26 नवम्बर, 1949 (B) 26 जनवरी, 1950 (C) 15 अगस्त, 1947 (D) 9 दिसम्बर, 1946

(5) संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे ?

(A) 389 (B) 545 (C) 250 (D) 166

(6) भारत गणतन्त्रात्मक राज्य है क्योंकि.....

(A) वह सार्वभौम राज्य है। (B) वह लोकतन्त्रात्मक राज्य है।

(C) राष्ट्रपति का चुनाव निश्चित समय के लिए किया जाता है। (D) प्रजा को धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार है।

5. संविधान के विशिष्ट लक्षणों में से संसदीय शासन पद्धति, संघीय तथा एकतन्त्रीय व्यवस्था, सुग्रथित तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक सुधार तथा न्यायिक समीक्षा का सविस्तार उत्तर दीजिए।

प्रवृत्ति

- आधार पद्धति के द्वारा इस पाठ को समझने के लिए संविधान की प्रति प्रत्यक्ष दिखाइए। (किसी प्रसिद्ध पुस्तकालय से प्रति प्राप्त करना।)
- अमेरिका, भारत तथा इग्लैण्ड के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए लिखित अंक तैयार करवाइए।
- भारतीय संसद द्वारा किए गए संवैधानिक सुधारों पर प्रोजेक्ट तैयार करवाइए।
- संविधान तथा हमारे मूलभूत अधिकार और कर्तव्यों पर अभिभावक या कानूनशास्त्री अथवा कानूनी कॉलेजों के व्याख्याता के प्रवचन का आयोजन कीजिए।
- संविधान निर्माताओं का सचित्र तथा सम्पूर्ण जानकारीयुक्त सूचनापत्र (Poster) तैयार करवाइए।
- विद्यालयस्तर पर लोकसभा की तरह वर्गसमिति, वर्गप्रतिनिधि, सामान्य मंत्री के चुनावों का आयोजन करना। मतगणना का प्रशिक्षण देना।

•

9 मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य तथा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्त

पिछले अध्यायों में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके मुख्य आधार स्तंभों तथा विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन किया। इस अध्याय में संविधान के विशिष्ट महत्त्वपूर्ण लक्षणों, जैसे – मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य तथा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।

मानव अधिकार (Human Rights)

मानव के अस्तित्व तथा उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करने में सहायक ऐसी सामाजिक परिस्थिति का निर्माण करना तथा यह सतत चलता रहे यह अत्यन्त आवश्यक है, इसे सामान्य रूप से व्यक्ति का अधिकार कहा जाता है। प्रत्येक लोकतन्त्रात्मक देशों में उनके नागरिकों को अनेक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन सभी अधिकारों का उपभोग नागरिक बिना किसी भेदभाव के कर सके, इसके लिए अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है तथा समाज और राष्ट्र द्वारा उसे स्वीकार किया गया है। व्यक्ति को मनुष्य के रूप में जन्म के साथ अनेक मूलभूत अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है।

संयुक्त राष्ट्र (UN) की महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकारों का घोषणा-पत्र प्रकाशित किया, तभी से 10 दिसम्बर को 'मानव अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकारों के वैश्विक घोषणा-पत्र को स्वीकार किये जाने के बाद अनेक महत्त्वपूर्ण अधिकारों को अपने देश में स्वीकार किया गया। ऐसे अधिकारों को संविधान सभा ने संविधान में गौरवपूर्ण स्थान देकर इन अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। इस प्रकार जिन मानव अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान कर उनका संविधान में समावेश किया गया, उन अधिकारों को मूलभूत अधिकार कहा जाता है।

इन मानव अधिकारों की घोषणा का उद्देश्य मनुष्य के रूप में मानवीय गौरव को बनाए रखना है। मनुष्य के अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए उसकी न्यूनतम आवश्यकताएँ (रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य) उसे गौरवपूर्ण स्थिति में प्राप्त हो सकें, वह सर्वांगीण विकास कर सके, इस प्रकार का राजनीतिक और सामाजिक वातावरण प्राप्त हो, इसे राज्यों द्वारा स्वीकार कर उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। इस प्रकार के मूलभूत मानव अधिकार लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था की आधारभूत पहचान हैं।

मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights)

राष्ट्र की स्थिरता, व्यक्ति स्वातन्त्र्य की सुरक्षा तथा तानाशाही शासन के समक्ष रक्षण के लिए मूलभूत अधिकार आवश्यक हैं। वे निम्न अनुसार हैं :

(1) समानता का अधिकार (2) स्वतंत्रता का अधिकार (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (4) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (5) सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार (6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

(1) समानता का अधिकार : इस अधिकार के अन्तर्गत "कानून के समक्ष समानता" तथा "कानून का समान रक्षण" ऐसे दो विचारों का समावेश किया गया है। कानून के समक्ष समानता अर्थात् किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के समर्थन में विशेषाधिकारों का अभाव। एक समान परिस्थितियों में आनेवाले व्यक्तियों पर एक समान कानून लागू होगा। इस अधिकार के अन्तर्गत व्यक्तियों के बीच जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आय, जन्मस्थान आदि किसी का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून सबके लिए समान होता है। प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक किसी भी व्यक्ति ने कानून का उल्लघंन किया हो, तो सामान्य नागरिक की तरह ही वह जिम्मेदार होगा तथा सामान्य न्यायालय के फैसले के आधीन होगा। जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं।

कानून का समान रक्षण का अर्थ है कि समान परिस्थितियों में कानून का व्यवहार समान ही होना चाहिए। राज्य किसी भी व्यक्ति अथवा समूह को अलग रखकर उसके प्रति भेदभाव करने वाले कानूनों का निर्माण नहीं कर सकता है। प्रत्येक कानून सभी लोगों के लिए समानरूप से लागू होना चाहिए। किसी भी नागरिक को दुकान, रेस्टोरेन्ट, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश प्राप्त करना, सार्वजनिक स्थलों का उपयोग करना, रास्तों, तालाबों, कुओं का उपयोग आदि के सन्दर्भ में एक समान अवसर

प्रदान किया गया है। लिंग के आधार पर स्त्रियों तथा बालकों के लिए की गई विशेष कानूनी व्यवस्थाओं को भेदभाव नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए राज्यों को विशेष व्यवस्था करने से नहीं रोका जा सकता है। सरकारी नौकरियों तथा उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षित सीटों (बैठकों) की व्यवस्था को समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। राज्यसरकार के आधीन सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हों, ऐसा प्रावधान किया गया है। जबकि नौकरियों के सम्बध में योग्यताएँ निश्चित करने की छूट राज्यों को प्रदान की गई है। सामाजिक न्याय तथा व्यक्ति के गौरव की विश्वसनीयता स्वरूप अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। किसी भी स्वरूप में अस्पृश्यता का आचरण एक कानूनी अपराध है।

समाज में मानवीय भेदभाव पैदा करने वाली उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है – जैसे नाम के आगे लगने वाले सर, दीवानजी, रायबहादुर आदि। स्वतन्त्रता के बाद विविध क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले तथा सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सन्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतरत्न, पद्मभूषण, पद्मविभूषण, पद्मश्री जैसे सम्मानसूचक अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। सैन्य सेवाओं में 'वीरचक्र', 'महावीर चक्र', 'परमवीरचक्र' प्रदान किया जाता है। सेना में नाम के आगे प्रयोग किये जाने वाले जनरल, मेजर, चीफमार्शल, फील्डमार्शल जैसे विशेषणों से अधिकार का उलंघन नहीं होता है। इस प्रकार, इस अधिकार का उद्देश्य एकसमान समाज की स्थापना तथा भारत में 'कानून का शासन' स्थापित करना है।

अलग समूहों या वर्गों के लिए उनकी अलग विशिष्ट सेवाओं के सन्दर्भ में अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाएँ हो सकती हैं, उदाहरणस्वरूप वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों, बीमा कम्पनियों, स्त्रियों के लिए अलग-अलग कानून हैं। समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धान्त भी इस अनुच्छेद का एक भाग है।

(2) स्वतंत्रता का अधिकार : संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को छ: प्रकार की स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गई हैं, जो निम्न अनुसार हैं : (1) वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता (2) शान्तिपूर्ण और अहिंसक रीति से एकत्रित होने तथा सभा करने की स्वतंन्त्रता (3) संस्था अथवा संघ के गठन की स्वतन्त्रता (4) भारत के किसी भी प्रदेश में स्वतन्त्रतापूर्वक घूमने-फिरने की स्वतन्त्रता (5) भारत के किसी भी प्रदेश के किसी भी भाग में रहने और स्थायी निवास की स्वतन्त्रता (6) कोई भी व्यवसाय, धन्धा-रोजगार और व्यापार करने की स्वतन्त्रता।

भारतीय नागरिकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास तथा अभिव्यक्ति के लिए, लोकतन्त्र के व्यवस्थित संचालन के लिए, व्यक्ति तन्दुरुस्त और स्वस्थ जीवन जी सके, इसके लिए इन अधिकारों का विशेष महत्त्व है। कोई भी व्यक्ति इन स्वतन्त्रताओं का उपभोग निरंकुशतापूर्वक, अमर्यादित, असीमितरूप से नहीं कर सकता। व्यापक समाजिक हित, सार्वजनिक शान्ति तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य इन स्वतन्त्रताओं पर उचित नियन्त्रण तथा उचित रोक लगा सकता है । कौन-सी स्वतन्त्रता किस मर्यादा में रहकर भोगना है, इसकी घोषणा संविधान में की गई है।

भारतीय नागरिकों को अपने वाणी और विचार अभिव्यक्त करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। वह लिखित, मौखिक या अंग अभिनय द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है लेकिन इसके अन्तर्गत किसी को भी अमर्यादित या निरंकुश रीति से व्यवहार करने की छूट नहीं है। संविधान द्वारा इन स्वतन्त्रताओं पर आवश्यक नियन्त्रण या मर्यादाएँ लगाई गई हैं। जैसे – भारत की सार्वभौमिकता तथा अखण्डितता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, सार्वजनिक शान्ति और सुरक्षा, नीतिमत्ता, न्यायालय का तिरस्कार, बदनामी, हिंसा को उत्तेजित करने वाले मुद्दों को ध्यान में रखकर इन स्वतन्त्रताओं पर कानून द्वारा राज्य उचित प्रतिबन्ध लगा सकता है। राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध उचित हैं या नहीं, यह निश्चित करने की सत्ता न्यायतन्त्र को प्रदान की गई है। अखबारी स्वतन्त्रता के अन्तर्गत विचारों और अभिप्रायों द्वारा सार्वजनिक हित को अग्रसर करने का उद्देश्य है। लेकिन इस स्वतन्त्रता का अलग उल्लेख नहीं किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में उसका समावेश हो जाता है।

हाल ही में 2009 में हुए संवैधानिक सुधार के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बालकों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना उनका मूलभूत अधिकार है। अगर अपराध के समय एक व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य अपराध नहीं माना जाता है तो उसके लिए उसे सजा नहीं दी जा सकती। उसी प्रकार, किसी अपराध के लिए निर्धारित सजा से अधिक सजा या एक व्यक्ति को एक गुनाह के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती है। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य से वंचित नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताए बिना उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता। ऐसे व्यक्ति को अपने बचाव के लिए वकील की सलाह लेना, बचाव के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। गिरफ्तार किए गए तथा हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसके गिरफतारी के 24 घण्टे के अन्दर सबसे नजदीक के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य

है। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। प्रतिबन्धित गिरफ्तारी कानून के अन्तर्गत अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई हो, तो उस व्यक्ति पर उपर्युक्त व्यवस्थाएँ लागू नहीं पड़ती।

प्रतिबन्धित गिरफ्तारी (नजरबन्दी) : राज्य को अगर ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध या प्रवृत्ति किए जाने की सम्भावना हो, तो प्रतिबन्धित गिरफ्तारी (नजरबंदी) कानून के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। इस कानून का उद्देश्य नजरबन्द किए गए व्यक्ति को उसके कार्य के बदले में सजा देना नहीं बल्कि राज्य, समाज या किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराधिक कृत्य करने से रोकना है। इस कानून के अनुसार नजरबन्द (कैद) किए गए व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक नजरकैद नहीं रखा जा सकता। उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड के अभिप्राय के आधार पर गिरफ्तारी के आदेश सम्बन्धी आदेश को रद्द किया जा सकता है। किसी संदेहास्पद व्यक्ति को कितने समय तक नजरकैद रखा जाएगा, इसका निर्णय राज्य सरकारें कर सकती हैं।

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार : किसी भी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उसका शोषण न हो, ऐसी शोषणविहीन समाज स्थापना का मुख्य उद्देश्य संविधान में शामिल किया गया है, जो इस अधिकार के द्वारा सिद्ध हुआ है। मनुष्य का व्यापार, बेगार प्रथा, गुलामी तथा बलपूर्वक करवाई जाने वाली मजदूरी को कानून द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है। इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन एक कानूनी अपराध माना जाता है। इस अधिकार का उद्देश्य बालकों अथवा स्त्रियों का व्यापार, जबरजस्ती करवाई जाने वाली मजदूरी, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना तथा बिना वेतन दिए कोई कार्य करवाने की प्रथा का अन्त लाना है। किसी भी व्यक्ति से बिना वेतन चुकाए अथवा न्यूनतम वेतन से कम वेतन, जबरजस्ती या बँधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करवाना एक कानूनी अपराध है।

चौदह वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को कारखानों, खानों या जोखिमपूर्ण व्यवसायों में, निर्माणकार्य, गैरेज, होटल या लारी-गल्ला या घरेलू नौकर के रूप में किसी भी काम पर नहीं रखा जा सकता। बाल-मजदूरी उन्मूलन कानून के अन्तर्गत इसे अपराध घोषित किया गया है।

जबकि, राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सैनिक सेवा या राष्ट्रीय कर्तव्यों, समाजसेवा के किसी भी क्षेत्र में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के भेदभाव के बिना अनिवार्यरूप से व्यक्ति के पास से सेवा लेने का अधिकार है। यह सेवा बिना वेतन अथवा सवेतन हो सकती है।

(4) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार : भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी इच्छा के अनुसार अपने मनपसंद धर्म को स्वीकार करने, उसका पालन करने तथा धर्म का प्रचार-प्रसार करने का अधकार संविधान द्वारा दिया गया है। लेकिन ये स्वतन्त्रताएँ सार्वजनिक व्यवस्था, नीतिमत्ता तथा स्वास्थ्य में बाधक न बनें, इसलिए कुछ आवश्यक नियन्त्रणों के अधीन रहकर इन धार्मिक स्वतन्त्रताओं का उपभोग करना पड़ता है। धार्मिक कर्मकाण्ड, प्रार्थना, पूजा करवाना आदि स्वतन्त्रताओं का इसमें समावेश होता है।

भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हैं तथा भारत किसी भी धार्मिक सिद्धान्तों या मान्यताओं के आधार पर नहीं चलता है। राज्य किसी भी समुदाय के धार्मिक मामलों तथा मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। धर्म से सम्बन्धित संस्थाओं की स्थापना करने तथा उसका संचालन एवं व्यवस्थापन करने की स्वतन्त्रता भी धार्मिक संस्थाओं को प्रदान की गई है। कोई भी राज्य सार्वजनिक करों (Taxes) के द्वारा निर्मित कोष का उपयोग किसी भी धर्म अथवा सम्प्रदाय के लाभ या उसके विकास के लिए नहीं कर सकती है। सरकारी अनुदान से चलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जा सकती तथा धार्मिक शिबिरों या धार्मिक उपासना में उपस्थित रहने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता।

(5) सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार : भारत में विविध धर्मों, विविध संस्कृतियों तथा भाषाओं के बोलनेवाले लोग निवास करते हैं। भारत के अलग-अलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, सांस्कृतिक मूल्यों तथा उसके आधार पर रचित वर्ग समूहों को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। राज्य की सहायता (अनुदान) से चलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म, जाति, भाषा, लिंग, जन्मस्थान आदि कारणों से किसी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अगर कोई उम्मीदवार चुनावों में धर्म, भाषा अथवा जाति के आधार पर मत देने की अपील करता है तो लोकप्रतिनिधित्व कानून की धारा के अन्तर्गत दोषित माना जाएगा। कोई भी राज्य कानून का निर्माण करके नागरिकों या उसके किसी भाग पर किसी भी संस्कृति या भाषा के आधार पर निर्धारित अल्पसंख्यकों को अपनी पसंदगी की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसके व्यवस्थापन का अधिकार देता है। अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं को राज्य की तरफ से मिलनेवाली शैक्षणिक सहायता

अथवा शिष्यवृति जैसे लाभों में भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं की सम्पत्ति का अनिवार्य सम्पादन या बिना मुआवजा दिए राज्य इनकी सम्पत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकता। इस प्रकार, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के सन्दर्भ में संविधान में महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाएँ की गई हैं।

(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार : चाहे जितने अच्छे कानूनों का निर्माण किया जाय, मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की जाय, लेकिन अगर उनका सुचारुरूप से अमल नहीं किया गया तो ऐसी स्वतन्त्रता या ऐसे अधिकार का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए इन अधिकारों के भंग अथवा उल्लंघन के बदले सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर शिकायत करने के अधिकार को भी मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। मूलभूत अधिकारों के सुरक्षा की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई है। इस सन्दर्भ में आवश्यकता पड़ने पर योग्य आदेश, सूचना या आज्ञापत्र जारी करने की सत्ता संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है, जिसके लिए कोई भी आपत्ति नहीं की जा सकती है। किसी भी राज्य द्वारा नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के उलंघन की शिकायत के सन्दर्भ में योग्य उपाय करना सर्वोच्च न्यायालय के लिए आवश्यक है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार ''संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान की आत्मा के समान है'' संसद कानून के द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी करने की सत्ता अन्य किसी अदालत को सौंप सकती है। राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा निर्मित कानून मूलभूत अधिकारों के साथ सुसंगत न हों या उनके द्वारा मूलभूत अधिकारों का उलंघन होता हो तो, सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को रद्द कर सकता है। इस प्रकार यह अधिकार किसी नागरिक को मूलभूत अधिकारों के उलंघन के बदले न्यायालय में जाने का अधिकार तथा अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

इस प्रकार, संविधान में समाहित मूलभूत अधिकारों को भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। यह अधिकार सरकारों (केन्द्र तथा राज्य) के विरुद्ध प्रदान किया गया है। मूलभूत अधिकार हमेशा सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं; परन्तु आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ मूलभूत अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। राज्य ऐसे किसी कानून का निर्माण नहीं कर सकता जिसके कारण एक नागरिक के मूलभूत अधिकार समाप्त होते हों।

मूलभूत कर्तव्य

भारत में प्राचीन समय से ही लोग अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों के प्रति जागृत थे। जिस प्रकार नागरिकों को अनेक मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसी प्रकार नागरिक के कुछ मूलभूत कर्तव्यों का समावेश 1976 के संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में किया गया है। कर्तव्यों का मूलभूत कर्तव्य के रूप में समावेश का उद्देश्य देशप्रेम, राष्ट्रीय भावना, अनेक उच्च आदर्शों तथा मूल्यों के प्रति नागरिकों में जागृति लाकर राष्ट्र की उन्नति के लिए नागरिकों को प्रतिबद्ध बनाना था। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की एकता, अखण्डिता तथा सार्वभौमिकता की सुरक्षा में अपना यथा सम्भव योगदान दे। देश और समाज के प्रति शान्ति, सुरक्षा, सद्भावना, संवादिता तथा साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पाठ्यपुस्तकों के प्रथम पृष्ठ पर इन कर्तव्यों को दर्शाया गया है।

(1) संविधान का पालन करना तथा संविधान में व्यक्त आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज के प्रति आदर रखना।
(2) स्वतन्त्रता संग्राम के उदात्त विचारों तथा प्रेरणादायी आदर्शों का आदर करना तथा उसके अनुसार आचरण करना।
(3) भारत की सार्वभौमिकता, एकता तथा अखण्डिता का समर्थन करना और उसकी रक्षा करना।
(4) आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करने तथा राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार रहना तथा उत्साहपूर्वक शामिल होना।
(5) भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना में वृद्धि करना, लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना तथा महिलाओं के गौरव का हनन करने वाले मुद्दों का परित्याग करना।
(6) राष्ट्र की समृद्ध तथा समन्वित सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करना।
(7) जंगल, सरोवर, नदियों तथा वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तथा उसका संवर्धन करना, सभी जीवों के प्रति दया रखना।
(8) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा अनुसंधान वृत्ति का विकास करना।
(9) सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना।

(10) व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना, जिससे राष्ट्र निरन्तर प्रगति और सिद्धियों को प्राप्त करता रहे।

(11) अपने बच्चों को मुफ्त, अनिवार्य तथा सार्वत्रिक रूप से शिक्षा देना उनके माता-पिता का कर्तव्य है।

भारत में प्रतिवर्ष 6 जनवरी को 'मूलभूत कर्तव्य दिवस' के रूप में मनाने का निश्चय किया गया है।

इन कर्तव्यों में से कुछ कर्तव्यों के पालन के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। नागरिक कर्तव्यों का पालन करें इसके लिए नागरिकों में सजगता तथा जागृति लाने के लिए शिक्षकों को प्रयत्नशील रहकर प्रयास करना चाहिए। समाज में फैली अनेक सामाजिक बुराइयों तथा अन्यायों; जैसे - अस्पृश्यता, बेगारप्रथा, बालमजदूरी, स्त्रीशोषण, जातीय हिंसा, दहेजप्रथा, स्त्री भ्रूणहत्या, कुरीतियाँ, अन्धविश्वास, वहम आदि स्थायीरूप से समाप्त हों, इस बात की निगरानी रखने की जवाबदारी तथा कर्तव्य एक नागरिक के रूप में हम सभी का है। इन मूलभूत कर्तव्यों के द्वारा हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि भविष्य के नागरिक, ऐसे बालकों एव किशोरों में इन कर्तव्यों के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार हो, इनके महत्त्व और उपयोगिता के विषय में इन्हें जानकारी प्रदान की जाय तो भविष्य के इन नागरिकों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भावना, विश्वबन्धुत्व, न्यायपूर्ण तथा शोषणविहीन समाजरचना के उच्च आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है।

राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्त

राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्तों का समावेश संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों का उद्देश्य वर्तमान तथा भविष्य में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग नीतिविषयक क्षेत्रों में किन-किन नीतियों का निर्माण करना, इस सन्दर्भ में मार्गदर्शन देना है। ये सिद्धांन्त मार्गदर्शक सिद्धान्त होने के कारण इन सिद्धान्तों के अमल के लिए राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं; परन्तु नीतियों के निर्माण में इन सिद्धान्तों को केन्द्र में रखकर नीतियों का निर्माण करना तथा उनका अमल करवाना राज्य का नैतिक कर्तव्य है।

इन सिद्धान्तों का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य एक ऐसी समाजरचना करना जिसमें सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके। राज्यों के द्वारा निश्चित किए उद्देश्यों तथा ध्येयों को पूर्ण करने के लिए नीति-निर्माण में आवश्यक दिशानिर्देश देना है। न्यायपालिका द्वारा इन सिद्धान्तों के अमल करवाने के प्रावधान का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इन मूलभूत सिद्धान्तों से हमें कोई कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त होता और न ही कोई कानूनी मदद प्राप्त होती है। इसके बावजूद राज्य के कानून निर्माण तथा उसके संचालन में ये आधारभूत है। कितने ही अधिकारों का समावेश संविधान में मूलभूत अधिकार के रूप में किया गया है, जो तुरन्त दिए जा सकें ऐसे थे, परन्तु दूसरे बहुत से अधिकारों का समावेश राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में किया गया है। जैसे-जैसे राज्य व्यवस्था मजबूत और समृद्ध बनती जाय वैसे-वैसे भविष्य में इन अधिकारों को दिए जाने का विचार संविधान सभा का था। डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर ने इन अधिकारों के सन्दर्भ में इनका महत्त्व बताते हुए कहा कि ''देश के शासन में ये अधिकार आधारभूत सिद्धान्त हैं।'' हमारे संविधान में राजनीतिक लोकतन्त्र स्थापित करने का प्रयास किया गया है, परन्तु सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्र के बिना राजनीतिक लोकतन्त्र अधूरा है।

इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों को विविध विभागों में विभाजित कर जानकारी प्राप्त करेंगे।

(1) आर्थिक नीतियों के सन्दर्भ में सिद्धान्त : आर्थिक नीतियों के निर्माण में अनेक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का समावेश किया गया है, जो निम्न अनुसार हैं :

(i) सभी नागरिकों के महत्तम कल्याण का उद्देश्य पूर्ण हो, इस प्रकार से समाज के भौतिक संसाधनों की मालिकी तथा नियन्त्रण का विभाजन करना।

(ii) सम्पत्ति तथा उत्पादन के साधनों का किसी एक समूह या वर्ग में केन्द्रीकरण न हो, राज्य द्वारा एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना।

(iii) पुरुषों तथा स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन प्राप्त हो, राज्य ऐसा प्रयास करेंगे।

(iv) कार्यस्थल पर सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, ऐसी मानवीय परिस्थिति का निर्माण करना। स्त्री-पुरुषों तथा कम आयुवाले बालकों का आर्थिक मजबूरी के कारण स्वास्थ बिगड़े ऐसे काम धन्धे या बिनआरोग्यप्रद स्थलों पर तथा जोखिमपूर्ण कार्य न करना पड़े।

(v) औद्योगिक इकाइयों में संचालन प्रक्रिया में कर्मचारियों की भागीदारी के लिए राज्य प्रयास करेगा।

(vi) आर्थिक समस्याओं के कारण किसी बालक का शोषण न हो, वह स्वस्थ तथा स्वतन्त्र रूप से गौरवपूर्ण स्थिति में स्वस्थ विकास कर सके, इसके लिए आवश्यक अवसर तथा सुविधाएँ उत्पन्न करने के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाएँगे।

(vii) स्त्रियों को प्रसूति के समय आवश्यक अवकाश तथा सुविधाएँ पूरी की जाएँ। कर्मचारी राज्यबीमा कानून, बोनस धारा, प्रसूति अवकाश धारा, ग्रेज्युइटी धारा आदि कानून मानवीय आधार पर प्राप्त हों, इस आशय से इन सिद्धान्तों का निर्माण किया गया है।

(viii) कृषि तथा पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक स्तर पर विकास हो, राज्य ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। गायों, बछड़ों, अन्य दुधारू प्राणियों, भारवाहक प्राणियों बैलों, घोडों, गधों आदि के कत्ल को रोकने का प्रयास करेंगे।

(ix) राज्य में सबको समान न्याय प्राप्त हो। आर्थिक या असमर्थता के कारण किसी भी जरूरतमंद नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर का इन्कार नहीं किया जाय तथा उसे मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त हो सके, राज्य ऐसी व्यवस्था करे तथा इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करे।

(2) सामाजिक नीतियों से सम्बन्धित सिद्धान्त : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, वंचित समूहों जैसे समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों के विकास के लिए राज्यों को सावधानीपूर्वक विशेष प्रयास करने होंगे, जिससे सामाजिक अन्याय तथा शोषण के विरुद्ध उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो सके।

भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए समान दीवानी कानून (युनिफॉर्म सिविल कोड) का निर्माण तथा न्यायव्यवस्था का संचालन राज्य इस प्रकार से करे कि सबको न्याय प्राप्त होता रहे। विवाह, तलाक, भरण-पोषण, दत्तक कानून, वसीयत आदि में एक समान दीवानी कानूनों का निर्माण करके सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार आवश्यक कदम उठाए।

राज्य में सभी नागरिकों को काम करने का अधिकार प्राप्त हो, वृद्धावस्था, बीमारी, अशुभप्रसंग आदि में सरकारी सहायता प्राप्त हो, इसके लिए सरकार विशेष प्रावधान करेगी।

(3) राजकीय तथा विदेशनीति विषयक सिद्धान्त :

(i) ग्रामपंचायतों की स्थापना के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाये तथा ये स्वराज्य की एक इकाई के रूप में कार्य कर सकें, इसलिए इन्हें आवश्यक सत्ता तथा अधिकार और आर्थिक सहायता प्रदान करे।

(ii) राज्य सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग तथा स्वतन्त्र रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ जिससे न्यायाधीश निष्पक्ष, निडर तथा निर्भीक रूप से न्याय कर सकें।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए, विश्व के देशों के बीच न्यायपूर्ण तथा गौरवपूर्ण सम्बन्धों के विकास के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों के प्रति आदर में वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रीय मतभेदों, प्रश्नों का शान्तिमय रीति से निराकरण लाने का राज्य प्रयत्न करेंगे और उसे प्रोत्साहन देंगे।

(4) शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक नीति सम्बन्धित सिद्धान्त : 14 वर्ष की उम्र के सभी बालकों को संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अन्दर मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए राज्य प्रयत्न करेंगे। जो अब 2009 से मूलभूत अधिकार बन गया है।

राष्ट्रीय महत्त्व के रूप में घोषित किए गए सभी कलात्मक और ऐतिहासिक महत्त्ववाले स्मारकों, स्थलों, कलाकृतियों, इमारतों के मूल स्वरूप में परिवर्तन, लूटपाट, नुकसान, विकृति, स्थलान्तरण तथा उनके नुकसान को रोकना तथा उनकी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसतरह, इन सिद्धान्तों का उद्देश्य यह देखना है कि राष्ट्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की सही तरीके से सुरक्षा हो।

(5) स्वास्थ्य विषयक नीति से सम्बन्धित सिद्धान्त :

(i) लोगों के स्वास्थ्य तथा पोषण के स्तर में सुधार हो, इसके लिए राज्य प्रयत्न करें तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सेवाओं में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाना, यह राज्य का मौलिक कर्तव्य है।

(ii) स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों, शराब, मादक द्रव्यों आदि पर राज्य प्रतिबन्ध लगाए। औषधीय उपयोग के अलावा मादक पेय पदार्थ, ड्रग्स तथा अन्य नशीले पदार्थों पर राज्य प्रतिबन्ध लगाए।

(iii) देश में पर्यावरण प्रदूषण कम कर उसकी सुरक्षा तथा उसमें सुधार हो, इसके लिए राज्य प्रयास करें। देश में आए हुए जंगलों तथा वनस्पतियों की रक्षा के लिए राज्य विशेष व्यवस्था करेंगे।

(iv) कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्राप्त हो, निवृत्ति के समय सामाजिक तथा सास्कृतिक विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हों, इसके लिए राज्य प्रयत्न करेंगे। उनके मानसिक शान्ति के लिए उन्हे मनोरंजन की सुविधाएँ प्राप्त हों, ऐसे प्रयत्न राज्यों को करने का उल्लेख है।

इस तरह, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्तों का उद्देश्य ऐसी समाजव्यवस्था तथा राज्यव्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें जितना सम्भव हो सके उतना सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो। धर्म या जाति के भेदभाव के बिना समाजरचना, समतामूलक, शोषणमुक्त तथा कल्याणकारी समाज व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था की स्थापना इन सिद्धान्तों का मुख्य उद्देश्य है। इस तरह, देश में सामाजिक लोकतन्त्र तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। समाजिक सुरक्षा के द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिए राज्य विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगा, ऐसी अपेक्षा की गई है। लोकतन्त्र का राजनीतिक क्षेत्र के अलावा सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र तक विस्तार हो, शोषण एवं अन्यायमुक्त ऐसी समतामूलक, न्यायी समाजव्यवस्था का स्वप्न साकार करने की जवाबदारी राज्य सरकार को सौंपी गई है। मूलभूत अधिकार राज्य की सत्ता को सीमित करता है, जबकि राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्त राज्य की सत्ता का विस्तार करते हैं। मूलभूत अधिकार राजकीय लोकतन्त्र की स्थापना करते हैं, जबकि मार्गदर्शक सिद्धान्तों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना है। इनमें कोई विरोध नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(1) संविधान में समाविष्ट मूलभूत कर्तव्यों के विषय में जानकारी दीजिए।

(2) राज्यनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्तों का महत्त्व दर्शाइए।

(3) मूलभूत अधिकारों का महत्त्व समझाइए।

(4) उचित नियन्त्रण तथा मर्यादा अर्थात् क्या ?

(5) प्रतिबन्धित गिरफ्तारी कानून (नजरबन्दी कानून) के विषय में लिखिए।

(6) भारतीय संविधान में उल्लेखित संवैधानिक अधिकारों को बताइए।

(7) अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए संवैधानिक अधिकारों की जानकारी दीजिए।

2. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(1) समानता का अधिकार

(2) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

(3) स्वतन्त्रता का अधिकार

(4) शोषण के विरुद्ध अधिकार

(5) आर्थिक नीतियों के सन्दर्भ में मार्गदर्शक सिद्धान्त

(6) राजकीय तथा विदेशनीति से सम्बन्धित सिद्धान्त

3. निम्नलिखित विधानों के कारण देकर समझाइए :

(1) मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन (भंग) के विरुद्ध न्यायालय का सहारा ले सकते हैं।

(2) संवैधानिक उपचारों का अधिकार 'संविधान की आत्मा' के समान है।

(3) स्वतन्त्रताएँ सीमित अथवा निरंकुश नहीं हो सकतीं।

(4) राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन यह मूलभूत अधिकारों के उपयोग के लिए पूर्वशर्त है।

(5) मूलभूत अधिकार तथा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्त परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं।

(6) शोषणमुक्त समाजरचना यह हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य है।

(7) अधिकार तथा कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं।

(8) बालमजदूरी एक कानूनी अपराध है।

(9) मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अमल के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता।

(10) मार्गदर्शक सिद्धान्त देश के शासन में आधारभूत सिद्धान्त हैं।

(11) आर्थिक तथा सामाजिक लोकतन्त्र के बिना राजकीय लोकतन्त्र अधूरा है।

(12) सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की सुरक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है।

4. निम्नलिखित में से योग्य विकल्प पसंद कीजिए :

(1) डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है ?

(A) स्वतन्त्रता का अधिकार (B) समानता का अधिकार

(C) सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार (D) संवैधानिक उपचार का अधिकार

(2) किसके मतानुसार राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्त देश के आधाररूप सिद्धान्त हैं ?

(A) नरेन्द्र मोदी (B) जवाहरलाल नेहरू

(C) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (D) डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर

(3) प्रतिबन्धित गिरफ्तारी (नजरबन्दी) के अन्तर्गत आरोपी को कितने समय तक नजरबंद रखा जा सकता है ?

(A) 24 घण्टे (B) 6 महीने

(C) 3 महीने (D) आजीवन

(4) किस उम्र के बालकों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है ?

(A) 6 से 14 वर्ष (B) 3 वर्ष तक के बालकों

(C) 14 वर्ष से अधिक उम्र (D) 18 वर्ष की उम्र वाले बालकों

(5) किस उम्र के बालकों से जोखिम भरे व्यवसायों में काम नहीं करवाया जा सकता है ?

(A) 14 वर्ष से कम (B) 18 वर्ष से नीचे

(C) 6 से 14 वर्ष (D) 28 वर्ष के ऊपर

(6) किस आचरण को भारत का सामाजिक कलंक माना जाता है ?

(A) अस्पृश्यता (B) बालमजदूरी

(C) बेगार प्रथा (D) वहम-अन्धविश्वास

प्रवृत्ति

- 'क्या हमारा संविधान हमारे मूलभूत अधीकारों के रक्षक-अभिभावक के रूप में सफल रहा है ?' विद्यालय में चर्चा-सभा आयोजित करना।
- मतदाता जागृति दिवस मनाना तथा एक क्वीज स्पर्धा का विद्यालय में आयोजन करना।
- मानव अधिकार दिवस के अवसर पर प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ या मानव अधिकार आयोग के किसी सदस्य के साथ पेनल चर्चा का आयोजन करना।
- गान्धीजयंती या अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर मानव अधिकार मूलभूत कर्तव्य तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तों पर आधारित स्लोगन स्पर्धा का आयोजन कर विद्यालय के आसपास के विस्तारों में जनजागृति स्वरूप एक रैली का आयोजन करना।
- मूलभूत अधिकारों तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तों में कौन उत्तम है ? मानव अधिकार दिवस के अवसर पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच एक बाल संसद का आयोजन करना।
- आपके आवासीय क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार से हो रही बालमजदूरी के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना तथा इसे रोकने के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाया गया, उसका विवरण तैयार करना।
- 14 नवम्बर (बाल-दिवस) के अवसर पर बालमजदूरी उन्मूलन अभियान कार्यक्रम पर रैली, चित्रस्पर्धा, आवेदनपत्र अधिकारियों को देना।
- डॉ. अम्बेडकर के जीवनप्रसंग पर प्रोजेक्ट तैयार करना।

10 सरकार के अंग

सरकार के तीन अंग हैं – विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। इन तीनों अंगों की रचना किस प्रकार होती है ? वे किस प्रकार कार्य करते हैं ? इनकी सत्ताएँ कौन-कौन सी हैं ? इनका परस्पर सम्बन्ध कैसा है ? इस पाठ में हम इन विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

राज्य का मूलभूत उद्देश्य कानून और व्यवस्था की समझ के द्वारा लोगों की सुख-सुविधा में वृद्धि तथा सुरक्षा को सिद्ध करना है। लोगों के सर्वांगीण कल्याण को सिद्ध करते हुए उनकी स्वतन्त्रता तथा मूलभूत अधिकारों का जतन और उनकी सुरक्षा करना है। राज्य के गतिशील विकास को सिद्ध करने के उद्देश्य से सरकार के तीनों अंगों – विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच परस्पर एकता, सहकार तथा संकलन स्थापित करके सरकार प्रभावशाली तथा कार्यक्षम प्रशासन कर सकती है। विधायिका कानून के निर्माण का कार्य; कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करवाने का कार्य तथा कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा अथवा दण्ड देने का कार्य न्यायपालिका करती है।

भारतीय संविधान में विधायिका अर्थात् संघ (केन्द्र) स्तर पर संसद तथा राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद, कार्यपालिका अर्थात् संघ (केन्द्र) में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमण्डल, कार्यपालिका का कार्यालय एवं प्रशासनिक तन्त्र तथा राज्यस्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा उसका मंत्रिमण्डल, उसका कार्यालय तथा प्रशासनिक तन्त्र, जो एक-दूसरे के साथ घनिष्टता से जुड़े हुए हैं, जब कि न्यायपालिका में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों में उच्चन्यायालय और उसके अधीन जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय तथा अन्य विशेष न्यायालयों का समावेश होता है। इस प्रकार न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका से बिल्कुल अलग स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा सुग्रथित एकसूत्री अंग है।

भारत अलग-अलग राज्यों से बना एक संघ-राज्य है। कोई भी राज्य स्वतन्त्र और सार्वभौम नहीं है। भारत में संघ तथा राज्यस्तर पर संसदीय पद्धति की सरकार है। इस पद्धति से राज्य सरकारों के बीच सत्ता विश्लेषण के सिद्धान्त के अनुसार सत्ता का विश्लेषण किए जाने के कारण विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच गहरा और परस्परावलंबी सम्बन्ध होता है, जब कि न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा अलग एक विशिष्ट स्थान रखती है।

सत्ता विश्लेष का सिद्धान्त

राज्य के लिए सरकार जो कार्य करती है वे एक-दूसरे से अलग होते हैं। तीनों अंगों के कार्य एक दूसरे से अलग होते हैं तथा प्रत्येक कार्य में एक विशेष प्रकार की निपुणता की आवश्यकता होती है। अर्थात् अलग-अलग अंगों द्वारा, अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाना चाहिए तथा अन्त में प्रत्येक अंग के कार्य अर्थात् सरकार का संचालन सरल और कार्यक्षम बने इसके लिए सत्ता का विभाजन करना आवश्यक है; जैसे विधायिका को कानून के निर्माण की सत्ता है। वह उसका दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अनेक ऐसी सत्ताएँ प्रदान की गयी हैं जो विधायिका के ऊपर नियन्त्रण रखने का कार्य करती हैं। उसी प्रकार कार्यपालिका पर विधायिका तथा न्यायपालिका द्वारा नियन्त्रण रखा जाता है तथा न्यायपालिका को विधायिका तथा कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखने की अनेक सत्ताएँ प्रदान की गयी हैं।

(1) विधायिका : भारत संसदीय लोकतन्त्र वाला प्रजातन्त्रात्मक राज्य है। संघ (केन्द्र) स्तर पर संसद तथा राज्य स्तर पर विधानसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। देश की सबसे महत्त्वपूर्ण तथा सर्वोपरि संस्था संसद है। भारत की संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा का समावेश किया गया है। विधायिका के दो प्रकार होते हैं :

(अ) एक सदनात्मक विधायिका : जहाँ विधायिका का निर्माण एक ही सदन के द्वारा होता है, उसे एक सदनात्मक विधायिका कहा जाता है।

(ब) द्विसदनात्मक विधायिका : जहाँ पर विधायिका दो सदनों से निर्मित हो, उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं।

संघ (केन्द्र) स्तर पर संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है जबकि निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है। राज्यस्तर पर विधायिका में विधानसभा तथा विधान परिषद ऐसे दो सदन हो सकते हैं। अधिकांश राज्यों में एक ही सदन विधानसभा जब कि बिहार, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र जैसे अनेक राज्यों में विधान परिषद भी हैं।

(1) केन्द्र स्तरीय विधायिका-संसद-लोकसभा : लोकसभा यह संसद का निचला सदन है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान पद्धति से जनता के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने हुए जनता के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें 2 सदस्य एंग्लोइंडियन समुदाय के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है।

राष्ट्रपति, संसद (लोकसभा तथा राज्यसभा) का भाग है। लेकिन राष्ट्रपति संसद में संसद के प्रथम सम्मेलन में उद्घाटन भाषण तथा संसद के संयुक्त सम्मेलन (बैठक) को सम्बोधित करने के अलावा कभी भी उपस्थित नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र को बुलाने, स्थगित रखने तथा उसी प्रकार लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार रखता है। संसद के दोनों सदनों में तीन वाचनों से गुजरने के बाद विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक कानून बनता है। लोकसभा स्थायी सदन नहीं है। इसका कार्यकाल पाँच वर्ष होता है, लेकिन पाँच वर्ष के पूर्व भी लोकसभा का विसर्जन किया जा सकता है।

भारतीय संसद संविधान में उल्लेखित सीमाओं में रहकर अपनी सत्ता का उपयोग कर सकती है। उस तरह संविधान सर्वोपरि है संसद नहीं। यदि संसद के द्वारा निर्मित कानूनों से संवैधानिक व्यवस्थाओं का उलंघन होता हो अथवा विसंगति हो तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगर न्यायालय को विश्वास हो जाय कि उस कानून के निर्माण से संवैधानिक व्यवस्थाओं का उलंघन हो रहा है तो उसे असंवैधानिक मानते हुए अयोग्य घोषित कर सकता है।

संसद सदस्य के लिए योग्यताएँ : लोकसभा के सदस्य के लिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कम से कम 25 (पच्चीस) वर्ष की आयु होनी चाहिए तथा वह संसद के द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करता हो। वह पागल, दिवालिया या मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित किया गया न हो, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन वैतनिक कर्मचारी न हो, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित न हो, ऐसे ही व्यक्ति लोकसभा के सदस्य के रूप में उम्मीदवार हो सकते हैं। संसद के दो अधिवेशनों के बीच छः माह से अधिक का समयान्तर न हो, इस प्रकार से सदन की बैठक बुलानी पड़ती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विसर्जन कर सकते हैं। व्यक्ति जिस सदन का सदस्य हो वह उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा मतदान कर सकता है; लेकिन मंत्रिमण्डल का कोई भी सदस्य संसद के निचले सदन का सदस्य न हो तो भी वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकता है, संबोधन कर सकता है; परन्तु ऊपरी सदन में सदस्य हों तो वह उसी सदन में मतदान कर सकते हैं। लोकसभा में गुजरात की कुल 26 सीटें (बैठकें) हैं। लोकसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है, लेकिन उससे पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद के कार्यकाल को एक वर्ष तक बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किए जाने के कदम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

कोरम : कोरम अर्थात् सदन की कार्यसाधक संख्या। सदन की कार्यवाही शुरू करने तथा उसे जारी रखने के लिए पर्याप्त कुल सदस्यों में से उपस्थित सदस्यों की पर्याप्त संख्या। लोकसभा के कुल सदस्यों 545 का $\frac{1}{10}$ अर्थात् 55 सदस्यों की सदन में उपस्थिति अनिवार्य है, जब कि राज्यसभा में कार्यसाधक संख्या, राज्यसभा के कुल सदस्यों 250 का $\frac{1}{10}$ अर्थात् 25 है।

(2) राज्यसभा : राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 से अधिक न हो, ऐसा प्रावधान किया गया है। जिससे अप्रत्यक्ष रीति से राज्यों की तथा संघ प्रदेशों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा सप्रमाण प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के चुने गए सदस्यों की संख्या 238 है, शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, संस्कृति, खेलकूद तथा समाजसेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव तथा सिद्धि प्राप्त होते हैं।

कोई भी एक व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता।

योग्यताएँ : राज्यसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 30 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वह पागल, दिवालिया तथा मानसिकरूप से विक्षिप्त तथा सजा प्राप्त अपराधी नहीं होना चाहिए। सरकारी सवैतनिक कर्मचारी अथवा किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में गुजरात के लिए 11 बैठकें (सीटें) प्रदान की गई हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसका विसर्जन नहीं होता या इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के एक तृतीयांश सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और उतने ही नये सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसतरह राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल छः वर्ष होता है। वे पुनः निर्वाचित या पसंद किए जा सकते हैं।

सामान्यतः संसद के दोनों सदनों के वर्ष में तीन अधिवेशन होते हैं। जैसे कि; बजट सत्र, मानसूनसत्र तथा शीतकालीन सत्र। भारत के उपराष्ट्रपति, पद के आधार पर राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष (चेयरमैन) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।

लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर)

लोकसभा का कामकाज व्यवस्थित रूप से तथा निर्धारित नीति-नियमों के अनुसार चले इस पर निगरानी रखना, सदन में शिष्टता, व्यवस्था तथा सदन की गरिमा को बनाए रखने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा सदस्य अपने में से ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष लोकसभा की बैठक के दौरान सदन के अध्यक्ष के रूप में उसकी कार्यवाही का संचालन और नियमन करता है। अध्यक्ष सदन के सदस्यों से सदन में शिष्टाचार की अपेक्षा रखता है। वह सदन की मर्यादा का रक्षक होता है। उसका निर्णय सदन में अन्तिम निर्णय होता है।

अध्यक्ष किसी भी राजनीतिक पक्ष का सदस्य हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद उसे सदन की कार्यवाही का संचालन निष्पक्ष तथा तटस्थ रहकर करना पड़ता है। लोकसभा के विसर्जन के साथ लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो जाता है; लेकिन जब तक नयी लोकसभा का गठन नहीं हो जाता तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। 14 दिनों की नोटिस देकर लोकसभा के सदस्य सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं। लोकसभा या विधानसदनों में होने वाले भाषण, आलोचना आदि अध्यक्ष को सम्बोधित करने के साथ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अंग्रेजी या हिन्दी भाषाओं में हो सकती है; लेकिन इन दोनों भाषाओं को न जानने वाले सदस्यों को उनकी मातृभाषा में सम्बोधन करने की अनुमति अध्यक्ष दे सकता है। अगर अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य लगातार 60 दिन तक लोकसभा में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट (बैठक) खाली मान ली जाती है। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है।

निर्णायक मत (कास्टिंग वोट) : सदन की कार्यवाही में जब भी किसी प्रश्न, किसी भी मुद्दे, समस्या अथवा विधेयक पर चर्चा-विचारणा के बाद निर्णय के समय उसके पक्ष तथा विपक्ष में बराबर-बराबर मत पड़े, तब अध्यक्ष अपना निर्णायक मत (कास्टिंग वोट) दे सकता है। इसके अलावा वह सदन में मतदान में भाग नहीं ले सकता। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावणंकर थे।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही के संचालन के सम्बन्ध में विविध राजनीतिक पक्षों के कुशल, अनुभवी तथा संसदीय प्रक्रिया के जानकर ऐसे बुद्धिजीवी सदस्यों की एक 'स्पीकर्स पेनल' तैयार की जाती है, जिसके सदस्य अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कामकाज संभालते हैं।

विधेयक कानून कब बनता है ?

कानून बनाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव (दरखास्त) को विधेयक कहते हैं।

(अ) संसद वर्तमान कानून में सुधार करने, नये कानून का निर्माण करने, पुराने तथा असंगत कानूनों को रद्द करने का महत्त्वपूर्ण कार्य करती है। सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक निम्न प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद कानून का स्वरूप लेता है। जिसकी सामान्य व्यवस्था निम्न अनुसार है :

किसी भी विधेयक को संसद के दोनों सदनो में से किसी भी एक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक मंत्री अथवा सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

जब संसद के दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक को पारित करने के सम्बन्ध में मतभेद उत्पन्न हो तब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिससे बहुमति से विधेयक पारित किया जा सके। संयुक्त बैठक का संचालन लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) ही संभालता है।

(1) विधेयक से कानून बनाने की विधि – सामान्य विधेयक (गैरवित्तीय) : अनेक समान्य विधेयकों को मंत्रियों द्वारा सदन में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रथम वाचन कहते हैं। जिससे विधेयक का शीर्षक, उद्देश्यों तथा कारणों का उल्लेख होता है। इन विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने से पहले उस सदन के अध्यक्ष की तथा वित्तीय विधेयक प्रस्तुत करने के लिए केन्द्र में राष्ट्रपति तथा राज्य में राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। प्रथम वाचन में विधेयक की सामान्य जानकारी तथा उसके मुख्य मुद्दों पर चर्चा होती है। आवश्यकता पड़ने पर मतदान करवाया जाता है।

द्वितीय वाचन के दौरान विधेयक के प्रत्येक मुद्दों की धारा अनुसार चर्चा होती है। उसके उद्देश्यों तथा उसके प्राप्त होने वाले परिणामों पर बहस होती है। उसमें लोगों, समूहों, संस्थाओं तथा विरोधपक्षों के अभिप्राय के आधार पर सुधार किया जाता है। अन्त में उस पर मतदान होता है।

कई बार सदन में अधिक कामकाज होने के कारण विधेयक पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती है। इसके लिए सम्बन्धित विषय के अनुभवी तथा विशेष ज्ञान रखने वाले सदस्यों की 'प्रवर समिति' को सौंप दिया जाता है। जो विधेयक की जाँच करता है। लोकमत का ध्यान रखते हुए प्रवर समिति विस्तृत चर्चा के बाद सुधार कर सम्बन्धित विवरण पत्र सदन को सौंपती है तथा विधेयक को तीसरे वाचन के लिए प्रस्तुत करने के लिए भेजती है।

तीसरे वाचन की प्रक्रिया मात्र एक औपचारिकता है। विधेयक में सुधार के लिए की गई सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के पीछे प्रस्तुत तर्क के बाद अन्त में विधेयक के स्वीकार स्वरूप पर मतदान करवाया जाता है। अगर विधेयक के पक्ष में बहुमत होता है तो विधेयक पारित घोषित किया जाता है। उस पर सदन के अध्यक्ष का हस्ताक्षर लेकर उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक इसी प्रक्रिया से गुजरता है। दूसरे सदन में आवश्यक संशोधन के साथ पारित हो जाने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाता है।

अगर दूसरे सदन में विधेयक पारित नहीं होता है, तो उसे पुन: पहले सदन को वापस भेजा जाता है। अगर दूसरे सदन द्वारा विधेयक छः महीने तक पहले सदन को वापस नहीं किया गया तो उस सदन में विधेयक पारित नहीं हुआ; ऐसा मान लिया जाता है। जब दोनों सदनों के बीच मतभेद बढ़ गया हो या राज्यसभा में सत्तापक्ष का बहुमत न हो तब विधेयक को स्वीकृति मिलनी मुश्किल हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को बहुमत से पारित किया जाता है।

विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करते समय भी राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं :

(1) वह विधेयक पर हस्ताक्षर करके स्वीकृति प्रदान करे अथवा

(2) वह विधेयक को अपने पास रख सकता है अथवा

(3) विधेयक को पुन: विचार के लिए संसद के पास वापस भेज दे।

राष्ट्रपति के किसी विधेयक पर मंजूरी प्रदान करने के बाद कानून सरकारी गजेट्स में प्रकाशित होता है, उसके बाद उसमें दर्शाई गई तारीख से उसका अमल शुरू माना जाता है।

(ब) जब संविधान में सुधार से सम्बन्धित विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तब संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यों की बहुमति या उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले दो तृतीयांश सदस्यों की बहुमति आवश्यक होती है। केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धों के सन्दर्भ में संविधान में सुधार के लिए संसद के दोनों सदनों के आधे से अधिक सदस्यों की सहमति के साथ राज्यों के 50 % विधान मण्डलों की स्वीकृति आवश्यक है। सामान्य विधेयक की तरह यह विधेयक भी विविध चरणों से गुजरता है।

(क) कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बजट से सम्बन्धित तथा वित्तीय व्यवस्थाओं से सम्बन्धित विधेयक को वित्तीय विधेयक कहा जाता है। केन्द्र का बजट (अंदाज–पत्र) केन्द्रीय वित्तमंत्री अधिकांशत: 28 फरवरी को लोकसभा में प्रस्तुत करता है। सभी वित्तीय विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जो निम्नलिखित चरणों से गुजरते हैं :

(i) लोकसभा में प्रस्तुत वित्त विधेयक पर दो-तीन दिनों तक प्राथमिक चर्चा होती है।

(ii) बजट में खर्च के लिए रखी मांगों के ऊपर चर्चा-विचारणा होती है। वित्तमंत्री बजट से सम्बन्धित सभी आंकड़ाकीय जानकारियों को संसद में प्रस्तुत करता है।

(iii) सभी विभागों के मंत्री जैसे कृषि, विज्ञान, संरक्षण, व्यापार-वाणिज्य तथा मानव संसाधन विभाग आदि अपने-अपने विभागों की माँगों को लोकसभा के समक्ष विचार-विमर्श के लिए रखते हैं तथा मतदान के द्वारा उस पर मंजूरी प्राप्त करनी होती है।

(iv) बजट में आय के अनुमानित क्षेत्रों तथा कर (Tax) से संबन्धित प्रस्ताव अलग-अलग स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा उस पर मंजूरी लेनी पड़ती है।

लोकसभा में पारित होने के बाद वित्त विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा को इस विधेयक से सम्बन्धित आवश्यक सिफारिशों के साथ 14 दिन के अन्दर वापस लोकसभा के पास भेजना पड़ता है। लोकसभा-राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। अगर 14 दिनों के अन्दर राज्यसभा वित्त विधेयक को वापस लोकसभा के पास नहीं भेजती है तो विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित माना जाता है। राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को लोकसभा स्वीकार करती है तो दोनो सदनों में संशोधित विधेयक पारित हुआ माना जाता है, लेकिन राज्यसभा की सिफारिशों को लोकसभा अस्वीकार करे तो लोकसभा में मूल स्वरूप में पारित वित्त विधेयक दोनों सदनों में पारित माना जाता है। इस प्रकार, वित्तीय मामलों में राज्यसभा की सत्ता लोकसभा की तुलना में सीमित है।

इस तरह विविध प्रक्रियाओं के अन्त में दोनों सदनों में पारित वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। अगर बजट संसद में पारित नहीं होता है, तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है।

इसके उपरान्त विधानसदनों में देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, संक्षरण, सुरक्षा तथा विदेशी मामलों से सम्बन्धित विविध क्षेत्रों के प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया जाता है। लोकसभा कार्यपालिका, मंत्रिमण्डल तथा कार्यकारी अधिकारियों के कामकाज पर नजर और नियन्त्रण रखती है। सार्वजनिक वित्त का कार्यक्षम तथा व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाय, इस पर निगरानी रखने का कार्य जनता के प्रतिनिधियों का है। इस तरह लोकसभा सार्वजनिक वित्त के उपयोग पर सीधे तथा अन्तिम नियन्त्रण रखती है। संसद की स्वीकृति के बिना कार्यपालिका द्वारा नया कर (Tax) नहीं लगाया जा सकता तथा वर्तमान करों में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। कार्यपालिका के खर्च पर विधायिका का नियन्त्रण होने के कारण इसे सार्वजनिक धन का रक्षक (कस्टोडियन) कहा जाता है। इसके उपरान्त संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्चन्यायालय तथा उच्चन्यायालयों के न्यायमूर्तियों मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑडिटर जनरल, एटर्नी जनरल जैसे लोगों के सामने संविधान भंग के आरोप में (Impeachment) प्रस्ताव पारित कर उन्हें उनके पद से हटा सकती है।

राज्यस्तरीय विधायिका

(अ) विधानसभा : प्रत्येक राज्य में एक विधानसदन होता है, जिसे विधानसभा कहते हैं। विधानसभा निचला सदन है।

(ब) विधान परिषद : विधान मण्डल के दूसरे सदन को विधान परिषद कहते हैं। बिहार, महाराष्ट्र, कर्णाटक, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में दो सदन हैं। वहाँ ऊपरी सदन (गृह) विधान परिषद तथा निचला सदन (गृह) विधानसभा के नाम से पहचाना जाता है। गुजरात में विधान परिषद नहीं है।

अलग-अलग राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या में अन्तर दिखाई देता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी भी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम तथा 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में गुजरात में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 182 है।

विधानसभा सदस्यता के उम्मीदवार के लिए योग्यताएँ : जो भारतीय नागरिक हो, जिसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो, पागल, दिवालिया तथा अपराधी घोषित न किया गया हो; वह व्यक्ति विधानसभा सदस्य के रूप में उम्मीदवारी कर सकता है।

कार्यकाल : विधानसभा स्थायी सदन नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसका विसर्जन होता है। कई बार असामान्य परिस्थितियों में संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार सरकार नहीं चल सकती या सरकार की रचना नहीं हो पा रही हो, तब राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा का विसर्जन करने की सिफारिश भेजता है तथा राष्ट्रपति को विधानसभा को बरखास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देता है। उस समय राज्यपाल राज्य का संचालन करता है। विधानसभा सदस्य अपने में से ही विधानसभा के सरल संचालन के लिए अध्यक्ष (स्पीकर) तथा उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) का चुनाव करते हैं।

विधान परिषद सदस्य स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं, नामांकित स्नातकों माध्यमिक तथा उच्च. मा. विद्यालय के शिक्षकों तथा अध्यापकों द्वारा निर्मित मतदाता मण्डल द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद सदस्य के लिए 30 वर्ष या उससे अधिक की आयु तथा भारतीय नागरिक होना चाहिए। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। राज्यसभा की तरह इसके भी प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके $\frac{1}{3}$ (एक तृतीयांश) सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्य में विधान परिषद रखना या न रखना यह राज्य निश्चित करता है। गुजरात में विधान परिषद नहीं है। लोकसभा की तरह विधानसभा के पास अधिक सत्ताएँ है। विधानसभा में सामान्य तथा वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक विविध स्तरों से स्वीकृत होते हुए अन्त में राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाता है।

(2) कार्यपालिका : सरकार का सबसे कार्यशील, सबसे प्रभावशाली तथा प्रत्यक्ष रहने वाला अंग कार्यपालिका है। संघीय कार्यपालिका अर्थात् केन्द्र सरकार । राजकीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमण्डल तथा स्थायी प्रशासनिक कर्मचारियों से बने प्रशासनिक तन्त्र को प्रशासकीय कार्यपालिका कहते हैं।

राजकीय और प्रशासनिक कार्यपालिका के अधिकारी और कर्मचारी जनता के सीधे सम्पर्क में आते हैं। उनके कार्यो से लोग प्रभावित होते हैं। विधायिका द्वारा निर्मित कानून को व्यवहार में अमल करवाने का कार्य कार्यपालिका का है। सरकार द्वारा लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं तथा लोकमत के आधार पर नीर्मित नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों के अमल करवाने का कार्य प्रशासनिक कार्यपालिका करती है।

राजकीय कार्यपालिका हर पाँच वर्ष के बाद या सत्ता का त्याग करने के साथ बदलती है। जब कि प्रशासनिक कार्यपालिका यह स्थायी नियुक्ति वाले प्रशासनिक अधिकारियों से निर्मित होने के कारण स्थायी होती है। प्रशासनिक अधिकारियों के सेवानिवृत्ति की आयु देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। अगर कोई अधिकारी अपने सेवाकाल के दौरान रिश्वत, भ्रष्टाचार या कार्य के प्रति लापरवाही करता है तो आवश्यक जाँच के बाद उसे नौकरी से निकाला जा सकता है अथवा निलम्बित (सस्पेण्ड) किया जा सकता है। राजकीय कार्यपालिका के सदस्य किसी न किसी राजनैतिक पक्ष के सदस्य होते हैं। पक्ष के प्रति उसकी व्यक्तिगत वफादारी, लोकमत के आधार पर जनता द्वारा उसका निर्वाचन यह उसकी मुख्य योग्यता है, जब कि प्रशासनिक कार्यपालिका में शैक्षणिक योग्यता, गुणवत्ता तथा अनुभव के आधार पर, उसी प्रकार सार्वजनिक स्पर्धात्मक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद उसकी स्थायी नियुक्ति होती है। प्रशासनिक अधिकारियों की सेवा को 'सनदी सेवा' के रूप में जाना जाता है। केन्द्र स्तर पर राजकीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा उसके मंत्रिमण्डल का समावेश किया गया है।

राष्ट्रपति

भारत में संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। संघ (केन्द्र) सरकार की सभी कार्यपालिका विषयक सत्ताएँ संविधान द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं। केन्द्र सरकार का पूरा प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है। वह राष्ट्र का सर्वोच्च तथा भारतीय प्रजातन्त्र का प्रथम नागरिक है।

योग्यता : राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। सरकारी वैतनिक कर्मचारी अथवा किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य या राज्यों की विधानसभाओं का सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के तथा राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों से निर्मित मतदाता मण्डल के द्वारा परोक्ष पद्धति से किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव पाँच वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन वह चाहे तो दोबारा चुनाव में भाग ले सकता है। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है तब तक उसके विरुद्ध कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसकी गिरफ्तारी या किसी प्रकार की सजा का आदेश दिया जा सकता है।

कार्य और सत्ताएँ : राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमण्डल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उन्हें शपथ दिलवाता है, उनके बीच विभागों का बँटवारा करता है। जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमण्डल को समर्थन प्राप्त रहता है तब तक राष्ट्रपति उसकी अवगणना नहीं कर सकता। राष्ट्रपति संरक्षण दलों का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति को दूसरे देशों के साथ युद्ध शुरू करने, युद्ध बन्द करने या सन्धि करने की सत्ता प्राप्त है। राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्तियों, एॅटर्नी जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, विविध देशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार कार्यपालिका तथा प्रशासन से सम्बन्धित विशाल तथा अधिकृत सत्ताएँ राष्ट्रपति के पास हैं। अपराधियों की सजा माफ करने, फौजदारी मामलों में दी गई सजा की समयावधि को कम करने तथा सजा को स्थगित रखने अथवा सजा के स्वरूप में

परिवर्तन करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाना, उसे स्थगित रखना तथा लोकसभा को भंग करने की सत्ता राष्ट्रपति के पास है। युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से भारत में अथवा भारत के किसी भाग में सुरक्षा के समक्ष भय (खतरा) उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति के इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषित कर सकता है तथा राज्य के मंत्रिमण्डल को बर्खास्त करके राज्य में 'राष्ट्रपति शासन' लागू कर वहाँ का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है।

देश में अर्थिक संकट अथवा वित्तीय आपातकाल के समय सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में कटौती कर सकता है। विशाल सत्ताएँ धारण करने तथा संवैधानिक सर्वोच्च होने के बावजूद भी लोकतन्त्र की परम्परा के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमण्डल की सलाह लेने और उसके अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने मतदातामंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए भारत का नागरिक तथा 35 वर्ष या उससे अधिक की आयु होनी चाहिए। उसका कार्यकाल पाँच वर्ष होता है। पद के आधार पर वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है।

प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री संघ(केन्द्र) सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंध के संसद का सर्वमान्य नेता होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा औपचारिक रूप से की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमण्डल के मंत्रियों की नियुक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति करता है और उनके विभागों का बँटवारा करता है। किसी भी मंत्री को मंत्रिमण्डल में शामिल करना, मंत्रीपद पर बने रहना या मंत्रिमण्डल से बाहर निकालने का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमण्डल की बैठकों की वह अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री अलग-अलग विभागों के कार्यों के बीच योग्य संकलन स्थापित करना तथा उनके विभागों की देखभाल का कार्य करता है। नीति विषयक निर्णय लेता है। पद के आधार पर प्रधानमंत्री योजना आयोग, जो अब नीति आयोग के रूप में जाना जाता है, उसका अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल में कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री तथा उपमंत्री ऐसे त्रिस्तरीय मंत्रिमण्डल होता है। प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। मंत्रिमण्डल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर कार्य करता है तथा वह लोकसभा के प्रति जवाबदार होता है। किसी भी नीति विषयक निर्णयों के लिए पूरा मंत्रिमण्डल जवाबदार होता है। अगर लोकसभा किसी भी मुद्दे अथवा किसी विषय पर बनाई गई सरकारी नीति को नामंजूर करती है तो उसके लिए पूरा मंत्रिमण्डल जवाबदार होता है तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर पूरे मंत्रिमण्डल को त्यागपत्र देना पड़ता है।

राज्यपाल

राज्यपाल (गवर्नर), राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमण्डल के सदस्यों का समावेश राज्य की कार्यपालिका में किया जाता है। राज्य के सर्वोच्च के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र का भारत का नागरिक राज्यपाल पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति सामान्यत: पाँच वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है या दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में स्थानान्तरित किया जा सकता है। कई बार राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का कार्यभार सौंपा जा सकता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक तथा औपचारिक प्रधान होता है। वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार मंत्रिमण्डल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनके विभागों का बँटवारा करता है। राज्यपाल राज्य के एडवोकेट जनरल तथा राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से विचार-विमर्श करके करता है। राज्य के विधानसभा की बैठक बुलाना, उसे भंग करना, प्रशासनिक आदेश जारी करना, विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना आदि विधायिनी सत्ताएँ राज्यपाल को प्राप्त हैं। राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों का पद के आधार पर राज्यपाल कुलाधिपति (चान्सलर) होता है। वह विश्वविद्यालयों के कुलपति (वाइस चान्सलर) की औपचारिक रूप से नियुक्ति करता है। राज्यपाल की समस्त सत्ताओं का वास्तविक उपभोग मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमण्डल करता है। राज्यपाल किसी भी राजनैतिक पक्ष का सदस्य हो सकता है, लेकिन राज्यपाल पद पर नियुक्ति के बाद उसे राजनीति से दूर रहते हुए तटस्थ और निष्पक्ष रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है।

मुख्यमंत्री और मंत्रिमण्डल

राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमति प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। जब विधानसभा में किसी एक पक्ष को स्पष्ट बहुमत न मिला हो तब अलग-अलग पक्षों को मिलाकर बहुमत प्राप्त पक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करता है तथा उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल मंत्रिमण्डल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य का समग्र प्रशासन राज्पाल के नाम से चलता है, लेकिन राज्यपाल की सभी सत्ताओं का उपभोग मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमण्डल करता है। गुजरात में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमण्डल का कार्यालय नया सचिवालय स्वर्णिम भवन, गाँधीनगर में स्थित है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमण्डल को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है तथा प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करवाता है। राज्य मंत्रिमण्डल में चार स्तर के मंत्री हो सकते हैं : (अ) कैबिनेट (ब) राज्यकक्षा (क) उपमंत्री (नायब) (ड) संसदीय सचिव। मुख्यमंत्री, मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन, सरकार की नीति-निर्धारण एवं पारदर्शी प्रशासन तथा प्रजालक्षी विकास और प्रश्नों के समाधान के लिए केन्द्रसरकार के समक्ष माँगों को प्रस्तुत करता है। आपत्ति के समय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मुख्यमंत्री राज्य के विकास के सन्दर्भ में सरकार की नीतियों का उद्घोषक, मर्गदर्शक तथा सक्षम नेता है।

प्रशासनिक तन्त्र (प्रशासनिक कार्यपालिका) : राजकीय कार्यपालिका अलग-अलग क्षेत्रों के लिए नीतियों का निर्माण करती है, जिसको व्यवस्थित, कार्यक्षमरूप से पालन करवाने का कार्य प्रशासनिक कार्यपालिका (प्रशासकीय तन्त्र) करती है। प्रशासकीय अधिकारी राजनीतिक कार्यकर्ता को नीति-विषयक मामलों में सलाह-सूचन देते हैं। जरूरी जानकारी तथा आंकड़ाकीय सूचनाएँ प्रदान करते हैं। राजकीय कार्यकारी प्रशासकीय अधिकारियों की सूचना-जानकारियों को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।

नीतियाँ, कानून चाहे जितने अच्छे और लोकोपयोगी हों लेकिन प्रशासकीय तन्त्र द्वारा अगर उसका प्रभावशाली तथा सन्तोषकारक रूप से अमल नहीं हुआ तो वे अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाते। उस तरह, नीति के निर्माण में और नीति के पालन करवाने की सतत चलने वाली प्रक्रिया में कार्यपालिका को प्रशासनिक तन्त्र महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। अनेक क्षेत्रों में निपुण, व्यावसायिक कुशलता तथा अनुभवी लोग, विशेषज्ञ सनदी अधिकारी तथा अन्य सरकार की रीढ़ के समान हैं। उनके ज्ञान, प्रशासनिक सूझबूझ, अनुभव तथा उनकी दीर्घदृष्टि व प्रशासकीय क्षमता के कारण सरकार कार्यक्षम संचालन कर सकती है। सरकार के अंगों में राजकीय कार्यपालिका लोगों के कल्याण तथा सुखमय जीवन की चिन्ता तथा चिन्तन करने वाले मस्तिष्क के समान है; जब की प्रशासनिक कार्यपालिका उसके हाथ-पैर के समान है। दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध यह राज्य के सुशासन की पूर्व शर्त है।

सरकार की सत्ता तथा प्रभाव अधिकारीतन्त्र (अफसरशाही) में अधिक केन्द्रित होने लगा है। भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, अप्रामाणिकता, अकार्यक्षमता, गैररीति, जवाबदारी से दूर भागना आदि प्रवृत्तियाँ अधिकारी तन्त्र के लिए अनिष्टकारक हैं। इसलिए इनको रोकने के लिए प्रशासन में सतर्कता आयोग, लोकपाल या लोकायुक्त की आवश्यकता आज बढ़ी है। घूस-रिश्वत की बुराई को रोकने के लिए गुजरात राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (अन्टी करप्शन ब्यूरो) के नाम से एक अलग विभाग की शुरुआत की है तथा टोल फ्री फोन नम्बर (1800 2334 4444) जारी करके जनता की शिकायतों को सुनने की कार्यवाही शुरू की है।

देश में अलग-अलग राजनैतिक पक्षों की सरकार होने के कारण उनके साथ प्रशासन में राजनीतिक तटस्थता की अपेक्षा प्रशासनिक तन्त्र से रखी गयी है। राज्य की अनेक विकासलक्षी योजनाओं तथा कार्यक्रमों को अमल में लाकर सरकार की विकास यात्रा की गति को सातत्यपूर्ण रीति से जारी रखना प्रशासनिक तन्त्र में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था

केन्द्र सरकार की विविध जवाबदारियों के बीच एक ही स्थान से समग्र देश का संचालन करना अत्यन्त कठिन और मुश्किल है। अलग-अलग समस्याएँ, आवश्यकताएँ, अपेक्षाएँ तथा विपुल जनसंख्या की अनेक आकांक्षाओं का सुचारु और स्वीकार्य समाधान समयानुसार हो, इस उद्देश्य से सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया है। प्रशासनिक सरलता, सुगमता तथा मितव्ययी प्रशासन के उद्देश्य से स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं का उद्भव हुआ है। गाँव, नगर या महानगरों का प्रशासन चुने हुए अपने प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय स्तर की संस्थाओं में हो, उसे स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएँ कहते हैं। भौगोलिक, प्रादेशिक विस्तारों को प्रशासनिक सरलता के लिए विभाजित करके उन्हें स्थानीय जवाबदारी तथा कार्य सौंपकर प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके अनुसार शहरी विस्तारों में नगरपालिका, महानगरपालिका, तथा महानगर निगम (मेगासिटी) ये स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएँ हैं। इसी प्रकार ग्राम्य विस्तारों में ग्रमापंचायत, तालुका पंचायत तथा जिलापंचायत मुख्य हैं।

स्थानीय स्वराज की संस्थाओं का प्रशासन, जिसमें ग्रामस्तर से चुनाव, मतदान, कर्तव्य, अधिकार, जवाबदारी, प्रशासन तथा सत्तापक्ष

या विरोध पक्ष की भूमिका के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त होता है। स्वविकास का अवसर मिलता है। इन संस्थाओं में योजनाओं के अमल में कानूनों की विसंगतता के कारण निचले स्तर पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझकर ऊपरी स्तर पर उन्हें लागू करने से पूर्व योजनाओं के सन्दर्भ में पूरी सावधानी, निरीक्षण तथा आवश्यक सुधार के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को लोकतन्त्र की प्रशिक्षणशाला तथा प्रशासनिक सुधार की प्रयोगशाला कहा जाता है।

1992 से समग्र देश में एक समान 'पंचायतीराज' तथा 'शहरी स्वशासन की संस्थाएँ' अस्तित्व में आई हैं।

पंचायती राज्य का त्रिस्तरीय स्वरूप

(अ) ग्राम्य स्तर पर स्वशासन की संस्थाएँ : ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत तथा जिला पंचायत यह त्रिस्तरीय प्रशासनिक स्वरूप है। प्रत्येक संस्था नीचे से ऊपर की ओर परस्पर सम्बन्धों से जुड़ी हुई है। पंचायती राज्य में सभी स्तरों पर स्थानीय विकास कार्यों, योजनाओं तथा कल्याणलक्षी कार्यक्रमों को आर्थिक कार्यक्षमरूप से पूर्ण किया जा सके, इसके लिए इन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता तथा साधन सामग्री के रूप सहायता प्रदान की जाती है। जिलापंचायत तथा उसकी विविध समितियों के अध्यक्ष होते हैं, जब कि प्रशासनिक प्रमुख 'जिला विकास अधिकारी' (DDO) (डिस्ट्रिक डेवेलपमेन्ट ऑफिसर) होता है। जिला पंचायत का कार्यालय जिला मुख्यालय में होता है।

तालुका पंचायत के चुनावों में निर्वाचित नेता तालुका पंचायत प्रमुख कहलाता है, जब कि प्रशासनिक प्रधान 'तालुका विकास अधिकारी' (TDO) होता है। निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों में 'सरपंच' के रूप में चुना हुआ जनप्रतिनिधियों का नेता होता है तथा प्रशासनिक प्रमुख 'तलाटी-कम-मंत्री' (सचिव), जो ग्रामपंचायत का प्रशासन संभालता है। गुजरात की जिन ग्रामपंचायतों में सर्वसम्मति से चुनावों का त्याग कर 'सरपंच' की सर्वमान्य पसंदगी होती है, तो ऐसे गाँव को 'समरस गाँव' के रूप में घोषित करके विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

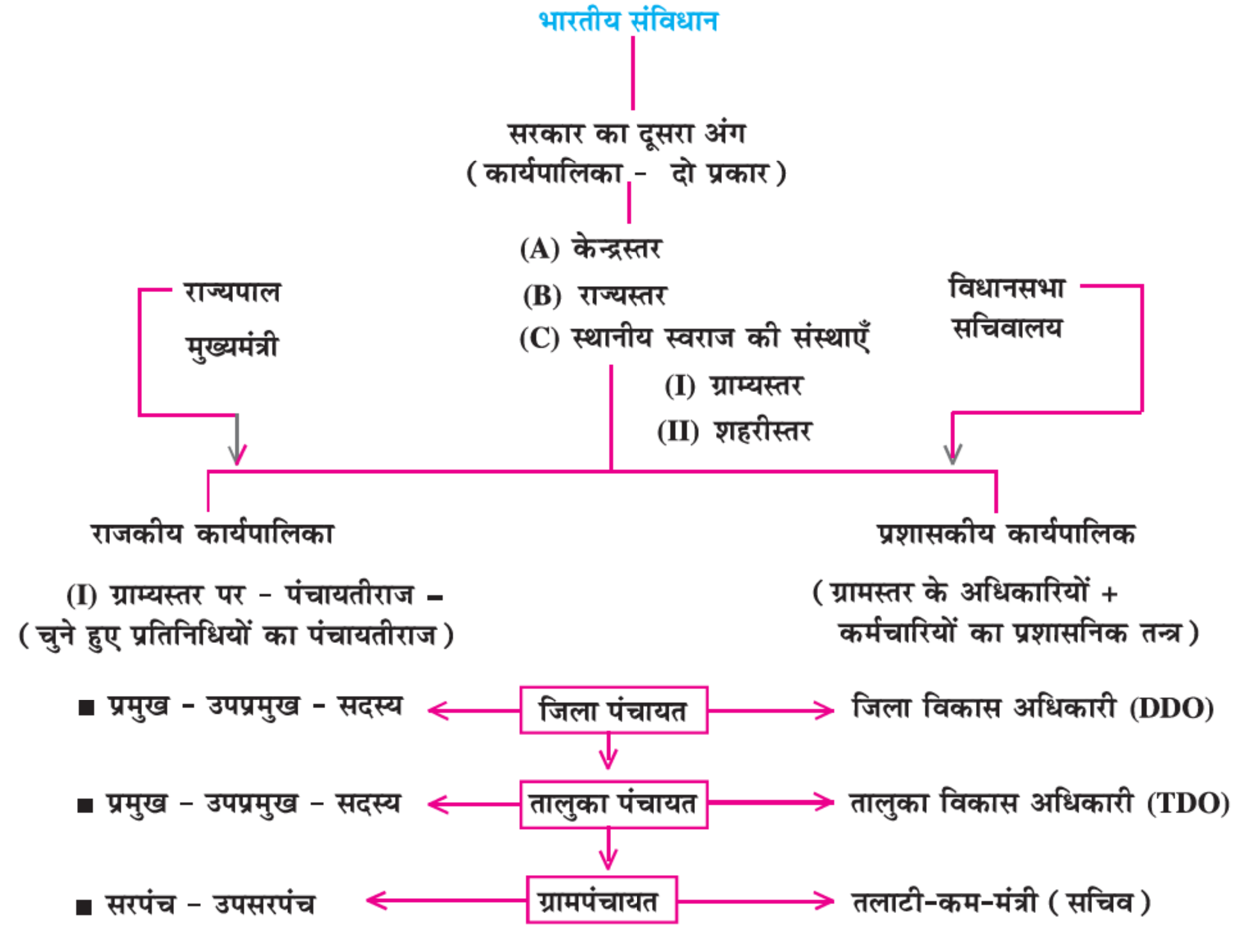

आकृति 1

(ब) शहरी स्वशासन की संस्थाएँ : 74वें संवैधानिक सुधार के द्वारा शहरी विस्तारों के लिए जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थानीय स्वराज की संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। प्रथमस्तर पर नगरपालिका, द्वितीयस्तर पर महानगरपालिका तथा तृतीयस्तर पर महानगरनिगम (मेगासिटी) है। इन तीनों स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में राजकीय कार्यपालिका में निर्वाचित बहुमति वाले भाग का नेता, जो मेयर कहलाता है तथा विविध समितियों के चेरमैन तथा वॉर्ड के अनुसार चुने कार्पोरेटर होते हैं। वॉर्ड के अनुसार कार्पोरेटरों की संख्या में महिला प्रतिनिधियों तथा आरक्षित जातियों के सीटों के आरक्षण का प्रमाण बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। विविध समितियाँ विकेन्द्रीकरण के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों के कार्यों की जवाबदारी को उठाती है। नगर आयोजन, जमीन सम्पादन, रास्ते, पुल, फ्लायओवर ब्रिज का निर्माण, पानी-आपूर्ति का प्रबन्ध, सफाई, गटर व्यवस्था का प्रबन्ध, मकानों का निर्माण, पर्यावरण सुविधा, अग्निशामक सेवा, शिक्षण-स्वास्थ्य सम्बन्धित सेवाओं की उपलब्धि, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा सौन्दर्यपूर्ण मनोरंजन स्थिति में शहरी विकास, स्मशानगृहों तथा कब्रस्तानों का विकास तथा निभाव, झोपड़पट्टी विस्तार उन्मूलन ऐसे अनेक प्रजाकल्याणकारी तथा सुखमय जीवन से सम्बन्धित कार्य स्थानीय शहरी स्वराज की संस्थाएँ करती हैं। ये कार्य लोगों के पास से प्राप्त दान, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के आधार पर तथा लोगों के पास वसूल किए गए कर (Tax) तथा सरकारी अनुदान में से किया जाता है। महानगरपालिका के प्रशासनिक भाग का प्रमुख 'म्युनिसिपल कमिश्नर' होता है तथा उसके अधीन तकनिकी तथा प्रशासकीय विशेषज्ञ जोनल अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीतन्त्र सतत कार्यशील रहते हैं। अगर चुने हुए भाग तथा प्रशासनिक भाग के बीच खुले मन से, संकलन स्थापित करके पक्ष के हित के स्थान पर लोकहित के कार्य किए जाएँ, तो शहरों का विकास होगा।

न्यायपालिका

भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजकीय न्याय प्राप्त हो, ऐसे उच्च आदर्शों को स्वीकार किया गया है। जिसमें सबको विकास के लिए समान अवसर, सबके साथ समान व्यवहार द्वारा शोषणमुक्त न्यायी समाज की रचना करने का उद्देश्य संविधान में स्वीकार किया गया है। राज्य के कानूनों का नागरिकों को पालन करना है। अगर कोई नागरिक इन कानूनों का उल्लंघन (भंग) करता है तो उसे सजा देना न्यायालय का कार्य है। देश का संविधान यह देश का मूलभूत कानून है। देश का प्रशासन संविधान के अनुसार ही रहा है या नहीं यह देखना न्यायालय का कार्य है। देश का कानून संविधान के साथ सुसंगत है या नहीं उसकी जाँच करने का काम भी न्यायालय का है। अगर बनाए गए कानून संविधान से सुसंगत न हो तो ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर उसे रद्द करने की सत्ता न्यायालय को प्राप्त है।

संघीय शासन में घटक (इकाई) राज्यों तथा केन्द्र के बीच सत्ता तथा कार्यों का विभाजन किया गया है। प्रत्येक घटक (इकाई) राज्य तथा केन्द्र सरकार अपने-अपने निर्धारित कार्यक्षेत्रों में रहकर ही काम करें तथा एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप न करें, यह देखने का कार्य न्यायपालिका का है। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच टकराव या मतभेद उत्पन्न हो, तो उसका निवारण सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत में एकसूत्री, सुग्रथित तथा रैखिक न्यायतन्त्र है। न्यायतन्त्र में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय बीच में राज्यों में उच्च न्यायालय तथा निचले स्तर पर (जिलास्तर) ट्रायल कोर्ट, दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालय होते हैं।

न्यायपालिका के विषय में विस्तृत अध्ययन हम आगे के प्रकरण में करेंगे।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(1) सत्ता विश्लेषण का सिद्धान्त अर्थात् क्या ?

(2) लोकसभा सदस्यता के उम्मीदवार की योग्यताएँ कौन-कौन सी हैं ?

(3) लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यसाधक संख्या कितनी है ?

(4) राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है ?

(5) लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) सदन की मर्यादा का रक्षक है। समझाइए।

(6) राष्ट्रपति की आपातकालीन सत्ताएँ बताइए।

(7) महाभियोग की कार्यवाही क्या है ?

(8) संसद की सत्ताओं का उल्लेख कीजिए।

(9) स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं के विषय में जानकारी दीजिए।

(10) अधिकारीतन्त्र (अफरशाही) के अनिष्टों (दोष) की जानकारी दीजिए।

2. निम्नलिखित विधानों के कारण दीजिए :

(1) भारतीय संसद द्विसदनात्मक है।

(2) राज्यसभा स्थायी सदन है।

(3) भारत में संसद सर्वोपरि नहीं, बल्कि संविधान सर्वोपरि है।

(4) स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायतन्त्र लोकतन्त्र की आधारशिला है।

(5) स्थानीय स्वराज की संस्थाएँ लोकतन्त्र की प्रशिक्षणशाला तथा संविधान की प्रयोगशाला है।

(6) राज्य की विधानसभा राज्य के लोगों की इच्छा का प्रतिबिम्ब दर्शाती है।

(7) राज्यपाल, राज्य और केन्द्र के बीच एक कड़ी की भूमिका निभाता है।

(8) लोकसभा देश की चाबीरूप प्रजाकीय संस्था है।

(9) राजकीय कार्यपालिका तथा प्रशासनिक कार्यपालिका के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राज्य के सुशासन की पूर्व शर्त है।

(10) सक्षम तथा सक्रिय सनदी अधिकारी सरकार की रीढ़ के समान हैं।

3. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(1) राज्यपाल–स्थान और कार्य

(2) राज्य विधानसभा की कार्यपालिका विषयक सत्ताएँ

(3) प्रधानमंत्री का स्थान तथा उसकी कार्यपालिका विषयक सत्ताएँ

(4) राष्ट्रपति की विधायिनी तथा प्रशासनिक सत्ताएँ

(5) विधेयक के कानून बनने की प्रक्रिया।

(6) वित्त विधेयक के सन्दर्भ में संवैधानिक व्यवस्थाएँ

(7) राज्यसभा का महत्त्व तथा सीमाएँ

4. निम्नलिखित में से योग्य विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयुसीमा कितने वर्ष निश्चित की गई है ?

(A) 25 वर्ष (B) 30 वर्ष

(C) 35 वर्ष (D) 18 वर्ष

(2) भारत में लोकसभा की सदस्य संख्या तथा राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गयी है ?

(A) 545;250 (B) 455;350

(C) 182;11 (D) 543;238

(3) नीचे के किस राज्य में विधानमण्डल के दो सदन हैं ?

(A) कर्णाटक (B) आन्ध्रप्रदेश

(C) तमिलनाडु (D) राजस्थान

(4) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ?

(A) प्रधानमंत्री (B) राज्यपाल

(C) राष्ट्रपति (D) उपराष्ट्रपति

(5) लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है।

(A) 4 वर्ष (B) 6 वर्ष

(C) 2 वर्ष (D) 5 वर्ष

(6) राष्ट्रपति दो एंग्लोइन्डियन सदस्यों की नियुक्ति किस सदन में करता है ?

(A) राज्यसभा (B) लोकसभा

(C) गोवा विधानसभा (D) योजना-आयोग (नीतिआयोग)

(7) प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है ?

(A) उपराष्ट्रपति (B) राष्ट्रपति

(C) सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश (D) लोकसभा अध्यक्ष

(8) सही जोड़े मिलाइए :

प्रशासनिक संस्थाएँ	प्रशासनिक संस्थाओं के प्रमुख
(1) जिला सेवासदन	(A) मेयर
(2) महानगरपालिका	(B) डीडीओ (DDO)
(3) जिला पंचायत	(C) कलेक्टर
	(D) कमिश्नर

(A) 1-A, 2-C, 3-D (B) 1-C, 2-D, 3-B (C) 1-B, 2-C, 3-D (D) 1-C, 2-A, 3-B

(9) राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है ?

(A) 238 (B) 12 (C) 2 (D) 14

(10) संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है ?

(A) प्रधानमंत्री (B) गृहमंत्री

(C) वित्तमंत्री (D) सांसद

प्रवृत्ति : (कक्षा के विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करके प्रवृत्तियों को बाँटना)

- भारत के अभी तक के प्रधानमंत्रियों तथा उनका कार्यकाल एवं भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में सचित्र हस्तलिखित विवरणपत्र तैयार करवाएँ।
- गुजरात के सभी मुख्यमंत्रियों तथा उनके कार्यकाल का सचित्र भीतिपत्र तैयार करवाएँ।
- आपके विस्तार के एक लोकसभा सदस्य (सांसद), एक विधानसभा सदस्य, एक कॉर्पोरेटर अथवा सरपंच को विद्यालय में आमंत्रित करके उनके कामकाज के विषय में जानकारी प्राप्त करना तथा सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए।
- विद्यालय में किसी सामजिक, आर्थिक समस्या पर 'मोक पार्लियामेन्ट' का आयोजन करके चर्चा आयोजित कीजिए।
- विद्यार्थियों को विधानसभा सदन की अथवा कॉर्पोरेशन की सभा की प्रत्यक्ष मुलाकात द्वारा कार्यवाही को प्रत्यक्ष (Live) रूप दिखाने हेतु प्रवास का आयोजन कीजिए।
- विद्यालय में संविधान, मूलभूत अधिकार, कर्तव्य, मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा सरकार के अंगों पर आधारित क्वीज स्पर्धा आयोजित कीजिए।
- क्या हम भारत में पंचायतीराज द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सफल हुए हैं ? इस विषय पर चर्चासभा का आयोजन कीजिए।
- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वराज की संस्थाओं द्वारा शिक्षण, महिलाओं और बालकों के उत्कर्ष और कल्याण सम्बन्धित विविध योजनाएँ, नीति-कार्यक्रमों पर प्रोजेक्ट अथवा हस्तलिखित अंक तैयार करवाएँ।

•

11 भारत की न्यायपालिका

संघ सरकार के दो अंगों विधायिका तथा कार्यपालिका का अध्ययन करने के बाद अब हम उसके तीसरे स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा सुग्रथित ऐसे विशिष्ट अंग न्यायपालिका के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे।

भारत की संघीय शासन व्यवस्था में पूरे देश में सीढ़ीनुमा (सोपानबद्ध) सुग्रथित तथा एकसूत्रीय न्यायपद्धति है। भारत की न्यायपालिका की रचना सुग्रथित पिरामिड आकार की दिखायी देती है। हमारे देश में एकल न्यायतन्त्र की रचना की गयी है, जिसके अनुसार सबसे ऊपर देश की सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) होती है, मध्य में राज्यों के उच्च-न्यायालय तथा उनके अधीन जिला न्यायालय तथा तालुका व अन्य अधीनस्थ न्यायालय तथा उसके अधीन विशिष्ट न्यायालय, ट्रायल कोर्ट तथा अलग-अलग उद्देश्यों के लिए बनाई गई ट्रिब्युनल।

न्यायपालिका का महत्त्व

भारत में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और देखभाल के लिए तथा केन्द्र और राज्य के बीच अथवा राज्य-राज्य के बीच कार्यविभाजन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार विवादों का समाधान करने के लिए संघीय शासन व्यवस्था में तटस्थ तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। संविधान की सर्वोपरिता पर कोई प्रभाव न पड़े इसलिए किसी भी कानून की धारा (कलम) अथवा उसमें किए गए प्रावधान संविधान के साथ सुसंगत है या नहीं इसकी जाँच के किए, संविधान का अर्थघटन करने के लिए न्यायपालिका एक महत्त्वपूर्ण अंग है। विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन न हो, इसकी जाँच के लिए देश में एक स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ तथा निर्भीक न्यायपालिका लोकतन्त्र की आधारशिला है। न्यायिक प्रक्रिया में क्षति या विलम्ब न हो, सभी नागरिकों को त्वरित, सस्ता तथा समान न्याय प्राप्त हो, तो ही संविधान के उद्देश्य सिद्ध होंगे।

जहाँ पर कार्यपालिका तथा जाग्रत विधायिका हो वहाँ पर न्यायतन्त्र का हमेशा सक्रिय रहना आवश्यक है; लेकिन कई बार कार्यपालिका तथा प्रशासकीय कार्यपालिका की निष्क्रियता एवं गैरजिम्मेदारी के कारण तथा विधायिका की निरकुंशता के परिणामस्वरूप जाग्रत, निडर, स्वतन्त्र, निष्पक्ष ऐसी न्यायपालिका महत्त्वपूर्ण न्यायिक सक्रियता दिखाती है।

सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट)

देश की न्यायव्यवस्था में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) है। भारतीय संविधान के अनुसार यह देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। यह दिल्ली में स्थित है। भारत के सभी दीवानी और फौजदारी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उसकी सहायता करने का कार्य करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 28 अन्य न्यायाधीशों की संख्या का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों की संख्या में संसद परिवर्तन कर सकती है। परन्तु राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य का बोझ बढ़ गया है तो वह संविधान की सत्ता के अनुसार एड्हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता (सिनियोरिटी) के आधार पर की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ विचार-विमर्श करके की जाती है।

योग्यताएँ : सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति –

(1) भारत का नागरिक होना चाहिए।

(2) भारत के किसी भी उच्च-न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम पाँच (5) वर्ष तक कार्य करने का अनुभव अथवा

(3) किसी भी उच्च-न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकील के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए अथवा

(4) राष्ट्रपति के मतानुसार वह प्रसिद्ध न्यायविद् या प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ होना चाहिए।

(5) उसकी उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निवृत्ति की आयुसीमा 65 वर्ष है, वहाँ तक वह अपने पद पर बना रह सकता है।

कार्यकाल : सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश की सेवानिवृत्ति की आयुसीमा 65 वर्ष निर्धारित की गयी है। जब कि संसद कानून का निर्माण करके आयुसीमा में परिवर्तन कर सकती है। सेवानिवृत्ति होने के बाद वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है; लेकिन असाधारण संयोगों या प्रसंगों में जाँच के लिए नियुक्त की गई जाँच समिति का कार्य कर सकता है। अगर निवृत्ति से पहले अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अक्षम हो तो स्वेच्छा से राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अयोग्यता, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार तथा संवैधानिक मर्यादाओं का उलंघन जैसे आक्षेपों के आधार पर उसके विरुद्ध संसद में 'महाभियोग' प्रस्ताव की कार्यवाही द्वारा उसे उसके पद से बर्खास्त किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव की कार्यवाही इस प्रकार है – संसद के दोनों सदनों में उनके कुल सदस्यों की बहुमति तथा उस सदन में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले कम से कम $\frac{2}{3}$ (दो तृतीयांश) सदस्यों की बहुमति से पारित निवेदन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के आधार पर न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। संसद न्यायाधीश के अनुशासनहीनता से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए, जाँच की कार्यवाही तथा आरोप सिद्ध करने की कार्यवाही का नियमन करेगी। सम्बन्धित न्यायाधीश को संसद में उपस्थित रहकर अपने बचाव में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति पद और गोपनीयता तथा संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलवाता है तथा उन्हें प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता है।

सर्वोच्च न्यायालय की सत्ताएँ तथा कार्यक्षेत्र :

भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा विशेष सत्ता तथा विशाल कार्यक्षेत्र रखता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को मूलभूत क्षेत्राधिकार, विवादों के निबटारे का अधिकार तथा परामर्श देने का अधिकार, इसतरह, तीन भागों में बाँटा जा सकता है :

(1) मूलभूत क्षेत्राधिकार : जब अदालत को सर्वप्रथम ही विवाद को सुनकर निर्णय देने की सत्ता प्राप्त हो तो उसे न्यायालय का मूलअधिकार कहा जाता है तथा ऐसे विवादों में निर्णय करने की सत्ता अन्य किसी न्यायालय को नहीं सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इस अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित पक्षकार होने चाहिए, जिनके विवादों के निराकरण की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है :

(i) संघ सरकार तथा एक या उससे अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद के निराकरण की सत्ता प्राप्त है।

(ii) एक तरफ भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य दूसरी ओर एक या उससे अधिक राज्यों के बीच मतभेद, टकराव या विवाद के सम्बन्ध में समाधान करने की सत्ता।

(iii) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अर्थात् राज्यों-राज्यों के बीच झगड़ा तथा उत्पन्न विवादों के सन्दर्भ में निर्णय देने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है।

(iv) सर्वोच्च न्यायलय को संघ सरकार के किसी भी कानून अथवा संवैधानिक व्यवस्था से सम्बन्धित सभी प्रश्नों के सन्दर्भ में निर्णय देने का अधिकार है।

(v) इस न्यायालय को नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा और देखभाल करने की सत्ता के अलावा मूलभूत अधिकारों के भंग के विरुद्ध आवश्यक आदेश देने की सत्ता प्राप्त है।

राज्य-राज्य के बीच अथवा राज्यों-राज्य या राज्य-राज्यों के बीच नदी के जल बँटवारे या उपयोग सम्बन्धी विवादों के समाधान की सत्ता सर्वोच्च न्यायलय के मूलअधिकार के बाहर हैं। इसके लिए अलग 'जल न्यायपंच' (वाटर ट्रिब्युनल) निर्णय करती है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अन्तिम होता है। इसे अन्य किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। उसे स्वीकार करना सबके लिए अनिवार्य है।

(2) अपील का क्षेत्राधिकार (विवाद अधिकार क्षेत्र) : सर्वोच्च न्यायालय के विवाद अधिकार क्षेत्र में तीन प्रकार के विवादों में ही अपील की जा सकती है : (i) संविधान के अर्थघटन का विवाद (ii) दीवानी दावों से सम्बन्धित विवाद (iii) फौजदारी दावों से सम्बन्धित विवाद।

(i) भारत के किसी भी उच्चन्यायालय में किसी भी विवाद में दिए गए निर्णय, आदेश या अन्तिम आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील तभी हो सकती है जब उच्च-न्यायालय ने अपने निर्णय में यह प्रमाण-पत्र दिया हो कि इस विवाद में संविधान की किसी कलम (धारा) के अर्थघटन का महत्त्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है तथा उन प्रश्नों के सन्दर्भ में गलत तरीके से निर्णय दिया गया है, इन कारणों से नाराज पक्षकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अगर कोई उच्च-न्यायालय इस प्रकार का प्रमाणपत्र नहीं देता है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा विश्वास हो कि उच्च-न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में संविधान

के अर्थघटन के प्रश्न समाविष्ट हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय विशेष आदेश दे सकती है। लेकिन अपील में नया कारण नहीं जोड़ा जा सकता है। केस का पक्षकार ही उन्हीं कारणों से ही अपील कर सकता कि विवादों का निर्णय उच्चन्यायालय या अन्य न्यायालय द्वारा गलत रीति से दिया गया है। जो व्यक्ति उच्चन्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार के रूप में होता है, वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

(ii) दीवानी मामलों में उच्चअदालत ऐसा प्रमाणपत्र दे कि विशेष महत्त्वपूर्ण है तथा उसमें कानून के अर्थघटन का महत्त्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है और उस प्रश्न पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करे, यह आवश्यक है, तब ऐसे मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। लाख से अधिक रकम के दीवानी दावों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(iii) फौजदारी मामलों में निचली अदालत ने आरोपी को मृत्युदण्ड की सजा से मुक्त किया हो, लेकिन उच्चन्यायालय ने आरोपी को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई हो, तब ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्चन्यायालय ने अपने अधीन किसी अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले को अपने पास मंगाकर आरोपी को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई हो तथा ऐसा प्रमाणपत्र दिया हो कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए फैसलों (निर्णयों) का स्वयं पुनरावलोकन (पुन:समीक्षा) कर सकता है। अन्य किसी भी अदालत में चल रहे विवाद को अपने पास मंगा सकता है। संसद कानूनों का निर्माण करके सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में बढ़ोत्तरी कर सकता है।

(3) सलाह क्षेत्राधिकार (परामर्श सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र) : अगर राष्ट्रपति को किसी महत्त्वपूर्ण मामले या प्रश्न जैसे कोई कानूनी प्रश्न अथवा सार्वजनिक हित से सम्बन्धित कोई मुद्दा हो और उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अभिप्राय लेना योग्य लगता हो, तो ऐसे प्रश्नों को राष्ट्रपति विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है। इस प्रावधान के अन्तर्गत कानून से सम्बन्धित प्रश्न, सत्यता से सम्बन्धित प्रश्न, संविधान के अर्थघटन का प्रश्न, किसी विधेयक से सम्बन्धित प्रश्नों पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह ले सकता है, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय को विचार के लिए भेजे गए प्रश्नों पर विचार या अभिप्राय देना योग्य नहीं लगता हो तो ऐसे प्रश्नों को न्यायाधीश राष्ट्रपति के पास वापस भेज सकता है। किसी भी मामले में न्यायाधीश द्वारा दिए गए अभिप्राय या सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है।

(4) अन्य सत्ताएँ : सर्वोच्च न्यायालय को आगे दिए गए अपने किसी भी निर्णय की पुन:समीक्षा करने की सत्ता प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय के तिरस्कार के लिए सजा सुना सकता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग के चुनाव सम्बन्धी विवादों को हल करने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के सन्दर्भ में कार्यपालिका के किसी भी कदम, कानून अथवा आदेश, जो संविधान के साथ सुसंगत नहीं है उसके आधार पर उन्हें असंवैधानिक घोषित करने तथा ऐसे कानूनों, आदेशों को रद्द करने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यह सत्ता संवैधानिक उपचार का अधिकार के अन्तर्गत संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय संविधान तथा नागरिकों के अधिकारों के रक्षक-संरक्षक की भूमिका निभाता है।

नज़ीरी अदालत (कोर्ट ऑफ रिकार्ड्स)

नज़ीरी अदालत अर्थात् ऐसी अदालत जिसके रिकॉर्ड्स सबूतों (प्रमाण) के रूप में महत्त्व रखते हैं। जब इन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है तब इनकी वैधानिकता के समक्ष कोई विरोध नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय स्थायी दस्तावेज माने जाते हैं, जो सर्वमान्य होते हैं। उसका उपयोग अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों में निर्णय के समय सन्दर्भ के रूप में किया जाता है। इनकी अवगणना तथा तिरस्कार करने वाला सजा का पात्र होगा।

उच्च-न्यायालय (हाईकोर्ट)

भारत में संलग्न, सुग्रथित तथा एकतन्त्रीय पिरामिड आकार की न्यायपालिका की व्यवस्था में बीच की कड़ी रूप महत्त्वपूर्ण न्यायालय राज्य का उच्च-न्यायालय है। जो राज्य के विस्तारों में सर्वोपरि है। प्रत्येक इकाई राज्य में एक उच्च-न्यायालय की व्यवस्था का उल्लेख संविधान में किया गया है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च-न्यायालय की रचना करने की सत्ता राष्ट्रपति के पास है। सर्वप्रथम 1862 में ब्रिटिश शासन में मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई जैसे प्रदेशों में उच्च-न्यायालयों की स्थापना की गई थी। भारत में आज भी पंजाब, हरियाणा तथा चण्डीगढ़ राज्यों के बीच एक ही उच्च-न्यायालय है, इसी प्रकार असम के उच्च-न्यायालय का कार्यक्षेत्र असम के उपरान्त मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचलप्रदेश तक फैला हुआ है।

रचना : उच्च-न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से विचार-विमर्श करके करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय उच्च-न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। वास्तव में राष्ट्रपति अर्थात् प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार व्यवहार करनेवाला राष्ट्रपति अभिप्रेत है जिससे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ विचार-विमर्श के अनुसार उच्च-न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है।

उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है। वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। उच्च-न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को अनुशासनहीनता अथवा भ्रष्टाचार तथा अकार्यक्षमता के कारण राष्ट्रपति संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार संसद में महाभियोग की कार्यवाही पूर्ण करने तथा आरोप सिद्ध होने पर पद से हटा सकता है। उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों का किसी भी राज्य में स्थानान्तरण किया जा सकता है। सभी उच्च-न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या एक समान नहीं होती है। राष्ट्रपति को आवश्यक लगे तो वह ऐसे मामलों की संख्या तथा कामकाज के बोझ को ध्यान में रखते हुए दो वर्ष के लिए एड्हॉक के आधार पर उच्च-न्यायालय के अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च-न्यायालय का कामकाज अंग्रेजी भाषा में होता है, लेकिन अगर किसी राज्य की विधानसभा अपने राज्य की भाषा में, जो उस राज्य में है उच्च-न्यायालय अपना कामकाज कर सकता है ऐसा प्रस्ताव पारित करे, तो राज्य के उच्च-न्यायालय में उस राज्य की भाषा में कामकाज किया जा सकता है।

योग्यताएँ : संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश के लिए (i) भारत का नागरिक होना चाहिए (ii) भारत के राज्यों में स्थित किसी भी निचली अदालत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य का अनुभव होना चाहिए अथवा (iii) उच्च-न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। (iv) राष्ट्रपति की दृष्टि में वह न्यायविद्, संविधान का विशेषज्ञ अथवा कानूनविद् होना चाहिए (v) उसकी उम्र 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। उच्च-न्यायालय

उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के राज्यपाल अथवा इस संदर्भ में नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेना होता है और प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करना होता है।

उच्चन्यायालय के अधिकार क्षेत्र : उच्च-न्यायालय की सत्ता तथा कार्यक्षेत्र को निम्नलिखित चार भागों में बाँटा जा सकता है :

(1) मूलभूत अधिकार क्षेत्र : उच्च-न्यायालयों को नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन (भंग) के बदले में कोई व्यक्ति, सत्तासमूह या सरकार के विरुद्ध आदेश, हुक्म अथवा परमादेश, बन्दीप्रत्यक्षीकरण (हैबियस कोर्पस) जैसे आज्ञापत्रों को जारी करने की सत्ता प्राप्त है। कम्पनी सम्बन्धी, विवाह, तलाक तथा भरण-पोषण सम्बन्धित विवाद पर निर्णय देने की सत्ता उच्च-न्यायालय को प्राप्त है। न्यायालय का अपमान, जमीन-महसूल तथा उसको वसूलने से सम्बन्धित विवाद, जमीनसंपादन और मुआवजा सम्बन्धी दावों के मुकदमे की सुनवाई उच्च-न्यायालय करता है। सभी दीवानी और फौजदारी मामलों में निचली अदालतों के द्वारा दिए निर्णयों के विरुद्ध की गई रीट याचिकाओं, चुनावों को चुनौती देने वाली अर्जियों, कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं तथा प्रवेश परीक्षा की व्यवस्थाओं को चुनौती देने वाली पीटीशन उच्च-न्यायालय में की जा सकती है।

(2) विवाद सम्बन्धी (अपील) अधिकारक्षेत्र : उच्च-न्यायालय के कार्य क्षेत्र में, राज्य में स्थित निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध उच्च-न्यायालय में अपील की जा सकती है, इसे अपील क्षेत्राधिकार कहते हैं। उच्च-न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों या ट्रिब्युनल्स के फैसलों के विरुद्ध अपील को स्वीकार कर उस पर सुनवाई करता है। जिले के फौजदारी न्यायालय (सेशन्स कोर्ट) का न्यायाधीश जब आरोपी को उसके गुनाह के बदले चार साल से अधिक की सजा सुनाई हो, तो उस फैसले के विरुद्ध पक्षकार उच्च-न्यायालय में अपील कर सकता है। सेशन्स कोर्ट ने किसी आरोपी को अपने अधीन फौजदारी न्यायालय के फैसले के विरुद्ध हत्या के आरोप में मृत्युदण्ड की सजा सुनाई हो, उसके विरुद्ध उच्चन्यायालय में अपील हो सकती है। ट्रिब्युनलों के फैसलों से नाराज पक्षकार भी उच्च-न्यायालय में अपील कर न्याय प्राप्त कर सकता है। उच्च-न्यायालय किसी मामले में संविधान के अर्थघटन सम्बन्धी कानून के महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय करने की सत्ता रखता है।

(3) प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र : प्रत्येक उच्च-न्यायालयों को जिस राज्य या प्रदेश में उसका अधिकार होता है, उस प्रदेश की सभी न्यायालयों तथा न्यायआयोगों (ट्रिब्युनल्स) पर देखरेख करने की तथा कार्यवाही का नियमन करवाने की सत्ता प्राप्त है। उच्च-न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर ऐसे न्यायालयों के पास से केस पेपर्स तथा अन्य आवश्यक कागजात मँगाकर केस चलाने की सत्ता रखता है। अपने अधीनस्थ न्यायालयों के व्यवहार और कानून का नियमन करने के लिए सामान्य नियमों का निर्माण कर सकता है। उच्च-न्यायालय विविध प्रकार के फीस का मापदण्ड तथा नमूना निश्चित कर सकता है। विविध प्रावधान संविधान

के साथ सुसंगत होने चाहिए। अधीनस्थ न्यायालयों को उसका हिसाब–किताब तथा उसका विवरण किस तरह करना है, उसके सम्बन्ध में उच्च-न्यायालय मार्गदर्शन देता है।

उच्च-न्यायालय नज़ीरी अदालत (कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड्स) का स्थान रखता है। उच्च-न्यायालय स्वयं दिए गए फैसलों, निर्णयों को योग्य और व्यवस्थित स्वरूप में संग्रहित करके उसे प्रकाशित करने का कार्य करता है। ये फैसले या निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अन्तिम गिने जाते हैं तथा भविष्य में अन्य मुकदमों में निर्णय लेने में मार्गदर्शक बनते हैं। वकील किसी मुकदमे में पक्ष या विरुद्ध में दलीलों में इन फैसलों या निर्णयों को सन्दर्भ के रूप में उपयोग करते हैं। ऐसी अदालतों को अपने तिरस्कार के बदले सजा देने की सत्ता प्राप्त होती है।

गुजरात का उच्च-न्यायालय सरखेज–गांधीनगर हाइवे, सोला, अहमदाबाद में स्थित है।

अधीनस्थ (निचली) न्यायालय

राज्यों की उच्च-न्यायालयों की देखरेख तथा नियमन अन्तर्गत अधीनस्थ जिला और तालुका न्यायालय, फास्टट्रेक कोर्ट, पोटा न्यायालय, ट्रिब्युनल तथा अनेक विशेष न्यायालय हैं। प्रत्येक राज्य को प्रशासनिक इकाई–जिला में विभाजित किया गया है, जिसमें दीवानी, फौजदारी तथा महसूली न्यायालय का समावेश होता है।

जिला न्यायाधीश

किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति अथवा उसकी जगह पर नियुक्ति अथवा पदोन्नति उस राज्य के सम्बन्ध में अधिकार रखने वाले उच्च-न्यायालय के साथ विचार–विमर्श करके उस राज्य का राज्यपाल करता है।

योग्यताएँ : जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। कम से कम सात वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए। केन्द्र सरकार या राज्यसरकार के न्याय विभाग में अधिकारी के रूप में सेवा का समावेश भी योग्यता के अन्तर्गत किया जाता है। जिला न्यायाधीश के सिवाय अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल अथवा उच्च-न्यायालय राज्य लोकसेवा आयोग के साथ विचार–विमर्श करके संवैधानिक नियमों के अन्तर्गत करता है।

जिला न्यायालय में दीवानी मुकदमों (सिविल मैटर) की सुनवाई जो न्यायाधीश करता है, उसे जिला न्यायाधीश तथा फौजदारी मुकदमों की सुनवाई जो मजिस्ट्रेट करता है, उसे सेशन्स न्यायाधीश कहा जाता है। जिला न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध की गई अर्जियों की सुनवाई करता है। प्रत्येक जिले के दीवानी न्यायालयों में एक लाख रुपये तक के दावे सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध मुकदमा चलाने की सत्ता है। इन न्यायालयों का सिविल जज सरकार के विरुद्ध मुकदमों के अलावा विवाह, तलाक, भरण–पोषण, जमीन संपादन, मुआवजा सम्बन्धित दावों आदि मुकदमों को सुनने की सत्ता रखता है।

फौजदारी न्यायालय में सेशन्स कोर्ट, फर्स्टक्लास ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकण्ड क्लास ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत तथा मामलतदार एवं एक्जीक्युटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है। इन न्यायालयों में तीन वर्ष तक की कैद से लेकर दस वर्ष तक की कैद की सजा तथा 5000 ₹ या उससे अधिक रकम तक का दंड दिया जा सकता है। हत्या के केस में मृत्युदण्ड, फाँसी, आजीवन कारावास जैसी सजा देने की सत्ता प्राप्त है।

इनके अलावा जिले में स्मॉलकाज कोर्ट, फेमिली कोर्ट भी होती है। जमीन–लगान के केसों के लिए राजस्व अदालत तथा मजदूरों के विवाद के लिए मजदूर अदालत (लेबर कोर्ट) की रचना की गई है। इनके अलावा कुछ विशिष्ट न्यायालयों की रचना की गई है, जैसे वाहन–अकस्मात में मुआवजा के लिए ट्रिब्युनल, शिक्षक–अध्यापकों की नौकरी के अधिकार और उनके हितों की सुरक्षा के लिए 'गुजरात शैक्षणिक संस्था सेवा ट्रिब्युनल' ग्राहक सुरक्षा के लिए 'ग्राहक तकरार निवारण फोरम' आदि भी न्यायालय की भूमिका निभाते हैं तथा पक्षकारों को हुए नुकसान के सन्दर्भ में उनका समाधान कर योग्य मुआवजा दिलवाते हैं। इसके उपरान्त गुजरात राज्य के प्रत्येक जिलों में अनेक केसों के त्वरित समाधान तथा आवेदक को शीघ्र न्याय प्राप्त हो, इस उद्देश्य से 'फास्ट ट्रेक कोर्ट' की व्यवस्था की गई है। पोटा के केसों को चलाने के लिए गुजरात पोटा न्यायालय की रचना की गई है। इन सभी न्यायालय ने न्यायिक कार्य का विकेन्द्रीकरण करके एकसूत्रता के आधार पर स्वतन्त्र और निष्पक्ष रहते हुए तटस्थ तथा न्यायिक कार्य द्वारा जनता का ध्यान आकृष्ठ किया है। जनता जाग्रत होकर आज उसका लाभ उठा रही है।

लोकअदालत

गरीबों, समाज के पिछड़े तथा शोषित वर्गों को त्वरित एवं सस्ता न्याय मिले तथा न्यायप्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से गुजरात राज्य द्वारा सर्वप्रथम राज्य में लोकअदालत की रचना की गई है। इस अदालत के सम्बन्ध में ''कानूनी सेवा सत्ता मण्डल, अहमदाबाद'' के उपक्रम से मुफ्त कानूनी सहायता तथा मार्गदर्शक केन्द्र के रूप में कार्य करता है। अवकाश के दिन या रविवार को भी पक्षकारों की सहमति से जिला तथा तालुका केन्द्रों पर लोकअदालत का आयोजन किया जाता है। लोकअदालतों

में मुख्यरूप से मोटर वाहन दुर्घटना एवं मुआवजा, तलाक, भरण-पोषण, सामान्य लेनदारी, व्यक्तिगत शिकायतें, पुलिस शिकायतें आदि प्रस्तुत की जाती हैं। लोक अदालतों में वकीलों, समाजिक कार्यकर्ताओं, प्रतिष्ठित नागरिकों, उद्योगपतियों, पुलिस अधिकारियों, बीमा कम्पनियों के अधिकारियों के अलावा न्यायाधीश या न्यायिक कर्मचारी होते हैं। यहाँ दोनों पक्षकारों के बीच, उन्हें सन्तोष प्राप्त हो इस तरह से स्थायी शान्ति तथा सुलह के लिए समाधान होता है, जिसमें किसी पक्षकार की हार या जीत नहीं होती है। लोकअदालतों में धन और समय की बचत होती है। वर्षों से रुके हुए या विलम्बित केसों का त्वरित समाधान होता है। लोकअदालत के निर्णयों (फैसलों) को कानूनी समर्थन प्राप्त होता है। इसी से लोकअदालतें आज लोगों के आकर्षण का केन्द्र बनी हैं।

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता

भारतीय संविधान में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा एवं समाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समानता और न्याय स्थापित करने का कार्य न्यायपालिका को सौंपा गया है, जो विधायिका तथा कार्यपालिका से स्वतन्त्र, तटस्थ रहकर तथा निर्भीक ढंग से करना सुनिश्चित किया गया है। न्यायापालिका का कोई भी कदम सरकार के पक्ष में अथवा सरकार के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में योग्यता का स्तर, नियुक्ति की प्रक्रिया, वेतन-भत्ता, पदोन्नति, स्थानान्तरण, सेवा निवृत्ति आदि सुस्थापित विधि अनुसार संवैधानिक प्रावधानों के अधीन कार्यपालिका द्वारा निश्चित किया जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति एक निश्चित समय के लिए की जाती है। राजनैतिक प्रभाव या मनमाने ढंग से कार्यपालिका किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटा नहीं सकती है। उसके वेतन-भत्ता, नौकरी की शर्तों, पदोन्नति, स्थानान्तरण, निवृत्ति का लाभ, पेन्शन फंड, इन सभी मामलों में उन्हें नुकसान हो, इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान उनके कामकाज तथा फैसलों के सम्बन्ध में संसद या विधानसभा में कोई भी चर्चा या उस पर टीकात्मक प्रतिक्रिया की जा सकती है। सेवानिवृत्त होने के बाद कोई भी न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। इन सभी प्रावधानों के पीछे मूलभूत उद्देश्य न्यायाधीश निर्भयतापूर्वक, ईमानदारी तथा स्वाभिमान के साथ स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन कर सके तथा जनता को सच्चा, पारदर्शी एवं त्वरित न्याय प्रदान कर सके। भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका को स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ, एकसूत्री तथा विशिष्ट स्थान दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में सार्वजनिक हित के दावों, सार्वजनिक हित के प्रश्नों या सार्वजनिक हित की समस्याओं के हल के लिए मात्र पोस्टकार्ड अथवा सामान्य पत्र द्वारा की गई शिकायतों को सार्वजनिक हित की शिकायत के रूप में स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका को समय-समय पर आवश्यक आदेश दिए हैं। जिसके कारण न्यायापालिका की सक्रियता भी लोगों को दिखाई देती है।

इस समय न्यायपालिका के पास करीबन 3.5 करोड़ से अधिक मुकदमे (केस) हैं। अपर्याप्त न्यायालयों तथा न्यायाधीशों एवं अन्य स्टाफ की कमी के कारण न्याय में होने वाले असह्य विलम्ब को रोकने तथा लगभग डेढ़ हजार से अधिक पुराने और अप्रस्तुत कानूनों को बदलने की तैयारी वर्तमान सरकार ने की है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए :

(1) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आवश्यक योग्यताएँ बताइए।
(2) सर्वोच्च न्यायालय के मूलभूत क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सत्ताओं की जानकारी दीजिए।
(3) सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर के विषयों के बारे में जानकारी दीजिए।
(4) महाभियोग की कार्यवाही को समझाइए।
(5) फौजदारी मुकदमों की अपील के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय की सत्ताओं के बारे में चर्चा कीजिए।
(6) उच्चन्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता बताइए।
(7) अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में जानकारी दीजिए।

2. निम्नलिखित विधानों को समझाइए :

(1) न्यायपालिका लोकतन्त्र की आधारशिला है।
(2) सर्वोच्च न्यायालय संविधान तथा नागरिकों के अधिकारों का रक्षक-संरक्षक है।
(3) उच्च-न्यायालय का स्थान कड़ी स्वरूप है।
(4) लोक अदालतें आकर्षण का केन्द्र बनी हैं।
(5) विधायिका तथा कार्यपालिका जब गैरजिम्मेदार बन जाए, तब न्यायपालिका की सक्रियता आशीर्वाद सिद्ध होती है।
(6) सर्वोच्च न्यायालय को नजीरी अदालत कहा जाता है।
(7) सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है।

3. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(1) न्यायपालिका की स्वतन्त्रता

(2) उच्च-न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार

(3) नज़ीरी अदालत

(4) लोकअदालत तथा सार्वजनिक हित के दावे (PIL)

(5) अधीनस्थ न्यायालय

4. निम्नलिखित विकल्पों में से योग्य विकल्प चुनिए :

(1) सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च-न्यायालयों के न्यायाधीशों की निवृत्ति-आयुसीमा है।

(A) 65 तथा 58 (B) 65 तथा 60 (C) 60 तथा 65 (D) 65 तथा 62

(2) जिला न्यायाधीश की योग्यता के अन्तर्गत वकील के रूप में अनुभव आवश्यक है।

(A) तीन वर्ष (B) सात वर्ष (C) दस वर्ष (D) पाँच वर्ष

(3) मिजोरम तथा त्रिपुरा का उच्च-न्यायालय किस राज्य में स्थित है ?

(A) मेघालय (B) अरुणाचल प्रदेश (C) असम (D) नागालैंड

(4) गुजरात में मुफ्त कानूनी सेवा सत्ता मण्डल का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है ?

(A) वडोदरा (B) राजकोट (C) अहमदाबाद (D) गाँधीनगर

(5) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है ?

(A) प्रधानमंत्री (B) राष्ट्रपति (C) उपराष्ट्रपति (D) कानूनमंत्री

(6) ग्राहक की शिकायत दूर करने के लिए किस संस्था की रचना हुई है ?

(A) मुफ्त कानूनी सहायता (B) दीवानी कोर्ट

(C) ग्राहक फोरम (D) स्मॉल कॉज कोर्ट

प्रवृत्ति

- विद्यालय में 'विद्यार्थी अदालत' की रचना करना तथा विद्यालय में होने वाली छोटी-बड़ी अशिष्ट घटनाओं के सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करके सजा करने का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देना।
- सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का सचित्र विवरण के साथ हस्तलिखित अंक तैयार करवाना।
- अन्तिम पाँच वर्ष के ध्यानाकर्षण फैसलों की स्क्रेपबुक तैयार करवाइए।
- न्यायपालिका को निष्पक्ष, निडर तथा तटस्थ रहना चाहिए, इस विषय पर विद्यालय में निष्णात धाराशास्त्री की आवश्यकता में चर्चा सभा आयोजित कीजिए।
- 'लोकअदालत' तथा 'ग्राहक फोरम (कोर्ट)' की कार्यवाही का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करवा कर स्व-अनुभव के आधार पर निबन्ध स्पर्धा या समाचार लेखन करवाएँ।
- न्यायपालिका की सर्वोपरिता तथा स्वतन्त्रता पर प्रसिद्ध कानूनी विशेषज्ञों के वार्तालाप का आयोजन कीजिए।
- मानव अधिकार दिवस या ग्राहक सुरक्षा दिवस को मनाने के उद्देश्य से पोस्टर स्पर्धा, नारा स्पर्धा आयोजित कर अपने विस्तार में जनजागृति रैली का आयोजन कीजिए।

•

12 भारतीय लोकतन्त्र

हमारा देश पूरे विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश है। आबादी की दृष्टि से विश्व में हमारा देश सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। इस अनोखे लोकतन्त्र को आज साढ़े छः दशक से अधिक वर्ष हो चुके हैं। इस दौरान हमारे देश में कई राजनीतिक तूफ़ान और उतार-चढ़ाव आए, फिर भी हमारा लोकतन्त्र मतदाताओं की निष्ठा एवं सूझबूझ के कारण टिका हुआ है। हम लोकतन्त्र की रक्षा तथा जतन के लिए प्रयास करते हैं। अब हम भारतीय लोकतन्त्र के महत्त्वपूर्ण लक्षणों का अध्ययन करेंगे।

लोकतन्त्र में चुनाव

विश्व के कई देशों में लोकतन्त्र है। लोकतन्त्र होने के बावजूद प्रत्येक शासन व्यवस्था में भिन्नता दिखाई देती है। लोकतन्त्र में मतदाता अपना मत देता है। शासन व्यवस्थाओं में भिन्नता होने के बावजूद हर एक लोकतन्त्र में मताधिकार और मतदान सर्वसामान्य विषय है। मतदाता चुनाव के समय अपना मत देकर लोकतन्त्र को जीवन्त रखने में सहयोगी बनता है। हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसद लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। संघ की संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा का समावेश होता है। हमने पिछले पाठ में देखा कि संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा तथा निचला सदन लोकसभा है। राज्यों में विधानसभा होती है जब कि कुछ राज्यों में विधान परिषद कार्यरत हैं। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद की रचना के केन्द्र में मतदाता हैं। हमारे देश में स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में चुनाव मतदान द्वारा होता है। इस प्रकार चुनाव द्वारा लोकतन्त्र चरितार्थ होता है।

लोकतन्त्र एवं मतदाता

लोकतन्त्र में मतदाता का महत्त्व है। हमारे देश में सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति, जिसका नाम मतदाता सूची में नामांकित हो, वह व्यक्ति मतदान कर सकता है। जो दिवालिया न हो, मानसिक रूप से अस्थिर घोषित न किया गया हो, ऐसा प्रत्येक भारतीय नागरिक किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना मत देने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। निरक्षरता, गरीबी तथा ऐसी अनेक समस्याओं के बीच भी सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान ने मतदाताओं के ऊपर विश्वास किया है। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार में 'प्रति व्यक्ति एक मत' के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। लोभ, लालच और डर के बिना मतदान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। मतदाता को हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति जाग्रत रहना चाहिए। संविधान में प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, भाषा, शिक्षा आदि के भेदभाव के बिना मतदान का अधिकार दिया गया है। लोकतन्त्र में मतदान एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। हमारे देश में सार्वत्रिक मताधिकार है। मतदान मतदाता का अधिकार होने के अलावा मतदान हमारा कर्तव्य भी है। प्रत्येक मतदाता को अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए।

लोकतन्त्र का आधार स्तम्भ—चुनाव

लोकतन्त्र का आधार अर्थात् चुनाव। चुनाव के समय त्योहार जैसा वातावरण दिखाई देता है। चुनाव के समय जनता अपने प्रतिनिधि का मूल्यांकन कर सकती है। निर्धारित योग्यता रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। चुनाव में राजनीतिक पक्ष के साथ-साथ अपक्ष (निर्दलीय) उम्मीदवार भी चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में जिस राजनीतिक पक्ष या राजनीतिक पक्षों के गठबन्धन के सबसे अधिक उम्मीदवार विजयी हुए हों वह सत्ता प्राप्त करता है। लोकतन्त्र में लोगों का समर्थन प्राप्त करके ही सत्ता तक पहुँचा जा सकता है। अपने लोकतन्त्रात्मक शासन में देश की सबसे उच्च तथा बड़ी संस्था संसद तथा सबसे छोटी आधारभूत इकाई (संस्था) ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत तथा जिला पंचायत जैसी स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में भी चुनाव होते हैं। इन संस्थाओं में लोगों के मतदान द्वारा ही विजेता सदस्यों का चयन होता है। छोटे शहरों में नगरपालिका तथा बड़े शहरों में महानगरपालिका का चुनाव होता है। चुनाव लोकतन्त्र को जीवन्त रखता है।

राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के लिए चुनाव अधिक महत्त्व रखता है। चुनाव लोकतन्त्र का थर्मामीटर है। चुनाव मतदाता को अपने उम्मीदवार का मूल्यांकन करने का मौका देता है। चुनाव देश में नई राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रवाह का निर्माण करता है। चुनाव से देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। चुनाव के द्वारा सरकार का भविष्य निश्चित होता है। राजनीतिक दलों के अलावा अपक्ष तथा विविध संगठन भी चुनाव लड़ते हैं। संसदीय लोकतन्त्र में जिस राजनीतिक पक्ष के उम्मीदवार सबसे अधिक संख्या में चुने जाते हैं वह दल या गठबन्धन के आधार पर चुने गए सदस्यों का समूह सत्ता प्राप्त करके सरकार की रचना करता है। लोकतन्त्र में लोगों का समर्थन चुनाव द्वारा ही जाना जा सकता है। प्रजा के समर्थन द्वारा ही सत्ता प्राप्त की जा सकती है या सत्ता को टिकाए रखा जा सकता है। चुनाव लोकतन्त्र का प्राण है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी हो, यह अत्यन्त आवश्यक है।

लोकतन्त्र में लोकमत

हमारे देश में प्रतिनिधि लोकतन्त्र है। यहा मतदान द्वारा विजेता घोषित होने वाला लोकप्रतिनिधि बनता है। इस प्रकार प्रतिनिधि लोकतन्त्र में सत्ताधारी पक्ष सत्ता को टिकाए रखने के साथ पुनः सत्ता में आने का लक्ष्य रखता है। जो दल सत्ता में नहीं है वह सत्ता प्राप्त करने के लिए लोकमत तैयार करने का प्रयत्न करता है। सत्ता को टिकाए रखने के लिए अथवा सत्ता में पुनः वापस आने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ना आवश्यक बन जाता है। सरकार में बने रहने के लिए सरकार की कार्यवाही, नीति तथा विविध प्रश्नों के विषय में लोगों के विचारों के अलावा लोकमत को ध्यान में रखना आवश्यक बन जाता है। लोकमत राजनैतिक पक्षों, प्रतिनिधियों तथा संगठनों के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

प्रबल और संगठित लोकमत का लोकतन्त्र में विशेष महत्त्व है। लोकमत सरकार को गलत कार्यवाही करने से रोकता है। लोकमत के द्वारा देश में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है, जहाँ सरकार देशहित की अवहेलना न कर सके। जाग्रत, बुद्धिशाली तथा प्रबुद्ध नागरिकों को सरकार भ्रमित नहीं कर सकती है। आधुनिक समय में लोकमत को जाग्रत करने में कुछ माध्यम बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन माध्यमों का विस्तार में परिचय प्राप्त करेंगे।

लोकतन्त्र में लोकमत जाग्रत करने वाले माध्यम

जनमानस को जाग्रत करने के लिए तथा लोकमत तैयार करने में प्रचार-प्रसार के माध्यम आज बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे है। आधुनिक समय में लोगों तक अपनी बात या विचार को पहुँचाने के लिए अनेक माध्यमों का उपयोग हो रहा है। इन माध्यमों को मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा जा सकता है। आधुनिक समय में लोकमत के निर्माण में मुख्य सहायक माध्यम नीचे दिये अनुसार हैं :

मुद्रित माध्यम : आधुनिक समय में देश और दुनिया की घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें, समझ सकें, इस लिए दैनिक समाचारपत्रों, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा निश्चित प्रकार की पत्रिकाओं का विशेष महत्त्व है। ऐसे माध्यमों में छपकर (मुद्रित) आने वाली जानकारियों को पढ़कर, जानकारी प्राप्त करके अपने अभिप्राय के साथ बात को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। विविध विचारधारा के लोग एक ही बात को पढ़कर अलग-अलग सारांश प्राप्त करें, ऐसा हो सकता है। छपी हुई एक ही प्रकार की जानकारी के सन्दर्भ में लोग अपना-अपना व्यक्तिगत अभिप्राय प्रस्तुत करते हैं। इन अभिप्रायों की जानकारी सत्य, तटस्थ तथा किसी भी प्रकार के पूर्वग्रहयुक्त न हो, यह अति आवश्यक है। अगर ये जानकारियाँ पूर्वग्रह के साथ छापी गईं हों तो गलत लोकमत निर्मित होने की संभावना होती है। गलत लोकमत निर्मित करने के लिए सरकार अपनी सिद्धियों को ही बताए और अपनी गलतियों, निष्फलताओं या कमियों को छुपा ले, ऐसा न हो इसलिए ''अखबारी स्वतन्त्रता'' का होना आवश्यक है। हमारा देश भाषा, संस्कृति तथा प्रादेशिक विविधताओं वाला देश होने के कारण देश की विविधताओं के बीच प्रादेशिक भाषाओं के स्थानीय समाचारपत्र आज अधिक लोकप्रिय बने हैं। इन कारणों से लोकमत को जाग्रत करने में ये माध्यम महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ साक्षरता का प्रमाण कम हो ऐसे देश या प्रदेशों में मुद्रित माध्यम लोकमत को जाग्रत करने में असरकारक साबित नहीं हो पाते हैं। इसके बावजूद मुद्रित साहित्यों के प्रभाव के कारण आज विविध संगठन, औद्योगिक समुदाय एव राजकीय पक्ष अपने दैनिकपत्रों या अखबारों का प्रकाशन करते हैं। सरकार द्वारा अनेक प्रकार के सामयिक एवं जानकारी देने वाले अंकों का भी प्रकाशन किया जाता है।

बीजाणु (इलेक्ट्रॉनिक) माध्यम : लोकमत जाग्रत करने में रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा जैसे दृश्य-श्राव्य माध्यमों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जहाँ निरक्षरता का प्रमाण अधिक हो वहाँ यह माध्यम अधिक असरकारक सिद्ध होते हैं। वर्तमान समाचार-पत्र तथा सामयिकों की अपेक्षा रेडियो और टेलीविजन का महत्त्व अधिक दिखाई देता है। देश-विदेश की घटनाओं का सीधा प्रसारण

उसी समय रेडियो और टेलीविजन द्वारा व्यक्ति तक आसानी से पहुँचता है। धारावाहिकों, नाटकों और फिल्मों द्वारा मनोरंजन के साथ अस्पृश्यता, दहेजप्रथा, शोषण, गरीबी जैसी सामाजिक तथा आर्थिक सिवाय अन्य समस्याओं को प्रभावपूर्ण रूप से प्रस्तुत करके लोकमत को जाग्रत किया जा सकता है।

आधुनिक युग में टेलीविजन के उपरान्त इन्टरनेट के आगमन एवं उसके प्रसार से लोग घर बैठे समाचारों, धारावाहिकों, नाटकों तथा फिल्मों का आनन्द उठा रहे हैं। आज इस माध्यम द्वारा प्रस्तुत हो रही विकृत, बीभत्स तथा हिंसा का मानव समाज पर विपरीत असर हो सकता है। ऐसे महत्त्वपूर्ण माध्यम द्वारा अयोग्य प्रसारण न हो और उन पर नियन्त्रण लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। संचार माध्यमों में प्रसारित होने वाले बीभत्स और हिंसक कार्यक्रमों के विरुद्ध राजनीतिक पक्ष तथा स्वैच्छिक संगठन यथायोग्य समय पर आन्दोलन करें, यह लोकतन्त्र में स्वागत योग्य है।

आजकल तकनीकों का विकास इतना तेजी से हो रहा है कि इन्टरनेट तथा, सेलफोन द्वारा लोग हमेशा एक-दूसरे के सम्पर्क में रहकर अपने विचारों को फैलाने का कार्य करते हैं। आज लोकमत जाग्रत करने के लिए संचार माध्यमों का अधिक उपयोग हो रहा है। टेलीविजन, रेडियो, स्थानीय रेडियो यानी एफ.एम. आदि लोकमत को जाग्रत करने के विशिष्ट माध्यम है।

आधुनिक समय में घटनाओं के बारे में तटस्थ जानकारियों के बिना ही घटनाओं की सूचनाएँ शीघ्रता से फैलाई जा रही हैं। गलत जानकारियों के आधार पर गलत लोकमत के निर्माण का भय रहता है। संचार माध्यमों के द्वारा होने वाले विविध प्रकार के सर्वे से सही लोकमत जाग्रत करने का कार्य किया जाता है। किसी निश्चित जानकारी के आधार पर लोकमत जानने के लिए सर्वे किया जाता है। चुनाव के समय "ओपीनियन पोल" प्रस्तुत किया जाता है। ओपिनियन पोल द्वारा लोकमत किस दिशा में जा रहा है, उसका अंदाज प्राप्त होता है। ओपीनियन पोल हमेशा सही और विश्वसनीय नहीं होते हैं।

आज के समय में संचार माध्यमों का स्थान महत्त्वपूर्ण है। लोकतन्त्र में लोगों और सरकार को धैर्य बनाए रखना जरूरी होता है। लोगों की बात-विचार या जानकारी सरकार तक पहुँचे और सरकार की विविध योजनाओं की जानकारी और सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुँचाने में यह माध्यम बहुत ही उपयोगी है। आज रेडियो का कार्यक्षेत्र दूरस्थ तथा आंतरिक प्रदेशों तक फैला हुआ है। केवल श्राव्य माध्यम होने के कारण रेडियो असरकारक माध्यम नहीं बन पाया है। रेडियो की तुलना में टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम खर्चीले होने पर भी संचार माध्यम के रूप में अधिक लोकप्रिय बने हैं। लोकतन्त्र में जनता पहले राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर ही अपना लोकमत प्रस्तुत करे, ऐसी अपेक्षा रखी जाती है।

लोकतन्त्र के प्रकार

विश्व के अनेक देशों में लोकतन्त्रात्मक शासन है। लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था में भी भिन्नता देखने को मिलती है। हमारे देश में संसदीय लोकतन्त्र है। अमेरिका जैसे देश में अध्यक्षात्मक लोकतन्त्र दिखाई देता है। संसदीय लोकतन्त्र तथा अध्यक्षात्मक लोकतन्त्र इन दो मुख्य प्रकारों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे।

संसदीय लोकतन्त्र : हमारे देश में संसदीय लोकतन्त्र को स्वीकार किया गया है। जिसमें लोकसभा में जिस पक्ष या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ हो उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री सरकार की रचना करता है। यह संसदीय सरकार सम्पूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदार होती है। जब तक सरकार को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है तभी तक वह सत्ता पर रह सकती है।

अध्यक्षीय लोकतन्त्र : अध्यक्षीय शासन व्यवस्था यह लोकतन्त्र का दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रकार है। अध्यक्षात्मक लोकतन्त्र में सामान्य रूप से अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष संविधान में निर्धारित समय तक सत्ता पर रहता है। अमेरिका तथा विश्व के दूसरे कई देशों में इस प्रकार की अध्यक्षीय लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था है।

लोकतन्त्र में चुनाव आयोग

हमारा देश विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश है। भारत में चुनाव प्रक्रियाओं का नियमन, संचालन और निरीक्षण के लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। देश का लोकतन्त्र जीवन्त रहे इस उद्देश्य से चुनाव आयोग का स्वतन्त्र, निष्पक्ष और स्वायत्त होना आवश्यक है। चुनाव आयोग की स्वायत्तता बनी रहे, यह भी आवश्यक है। इसलिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, नौकरी की शर्तें, जिम्मेदारियों से मुक्ति या हटाने के लिए संविधान में कुछ निश्चित प्रावधान किए गए हैं। संसद, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी एवं सत्ता चुनाव आयोग की है। हमारे देश का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है। विधानसभा या संसद का पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे विसर्जित करके फिर से चुनाव करवाया जाता है। किसी की मृत्यु या इस्तीफे के कारण खाली हुई सीट (बैठक) को भरने के लिए

आयोजित किए जाने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा, उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरने से लेकर नामांकन पत्रों की जाँच, नामांकन पत्र वापस लेने की अन्तिम तारीख निश्चित करना, उम्मीदवारों की अन्तिम सूची की घोषणा करना, चुनाव चिह्न प्रदान करना आदि तमाम कार्य चुनाव आयोग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा के समय से ही आचारसंहिता लागू हो जाती है। सरकार आचारसंहिता के अमल के दौरान लोकमत को प्रभावित करने वाले नीति विषयक निर्णय या लाभदायक घोषणाएँ नहीं कर सकती है।

चुनाव उम्मीदवार या अनेक राजनीतिक दल अपना चुनाव घोषणा-पत्र जारी करते हैं। इस चुनावी घोषणा-पत्र में आर्थिक, संरक्षण, विदेशनीति एवं सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कार्य तथा योजनाओं के अलावा विविध समस्याओं और उनके निवारण के सम्बन्ध में वे अपने या राजनीतिक दल के नज़रिये को स्पष्ट करते हैं।

लोकतन्त्र में गुप्त मतदान

हमारे देश में सम्पूर्ण गुप्त और स्वतन्त्र रूप से मतदान द्वारा चुनाव का आयोजन किया जाता है। भारत के संसद का चुनाव विश्व की सबसे बड़ी मतदान प्रक्रिया मानी जाती है। चुनाव के समय विविध पक्ष, संगठन और अपक्ष उम्मीदवार चुनाव में खड़े होतें हैं। सभी अपने विचारों, किए गए कार्यों तथा भविष्य सम्बन्धी आयोजन मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मतदाता किसी भी प्रकार के लोभ, लालच या भय के बिना मतदान करें, यह अपेक्षित है।

चुनाव प्रक्रिया के दौरान ''गुप्त मतदान'' को महत्त्व दिया गया है। मतदाता को अपना मत गुप्त रखने का अधिकार दिया गया है। मतदाता ने किस उम्मीदवार को अपना मत दिया है यह उससे नहीं पूछा जा सकता है। चुनाव आयोग की अद्भुत प्रक्रिया के कारण मतदाता का मत गुप्त रहता है। चुनाव प्रक्रिया में जुड़नेवाले सभी कर्मचारी, सेना के सिपाही भी चुनाव में मतदान कर सकें, ऐसी व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा की गई है। मतदान करने के लिए मुख्यरूप से दो प्रक्रियाएँ उपयोग में ली जाती हैं। (अ) मतपत्रों द्वारा मतदान (ब) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) द्वारा मतदान। मतपत्रों द्वारा होने वाले मतदान में मतों की गिनती में समय अधिक लगता है। आधुनिक समय में ज्यादातर चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन के कारण मतगणना में शीघ्रता और सरलता रहती है। मानव श्रम और समय की बचत होती है। कागज की बचत के कारण पर्यावरण के नुकसान को भी रोका जा सकता है। मतदाता अगर नामांकित उम्मीदवारों में से किसी एक भी उम्मीदवार को मत नहीं देना चाहता है तो वह नोटा (नन ऑफ दी एबॉव – NOTA) का उपयोग कर सकता है।

लोकतन्त्र और राजनीतिक दल (पक्ष)

हमारे देश में बहुदलीय लोकतन्त्र होने के कारण देश में अनेक छोटे-बड़े राजनीतिक दल है। राजनैतिक दलों की मान्यता के लिए चुनाव आयोग ने कुछ निश्चित धाराएँ निर्धारित की हैं। चुनाव आयोग निश्चित नीतियों तथा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किसी भी दल को राष्ट्रीय या प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। जो राजनैतिक पक्ष कम से कम चार राज्यों में से चुनाव लड़ रहा हो और इन चारों राज्यों में हुए अन्तिम चुनाव में कुल मतदान के चार प्रतिशत मत प्राप्त करने वाले पक्ष को राष्ट्रीय दल (पक्ष) तथा अन्य को प्रादेशिक दल (पक्ष) की मान्यता प्रदान की गई है। चुनाव आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 10 मार्च, 2014 तक देश में 1593 राष्ट्रीय दल (पक्ष) नामांकित हैं। गत वर्ष 239 नए राष्ट्रीय दलों को मान्यता प्रदान की गई।

हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस INC (Congrece) तथा भारतीय जनता पार्टी (BJP) मुख्य राष्ट्रीय दल हैं। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी (BSP), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (CPI), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्कसिस्ट) (CPIM) तथा राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी (NCP) जैसे राष्ट्रीय दल हैं। शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी (SP), द्रविड मुनेत्र कडगम (DMK), ऑल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडगम (AIADMK) तथा आम आदमी पार्टी (AAP), जनता दल युनाइटेड (JDU), राष्ट्रीय जनता दल (RJD) जैसे पक्ष प्रादेशिक पक्ष हैं। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त दल की मान्यता प्राप्त मतों के आधार पर रद्द हो सकती है जबकि अनेक प्रादेशिक पक्षों राष्ट्रीय दल की भी मान्यता प्राप्त हो सकती है। सरकार बनाने वाला, सत्ता भोगनेवाला पक्ष - सत्तापक्ष तथा विरोध करने वाला पक्ष विरोधपक्ष कहलाता है। विरोधपक्ष सरकार का नीतिविषयक लोकतान्त्रिक रूप से विरोध दर्शाते हुए लोकमत जाग्रत करने का कार्य करता है। आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक तथा सार्वजनिक हित के प्रश्नों पर सरकार को सहकार दे, यह स्वस्थ लोकतन्त्र में अपेक्षित है। सत्ताधारी पक्ष तथा विरोधपक्ष के सन्तुलित सम्बन्धों पर लोकतन्त्र की सफलता का आधार है। असरकारक तथा सबल विरोधपक्ष जीवन्त लोकतन्त्र के लिए अनिवार्य शर्त है। लोकतन्त्र एक रथ है, सत्ताधारी पक्ष और विरोधपक्ष लोकतन्त्र रूपी रथ के दो पहिए हैं।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए :

(1) कितनी उम्र होने के बाद मतदान का अधिकार प्राप्त होता है ?

(2) लोकमत जाग्रत करने के लिए कौन-कौन से माध्यमों का उपयोग किया जाता है ?

(3) भारत में कौन-कौन से प्रादेशिक और राष्ट्रीय राजनैतिक पक्ष सक्रिय हैं ?

2. निम्नलिखित विधानों को कारण सहित समझाइए :

(1) मतदाता लोकतंत्र को जीवंत रखता है।

(2) संसदीय लोकतंत्र अनोखा और महत्त्वपूर्ण है।

(3) प्रसार माध्यम लोकमत जाग्रत करने के सघन माध्यम हैं।

(4) चुनाव लोकतंत्र का आधारस्तंभ है।

3. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(1) राजनैतिक पक्ष (दल) के प्रकार (2) मतदाता तथा सरकार (3) चुनाव आयोग तथा राजनैतिक पक्ष

4. अन्तर लिखिए :

(1) राष्ट्रीय पक्ष तथा प्रादेशिक पक्ष

(2) संसदीय लोकतन्त्र तथा अध्यक्षीय लोकतन्त्र

(3) मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम

5. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

(1) हमारे वयस्क मताधिकार में ...... सिद्धान्त स्वीकार किया गया है।

(A) प्रतिव्यक्ति बहुमत (B) प्रतिव्यक्ति एकमत (C) प्रतिव्यक्ति विरोध मत (D) प्रतिव्यक्ति सार्वजनिकमत

(2) लोकमत जागृति के लिए ...... माध्यम कम असरकारक है।

(A) दृश्य-श्राव्य माध्यम (B) दृश्य माध्यम (C) श्राव्य माध्यम (D) मुद्रित माध्यम

(3) EVM का पूरा नाम ...... है।

(A) इलेक्ट्रॉनिक वेल्यू मशीन (B) इलेक्ट्रॉनिक वेइट मशीन

(C) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मेथड (D) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

इतना कीजिए...

- राष्ट्रीय मतदाता जागृति दिवस (25 जनवरी) को मनाने के बाद मतदान महादान.. मतदान मतदाता का अधिकार... मतदाता जागे विकास माँगे... मतदाता बनाता है सरकार... जैसे विषयों पर चर्चा का आयोजन कीजिए।
- लोकतन्त्र को जीवित रखने वाले विविध चित्र, फोटोग्राफ्स या कार्टून एकत्रित करके उसका विद्यालय स्तर पर प्रदर्शन करना। वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन। लोकतन्त्र को जीवन्त रख सके ऐसी विशेष व्यवस्था तथा प्रवृत्तियों का विद्यालय में आयोजन करना।
- विद्यालय में संसदीय चुनाव के आधार पर विद्यार्थी मण्डल की चुनाव प्रक्रिया का आयोजन करना।

- हमारे मुख्य दो प्रकार के माध्यमों की चर्चा के आधार पर योग्य और अयोग्य उपयोग के विषय में अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करें :

मुद्रित माध्यमों का व्यक्तिगत योग्य उपयोग	इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का व्यक्तिगत योग्य उपयोग
•	•
•	•
•	•
मुद्रित माध्यमों का व्यक्तिगत अयोग्य उपयोग	इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का व्यक्तिगत अयोग्य उपयोग
•	•
•	•
•	•

•

इकाई 3 : भारत भूमि और लोग

देश और दुनिया को प्रभावित करनेवाली पिछली सदी के प्रारंभिक संयोगों या घटनाक्रम से हम परिचित हो गए हैं। देश का स्वाधीनता संग्राम और स्वतंत्रता की प्राप्ति पिछली सदी के विश्व को स्पर्श करनेवाली अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हैं। नए स्वतंत्र हुए राष्ट्र के सम्मुख आनेवाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करके हमने विकास की नई राह बनाई है। उत्तरदायी राज्यतंत्र नागरिक अधिकार, मुक्त न्यायतंत्र वगैरह सहित राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं।

इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक के पूर्ण होने की तरफ की हमारी यह विकासयात्रा स्वतंत्र भारत की साढ़े छः दशक उपरांत के पड़ाव के अंत में एक सिंहावलोकन करने से हमें विकास के आयोजन में सुगमता रहेगी।

किसी भी क्षेत्र या देश के लिए उसकी प्राकृतिक संपत्ति, उसका स्थान भविष्य की आर्थिक प्रवृत्तियों और विकास की असीम संभावनाओं के लिए पृष्ठभूमि है। इस संदर्भ में हमारे देश के भूपृष्ठ, जलपरिवाह, जैववैविध्य का अध्ययन अत्यंत रसप्रद हो जाएगा। देश के वैविध्यपूर्ण लोकजीवन की झाँकी, खान-पान, वेशभूषा और रीतिरिवाज की विविधता विशाल राष्ट्र की छबि प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ आपदा-प्रबंधन की जानकारी से हम उसके प्रभाव की तीव्रता को कम कर सकते हैं।

•

13 भारत : स्थान, भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ - I

विश्व के देशों में भारत अपना विशिष्ट स्थान रखता है। भारत एक विशाल देश है। भारतीय संस्कृति प्राचीनतम है। आबादी की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संस्कृति की समन्वयकारी भावना ने किसी भी धर्म, जाति या प्रजा को छोड़ा नहीं है बल्कि सबके लिए अपना द्वार खुला रखा है, सबका स्वागत किया है। इसतरह, सर्वधर्म प्रजा और जाति के प्रति समभाव की भावना भारत की विशिष्ट लाक्षणिकता है, इसीलिए भारत में 'संस्कृतियों का समन्वय' हुआ है।

प्राकृतिक और मानवसर्जित अनेक आपदाओं को झेलने के बाद भी भारत ने अपनी प्रगति और विकास अविरत ढंग से चालू रखा है। इसके उपरांत भारतीय संस्कृति के निर्माण और विकास में भौगोलिक परिस्थितियों ने भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

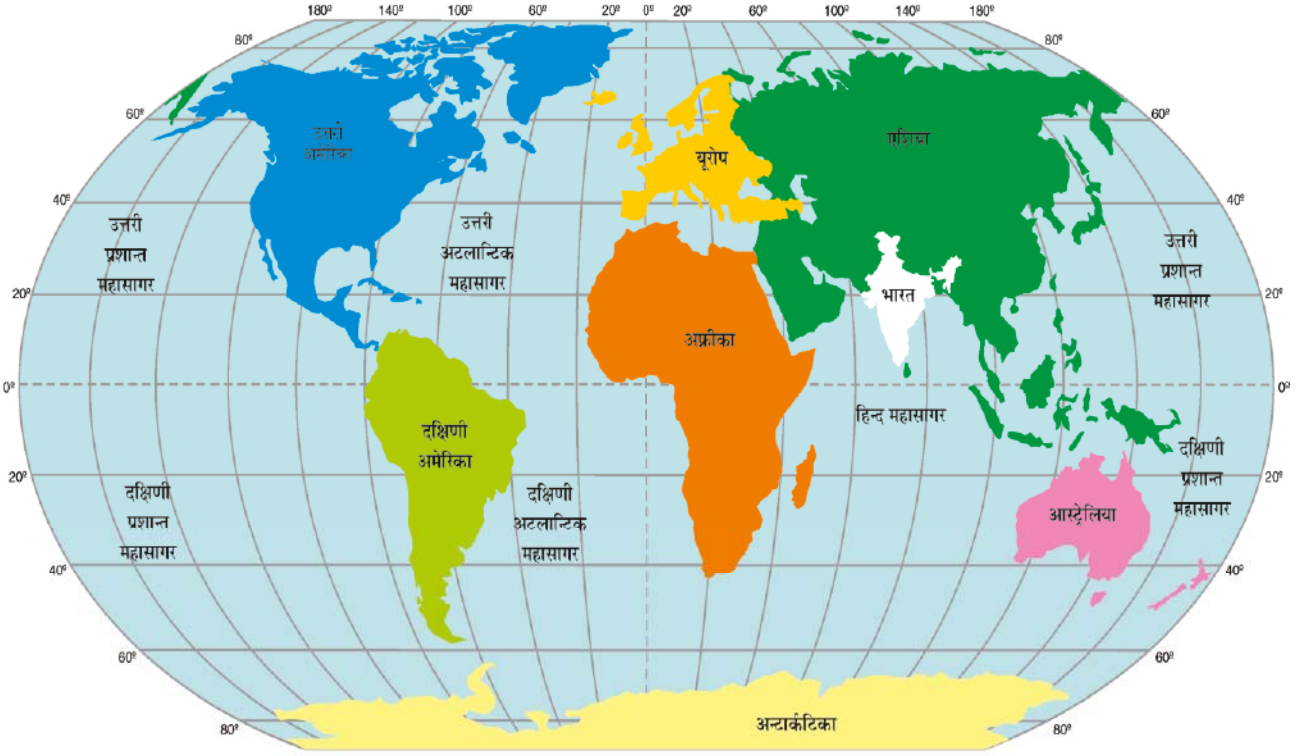

13.1 विश्व में भारत

भारत : स्थान - आकार - विस्तार

भौगोलिक दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थिति है। वह एशिया खंड के दक्षिणी भाग में फैला है। भारत के मुख्य भूमिखड का फैलाव 8°4' से 37°6' उत्तरी अक्षांश और 68°7' से 97°25' पूर्वी देशांतर के बीच है। भारत के मध्य से 'कर्कवृत्त' गुजरती है, जो 23°30' उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वह देश को दो भागों में विभाजित करती है। उसका उत्तरी भाग ज्यादातर पूर्व-पश्चिम दिशा में फैला है। यहाँ विशाल मैदान और हिमालय-पर्वतश्रेणी है। कर्कवृत्त से दक्षिण की ओर स्थित क्षेत्र त्रिभुजाकार है। उसके दक्षिण के ओर सँकरा होता जाता है। यह मुख्य रूप से द्वीपकल्पीय (प्रायद्वीपीय) पठारी प्रदेश का भाग है, जिसमें पूर्वी तथा पश्चिमी किनारे के सँकरे मैदानों का समावेश होता है।

भारत देश का अक्षांशीय और देशांतरीय फैलाव लगभग समान अर्थात् 30° है; परन्तु वास्तविक रूप से लद्दाख से कन्याकुमारी तक की उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किमी है। पश्चिम में गुजरात से पूर्व में अरुणाचलप्रदेश तक की चौड़ाई 2933 किमी है। देशांतरीय अंतर के कारण उसके पूर्व तथा पश्चिम में स्थित दूर के स्थलों के स्थानीय समय में लगभग दो घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्योदय होता है, उसी समय पश्चिमी गुजरात में रात अभी बाकी ही रहती है। इसीलिए भारत की प्रामाणिक समय रेखा 82°.30' पूर्व देशांतर है जो पाँच राज्यों से गुजरती है, उसका स्थानीय समय ही भारत का प्रामाणिक समय माना जाता है।

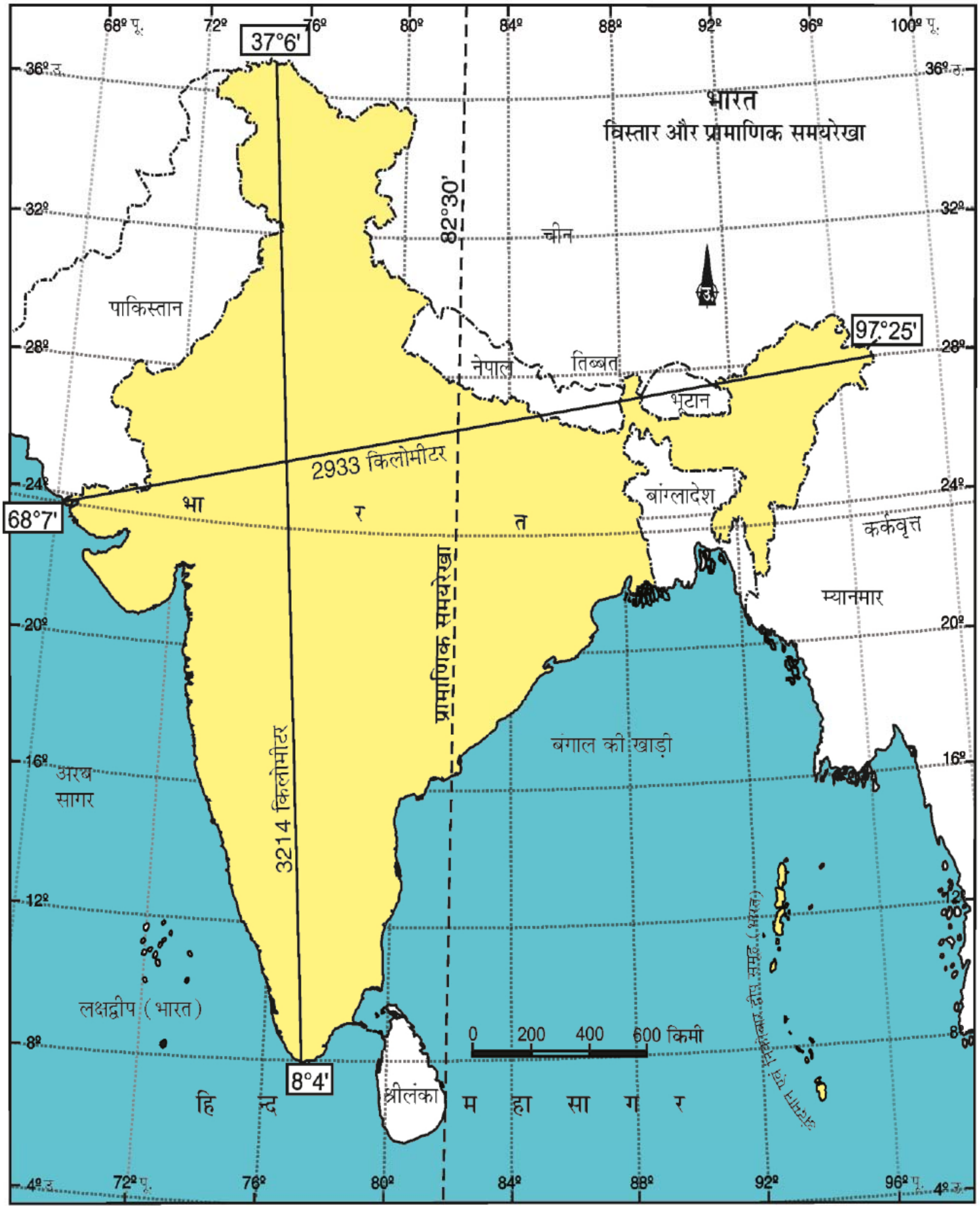

13.2 भारत विस्तार तथा प्रामाणिक समय रेखा

भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवाँ स्थान है। भारत विश्व के संपूर्ण भू–भाग के क्षेत्रफल में से केवल 2.42 प्रतिशत भूमि रोकता है। विश्व के छः देश जो आकार में भारत से बड़े हैं, वे क्रमश : (1) रूस (2) कनाडा (3) यू.एस.ए. (4) चीन (5) ब्राजील (6) आस्ट्रेलिया हैं।

भारत का भू–भाग एशिया खंड के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। जिसके उत्तरी भाग में ऊँची पर्वत शृंखलाएँ सैकड़ों किलोमीटर लंबाई में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। जिसके कारण तिब्बत तथा चीन के साथ आवागमन केवल ऊँचाई पर स्थित पर्वतीय घाटियों द्वारा ही संभव है। दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरबसागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर आया हुआ है। इस समुद्र का उपयोग जलमार्ग के रूप में होता है। स्थलमार्ग पर्वतीय अवरोधों से घिरे होने पर भी भारत ने बाहर से आए सांस्कृतिक तत्वों को अपनाया है और वे भारतीय समाज में घुलमिल गए हैं।

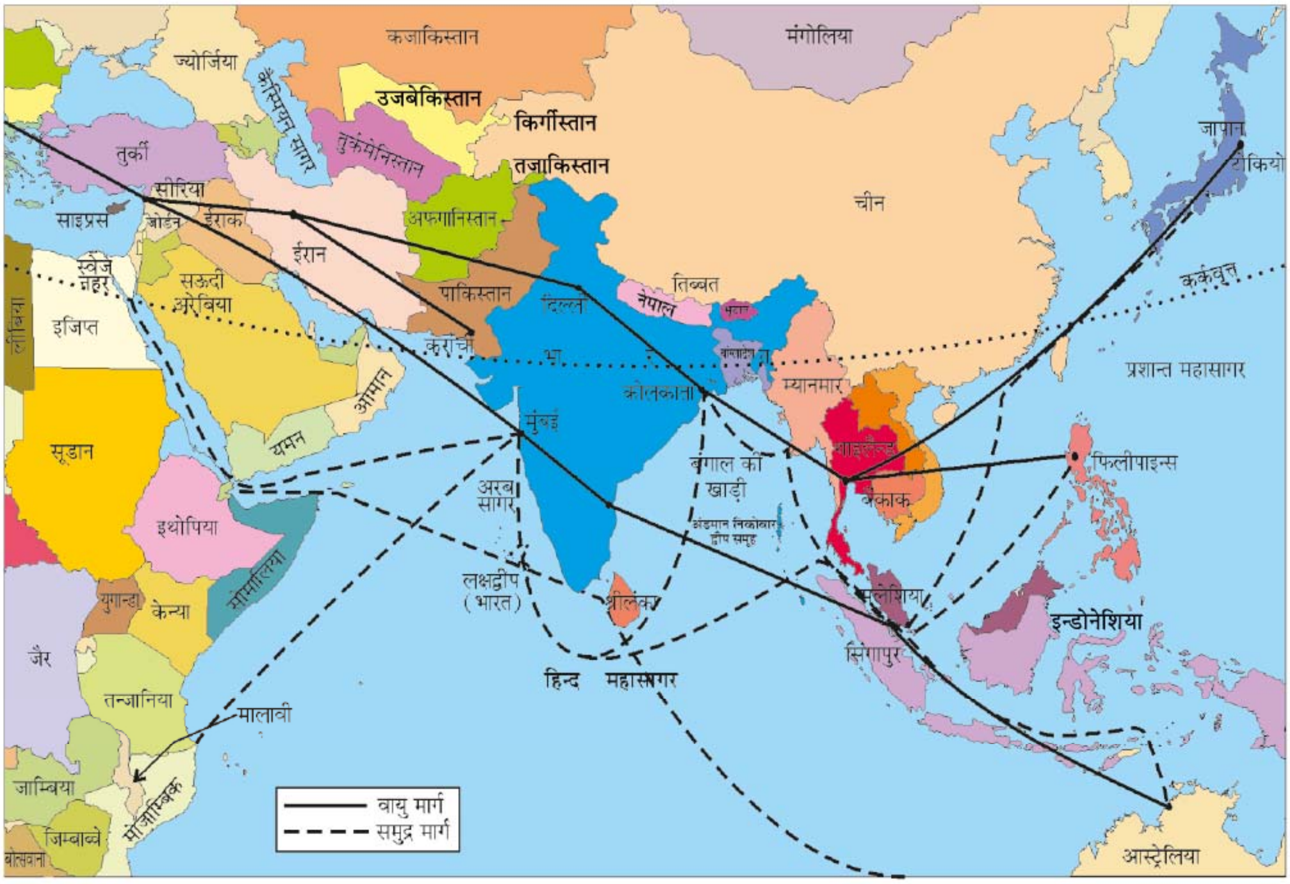

13.3 भारत का व्यूहात्मक स्थान

भारत पूर्वी गोलार्ध में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है और उसका व्यूहात्मक महत्त्व भी विशेष है। जिसमें प्राचीनकाल में परस्पर संबंधों को विकसित करने में समुद्रों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंद महासागर के शीर्षस्थ स्थान पर भारत स्थित है। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया तथा दक्षिणी–पूर्वी एशिया के देशों के साथ समुद्री मार्ग द्वारा भारत का संबंध प्राचीन काल से रहा है। परिणाम स्वरूप भारत ने इन देशों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध अपने विशिष्ट स्थान के कारण विकसित किए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत के इस महत्त्वपूर्ण स्थान के कारण एक महासागर का नाम अर्थात् हिंद महासागर उसके नाम पर से रखा गया है।

अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर भारत का स्थान भी महत्त्वपूर्ण है। ई.स. 1869 में स्वेज़ नहर के शुरू होने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई है। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया और आस्ट्रेलिया से अफ्रीका तथा यूरोप को जोड़नेवाले जलमार्ग हिंद महासागर से गुजरते हैं। दक्षिणी अफ्रीका से होकर आनेवाला जलमार्ग तथा स्वेज़ जलमार्ग भारत के नजदीक से गुजरता है, इसी मार्ग द्वारा इंडोनेशिया के मलक्का जलडमरूमध्य से होकर प्रशांत महासागर पार करके कनाडा तथा यू.एस. पहुँचा जा सकता है।

भारत का संपर्क विश्व के अन्य देशों के साथ सदियों से है। वस्तुओं और विचारों का आदान–प्रदान प्राचीन काल से हो रहा है। इसी तरह उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, चिकित्सा पद्धति, भारतीय अंक और दशांश पद्धति आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँच सके हैं।

भारत के पड़ोसी देश

दक्षिणी एशिया में भारत का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य, दिल्ली का राज्य 1 राष्ट्रीय राजधानी विस्तार और 7 केन्द्रशासित प्रदेश हैं।

> **● इतना जानें...**
>
> 2 जून, 2014 को तेलंगाना अपने मातृ राज्य आंध्रप्रदेश में से बना नया राज्य है।

भारत की स्थलसीमा उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ; उत्तर-पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान देश के साथ तथा पूर्व में म्यानमार और बांग्लादेश के साथ जुड़ी है।

13.4 भारत और पड़ोसी देश

भारत के दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका पाल्क (Palk) जलडमरूमध्य और मनार की खाड़ी द्वारा अलग होते दिखाई देते हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप टापू आए हुए हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में अंडमान-निकोबार टापू स्थित हैं।

- **इतना जानिए...**

भारत का दक्षिणी किनारा 'इंदिरा पॉइंट' वर्ष 2004 में आए सुनामी में जलमग्न हो गया था। इसी के साथ अंदमान-निकोबार के भी कई टापू समुद्र में डूब गए थे।

भूस्तरीय रचना

भारत के वर्तमान भूपृष्ठ का स्वरूप पृथ्वी की भू-संचलन प्रक्रिया और बाह्य हलन-चलन का परिणाम है। इन दोनों परिबलों का विनाशक और रचनात्मक असर देखने को मिलता है।

पृथ्वी की संरचना संबंधी जानकारी अत्यन्त रोचक है। पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी उसके नीचे रहे एस्थेनोस्फियर के अर्ध-द्रवित चट्टानों के ऊपर तैर रही है। पृथ्वी के गर्भ में होनेवाली किरणोत्सर्गी प्रक्रिया के परिमाम स्वरूप गरमी उत्पन्न होती है। जो द्रवित चट्टानों में संवहनिक तरंगें उत्पन्न करके भूपृष्ठ तरफ जाने का प्रयत्न करती हैं। भू-कवच की तरफ उत्पन्न होनेवाली तरंगों द्वारा ऊपरी परत फटकर बड़े-बड़े टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, जिसे 'मृदावरणीय प्लेट' (लिथोस्फिरिक प्लेट) कहते हैं। ऐसी सात मुख्य भूसंचलनीय प्लेट हैं : (1) पेसिफिक (प्रशांत महासागरीय) प्लेट (2) उत्तरी अमेरिकन प्लेट (3) दक्षिण अमेरिकन प्लेट (4) युरेशियन प्लेट (5) अफ्रीकन प्लेट (6) इंडो-आस्ट्रेलियन प्लेट (7) अंटार्कटिक प्लेट। कुछ जगहों पर ये प्लेट एक-दूसरे से दूर हो रही हैं, जिन्हें **'अपसारी प्लेट'** कहते हैं। जबकि कुछ एक-दूसरे के नजदीक आ रही हैं, जिन्हें **'अभिसारी प्लेट'** कहते हैं। अपसरण और अभिसरण की क्रिया से भूपृष्ठ पर स्तरभंग होता है और पर्त पड़ती है। इन प्लेटों की गतिविधियों से लाखों वर्षों में महाद्वीपों के आकारों और परिस्थिति में परिवर्तन होता है। एक-दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकजाने की यह परस्पर प्रतिक्रिया ही पृथ्वी की सभी भूकंपीय और ज्वालामुखीय क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। सरकती या खिसकती ये प्लेटें जहाँ एक-दूसरे के साथ टकरा रही हैं, वहाँ पर्वत निर्माण का कारण बनती हैं। प्लेटें जहाँ एक-दूसरे से दूर खिसकती हैं वहाँ महाद्वीपों और महासागरों में दरारों का निर्माण करती हैं। इन प्लेटों पर स्थित महाद्वीप निरंतर खिसकते रहते हैं, इस प्रकार की प्लेटों को **'रूपांतरित प्लेट'** कहते हैं।

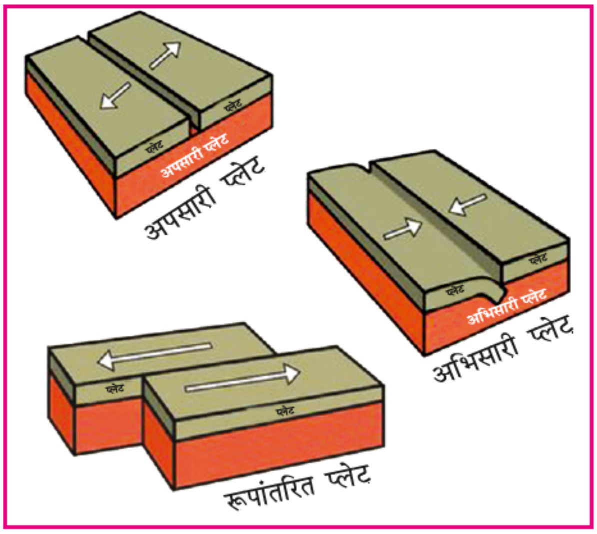

13.5 भूस्तरिय प्लेटें

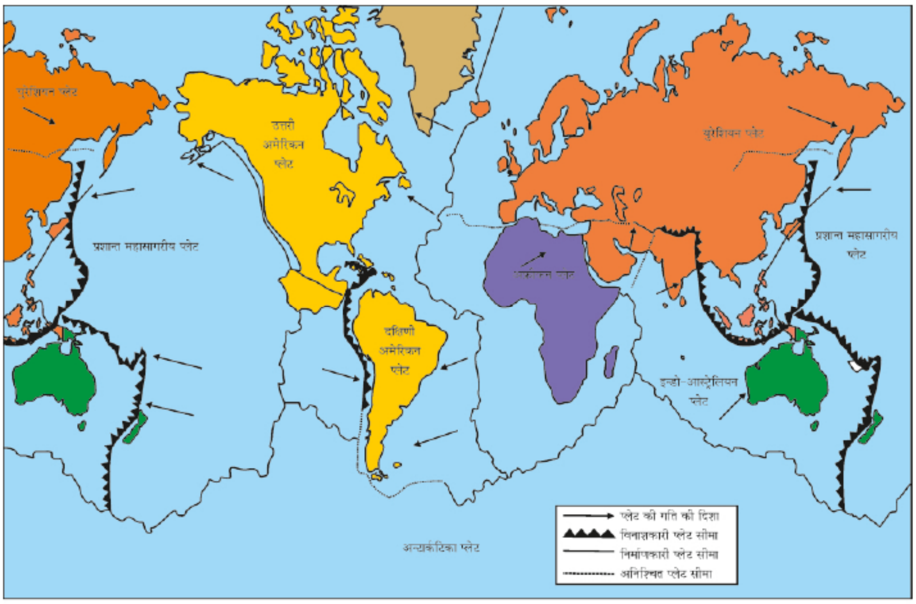

13.6 मुख्य भूसंचलनीय प्लेटें

आज से करोड़ों वर्ष पूर्व भारत गोंडवानालैंड नामक प्राचीन विशाल भूखंड का भाग था। इस विशाल भूखंड में आज के दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का समावेश होता था। कालांतर में गोंडवानालैंड अलग हो करके 'इंडो-आस्ट्रेलियन प्लेट' धीरे-धीरे उत्तरी तरफ सरकने लगी। वह उत्तरी गोलार्ध की अत्यंत मोटी 'यूरेशिया प्लेट' के साथ लगभग पाँच करोड़ वर्ष पहले टकराई होगी, ऐसा माना जाता है। इंडो-आस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराव से टेथिस समुद्र में से हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ।

हिमालय पर्वतश्रेणी के दक्षिण में एक विशाल गर्त अस्तित्व में आई। समय बीतने पर धीरे-धीरे उत्तर तथा दक्षिण की ओर से बहकर आनेवाली नदियाँ अपने साथ काँप मिट्टी ले आईं। इस तरह हिमालय और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बीच वर्तमान गंगा का मैदानी प्रदेश निर्मित हुआ। द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के उत्तरी-पश्चिमी भाग में एक विस्तृत ज्वालामुखी-विस्फोट हुआ, जिससे पठारी प्रदेश का पश्चिमी भाग टूटकर निमंजित (नीचे धँसना) हो गया, जिससे अरबसागर का निर्माण हुआ। इस भू-निमंजन के कारण ही पश्चिमीघाट एकदम सुस्पष्ट हो गया।

भारतीय भूखंड में अनेक विविधताएँ हैं। उत्तर में ऊँची विस्तृत पर्वतश्रेणी है, जिसमें पठारी प्रदेश, शिखर, घाटियाँ आदि हैं। उत्तरी भाग के मैदानों में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती हैं। उनकी काँप मिट्टी से ही ये मैदान बने हैं। दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश प्राचीनतम है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश की दो धार स्वरूप पूर्वी-पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदान आए हुए हैं। इस तरह, भारत विविधताओं सें युक्त भूपृष्ठवाला है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए :

(1) भारत का भौगोलिक स्थान महत्त्वपूर्ण है, किसलिए ?

(2) भारत का भूपृष्ठ वैविध्यपूर्ण है, क्यों ?

(3) भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों सरल हो गया है ?

(4) भारत 'संस्कृतियों का समन्वय तीर्थ' बन गया है, समझाइए।

(5) मृदावरणीय प्लेटें कितनी और कौन-कौन सी हैं ?

2. निम्नलिखित शब्दों की संकल्पनाएँ समझाइए :

(1) प्रामाणिक समय

(2) कर्कवृत्त

(3) प्रायद्वीप

(4) अपसारीप्लेट

(5) गोलार्ध

(6) अभिसरण

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

(1) भारत के भौगोलिक स्थान और विस्तार के विषय में जानकारी दीजिए।

(2) स्वेज नहर बनने से भारत को क्या लाभ हुआ, बताइए।

(3) पृथ्वी की संरचना के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए।

4. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) भारत की प्रामाणिक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है ?

(A) उत्तरप्रदेश (B) छत्तीसगढ़ (C) मध्यप्रदेश (D) तमिलनाडु

(2) भारत के उत्तर में : चीन :: भारत के वायव्य कौन-सा देश स्थित है ?

(A) बांग्लादेश (B) पाकिस्तान (C) श्रीलंका (D) नेपाल

(3) नीचे दिए राज्यों को दक्षिण से उत्तर दिशा के क्रम में व्यवस्थित करें :

उत्तराखंड, केरल, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, दिल्ली

(A) उत्तराखंड, दिल्ली, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, केरल

(B) केरल, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड

(C) आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, केरल

(D) केरल, आंध्रप्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड

(4) निम्नलिखित में से कौन-सा देश भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिक बड़ा है ?

(A) कनाडा (B) इंग्लैंड (C) पाकिस्तान (D) थाईलैंड

(5) भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में कौन-सी जोड़ी अयोग्य है ?

(A) अफगानिस्तान - उत्तर-पश्चिम

(B) नोपाल - उत्तर-पूर्व

(C) चीन - उत्तर

(D) बांग्लादेश - पश्चिम

प्रवृत्ति

- शिक्षक की सहायता से दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करके अपने घर एवं विद्यालय के वर्गखंड में किस दिशा में क्या आया हुआ है, उसकी सूची तैयार कीजिए।
- इंटरनेट की मदद से आप कहाँ हैं, उसे खोजिए।
- एटलस का अध्ययन करके भारत के पड़ोसी देशों और उनकी राजधानियों की सूची तैयार कीजिए।
- भारत के चारों दिशा में आए हुए स्थानों के नाम नोटबुक में लिखिए।

14 भारत : स्थान, भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ - II

पृथ्वी पर स्थित अनियमित और उर्ध्व आकारवाले भूमिभाग की विषमताओं को भूपृष्ठ कहते हैं, जिसमें पर्वत, पठारी प्रदेश, मैदान आदि का समावेश होता है।

14.1 भूपृष्ठ के स्वरूप

भूपृष्ठ की विविधता के आधार पर भारत को निम्नलिखित प्राकृतिक विभागों में बाँटा जा सकता है :

(1) उत्तर का पर्वतीय प्रदेश
(2) उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश
(3) प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश
(4) तटीय मैदान (समुद्रतटीय मैदानी प्रदेश)
(5) द्वीप समूह

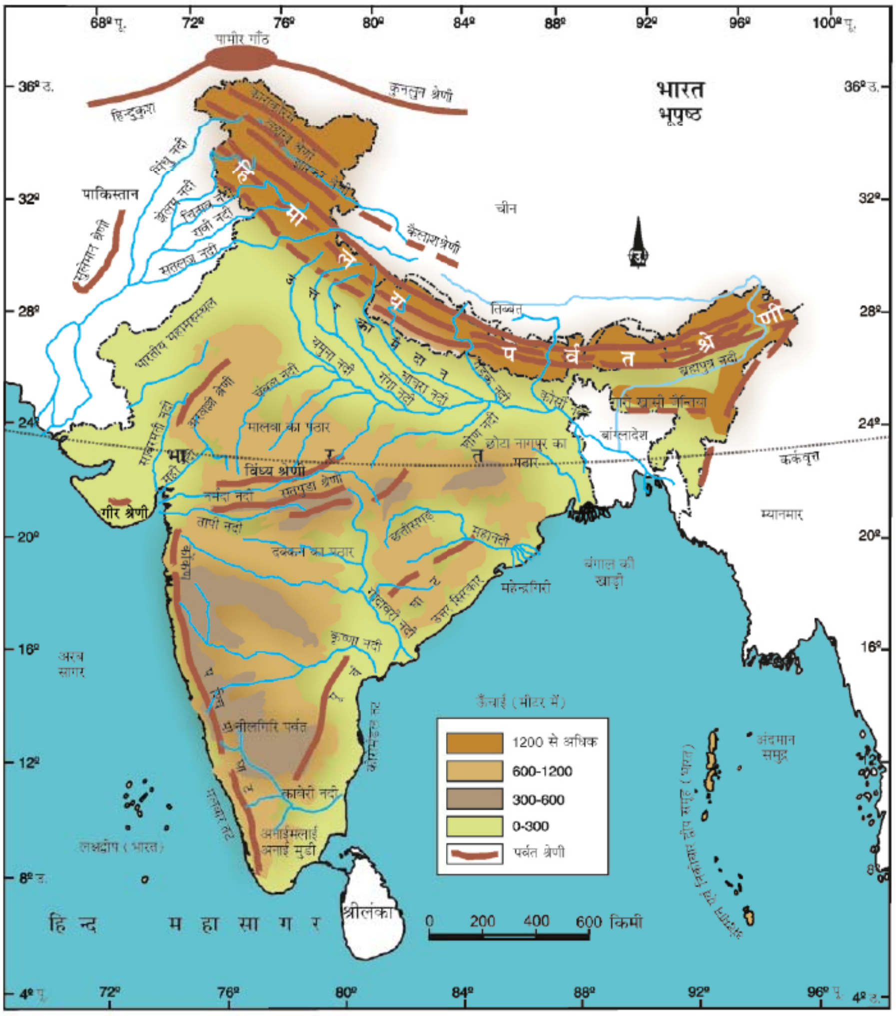

14.2 भारत : भूपृष्ठ

1. उत्तर का पर्वतीय प्रदेश

भारत का यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है। जो उत्तर में पश्चिम–पूर्व दिशा में लगभग 2400 किमी लंबाई में फैला हिमालय पर्वतश्रेणी के नाम से जाना जाता है। वह चाप आकारवाला है। उसकी चौड़ाई 240 किमी से 320 किमी के बीच बढ़ती–घटती रहती है। हिमालय कोई एकाकी पर्वत नहीं है बल्कि अनेक प्रकार की पर्वतश्रेणियों का समूह है। पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व की तरफ आगे बढ़कर वह भारत, नेपाल, भूटान से होकर म्यानमार तक पहुँचता है। उत्तर में उसका विस्तार तिब्बत तक फैला हुआ है। वह मध्य एशिया की पामीर की गाँठ नाम से पहचानी जानेवाली मुख्य पर्वतश्रेणी का ही एक भाग है।

समग्र हिमालय पर्वतश्रेणी के मुख्य दो भाग हैं :

(1) उत्तर का हिमालयी पर्वतीय प्रदेश (2) पूर्वी हिमालय

(1) उत्तर का हिमालयी पर्वतीय प्रदेश : इस प्रदेश में एक–दूसरे के समांतर तीन गिरिमालाएँ हैं। जिसमें उत्तरी पर्वतश्रेणी बृहद् हिमालय कहलाता है। समग्र हिमालय की यह सबसे ऊँची पर्वतश्रेणी है। जिसमें 40 से अधिक शिखर ऐसे हैं कि जिनकी ऊँचाई 7000 मीटर से भी अधिक है, उसी में सबसे प्रसिद्ध शिखर 'माउन्ट एवरेस्ट' है, जिसकी ऊँचाई 8848 मीटर है। यह नेपाल–चीन की सीमा पर स्थित है। उसे तिब्बत में 'सागर माथा' भी कहते हैं। अन्य प्रसिद्ध शिखरों में माउन्ट गोडविन ऑस्टिन अथवा K^2 है, जिसकी ऊँचाई 8611 मीटर है और वह भारत का सर्वोच्च शिखर है। हिमालय की तीन स्पष्ट पर्वतश्रेणियाँ हैं, जो एक–दूसरे के समांतर फैली हुई हैं। जिनमें से बृहद् हिमालय में जेलाप ला, नाथु ला, शिप्की ला वगैरह ऊँचे पर्वतीय दर्रे भी हैं। पवित्र तीर्थस्थल माना जाने वाला प्रसिद्ध मानसरोवर (चीन) भी इस पर्वतश्रेणी में स्थित है।

इतना जानिए...

माउन्ट एवरेस्ट	8848 मीटर
K^2 (माउन्ट गोडविन ऑस्टिन)	8611 मीटर
कंचनजंगा	8598 मीटर
मकालू	8481 मीटर
धौलागिरि	8198 मीटर
अन्नपूर्णा	8070 मीटर

बृहद पर्वतश्रेणी के दक्षिण में स्थित पर्वतश्रेणी भी बहुत बड़े विस्तार में फैली हुई है, उसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय (हिमालयश्रेणी) की पर्वतश्रेणी कहते हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 80 से 100 किमी है, पीर पंजाल, महाभारत, नागटिब्बा आदि श्रेणियाँ इसी क्षेत्र में हैं। मध्यम ऊँचाईवाली इन श्रेणियों में हवाखोरी के स्थल (गिरिकेन्द्र) डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि विकसित हुए हैं। गंगोत्री, यमनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब आदि प्रसिद्ध तीर्थस्थल भी हैं। कुलू (Kullu), कांगड़ा तथा कश्मीर इस श्रेत्र के अत्यंत रमणीय प्राकृतिक घाटी प्रदेश हैं।

तीसरी पर्वतश्रेणी अत्यंत दक्षिण में है। शिवालिक (बाह्य हिमालय) नाम से पहचानी जानेवाली इस श्रेणी का अधिकांश विस्तार भारत में है, जिसकी चौड़ाई 10 से 15 किमी और ऊँचाई लगभग 1000 मीटर है। इस पर्वतश्रेणी में कुछ विशिष्ट घाटियों की रचना हुई है, जो कंकड़-पत्थर तथा मोटी परतवाली काँप मिट्टी से ढँकी हुई हैं। स्थानीय भाषा में उन्हें दून (DUN) कहते हैं। जैसे कि देहरादून, पाटलीदून, कोथरीदून आदि।

(2) पूर्वी हिमालय : हिमालय श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित पर्वतश्रेणियाँ कम ऊँचाईवाली हैं। उनमें कई श्रेणियाँ पहाड़ी (Hills) के रूप में जानी जाती हैं। पूर्वी हिमालय में स्थित ये पहाड़ियाँ छोटी पर्वतश्रेणियों के रूप में ही फैली हैं। उनमें पतकोई अरुणाचल में, नागा नागालैंड में और लुसाई (मिज़ो) मिजोरम में स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ भारत की पूर्वी सरहद के निकट हैं, जिनका म्यानमार में स्थित अराकानयोमा पर्वत श्रेणी के साथ है। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में आई हुई हैं। पहाड़ी विस्तार में वर्षा का प्रमाण बहुत अधिक है, जिससे यहाँ अत्यंत घने जंगल हैं। जंगलों का प्रदेश होने से यहाँ सड़कमार्ग एवं रेलमार्ग का विकास एकदम कम हुआ है।

2. उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश

उत्तर के विशाल मैदानी प्रदेश का स्थान भारत के उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठारी प्रदेश के बीच है। इस मैदान की रचना हिमालय से निकलनेवाली सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई काँप मिट्टी से हुआ है। इस मैदान के कुछ भाग लगभग 50 मीटर मोटे काँप मिट्टी के परत से बने हैं। यह मैदान उत्तरी भारत के बहुत बड़े विस्तार में फैला हुआ है, इसीलिए इसे उत्तरी भारत का विशाल मैदानी प्रदेश कहते हैं।

यह मैदानी प्रदेश लगभग 2400 किमी लम्बा है। नदियों द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े मैदानी प्रदेश के रूप में इसकी गणना होती है। पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग अधिक सँकरा है। यह मैदान लगभग समतल है। उसके किसी भी भाग की ऊँचाई समुद्र की सतह से 180 मीटर से अधिक नहीं है। दिल्ली के पास यह मैदान सँकरा है। दिल्ली के पश्चिम में सतलुज और पूर्व में गंगा का मैदान है, इसलिए दिल्ली को गंगा के मैदान का प्रवेशद्वार कहते हैं। यह मैदान भारत का सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश माना जाता है। दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता आदि महत्तवपूर्ण शहर इसी प्रदेश में स्थित हैं।

सिंधु और उसकी अन्य सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। सिंधु नदी पश्चिम की तरह बहकर तेजी से मुड़ करके दक्षिण तरफ बहकर अरब सागर में मिलती है। सामान्य रूप से दो नदियों के बीच की भूमि को 'दोआब' कहते हैं। इसतरह पाँच नदियों द्वारा निर्मित इस मैदान को पंजाब (पंज + आब) कहते हैं। इस मैदान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है।

भूपृष्ठ की दृष्टि से मैदानी प्रदेश को चार विभागों में विभाजित किया गया है : (1) भाभर (2) तराई (3) बांगर (4) खादर। सिंधु नदी से तिस्ता नदी तक शिवालिक की तलहटी में कंकड़-पत्थर की एक पतली पट्टी देखने को मिलती है। यह कंकड-पत्थर की पट्टी नदी के प्रवाह के सामांतर फैली है। यह पट्टी लगभग 8 से 16 किमी चौड़ी है, इसे 'भाबर' कहते हैं। भाभर के बाद तराई का प्रदेश आता है, जो अधिक नमी और दलदलवाला है। यहाँ घने वन और विविध वन्यप्राणी देखने को मिलते हैं। मैदानों के पुराने काँप को 'बांगर' कहते हैं। काँप के लगातार होनेवाले जमाव के कारण सोपान आकार जैसा बन जाता है, जो बाढ़ के मैदान से ऊँचा होता है। बाढ़ के मैदानों का नया काँप 'खादर' के नाम से पहचाना जाता है।

3. प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश

भारत का यह सबसे प्राचीन भाग है। यह प्रदेश उल्टे त्रिभुज के आकार में फैला है। उसकी औसत ऊँचाई 600 से 900 मीटर है। इस प्रदेश के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर-पूर्व की ओर है, जो चंबल, सोन और दामोदर नदियों के प्रवाह द्वारा स्पष्ट होता है। दक्षिणी भाग का ढाल दक्षिण-पूर्व की ओर है। इस प्रदेश का बड़ा हिस्सा दक्षिण में है, इसीलिए इसे दक्षिण का पठारी प्रदेश कहते हैं। इस पठारी प्रदेश के तीनों ओर समुद्र आया हुआ है, जिससे उसे प्रायद्वीपीय प्रदेश कहते हैं।

प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के दो उपविभाग है : (1) मालवा का पठारी प्रदेश (2) दक्कन का पठारी प्रदेश

(1) मालवा का पठारी प्रदेश : मालवा के पठारी प्रदेश के उत्तरी-पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतश्रेणियों में से एक है। जो मोड़दार पर्वत है, माउंट आबू इस पर्वतश्रेणी में स्थित गिरिकेन्द्र है। वह सुंदर एवं रमणीय है। गुरुशिखर उसका सबसे ऊँचा शिखर है, जिसकी ऊँचाई 1722 मीटर है। इस प्रदेश के दक्षिण में विंध्याचल में से निकलने वाली चंबल और बेतवा नदियाँ उत्तर की ओर बहकर यमुना नदी में मिलती हैं तथा सोन नदी उत्तर की ओर बहकर गंगा नदी में मिलती है। इन नदियों के प्रवाह की दिशा पर से जान सकते हैं कि इस पठारी प्रदेश का ढाल उत्तर की ओर है। मध्यवर्ती पठारी भूमि के इस उत्तर-पूर्वी भाग को बुंदेलखंड कहते हैं। इसके अतिरिक्त लूणी और बनास नदियाँ उत्तरी-पश्चिमी भाग में स्थित अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। ये नदियाँ कच्छ के रेगिस्तान में लुप्त हो जाती हैं, जब कि साबरमती और मही नदी खंभात की खाड़ी में मिलती हैं। इन नदियों के प्रवाह से ख्याल आता है कि पश्चिम की ओर के मालवा के पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण-पश्चिम तरफ है। राजमहल की पहाड़ियों तथा शिलोंग का पठारी प्रदेश, छोटानागपुर के पठारी प्रदेश का ही एक भाग है। छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश के अंतर्गत रांची के पठारी प्रदेश का भी समावेश होता है।

(2) दक्कन का पठारी प्रदेश : मालवा के पठारी प्रदेश के दक्षिण में स्थित सतपुड़ा, महादेव तथा मैकल पहाड़ियों के दक्षिण में दक्कन का पठारी प्रदेश है। पठारी प्रदेश का उत्तरी-पश्चिमी भाग मुख्य रूप से लावा के निक्षेपण से निर्मित है। पश्चिम की ओर इसकी सीमा पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है, जो अरबसागर के किनारे उत्तर-दक्षिण दिशा में व्याप्त है। उसके अनेक स्थानीय नाम हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में उसे **सह्याद्रि** कहते हैं। तमिलनाडु में उसे **नीलगिरि** के नाम से पहचानते हैं और केरल-तमिलनाडु की सीमा पर उसे **अन्नामलाई** और **कोर्डेमम्** की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग प्रमाण में अधिक ऊँचा है।

सामान्यत: दक्कन के पठारी प्रदेश की ऊँचाई 900 मीटर से 1100 मीटर है। यद्यपि कुछ स्थानों पर वे एकाएक अधिक ऊँचाईवाली हो जाती हैं। बहुत कम ऊँचाईवाली अलग-अलग पहाड़ियाँ जिनकी ऊँचाई कहीं-कहीं 900 मीटर से अधिक है, वे इस पठारी प्रदेश की सीमा बनाती हैं, जिसे 'पूर्वीघाट' कहते हैं। इस विस्तार का सामान्य ढाल पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व की ओर है, जिसे नदियों के प्रवाह की दिशा के आधार पर भी जाना जा सकता है। नर्मदा तथा तापी (जो पश्चिम की ओर बहती हैं) को छोड़कर दक्कन के पठार की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।

4. तटीय मैदान (समुद्रतटीय मैदान)

प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कच्छ से उड़ीसा तक मैदानों की सँकरी पट्टी से घिरा हुआ है। इसे पश्चिमी तथा पूर्वी तथा पश्चिम तटीय मैदानों के रूप में बाँटा गया है। पश्चिम का तटीय मैदान गुजरात से केरल तक फैला है। गुजरात के अलावा यह अधिकांशत: सँकरा मैदान है। यह बहुत ही असमान और ऊबड़-खाबड़ है और गोवा से दक्षिण तक इसे मलबार तट कहते हैं।

पश्चिमी तट की नदियाँ अपने डेल्टा क्षेत्र में खाड़ी का निर्माण करती हैं। ऐसी अधिकांश खाड़ियाँ नदी के पानी के अंतर्गत डूबी हुई घाटियाँ हैं, जो समुद्रतट के उभरने से बनी हैं। ये मत्स्य प्रवृत्ति के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तट पर अनेक उत्तम प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जिनमें मुंबई तथा मार्मगोवा का समावेश होता है। दक्षिण में केरल तट पर पश्चजल (Back Waters) देखने को मिलता है, उसे स्थानीय भाषा में 'कायल' कहते हैं।

पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अनुपात में अधिक चौड़ा है। यहाँ कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी जैसी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में काँप का निक्षेपण अधिक हुआ है। उत्तर में उत्तर सरकार तट और दक्षिण में आंध्रप्रदेश तथा तमिलनाडु का तटीय प्रदेश 'कोरोमंडल तट' के नाम से प्रसिद्ध है।

(5) द्वीपसमूह

भारत में कई द्वीपसमूह आए हुए हैं। अंदमान-निकोबार और लक्षद्वीप मुख्य द्वीपसमूह हैं। लक्षद्वीप में अनेक छोटे-छोटे द्वीप आए हुए हैं। अरबसागर में केरल तट से थोड़ी दूर पर ये द्वीप स्थित हैं। उनका आकार घोड़े की नाल जैसा है। इस प्रकार के प्रवाल द्वीपों को 'एटोला' कहते हैं।

अन्य द्वीपसमूहों में बंगाल की खाड़ी में स्थित अंदमान-निकोबार का समावेश होता है। यहाँ द्वीपों की संख्या अधिक है और ये भारतीय तट से दूर हैं। वहाँ पर्वतश्रेणियाँ हैं। इनमें कुछ द्वीप ज्वालामुखी की प्रक्रिया से बने हैं। ये द्वीप 350 किमी के विस्तार में फैले हुए हैं। ये व्यूहात्मक सुरक्षा की दृष्टि से अतिशय महत्त्वपूर्ण हैं।

इतना जानिए...

अंदमान-निकोबर द्वीपसमूह में स्थित 'बेरन' एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि उसके नजदीक में ही सुषुप्त ज्वालामुखी के रूप में 'नारकोंडम्' आया हुआ है।

इस तरह, भारत के भूपृष्ठ में विविधता देखने को मिलती है। प्रत्येक भाग की अपनी विशिष्ट लाक्षणिकता है और फिर भी सभी विभाग एक-दूसरे के साथ जुड़े हैं। देश की समृद्धि में उन सबका विशेष योगदान है। वे वन्य संसाधनों के लिए उपयोगी हैं। उत्तर के उपजाऊ काँप के मैदान को अनाज का भंडार कहा जाता है। दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश विविध खनिज संसाधनों से समृद्ध है, जिससे देश के औद्योगिक विकास को गति मिलती है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश विपुल जलराशि वाली नदियों का उद्‌गम स्थान है, साथ-साथ वन संसाधन की विविधता के लिए भी मशहूर है।

चट्टान

एक या उससे अधिक खनिजों से बने संगठित ठोस पदार्थ को 'चट्टान' कहते हैं। चट्टानें कठोर और मृदु भी हो सकती हैं। छिद्राल़ु और अछिद्राल़ु तथा वजन में भारी और हल्की भी होती हैं। विविध प्रक्रियाओं के कारण भिन्न-भिन्न प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों के तीन प्रकार हैं :

(1) आग्नेय चट्टान (2) परतदार (जलकृत) या अवसादी चट्टान (3) रूपांतरित चट्टान

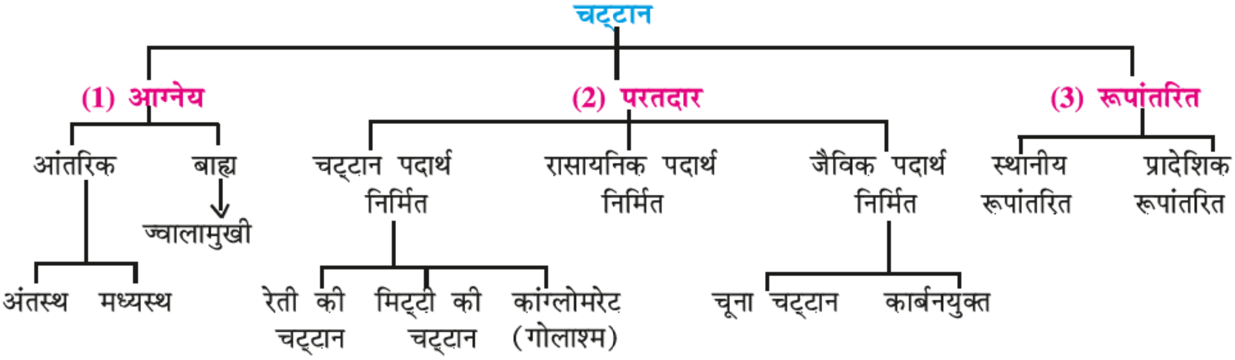

(1) आग्नेय चट्टान : इन चट्टानों के निर्माण में भूगर्भ में रही प्रचंड गर्मी जिम्मेदार है। भूगर्भ में गर्मी के इस प्रचंड प्रमाण के कारण भूगर्भ हमेशा धहकता रहता है, जिससे वहाँ स्थित सभी पदार्थ अर्धद्रव स्थिति में होते हैं। उन पदार्थों को 'मैग्मा' कहते हैं। यही मैग्मा ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है। यह चट्टान गर्मी के प्रभाव से निर्मित होती हैं, इसीलिए इन्हें आग्नेय या अग्निकृत चट्टान कहते हैं।

भारत में राजस्थान, मध्यप्रदेश और दक्षिणी प्रायद्वीप में कई स्थानों पर ऐसी चट्टानों का निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टानें सबसे अधिक कठोर होती हैं। 'ग्रेनाइट' अंतस्थ प्रकार की चट्टानों का प्रसिद्ध दृष्टांत हैं, बेसाल्ट भी इसी प्रकार की चट्टान है।

(2) परतदार चट्टान : पानी तथा अन्य बलों के संयुक्त प्रभाव से आग्नेय चट्टानें टूटती हैं। चट्टानों के टुकड़े जब जल द्वारा निक्षेपित होते हैं तब उनसे परत बनती है। इस तरह, चट्टान के टुकड़ों अथवा चट्टान के बोझ का विविध स्तरों में निक्षेपण होता है, सर्वप्रथम निर्मित और सबसे नीचे की परत पर उसके ऊपर बनी परतों के वजन (दबाव) के कारण दबाव पड़ता है और आनेवाले युग में उनसे परतदार चट्टानें तैयार होती हैं, इसीलिए ऐसी चट्टानों को **'परतदार या जलकृत चट्टान'** कहते हैं। सेलखड़ी (जिप्सम), चूना पत्थर और कोयला परतदार चट्टान के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। बिहार और झारखंड वगैरह राज्यों में से कोयला और जिप्सम मिलता है।

(3) रूपांतरित चट्टान : कुछ विशिष्ट परिस्थिति में मूल चट्टानों का स्वरूप, संरचना और गुणधर्म रूपांतरित हो जाते हैं। वास्तव में उच्च तापमान और चट्टानों के स्तरों का अधिक दबाव, इन दो मुख्य परिबलों के संयुक्त प्रभाव के कारण आग्नेय और परतदार चट्टानें एकदम नया स्वरूप धारण करती हैं। इन नवनिर्मित चट्टानों को रूपांतरित चट्टान कहते हैं।

राजस्थान से मिलनेवाले संगमरमर (मार्बल) और क्वाट्र्जाइट इसके उत्तम उदाहरण हैं।

खनिज

प्राकृतिक कार्बनिक या अकार्बनिक क्रियाओं से तैयार होनेवाले कुछ निश्चित रासायनिक संरचनावाले पदार्थों को 'खनिज' कहते हैं। खनिज पृथ्वी की सतह या गर्भ में से ठोस, द्रव या गैस स्वरूप में मिलते हैं। खनिज पृथ्वी की सतह की भूस्तरीय रचना पर आधारित हैं। लोहा, ताँबा, सोना, चाँदी आदि खनिज आग्नेय चट्टानों में से मिलते हैं। कोयला, खनिजतेल और प्राकृतिक गैस आदि परतदार चट्टानों में से प्राप्त होते हैं। स्लेट, संगमरमर, हीरा आदि रूपांतरित चट्टानों में से मिलते हैं।

खनिजों का वर्गीकरण: हमारे दैनिक व्यवहार में लगभग 200 खनिजों का उपयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होता है। खनिजों का सर्वमान्य वर्गीकरण संभव नहीं है। उनका सामान्य वर्गीकरण निम्नानुसार है :

(1) धातुमय खनिज (धात्विक खनिज) :

(अ) कीमती धातुमय खनिज : सोना, चाँदी, प्लेटिनम आदि।

(ब) हलकी धातुमय खनिज : मैग्नेशियम, बॉक्साइट, टीटानियम आदि।

(क) सामान्य उपयोगी खनिज : लोहा, ताँबा, सीसा, एल्युमिनियम, कलई, निकल आदि।

(ड) मिश्रधातु स्वरूप में उपयोगी खनिज : क्रोमियम, मैंगनीज, टंगस्टन, वेनेडियम आदि।

(2) अधातुमय खनिज (अधात्विक खनिज) : चूना-पत्थर, चॉक, एस्बेस्टास, अभ्रक, फ्लोरस्पार, जिप्सम (सेलखड़ी), सल्फर, हीरा आदि।

(3) संचालन शक्ति हेतु उपयोगी खनिज : कोयला, खनिजतेल और प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि।

मुख्य खनिज और उनका क्षेत्रीय वितरण

क्रम	खनिज	राज्य
1.	लोहा	झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, मध्यप्रदेश
2.	मैंगनीज	कर्नाटक, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा
3.	तांबा	गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, सिक्किम, मेघालय, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल
4.	बॉक्साइट	ओडिशा, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात
5.	सीसा	राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मेघालय, सिक्किम, गुजरात
6.	अभ्रक	आंध्रप्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड
7.	चूना-पत्थर	मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचलप्रदेश

मिट्टी और उसका वितरण

विद्यार्थियो ! आप जानते हैं कि मिट्टी कृषि के लिए मूलभूत संसाधन है। कृषिकार्य के उपरांत भी यह मिट्टी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

जमीन पृथ्वी की सतह पर स्थित जैविक और अजैविक द्रव्यों से निर्मित एक पतला स्तर है। जिस तरह किसी सेब का उसके पतले छिलके के साथ संबंध होता है, ठीक उसी तरह पृथ्वी की सतह के साथ मिट्टी का संबंध है। पृथ्वी की पपड़ी के ऊपरी पतले स्तर को 'मिट्टी' कहते हैं।

मिट्टी-निर्माण : मिट्टी चट्टानों के विखंडन से जनमी है। चट्टानों की सतहवाले भागों का ताप, बरसात, हिम, हवा, वनस्पति और जीव-जंतुओं आदि परिबलों से विखंडन होने से चट्टानों का चूर्ण बनता है और भूमि-आवरण बनता है। इस भूमि-आवरण में चट्टानों के छोटे-बड़े टुकड़े, कंकड़, रज आदि होते हैं, जिसे **'रेगोलिथ'** कहते हैं। जिसमें केवल खनिज द्रव्य होते हैं। उसके पश्चात् उसमें जैविक द्रव्य, हवा और पानी मिलते हैं। अंत में उसमें से मिट्टी बनती है। मिट्टी-निर्माण की यह प्रक्रिया दीर्घकालिक है।

भारत में मिट्टी के प्रकार : भारत की मिट्टी को निम्नलिखित छः प्रकारों में बाँटा गया है :

(1) काँप (जलोढ़) मिट्टी (2) काली मिट्टी अथवा रेगड़ मिट्टी (3) लाल मिट्टी (4) लैटेराइट मिट्टी (5) पर्वतीय मिट्टी (6) मरुस्थलीय मिट्टी

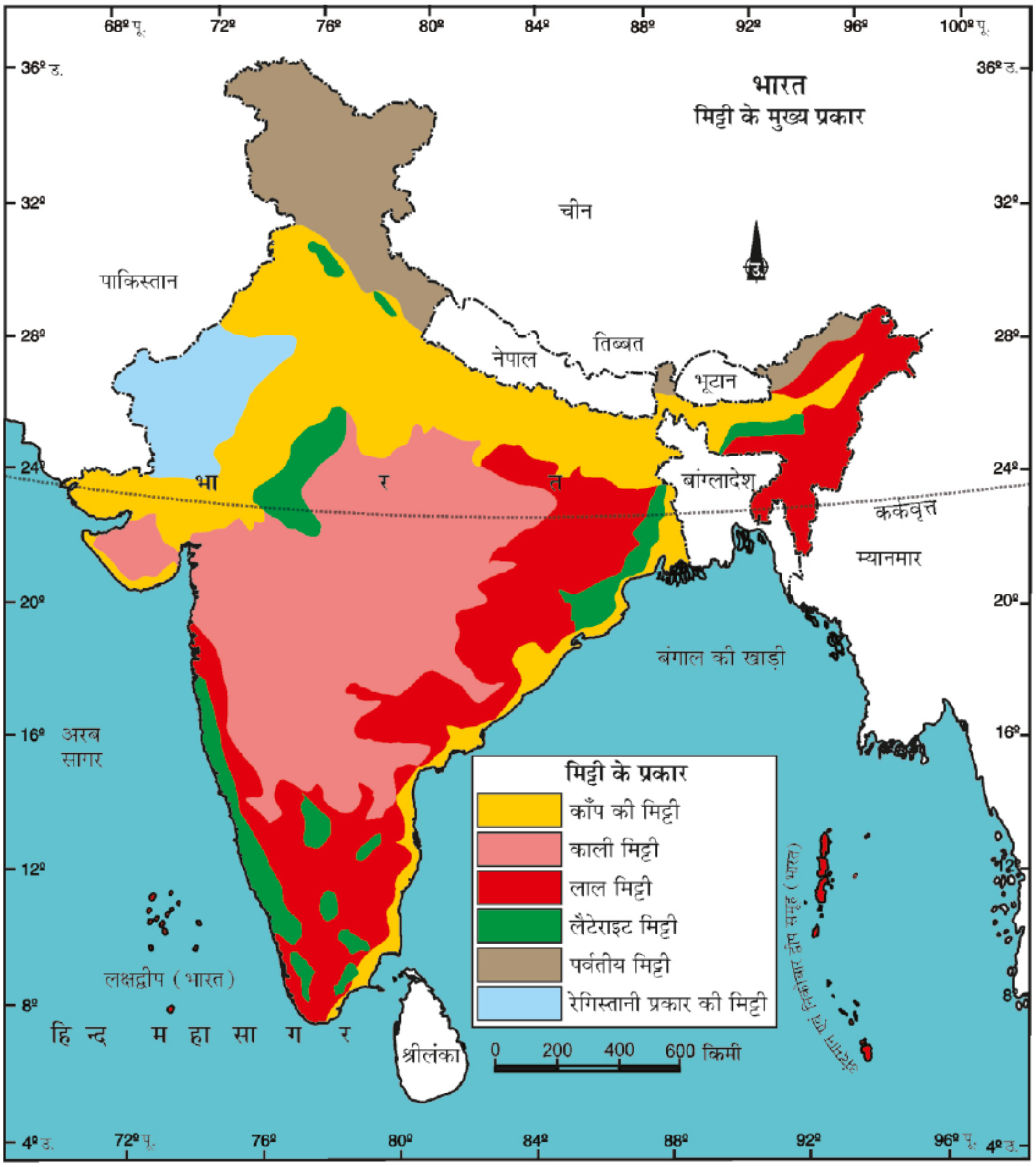

14.3 मिट्टी के मुख्य प्रकार

(1) काँप (जलोढ़) मिट्टी : काँप मिट्टी के दो प्रकार हैं : (1) खादर और (2) बांगर। नदियों के निक्षेपण से तैयार होनेवाली इस नई काँप मिट्टी को खादर कहते हैं। बाढ़ के मैदानों से निर्मित यह मिट्टी मुख्यतः नदियों के पास के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह अनुपात में रेतीली होती है। पुरानी काँप मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ नदियों के बाढ़ का जल ऊँचाई के कारण नहीं पहुँच पाता है। इस प्रकार की मिट्टी को बांगर कहते हैं। यह चिकनी और गहरे रंग की होती है। काँप मिट्टी देश के बहुत बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी की उर्वरा-शक्ति अलग-अलग स्थानों पर भिन्न-भिन्न होती है, परन्तु सामान्यतः यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में इसी प्रकार की मिट्टी है।

(2) काली मिट्टी : यह मिट्टी मुख्यरूप से महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में पाई जाती है। काली मिट्टी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की भेंट है। यह मिट्टी चिकनी और नमी संचित करने वाली होती है। यह लम्बे समय तक नमीधारण करने की क्षमता रखती है। यह मिट्टी रूपांतरित चट्टानों द्वारा तैयार हुई है और कपास की फसल के लिए अधिक अनुकूल है। अतः यह कपास की काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। यह मिट्टी 'रेगड़' नाम से भी पहचानी जाती है।

(3) लाल मिट्टी : आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी आई हुई है। लौहतत्त्व और अन्य जैविक तत्त्वों के कारण इस जमीन का रंग लाल दिखाई देता है। यह जमीन अनुपात में छिद्रालु और उपजाऊ होती है। गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, ओडिशा और झारखंड के कई भागों में लाल मिट्टी दिखाई देती है।

(4) लैटेराइट मिट्टी : अधिक वर्षा के कारण तीव्र कटाव के परिणाम स्वरूप लैटेराइट मिट्टी बनती है। अत्यधिक वर्षा के कारण जमीन के ऊपरी स्तर में से पोषक तत्त्व घुलकर निचले स्तर में उतरते हैं। जैविक द्रव्यों का प्रमाण कम होने से यह मिट्टी कम उर्वराशक्ति वाली है। यहाँ लाल रेती के पत्थरों में लौह और एल्युमिनियम तत्त्व होते हैं। इन पत्थरों के कटाव से यहाँ की मिट्टी लाल रंग की होती है। ऐसी मिट्टी दक्कन के पहाड़ी प्रदेशों, कर्णाटक, केरल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कई भागों में पाई जाती है।

(5) पर्वतीय मिट्टी : जंगलों के कारण जैविक द्रव्यों का प्रमाण अधिक होता है, जबकि अलग-अलग स्थलों पर भिन्नता भी होती है। शिवालिक पर्वत-श्रेणियों पर यह मिट्टी कम उर्वर और अपरिपक्व लगती है। यह मिट्टी रेतीली, छिद्रालु और जैविक द्रव्यों की कमीवाली होती है। ऐसी मिट्टी देश के पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी पर्वतश्रेणियाँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश में ऐसी मिट्टी होती है।

(6) मरुस्थलीय मिट्टी : यह मिट्टी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में है, भारत में मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के विस्तृत शुष्कक्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। इसमें क्षारकणों की अधिकता और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। सिंचाई की सुविधा से इस मिट्टी में खेती संभव हो सकी है।

इस तरह, जलवायु और भूपृष्ठ के वैविध्य के कारण देश की मिट्टी में कई तरह की विविधता पाई जाती है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए :

(1) हिमालय पर्वतश्रेणी में कौन-कौन से मुख्य दर्रे हैं ?

(2) रेगोलिथ अर्थात् क्या ?

(3) चट्टानों के मुख्य कितने और कौन-कौन से प्रकार हैं ?

(4) मिट्टी-निर्माण की प्रक्रिया के विषय में बताइए।

2. निम्नलिखित शब्द-संकल्पनाओं को समझाइए :

(1) निक्षेपण

(2) बांगर

(3) खनिज

(4) चट्टान

(5) मिट्टी

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्देवार लिखिए :

(1) भारत के द्वीपसमूहों का परिचय दीजिए।

(2) भारत की मिट्टी के प्रकार बताते हुए विस्तृत जानकारी दीजिए।

(3) खनिजों का वर्गीकरण कीजिए।

4. नीचे दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पूर्ण कीजिए :

(1) पतकोई पहाड़ी : अरुणाचल प्रदेश तथा लुसाई ......

(A) नागालैंड (B) मणिपुर (C) मिजोरम (D) मेघालय

(2) निम्नलिखित में से कौन असत्य विधान बोल रहा है ? खोजिए।

(A) कशिश : सोना, चाँदी, प्लेटिनम कीमती धातुमय खनिज हैं।

(B) किन्नी : बॉक्साइट, टीटानियम कीमती धातुमय खनिज हैं।

(C) ध्रुवी : टंगस्टन, मैंगनीज और क्रोमियम आदि अधातुमय खनिज हैं।

(D) निधि : सीसा, ताँबा और लोहा आदि सामान्य उपयोगी खनिज हैं।

(3) सही जोड़े मिलाइए :

अ	ब
(1) परतदार चट्टान	(A) ग्रेनाइट
(2) रूपांतरित चट्टान	(B) चूना-पत्थर
(3) आग्नेय चट्टान	(C) संगमरमर (मार्बल)

(A) 1-B, 2-C, 3-A (B) 1-A, 2-C, 3-B

(C) 1-C, 2-B, 3-A (D) 1-B, 2-A, 3-C

(4) निम्नलिखित में से कौन-सा विधान सत्य है ?

(A) पश्चिमी घाट उत्तरीक्षेत्र में अधिक ऊँचाईवाला है।

(B) कर्नाटक में पश्चिमी घाट को नीलगिरि कहते हैं।

(C) पश्चिमी घाट अरब सागर के किनारे अविच्छिन्न रूप से उत्तर-दक्षिण में व्याप्त है।

(D) केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पश्चिमी घाट को सह्याद्रि कहते हैं।

(5) अरावली और विंध्याचल के बीच कौन-सा पठारी प्रदेश है ?

(A) छोटानागपुर (B) मालवा

(C) दक्कन (D) शिलोंग

प्रवृत्ति

- भारत के मुख्य द्वीपसमूहों की मुलाकात का आयोजन कीजिए।
- एटलस की सहायता से भारत के भूपृष्ठ का मानचित्र देखिए और उसका अध्ययन कीजिए।
- भूकंप और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदा संबंधी जानकारी एकत्र करके अलबम बनाइए और उसका मॉडल भी तैयार कीजिए।

15 जलपरिवाह (अपवाह)

किसी भी क्षेत्र की नदी-प्रणाली का अध्ययन करने के लिए 'जलपरिवाह' शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत के भूपृष्ठ का नक्शा देखें तो आपको ज्ञात होगा कि एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ अलग-अलग दिशाओं से आकर मिलती हैं। इन नदियों का जल किसी झील, समुद्र या मरुस्थल में मिलता है। इस तरह, एक नदी-तंत्र द्वारा उसका प्रवाह जिस क्षेत्र में से बहता है, उसे नदी-बेसिन कहते हैं। जब कोई पर्वत या उच्चप्रदेश नदियों के जलपरिवाह को एक दूसरे से अलग करते हैं, तब उसे जल-विभाजक कहते हैं।

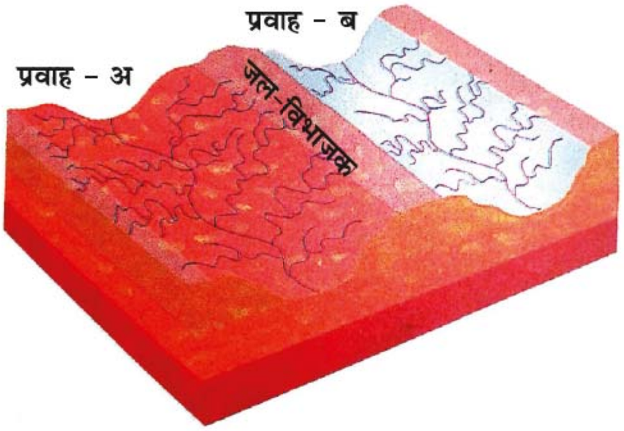

15.1 जल-विभाजक

इतना जानिए...

विश्व में सबसे विशाल नदी-बेसिन अमेजन नदी का है। भारत में सबसे विशाल नदी-बेसिन गंगा नदी का है।

भारत का जलपरिवाह

भारत के जलपरिवाह की रचना भौगोलिक आधार पर की जाती है। उसी आधार पर भारत की नदियों को दो विभागों में बाँटा गया है :

(1) हिमालय की नदियाँ (2) प्रायद्वीपीय नदियाँ

प्राकृतिक रचना की विशेषता के कारण भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसका कारण हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में विशेष अंतर है। हिमालय की नदियों में बारहों महीने जलप्रवाह रहता है, क्योंकि वर्षा में बरसात के कारण और गर्मी में पर्वत-शिखरों की बर्फ पिघलने से तलहटी के जलभंडार में निरंतर वृद्धि होती रहती है और नदियों का प्रवाह बना रहता है। हिमालय की मुख्य दो नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतमाला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। हिमालय की नदियाँ अपने उद्‌भव स्थान से निकलकर समुद्र तक लम्बा रास्ता तय करती हैं।

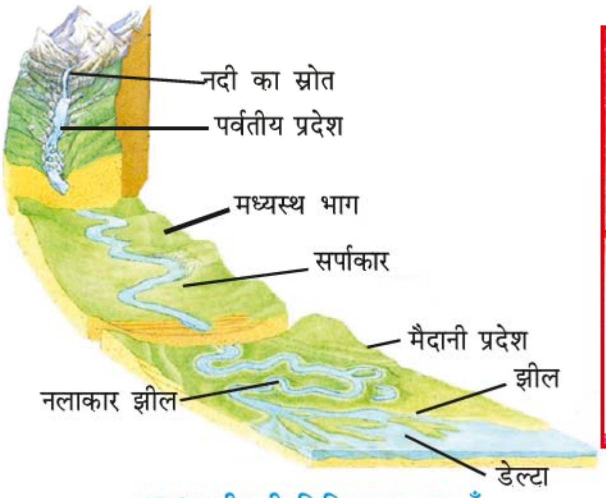

15.2 नदी की विभिन्न अवस्थाएँ

15.3 नदी-प्रणालियाँ

नदी-परिवाह की तीन अवस्थाएँ

(1) पर्वतीय प्रदेश (2) मध्यभाग (3) मैदानी प्रदेश

नदी जब पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है तब वहाँ तीव्र घर्षण करती है और वहाँ से अपने साथ अधिक मात्रा में बालू और काँप बहाकर लाती है। मध्य तथा मैदानी भाग में नदियों का प्रवाह मंद पड़ जाता है। यहाँ उनका अपवहन सर्पाकार (विसर्पी) दृष्टिगोचर होता है। नदियों के विसर्पण के कारण तथा बाढ़ के प्रभाव से मैदानों में घोड़े की नाल जैसे आकारवाले सरोवर बनते हैं। मुख-प्रदेश से आगे नदी अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और लम्बे अंतराल के पश्चात् यह विभाजित भाग त्रिभुजाकार के रूप में अत्यंत उपजाऊ प्रदेश में रूपांतरित हो जाता है, जिसे 'डेल्टा' कहते हैं।

प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, कारण कि उनका जलभंडार मात्र वर्षा पर आधारित होता है। शुष्क ऋतु दौरान उनका प्रवाह घट जाता है अथवा बंद हो जाता है। हिमालय की नदियों की तुलना में इन नदियों की लंबाई भी कम है। ये नदियाँ छिछली हैं। भारत की प्राकृतिक रचना तथा पर्वतों की ढलान के कारण अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिमीघाट से निकलकर पूर्व की तरफ बहती हैं और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के लिए पश्चिमीघाट मुख्य जलविभाजक है।

- **इतना जानिए...**

जल-परिवाह प्रणाली :

मुख्यनदी और उसकी शाखाओं की प्रणाली निम्नानुसार है :

(A) वृक्षाकार प्रणाली :

मुख्यनदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर जब एक वृक्ष की डालियों जैसी सुंदर रचना करती हैं, तब उसे वृक्षाकार नदी रचना कहते हैं; जैसे, गंगा।

(B) जालिकावत् प्रणाली :

पर्वतीय प्रदेश से निकलनेवाले झरने पहाड़ी ढलान के कारण एक-दूसरे से मिलते हैं, तब उनकी रचना जाली आकार की होती है; जैसे - हिमालय की ढलानों से निकलनेवाले अनेक झरने।

(C) आयातकार प्रणाली :

मुख्यनदी और उसकी सहायक नदियाँ एक-दूसरे को समकोण पर मिलती हों, तो इसको आयताकार रचना कहते हैं। भूमिदरार में से बहने वाली अधिकांश नदियाँ ऐसी रचनावाली होती हैं; जैसे, नर्मदा।

(D) केन्द्रत्यागी (पर्वताकार) प्रणाली :

पर्वतीय प्रदेश में एक पर्वत के चारों तरफ से झरने निकलकर चारों तरफ नदी की रचना करते हों, तो उसे केन्द्रत्यागी पर्वताकार नदी रचना कहते हैं; जैसे - सौराष्ट्र की नदियाँ।

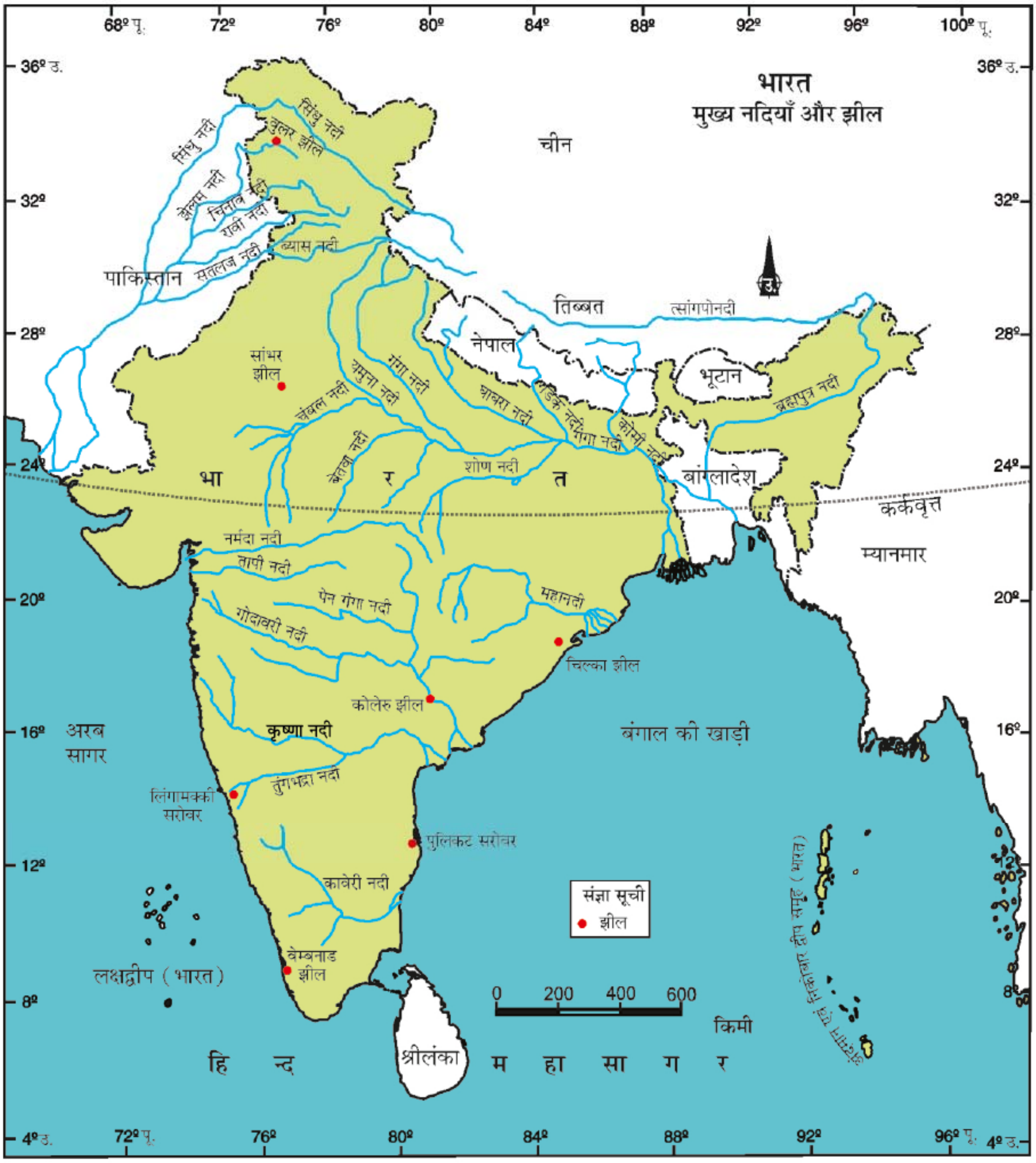

15.4 भारत : मुख्य नदियाँ और झील

(1) हिमालय की नदियाँ : सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलनेवाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं और अनेक सहायक नदियाँ इनसे मिलती हैं। कोई एक बड़ी नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ एक-दूसरे से मिलें तो जो स्वरूप निर्मित होता है, उसे जल-परिवाह (अपवाह) तंत्र कहते हैं।

सिंधु नदी-तंत्र : सिंधु नदी का उद्‌गम स्थान मानसरोवर के पास तिब्बत में है। आरंभ में वह पश्चिम में और फिर उत्तर-पश्चिम की तरफ बहती है। इस तरह, वह लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश के लेह जिले में प्रवेश करती है। इस क्षेत्र में उसने दुर्गम खोहों (खड्ढों) का निर्माण किया है। यहाँ उससे जास्कर, नूबरा, श्योक तथा हुंजा जैसी नदियाँ मिलती हैं। सिंधु नदी बालतिस्तान तथा गिलगिट क्षेत्र में बहती हुई अटक के पास पर्वतीय क्षेत्र में से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम उससे मिलनेवाली सहायक नदियाँ हैं। ये पाँचों नदियाँ पाकिस्तान के मिथानकोट के पास सिंधु नदी में गिरती हैं। इन सभी नदियों का संयुक्त प्रवाह दक्षिण की तरफ बहकर अंत में पाकिस्तान में होकर अरबसागर से मिलता है। यह नदी मैदानी प्रदेश में मंद गति से बहती है। इस नदी-बेसिन का लगभग एक तिहाई भाग भारत के पर्वतीय क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में स्थित है।

इतना जानिए...

- सिंधु नदी की लंबाई 2900 किमी है।
- सिंधु नदी के पानी के बँटवारे के लिए 1960 में भारत पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ है।
- समझौते के अनुसार सिंधु के जलभंडार में से भारत मात्र 20 % जल का उपयोग कर सकता है।
- सतलज, रावी और ब्यास के जल के उपयोग से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्रों में सिंचाई संभव हो सकी है।

गंगा नदी-तंत्र : हिमालय के गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग (उत्तराखंड) में एक-दूसरे से मिलती हैं। पर्वतीय प्रदेश से निकलकर गंगा हरिद्वार के पास मैदान में प्रवेश करती है।

हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियाँ गंगा से मिलती हैं, जिनमें यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी मुख्य नदियाँ हैं। यमुना हिमालय के यमुनोत्री (यम्नोत्री) में से निकलती है। यह नदी गंगा की दाहिनी तरफ से बहकर इलाहाबाद के पास गंगा में गिरती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी का उद्‌गम स्थल नेपाल में है, जिसके कारण हरवर्ष उत्तर के मैदानी प्रदेशों में बाढ़ आती है। कुछ क्षेत्रों में जान-माल को भारी क्षति पहुँचती है, फिर भी इन नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ काँप के मैदान से भारत ने कृषि क्षेत्र ने समृद्धि प्राप्त की है।

प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से निकलने वाली चंबल, बेतवा यमुनानदी में तथा सोन गंगा नदी में मिलती हैं। ये नदियाँ अर्धशुष्क क्षेत्र से निकलती हैं तथा इनकी लंबाई भी कम है। इनका जलभंडार भी मर्यादित है।

उत्तर तथा दक्षिण में से मिलनेवाली नदियों का संयुक्त प्रवाह आगे जाकर दो भागों में बँट जाता है। पहला भाग बंग्लादेश में प्रवेश करता है, वहाँ वह 'पद्‌मा' के नाम से पहचाना जाता है। दूसरा भाग पश्चिम बंगाल में भागीरथी-हुगली नाम से जाना जाता है। अंत में ये दोनों प्रवाह बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं।

गंगा का प्रवाह बांग्लादेश में 'पद्‌मा' कहलाता है। यहाँ वह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाता है। इन दोनों के संयुक्त प्रवाह को मेघना कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा प्रदेश सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश है। उसे सुंदरवन कहा जाता है।

इतना जानिए...

- गंगा के डेल्टाप्रदेश को 'सुंदरवन' इसलिए कहा जाता है कि यहां 'सुंदरी' नामक वृक्ष अत्यधिक संख्या में हैं।
- भारत के संदर्भ में सुंदरवन डेल्टाप्रदेश मेन्ग्रुव जंगलों के लिए प्रसिद्ध हैं।
- गंगा नदी 2500 किमी से भी अधिक लम्बी है। अंबाला शहर गंगा और सिंधु नदी के बीच जल विभाजक का काम करता है। अंबाला से सुंदरवन तक की लंबाई लगभग 1800 किमी है, परन्तु यहाँ से हलका-सा ढाल है। अंबाला समुद्र की सतह से 300 मीटर की ऊँचाई पर है और सुंदरवन समुद्री सतह के निकट है। इस गणना को ध्यान में रखकर सोचें तो प्रत्येक 6 किमी पर एक मीटर ढलान कम होती है, इसीलिए इस नदी में विसर्पण अधिक दिखाई देता है।

ब्रह्मपुत्र नदी-तंत्र : ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर के पूर्व की ओर से तथा सिंधु और सतलज के मूल के निकट से निकलती है। उसकी प्रवाह की लम्बई का अधिकांश भाग भारत के बाहर है। यह नदी हिमालय श्रेणी के समांतर पूर्व में बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास U आकार में मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ वह दिहांग नाम से पहचानी जाती है। दिहांग, लुहित और केनुला आदि सहायक नदियाँ मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से पहचानी जाती हैं।

इतना जानिए...

- ब्रह्मपुत्र नदी एकमात्र पुरुषवाचक नाम वाली नदी है। जिसकी लंबाई लगभग 2900 किमी है।
- ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में त्सांहगपो (सांगपो) और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है।
- ब्रह्मपुत्र के समग्र प्रवाह में 'माझुली' नामक एक नदीय द्वीप (Riverine Island) है, जो विश्व में सबसे बड़ा है।

तिब्बत में इस नदी में काँप का अनुपात बहुत कम है। भारत में यह नदी अधिक वर्षावाले प्रदेशों से गुजरती है। इसलिए

यहाँ से जलभंडार और काँप की मात्रा में वृद्धि होती है। असम में कई सहायक नदियाँ इससे मिलती हैं। इस तरह, ब्रह्मपुत्र नदी गुंफित स्वरूप में बहती है।

प्रतिवर्ष वर्षाऋतु में इस नदी के जलभंडार में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप असम और बांग्लादेश में बार-बार बाढ़ आने से भारी विनाश होता है। उत्तरी भारत की दूसरी नदियों की अपेक्षा इस नदी में विरोधाभास देखने को मिलता है। असम में वर्षाऋतु के समय पड़नेवाली बरसात के कारण यहाँ निक्षेपण अधिक होता है। इस नदी में रेत की मात्रा बढ़ने से उसकी सतह ऊँची होती रहती है, जिससे इस नदी के प्रवाह में बार-बार मार्ग परिवर्तन होता रहता है।

(2) प्रायद्वीपीय नदियाँ : पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जलविभाजक माना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला दक्षिण भारत के पश्चिम किनारे दक्षिण से उत्तर दिशा में फैली हुई है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रायद्वीप की मुख्य नदियाँ हैं। ये नदियाँ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में अनेक नदियाँ बहती हैं। नर्मदा और तापी जैसी बड़ी नदियाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में गिरती हैं।

नर्मदा बेसिन : नर्मदा नदी मध्यप्रदेश के अमरकंटक के पास से निकलती है। वह पश्चिम दिशा में एक दरार-घाटी से होकर बहती है। जबलपुर के संगमरमर की चट्टानों के प्रदेश से होकर बहती है। नर्मदा, यहाँ ढलान के कारण तीव्र वेग से बहती हुई धुँआधार नामक जलप्रपात की रचना करती है।

इस नदी की सहायक नदियाँ अधिक लम्बी नहीं हैं, वे एक-दूसरे से समकोण पर मिलती हैं। इन नदियों का बेसिन मध्यप्रदेश एवं गुजरात में फैला हुआ है। नर्मदा नदी की लम्बाई लगभग 1312 किमी है।

तापी बेसिन : मध्यप्रदेश में सतपुड़ा की गिरिमालाएँ हैं। यहीं के बेतूल जिले से तापी नदी निकलती है। यह नर्मदा के समांतर एक दरार-घाटी से होकर बहती है और अंत में अरब सागर में जाकर गिरती है। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में इसका बेसिन क्षेत्र फैला हुआ है। तापी नदी की लम्बाई लगभग 724 किमी है।

अरबसागर और पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान सँकरा है। यहाँ की नदियों की लंबाई अत्यंत कम है। पश्चिमी ओर की मुख्य नदियों की लंबाई भी कम है, इन्हीं मुख्य नदियों में साबरमती और मही (महीसागर) भी हैं।

गोदावरी बेसिन : यह नदी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। इसकी लम्बाई लगभग 1465 किमी है। यह नदी पूर्व दिशा में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का बेसिन प्रदेश सबसे विशाल है। इस नदी के बेसिन का 50 % हिस्सा महाराष्ट्र में है। शेष बेसिन प्रदेश मध्यप्रदेश और आंध्रप्रदेश में है।

पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा आदि गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी का प्रवाहन मार्ग लम्बा और बेसिन क्षेत्र विस्तृत है। इसलिए यह गंगा जितनी ही महत्त्वपूर्ण है।

महानदी बेसिन : महानदी का उद्‌गम स्थान छत्तीसगढ़ के पर्वतीय प्रदेश में है। यह ओडिशा से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई लगभग 860 किमी है। इसका बेसिन क्षेत्र छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा में है।

कृष्णा बेसिन : यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। इसकी लम्बाई लगभग 1400 किमी है। इसकी सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा हैं। इसका बेसिन क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश में फैला है।

कावेरी बेसिन : पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरि श्रेणी से कावेरी नदी का उद्‌भव होता है। इसकी लम्बाई लगभग 760 किमी है। इसमें मिलने वाली सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमवती तथा कालिनि हैं। इसका बेसिनक्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला है। यह तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में (कावेरीपट्टनम्) बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

उपर्युक्त नदियों के अतिरिक्त दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्णरेखा जैसी छोटी-छोटी नदियाँ भी पूर्व की ओर से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।

इतना जानिए...

- पृथ्वी की सतह पर 71 % जलावरण है।
- जिसमें से 97 % जल खारा है।
- मात्र 3 % जल पेयजल के रूप में उपलब्ध है। उसका चौथाई भाग बर्फ के रूप में है।

झील

भारत में अनेक छोटी-बड़ी झीलें हैं। मीठे पानी की झीलें हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में हैं। अधिकतर झीलों में वर्षाऋतु में पानी होता है। शुष्क प्रदेशों में अंत:स्थलीय नदियों द्वारा हिमालय में झीलों की रचना हिमनदी से हुई है। कुछ झीलें पवन, नदी और मानव प्रवृत्तियों के कारण निर्मित हुई हैं। विसर्पीनदियों बाढ़ के प्रकोप के कारण घोड़े की नाल आकार की झीलों का निर्माण होता है। समुद्रीय ज्वार के कारण 'लगून' झीलों की रचना हुई है। चिल्का, कोलेरू और पुलिकट इस प्रकार की झीलों के उत्तम उदाहरण हैं। राजस्थान में स्थित सांभर खारे पानी की झील है, जिसके पानी से नमक बनाया जाता है।

मीठे पानी की झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं, जो हिमनदी द्वारा निर्मित हुई हैं। हिमनदी का बर्फ पिघलकर घाटियों में भरने से खूब सुंदर झीलें निर्मित हुई हैं। कश्मीर की वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं द्वारा बनी है। इसके अतिरिक्त डल, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ापानी आदि मीठे पानी की झीलें हैं।

झीलों की उपयोगिता : हमारे लिए झीलें कई तरह से उपयोगी हैं। कई नदियाँ झीलों से निकलती हैं। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ झीलों में अधिक मात्रा में पानी का संग्रह किया जा सकता है। संचित पानी का उपयोग सिंचाई तथा अन्य कामों के लिए किया जाता है। झील में संग्रहित पानी का उपयोग अकाल के समय भी हो सकता है। नदियों पर बने बाँध और उसके अंतर्गत बनी झीलें जलविद्युत उत्पादन के लिए खूब उपयोगी हैं। कई झीलें तो प्राकृतिक सौन्दर्य में वृद्धि करती हैं। परिणामस्वरूप ऐसी झीलें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुई हैं। झीलें मत्स्य उद्योग के लिए भी महत्त्वपूर्ण हैं।

नदियों का आर्थिक महत्त्व

मानव इतिहास में सबसे अधिक महत्त्व नदियाँ का है। नदियों का पानी प्राकृतिक संसाधन है। ये मनुष्य की कई प्रवृत्तियों के लिए अनिवार्य हैं। नदियों ने मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूर्ण किया है। कृषि एवं उद्योग का विकास नदियों के कारण हुआ है। प्राचीन संस्कृति भी नदियों की आभारी रही है। अधिकतर बड़े शहरों का विकास नदियों के किनारे हुआ है; जैसे – दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, भरूच, सूरत आदि।

भारत जैसे कृषिप्रधान देश की कृषि के विकास हेतु नदियों को बुनियादी आधार माना गया है। आधुनिक समय में पानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए, जलविद्युत के लिए तथा नौकाविहार के लिए नदियों के पानी का उपयोग होता है।

नदी-प्रदूषण

नदी के पानी का उपयोग घरेलू, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियों में अधिक होता है। हम नदियों को लोकमाता कहते हैं, उन्हें पवित्र मानते हैं, फिर भी उद्योगों और गटरों का दूषित पानी नदियों में गिराते हैं। शहरों में तो कूड़ा-कचरा भी नदियों के पानी में डालते हैं। इस तरह लोकमाता कहलाने वाली नदी के पानी को हम प्रदूषित करते रहते हैं। निरंतर शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के परिणामस्वरूप जलप्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। नदी के पानी का प्रदूषण हमारी राष्ट्रीय समस्या बन गई है। सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। सरकार के इस कार्य में हमारा योगदान और हिस्सेदारी आवश्यक है।

जल-प्रदूषण को रोकने के उपाय

जल-प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े नियमों का पालन करवाना आवश्यक है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (National River conservation Project) द्वारा जल शुद्धीकरण योजना लागू करनी चाहिए। औद्योगिक इकाइयाँ अपना गंदा पानी नदियों में न छोड़ें, इसके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए। औद्योगिक इकाइयों को अपने दूषित पानी में रहे हानिकारक तत्त्वों को दूर करके पानी नदी में छोड़ना चाहिए। नदी में स्वच्छ पानी रहे, उसमें घर का कूड़ा-कचरा न मिले, इस बात का प्रत्येक नागरिक को ध्यान रखना चाहिए।

इतना जानिए...

- NRCP (National River conservation Project) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना।
- गंगा नदी के शुद्धीकरण के दूसरे चरण में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अमल में लाई गई।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए :

(1) अंतर लिखिए : हिमालय की नदियाँ — प्रायद्वीपीय नदियाँ

(2) समझाइए : जलपरिवाह और जलविभाजक

(3) झीलों की उपयोगिता लिखिए।

(4) जल-प्रदूषण रोकने के उपाय बताइए।

(5) 'गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं' - कारण दीजिए।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

(1) गंगा नदी-तंत्र के विषय में समझाइए।

(2) नर्मदा बेसिन के विषय में बताइए।

(3) कृष्णा और कावेरी बेसिन के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए।

3. नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) नदियों के विसर्पण के कारण कैसी झीलों का निर्माण होता है ?

(A) लगून (B) घोड़े के नाल जैसी (C) बेलनाकार (D) वर्गाकार

(2) कोई पर्वत या पठारी प्रदेश नदियों के प्रवाह को एक-दूसरे से अलग करे, तो उसे क्या कहते हैं ?

(A) जलरचना (B) जल विभाजक (C) नदी-तंत्र (D) बेसिन

(3) निम्नलिखित में से कौन-सी नदी प्रायद्वीपीय नहीं है ?

(A) गोदावरी (B) कृष्णा (C) कोसी (D) कावेरी

(4) निम्नलिखित में से किस झील के पानी का उपयोग नमक बनाने में होता है ?

(A) ढेबर (B) सांभर (C) वूलर (D) नल

(5) गंगा में कौन-कौन-सी नदियाँ मिलती हैं ?

(A) यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी (B) यमुना, चंबल, घाघरा और कोसी

(C) यमुना, घाघरा, शरावती और कोसी (D) नर्मदा, घाघरा, गंडक और कोसी

प्रवृत्ति

- नदियों और उन पर बनी बहुउद्देशीय योजनाओं का चार्ट्स तैयार कीजिए।

16 जलवायु

वातावरण के लंबे अंतराल की औसत परिस्थिति को जलवायु कहते हैं। सामान्य रूप से किसी प्रदेश की 35 या उससे अधिक वर्षों की वर्षा, ग्रीष्म या शीत ऋतु के औसत मौसम की परिस्थिति के आधार पर उसकी जलवायु निश्चित की जाती है। संक्षेप में, यह कह सकते हैं कि कई वर्षों के लंबे अंतराल के मौसम की विविध परिस्थितियों का औसत ही जलवायु है।

मौसम, वातावरण के कम समय के अंतराल की औसत परिस्थिति है। दिन के किसी भी समय मौसम बदल सकता है। मौसम बदलने का आधार हवा का तापमान, हवा का दबाव, नमी, वर्षा, कोहरा या बादलों की मात्रा वगैरह पर निर्भर है। हमारी दैनिक कृषि-प्रवृत्ति को मौसम प्रभावित करता है। भारतीय मौसम विभाग समग्र देश के दैनिक मौसम का मानचित्र प्रदर्शित करता है।

जलवायु की दृष्टि से भारत कई विविधताओं और विलक्षणताओं वाला देश है। पृथ्वी की सतह के कई प्रदेशों में पवन की दिशा बदलने वाले पवनों को 'मौसमी पवन' कहते हैं। अरबी भाषा के मूल शब्द "**मौसिम**" (Mausim) पर से इन पवनों को 'मौसमी (मानसूनी) पवन' कहा जाता है। एशिया खंड में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यानमार मानसूनी जलवायु वाले देश हैं।

ऋतु-परिवर्तन

ऋतु-परिवर्तन के मुख्य कारणों में पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और अपनी धुरी पर झुका होना है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5° झुकी है और भ्रमण कक्षा के साथ 66.5° का कोण बनाती है। पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण ऋतुएँ होती हैं। अधिक समय तक सूर्य प्रकाश में रहनेवाले विस्तारों में गर्मी और कम समय तक सूर्यप्रकाश में रहनेवाले विस्तारों में ठंडी का अनुभव होता है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत् पड़ती हैं, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ती है। इसीलिए उस समय भारत मे रात बड़ी होती है और ठंडी का अनुभव होता है। उसी तरह 21 जनू को कर्करेखा की तरफ़ सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत् पड़ती हैं जिससे दिन बड़े होते हैं।

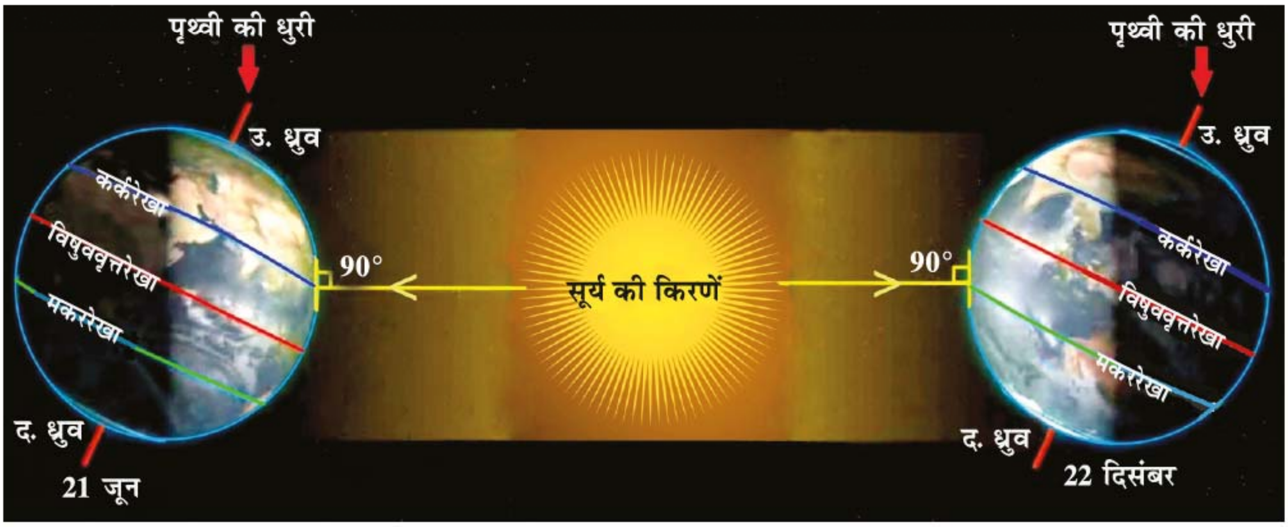

16.1 ऋतु-परिवर्तन

परिभ्रमण और परिक्रमण गति का सीधा प्रभाव मानव जीवन के भोजन, पोशाक और निवास पर पड़ता है। मौसमी जलवायुवाले देशों में ऋतु अनुसार दिशा बदलने वाले ठंडी और गर्मी के मौसमी पवनों का ऋतुगत मौसम पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये प्रत्येक ऋतु के मौसम को विशिष्टता प्रदान करते हैं। इसीलिए इस जलवायु को मौसमी या मानसूनी जलवायु कहते हैं।

भारत की जलवायु की विविधता

भारत की जलवायु में कई बातों में भिन्नता है। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय प्रदेश होने से समुद्री किनारे पर सम जलवायु का अनुभव होता है। उत्तरी भारत अधिकांश भाग समुद्रतट से दूर होने से वहाँ की जलवायु खंडीय (महाद्वीपीय) है। भारत के मध्य से कर्करेखा गुजरती है। दक्षिण भाग उष्णकटिबंध में और उत्तर भाग समशीतोष्ण कटिबंध में आया हुआ है। परिणामस्वरूप

देश के अलग-अलग भागों में स्थित स्थानों के तापमान और वर्षा में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जैसे; उत्तरी लद्दाख में स्थित लेह तथा द्रास का तापमान ठंडी में-45° से. तक नीचे चला जाता है। राजस्थान के श्रीगंगानगर तथा अलवर का गर्मी में तापमान 51° से. जितना चला जाता है। इसी तरह, पूर्वी भारत में मेघालय राज्य के चेरापूँजी में दुनिया की सबसे अधिक वार्षिक वर्षा लगभग 1200 सेमी होती है। चेरापूँजी से लगभग 16 किमी दूर स्थित मोसीनराम (Mawsynram) भी चौबीस घंटे में सबसे अधिक वर्षा होनेवाले स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान में स्थित मरुस्थल में समग्र वर्ष दरम्यान मात्र 10 से 12 सेमी वर्षा होती है। हमारे देश में ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है कि कहीं एक ओर लोग भयंकर बाढ़ से परेशान हैं तो वहीं दूसरी ओर वर्षा न होने से लोग भयंकर गर्मी और अकाल का सामना कर रहे हैं। इस तरह, हमारे देश की जलवायु विरोधाभासी है। गड़गड़ाहट भरे तूफान (Thunder Storm), धूलभरी आँधी और उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विनाशक प्रभाव देश के अलग-अलग भागों पर पड़ता रहता है। इस तरह, ऋतुगत मौसम कई तरह से प्रभाव डालता है।

जलवायु को प्रभावित करनेवाले कारक

पृथ्वी की सतह पर तापमान, वातावरणीय दबाव, पवन, नमी, बरसात आदि वातावरणीय तत्त्वों के अनुपात और वितरण पर अंकुश रखनेवाले कुछ कारक हैं, जो जलवायु को प्रभावित करनेवाले परिबल माने जाते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नीचे अनुसार हैं :

अक्षांश : पृथ्वी की सतह पर जलवायु का प्रकार अलग-अलग प्रदेशों के अक्षांश के अनुसार बदलता है। जलवायु में तत्त्वों का वितरण अधिकतर अक्षांशों पर आधारित होता है। दो क्रमिक अक्षांशों के बीच 111 किमी का अंतर होता है। विषुववृत रेखा के आसपास के प्रदेशों पर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत् पड़ती हैं, इसीलिए वहाँ बारहों मास गरमी पड़ती है। भारत उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण कटिबंधीय दो जलवायुगत परिस्थिति में विभाजित है।

समुद्र से दूरी : जलवायु को प्रभावित करनेवाला दूसरा कारक समुद्रीक्षेत्र से स्थलीयक्षेत्र की दूरी है। सूर्य की गरमी संग्रहित करने की तथा उसका ग्रहण-त्याग करने की शक्ति जमीन और पानी में अलग-अलग होती है। परिणामस्वरूप, समुद्र और उसके तटीय भूमि भागों पर सम जलवायु होती है, जबकि किनारे से दूर अंदर के भागों की तरफ जाने पर भूमिखंडों की जलवायु विषम बनती है। भारत में मुंबई समुद्रतट पर होने से वहाँ जलवायु सम रहती है, जबकि नागपुर या दिल्ली समुद्र से दूर होने से वहाँ की जलवायु विषम होती है।

समुद्र-तल से ऊँचाई : समुद्र की सतह से वातावरण में जैसे-जैसे ऊँचाई की तरफ जाएँ हवा का दबाव और हवा का तापमान घटता जाता है। जबकि भूपृष्ठ की ऊँचाई वर्षा में वृद्धि करती है। हिमालय पर्वत की ऊँचाई का कारण उसके अत्यंत ऊँचे शिखर बारहों महीने बर्फ से ढँके रहते हैं। नमीवाली हवा ऊँचाई पर जाने से ठंडी हो जाती है और वर्षा करती है। असम, मेघालय के पहाड़ी प्रदेशों में तो ऊँचाई बढ़ने के साथ-साथ वर्षा की मात्रा भी बढ़ती है। सामान्य परिस्थिति में पृथ्वी की सतह से ऊँचाई की तरफ 165 मीटर पर 1° से. अथवा 1000 मीटर पर 6.5° से. तापमान घटता है।

वातावरणीय दबाव और पवन : भारत उत्तरी-पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में आया हुआ है। ये पवन उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय गुरुदाब पट के भारी दबाव द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये पवन पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण थोड़ा मुड़कर विषुवृतरेखा की ओर बहते हैं। भूतकाल में समुद्री मार्ग द्वारा होनेवाले व्यापार में इन पवनों का लाभ लिया जाता था, इसीलिए इन्हें **'व्यापारी पवन'** कहते हैं। सामान्यत: भूभाग से उत्पन्न होकर बहनेवाले इन पवनों में नमी का अनुपात कम होता है; परन्तु भारत के दक्षिण में हिन्द महासागर, पश्चिम में अरबसागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इस विशाल जलराशि के कारण उसके ऊपर से बहने वाले पवन नमी धारण करते हैं और फिर भारत में वर्षा लाते हैं।

शीतऋतु में हिमालय के उत्तर में भारी दबाव होता है। उस क्षेत्र से ठंडी और शुष्क हवाएँ दक्षिण के कम दबाववाले समुद्री क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। ग्रीष्मऋतु में मध्य एशिया और भारत के भूमि भागों में उच्च तापमान के कारण हवा का हल्का दबाव बनता है। इस समय दक्षिण में हिन्दमहासागर पर भारी दबाव होता है, जिससे हिन्दमहासागर के ऊपर से हवाएँ उत्तर के कम दबाव की तरफ खिंच जाती हैं। इन हवाओं को दक्षिणी-पश्चिमी मौसमी हवाएँ कहते हैं। ये नमीयुक्त होने से भारत में वर्षा लाती हैं।

भारतीय क्षेत्र से दूर स्थित कई प्रदेशों के ऊपर कभी-कभी विशिष्ट घटना आकार लेती है, जिससे जलवायु की दीर्घकालीन प्रणाली में कुछ समय तक थोड़ा अंतर आता है। भारत के मौसम के ऊपर **जेट स्ट्रीम** (वेस्टर्न डिस्टर्बन्सीज़), **अल-नीनो, अई.टी.सी. जोन** जैसी घटनाओं ने खूब असर डाला है। इसके बावजूद भी भारत की मौसमी जलवायु की लाक्षणिकताएँ बनी हुई हैं।

भारत का ऋतुचक्र

हमारे देश में लगभग दो–दो महीने के समय दौरान मौसम लगभग एक समान ही रहता है। इस दो–दो महीने के समय को ऋतु कहते हैं। भारत में परम्परागत ढंग से छः ऋतुएँ मानी जाती हैं : हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। इन ऋतुओं में भी पास–पास की दो ऋतुओं के मौसम की परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखाई देता है। यदि दो–दो ऋतुओं की गणना साथ में कर लें तो वर्ष दौरान कुल तीन ऋतुएँ होंगी : (1) शीतऋतु (2) ग्रीष्मऋतु (3) वर्षाऋतु। भारत में स्पष्ट रूप से बदलती हुई ऋतुओं का अनुभव होता है। शीतऋतु के आते ही ठंडी का अनुभव होने लगता है। ग्रीष्मऋतु में क्रमशः तापमान में वृद्धि होने लगती है। वर्षाऋतु आते ही हवा में नमी बढ़ने लगती है और वर्षा होती है।

दिल्ली में स्थित भारत सरकार के मौसम विभाग के कार्यालय ने भारत की जलवायु को ध्यान में रखते हुए समग्र वर्ष को चार ऋतुओं में विभाजित किया है :

(1) शीतऋतु – ठंडी – दिसंबर से फरवरी

(2) ग्रीष्मऋतु - गर्मी – मार्च से मई

(3) वर्षाऋतु - वर्षा – जून से सितंबर

(4) निवर्तनऋतु - (लौटती मानसूनी हवाओं की ऋतु) अक्टूबर से नवंबर

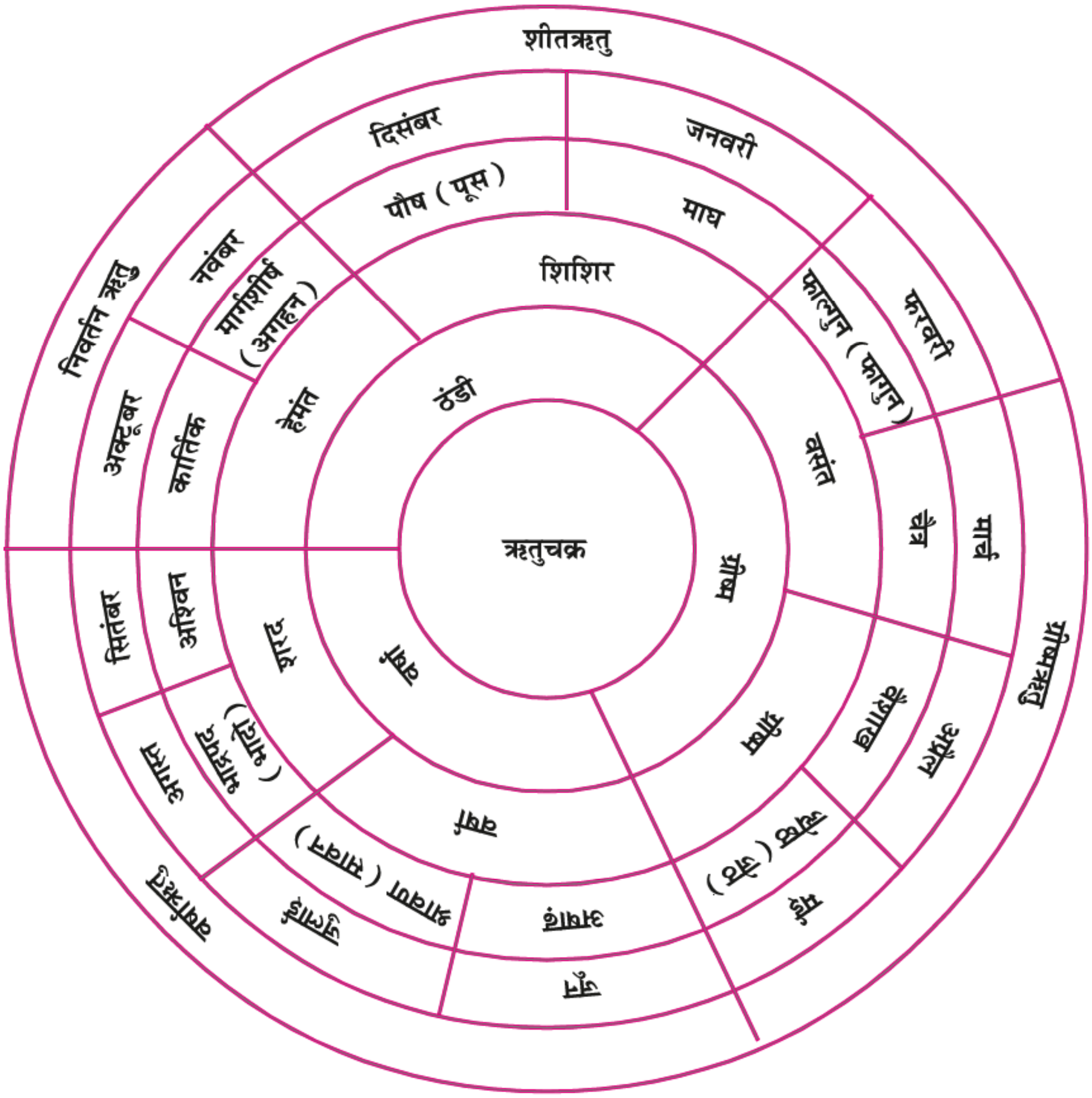

16.2 भारत का ऋतुचक्र

शीतऋतु (दिसंबर से फरवरी)

भारत में दिसंबर से फरवरी तीन महीने के समय को शीतऋतु या ठंडी माना जाता है। 22 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने से दिसंबर से फरवरी तक सूर्य की तिरछी किरणों के प्रभाव में होने से तापमान कम होता है। मध्य एशिया से भारत की ओर द.पू. दिशा की हवाएँ चलती हैं। ये हवाएँ शुष्क और ठंडी होती हैं, जिससे मौसम शुष्क और ठंडा रहता है। इस ऋतु दौरान सामान्यत: आकाश बिना बादल का स्वच्छ रहता है।

उ.प. भारत अनुपात में अधिक ठंडा रहता है कारण कि वह समुद्र से अधिक दूर स्थित है और उसका कुछ भाग मरुस्थल है। ठंडी में इस प्रदेश पर हवा का भारी दबाव बनता है, जिससे पवन की दिशा बदलती है। यहाँ के भारी दबाव के कारण ठंडे तथा शुष्क पवनों का जन्म होता है। ये पवन जहाँ-जहाँ पहुँचते हैं वहाँ तापमान में गिरावट आती है। ठंडी में दिल्ली का तापमान कई बार 10° से. भी नीचे चला जाता है। इलाहाबाद में 16° से. और कोलकाता में 18° से. के आसपास तापमान रहता है। इस समय हिमालय में तापमान अत्यंत कम रहता है। शिमला और दार्जलिंग में जनवरी मास का तापमान 5° से. के आसपास रहता है। हिमालय में जब **हिमवर्षा** होती है तब वहाँ से खूब ठंडी हवा उत्तरीभारत के मैदान की तरफ आती है। परिणामस्वरूप इन मैदानों सहित राजस्थान और गुजरात में शीत लहर आ जाती है। 'हिम' पड़ने से कपास जैसी फसल को नुकसान पहुँचता है। शीतऋतु में ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा भारत में तापमान गलनबिन्दु से नीचे नहीं जाता है, कारण कि हिमालय की गिरिमालाएँ मध्यएशिया की ओर आनेवाले अतिशय ठंडे पवनों को रोकती हैं और भारत को सख्त ठंडी से बचाती हैं।

इतना जानिए...

भारत के मौसम के संबंध में समाचारपत्रों में बार-बार उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्दों को पहचानें...

जेट स्ट्रीम

दोनों गोलार्ध मे लगभग 30° अक्षांश के आसपास 8 से 15 किमी की ऊँचाई के वातावरण में पाइप आकार के पट्टे में अत्यंत गतिशील पवन चलते दिखाई देते हैं, ये पवन 'जेट स्ट्रीम' या 'जेट पवन' के नाम से पहचाने जाते हैं। जेट स्ट्रीम की औसत गति लगभग 150 किमी प्रतिघंटा है और इस पवन पट्टे के मध्यभाग में पवनों का वेग 400 किमी प्र.घं. रहता हैं और गर्मी में वे प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर स्थिर होते हैं। अधिक ऊँचाई पर बहने वाले ये पवन वर्षा लाने में सहायक होते हैं।

पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बन्सीज)

पश्चिम एशिया के ऊपर निर्मित जेट स्ट्रीम पूर्व दिशा की ओर बहता है। उसका प्रभाव पश्चिमी एशिया के देशों, उ.प. भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान पर पड़ता है। इन पवनों के साथ आनेवाले धूलभरे तूफान बांग्लादेश तक प्रभाव दिखाते हैं। ठंडी में उत्तरी भारत के अह्लादक मौसम में ये कभी-कभी विक्षेप डालते हैं। परिणामस्वरूप वहाँ ऊँचे पहाड़ी प्रदेशों में भारी हिमवर्षा तथा मैदानी प्रदेशों में थोड़ी-बहुत बरसात पड़ती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए अत्यंत आशीर्वाद स्वरूप होती है। इसके कारण कभी-कभी गुजरात में भी 'बेमौसमी' बरसात होती है, जिससे कई बार कृषि को हानि पहुँचती है।

ठंडी के दौरान उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत की परिस्थिति भिन्न होती है। दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में है। विषुवत रेखा के नजदीक है तथा प्रायद्वीपीय आकारवाला है। इसके आंतरिक भागों में स्थित प्रदेश समुद्र से अधिक दूर नहीं हैं, इसलिए यहाँ ठंडी में उत्तर भारत जैसी ठंडी का अनुभव नहीं होता है। तापमान भी अधिक नीचे नहीं जाता है। जैसे कि जनवरी महीने में कोचीन का तापमान 26° से., मदुराई का 25° से. और चेन्नई का तापमान 24° से. होता है। जबकि दक्षिण भारत के पहाड़ी स्थल ठंडी में निम्न तापमान का अनुभव करते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। भारत में ठंडी अत्यंत स्फूर्तिदायक और स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। लंबी और ठंडी रात्रि के कारण कई भागों में एकदम प्रात:काल ओस और कोहरे का पड़ना अति सामान्य है। दिन छोटे और रात बड़ी होती हैं। ठंडी में जमीन पर से चलनेवाले शुष्क पवन सामान्य रूप से वर्षा नहीं लाते हैं, परन्तु उ.पू. के मौसमी पवन बंगाल की खाड़ी पार करके आने से नमीयुक्त होती हैं। ये नमीयुक्त पवन कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा करती हैं। उ.पू. भारत में पश्चिमी विक्षोभ तथा बवंडर के कारण कम वर्षा होती है। पंजाब तथा हरियाणा में यह बरसात रबी की फसल के लिए खूब उपयोगी है। ये पवन कभी-कभी गुजरात में भी बरसात लाते हैं। असमय पड़नेवाली इस बरसात को बेमौसमी बरसात (मावठु) कहते हैं।

इतना जानिए...

भारत के मौसम के संबंध में समाचारपत्रों में बार-बार उपयोग किए जानेवाले कुछ शब्दों को पहचानें...

अल-नीनो (El-Nino)

अल-नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है। उसका शाब्दिक अर्थ 'छोटा बालक' होता है। यह नाम पेरू के मछुआरों ने बालक ईसू के नाम पर से दिया है, कारण कि सामान्य रूप से उनका प्रभाव नाताल के आसपास दिखाई देता है। वातावरणीय तथा समुद्री असर से दक्षिण अमेरिका के देश पेरू के पश्चिम प्रशान्त महासागर के तट के नजदीक गर्म प्रवाह उत्पन्न होता है। यह प्रवाह पश्चिम की तरफ बहता है और उसका असर भारत तक अनुभव किया जाता है। अल-नीनो नामक विशिष्ट घटना कभी-कभी आकार लेती है। जब भी अल-नीनो घटना घटित होती है तब भारत की वर्षाऋतु सीमा समयमर्यादा तथा बरसात की मात्रा में बड़ा परिवर्तन होता है।

आई.टी.सी. जोन (ITCZ)

व्यापारिक पवन जहाँ मिलते हैं, वहाँ विषुवत रेखा पर विशाल निम्न दाब क्षेत्र बनता है, उसे आंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (Inter Tropical Convergence Zone) कहते हैं। ये व्यापारिक पवन वायु प्रवाह स्वरूप में ऊपर उठते हैं। जुलाई मास में यह अभिसरण क्षेत्र 20° से 25° उत्तर अक्षांशीय प्रदेश के ऊपर स्थिर होता है। भारत में यह गंगा के मैदान के ऊपर केन्द्रित होता है और यहाँ कम दबाव क्षेत्र निर्मित होता है। जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों के ऊपर उत्पन्न होने वाले ये पवन उत्तर की ओर बहते हैं और भारत के कई भागों में वर्षा होती है। शीतऋतु के दौरान यह अभिसरण क्षेत्र और दक्षिण की ओर खिसकता है, जिससे पवनों की दिशा उत्तर-पूर्व की हो जाती है।

ग्रीष्मऋतु (मार्च से मई)

भारत में मार्च से मई तक के शुष्क और गर्म मौसमवाले समयकाल को 'गर्मी' कहते हैं। मार्च से मई महीने तक भारत की जमीन पर सूर्य की लम्बवत किरणें दक्षिण से उत्तर क्रमशः पड़ती हैं। जिससे भूमि भाग अधिक से अधिक गर्म होता जाता है। तापमान निरन्तर बढ़ता रहता है। दक्षिणभारत में मार्च महीना सबसे अधिक गर्म होता है। इस समय वहाँ कई स्थलों का तापमान 40° से. जितना ऊँचा हो जाता है, जबकि अप्रैल-मई महीनों के दौरान मध्य और उत्तर-पूर्व भारत सबसे अधिक गरमी का अनुभव करता है। वहाँ कई स्थानों पर तापमान 45° से. से 50° से. तक पहुँच जाता है। प्रायद्वीपीय और पठारी प्रदेशों की ऊँचाई के कारण दक्षिण भारत में गर्मी थोड़ी सौम्य होती है। उत्तर भारत की तुलना में यहाँ तापमान नीचे रहता है। दिल्ली-इलाहाबाद में तापमान 34° से. होता है तब मदुराई का तापमान 30° से., कोचीन और बेंगलुरु का तापमान 27° से. जितना होता है। इस तरह, दक्षिण में तापमान के ऊपर समुद्र का प्रभाव और भूपृष्ठ की ऊँचाई का प्रभाव देखा जा सकता है।

इतना जानिए...

नोर्वेस्टर

उत्तर और उ.पू. भारत के ऊपर हवा का हलका दबाव पूर्व में बिहार तक फैला होता है, जिसके कारण झारखंड और उत्तर ओडिशा के पठारी प्रदेशीय क्षेत्र कभी-कभी अत्यंत गर्म हो जाते हैं, तब उसे **नोर्वेस्टर** कहते हैं। उसका स्थानीय नाम **कालवैशाखी** है। इन पवनों से उत्पन्न होने वाले तूफान पूर्वीभारत में बहुत नुकसान पहुँचाते हैं।

'लू'

पश्चिम और उ.पू. भारत के शुष्क भूभागों में धूलभरे तूफान अति सामान्य हैं। गर्मी में विशेष करके मई महीने में उत्तरी भारत में अति गर्म पवन चलते हैं, जो **'लू'** कहे जाते हैं। उसकी अतिशय गरमी से मनुष्य और पशु-पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है।

बंगाल की खाड़ी और अरबसागर के ऊपर इस ऋतु में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निर्मित होते हैं, जो कभी-कभी तटीय प्रदेशों की तरफ बढ़कर भारी नुकसान पहुँचाते हैं। देश का बड़ा हिस्सा ग्रीष्मकाल में गर्म और शुष्क मौसम का अनुभव करता है। कई प्रदेशों में इस समयावधि दौरान वर्षा नहीं होती है, परन्तु कई बार मई महीने में मलबार तट पर थोड़ी वर्षा होती है। यह वर्षा आम के पकने में सहायक होती है, जिसे **आम्रवृष्टि** कहते हैं। यहाँ वर्षा आम और कॉफी की फसल के लिए खूब उपयोगी है।

वर्षाऋतु (जून से सितम्बर)

एक कृषि-प्रधान देश होने के कारण भारत के लिए वर्षाऋतु महत्त्वपूर्ण ऋतु मानी जाती है। जून से सितम्बर के बीच देश की लगभग 80 % वर्षा होती है। भारतीय किसान वर्षाऋतु की शुरुआत से ही कृषि की प्रवृत्तियों सें लगा रहता है। इस ऋतु में होनेवाली

वर्षा तथा नमीवाली हवा तथा बादल छाया मौसम, भारत की ओर बहने वाले नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) मानसूनी पवनों का आभारी है। इसीलिए इस ऋतु को 'नैऋत्य के मानसूनी पवन की ऋतु' भी कहते हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों इससे वर्षा होती है।

मई माह के अंत तक भारत तथा मध्य एशिया के जमीनी भागों पर ऊँचे तापमान के कारण हवा के कम दाब का क्षेत्र बनता है। इस समय दक्षिण में हिंद महासागर पर उच्च दाब होता है। इसलिए हिंद महासागर पर से पवन उत्तर में कम दाब की तरफ खिंच आते हैं। इस तरह, जून से सितम्बर तक समुद्र पर से गर्मी की मानसून हवाएँ भारत पर चलती हैं। ये हवाएँ नमीयुक्त होने के कारण भारत में वर्षा लाती हैं।

16.3 भारत : दक्षिण-पश्चिम वर्षाऋतु का आगमन

दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण ये नैऋत्य की मानसूनी हवाएँ दो भागों में बँट जाती हैं : (1) अरब सागर पर से आनेवाली मानसूनी हवाएँ और (2) बंगाल की खाड़ी पर से आनेवाली मानसूनी हवाएँ।

अरब सागर पर से आनेवाली मानसूनी हवाएँ

भारत में वर्षाऋतु का आरंभ सामान्यतया जून के शुरुआत में दक्षिण भारत के केरल से होती है। अरब सागर से आनेवाली हवाओं के मार्ग में पश्चिमी घाट पर्वतमाला आती है। इस कारण पूरे किनारे पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट पार करके जब ये हवाएँ प्रायद्वीप पठार (दक्कन) पर पहुँचती हैं तब उनमें नमी की मात्रा घट गई होती है। इस कारण उस क्षेत्र में वृष्टिछाया के कारण वर्षा कम होती है। मुंबई में 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है जब कि उससे थोड़ी ही दूर आए पुणे में 75 सेमी वर्षा ही दर्ज होती है।

पश्चिमी किनारे से उत्तर की ओर जाते हुए केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र मे वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। मानसूनी हवाओं की एक शाखा नर्मदा घाटी प्रदेश के भाग से मध्यप्रदेश में प्रवेश करती है। मानसूनी हवा आगे चलकर बंगाल की खाड़ी पर से आनेवाली हवाओं से मिल जाती है। इसके अतिरिक्त अरब सागर पर से आनेवाली मानसूनी हवा की एक शाखा गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ पर से गुजरते हुए राजस्थान की तरफ आगे बढ़ती है। गुजरात में बहुत ऊँचे पर्वत या

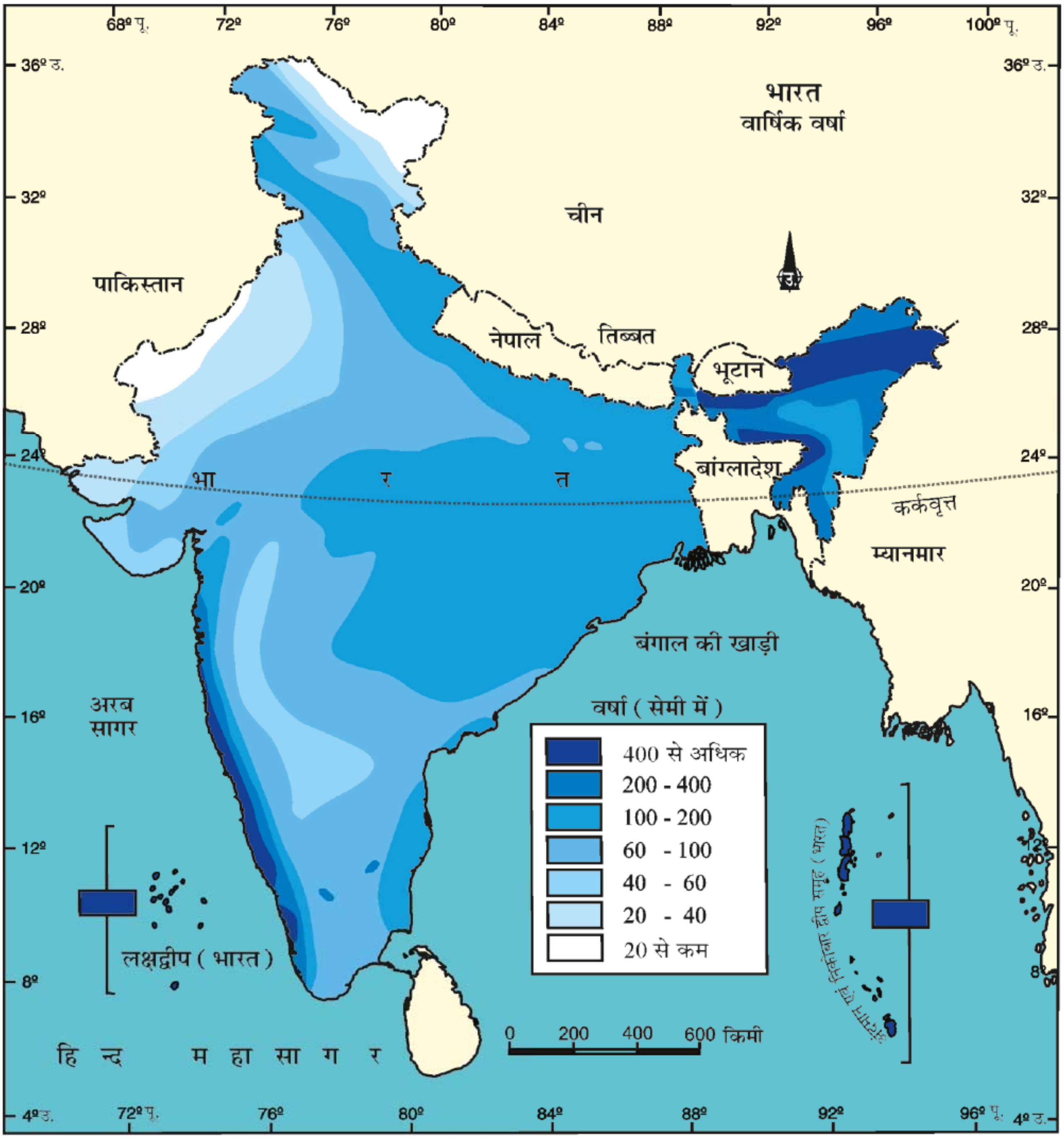

16.4 भारत : वार्षिक बरसात

घने जंगल नहीं है इस कारण इन हवाओं में नमी का पूर्णतया संघनन (घनीभवन) की संभावना कम रहती है, इस कारण गुजरात में कम वर्षा होती है। गुजरात में पानी बरसाकर ये हवाएँ राजस्थान में प्रवेश करती हैं तब उनमें नमी की मात्रा बहुत ही कम रह जाती है, इस कारण ही राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में तो 10 सेमी से भी कम वर्षा होती है।

बंगाल की खाड़ी पर से आनेवाली मानसूनी हवाएँ

बंगाल की खाड़ी पर से बहनेवाली मानसूनी हवाओं की दूसरी शाखा सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और वहाँ से और आगे बढ़कर मेघालय तक पहुँचती है इन हवाओं में नमी की मात्रा अधिक होती है। इन हवाओं के कारण मेघालय में खूब अच्छी वर्षा होती है। यहाँ गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों के ढालों पर अत्यधिक वर्षा होती है। पश्चिम की ओर मुड़कर हवाएँ दिशा बदलकर दक्षिणपूर्व दिशा की बन जाती हैं और पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश होती हुई हरियाणा और पंजाब तक पहुँचती हैं। इन हवाओं में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। इस कारण इन हवाओं के मार्ग में आरंभवाले प्रदेशों में सबसे अधिक और अंत में आनेवाले प्रदेशों में वर्षा क्रमशः कम वर्षा होती है। आगे जाने पर बंगाल की खाड़ी से आनेवाली मानसूनी हवाएँ तथा अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएँ मिल जाती हैं, इस कारण उत्तरपूर्वी हिमालय क्षेत्र में अच्छी वर्षा होती है। कभी-कभी वहाँ हिमवर्षा के रूप में बरसात होती है।

मौसमी (मानसूनी) हवाओं के साथ बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर पर उत्पन्न होने वाले चक्रवात भी भारत में प्रवेश करते हैं, उस समय भारत के उन प्रदेशों में (जहाँ चक्रवात पहुँचते हैं।) वर्षाऋतु अधिक सक्रिय होती है। वर्षाऋतु में औसतन छः चक्रवात भारत की भूमि पर से गुजरते हैं और बरसात लाने में सहायक बनते हुए मालूम पड़े हैं। भारत में मानसूनी हवाओं के कारण वर्षा होती है, परन्तु ये हवाएँ बारहो महीने एक समान, लगातार और एक ही दिशा में से नहीं चलती हैं। इन हवाओं की शुरुआत भी अनिश्चित होती है। मानसूनी हवाओं के साथ क्रमभंग होने की घटनाएँ जुड़ी हुई हैं। मानसूनी वर्षा कुछ दिनों तक एक साथ पड़ती है। उस समय वर्षा न हो ऐसे भी दिन आते हैं और फिर से बरसात के दिन आते हैं। इन घटना को **बरसात का क्रमभंग** (Monsoon Break) कहते हैं। हमारे देश की प्राकृतिक रचना में भी वैविध्य है। इन सभी बातों का प्रभाव वर्षा के वितरण पर पड़ता है। इन सभी परिबलों के कारण भारत में वर्षा की मात्रा तथा वितरण असमान है। मेघालय और असम में अत्यंत वर्षा होती है जब कि राजस्थान के रेगिस्तानी प्रदेश तथा कश्मीर के लेह क्षेत्र में वर्षा की मात्रा नहिवत् है।

निवर्तन ऋतु-लौटती मानसूनी हवाओं की ऋतु (अक्टूबर और नवम्बर)

अक्टूबर-नवम्बर की समयावधि लौटती मानसूनी हवाओं की ऋतु के रूप में जानी जाती है। सूर्य की सीधी किरणों के दक्षिण की ओर खिसकते जाने के कारण हिन्द महासागर पर हवा का कम दबाव क्षेत्र बनता है और उत्तर भारत में धीरे-धीरे भारी दबाव बनता है। इस कारण सितंबर के अंत तक नई दाब परिस्थिति के निर्माण से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वर्षा ऋतु के दरम्यान भारत के भूमि भागों पर अंदर तक पहुच चुकी मानसूनी हवाएँ कमजोर पड़ती हैं, बाद की दाब परिस्थितियों में परिवर्तन होने से वे हवाएँ अक्टूबर-नवम्बर में भारत के भूमि भागों पर से समुद्रों की ओर बहने लगती हैं। इस कारण इस समयावधि को लौटती हुई मानसून हवाओं की ऋतु के रूप में पहचानते हैं। इस समय गरम वर्षाऋतु की जगह शुष्क और ठंडी हवाओं की परिस्थिति आरंभ होती है। स्वच्छ आकाश तथा बढ़ता हुआ तापमान ये लौटती हुई मानसूनी हवाओं का मुख्य लक्षण है। जमीन नमीवाली होती है। दिन का तापमान बढ़ जाता है। रात में खुशनुमा ठंड होती है। उच्च तापमान तथा नमी की परिस्थिति के कारण दिन का मौसम व्याकुल कर देनेवाला हो जाता है। इसे **अक्टूबर हीट** कहते हैं। उत्तर भारत में यह स्थिति **कुआर (क्वार) का ताप** तथा गुजरात में **भादों का ताप** के नाम से मशहूर हैं।

जलवायु और मानवजीवन

भारत की जलवायु मौसमी (मानसूनी) जलवायु है। इन मानसूनी हवाओं का मुख्य लक्षण अनियमितता तथा अनिश्चितता मानी जाती है। जिसका गहरा प्रभाव भारत की जलवायु तथा यहाँ के निवासियों के खानपान, आवास निवास, स्वभाव और कृषि प्रवृत्ति पर पड़ता है और उसमें भी विशेष रूप से भारत कृषिप्रधान देश होने के अलावा मानसूनी हवाओं के संपूर्ण अंकुश में है। इस कारण मानसूनी हवाओं की भी अनिश्चितताओं का प्रभाव भारत की खेती तथा लोकजीवन पर दिखलाई देता है। जलवायु का मानवजीवन पर पड़नेवाले मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं :

भारतवर्ष में वर्ष के अधिकांश समय के दरम्यान तापमान ऊँचा रहने से खेती की विभिन्न फसलें उगाई जा सकती हैं, परन्तु बरसात की अनिश्चितता ने उत्पादन को अनिश्चित बना दिया है। जून से सितम्बर तक अधिकांश वर्षा हो जाने से, सिंचाई की सुविधा से वंचित भागों में वर्षा पर आधारित केवल एक ही फसल पैदा की जा सकती है। वर्षाऋतु का आरंभ तथा अंत

अनिश्चित होता है, इस कारण कृषि को कई बार योग्य समय पर पानी नहीं मिलता, इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। कभी अतिवृष्टि होती है यानी कि कम समय में ज्यादा वर्षा हो जाती है। इसके कारण फसल का विनाश होता है। नदियों में बाढ़ आती है जिससे भूमि का कटाव होता है और आगे चलकर खेत उत्पादन में कमी आती है। वर्षाऋतु पूरी होने के बाद कृषि मजदूरों के लिए आजीविका की समस्या उत्पन्न होती है। खेती का काम बारहो महीने न होने से बहुत से कृषि-मजदूर शहरों को ओर स्थलांतर कर जाते हैं। कृषि आधारित उद्योग; जैसे - कपास, गन्ना, तम्बाकू आदि में वर्षा की अनियमितता, कच्चामाल नहीं मिलने से इन उद्योगों के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। अनियमित वर्षा के कारण पीने के पानी की समस्या भी विकट बनी है। रेगिस्तानी तथा पर्वतीय प्रदेशों का जीवन परेशानियों भरा हुआ है। इस तरह, जलवायु का गहरा प्रभाव मानवजीवन पर होता है। जिसका सीधा प्रभाव मानवजीवन में भोजन, पोशाक, व्यवसाय तथा आवास पर होता है।

इतना अवश्य जानिए...

भारतीय मौसम विभाग

भारतीय मौसम विभाग-कार्यालय हमारे देश के मौसम के बारे में समाचार-रेडियो, टी.वी., समाचारपत्रों और वेबसाइट द्वारा देता है। इसकी स्थापना ई.स. 1875 में कोलकाता में की गई। इसका मुख्यालय ई.स. 1905 में पुणे में और अब नई दिल्ली मे स्थानांतरित हुआ है। इसके अलावा छः क्षेत्रीय कार्यालय-चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पुणे और नागपुर में; तथा प्रत्येक राज्य की राजधानी में स्थित हैं। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत से लेकर अंटार्कटिका तक निरीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। जिनके आधार पर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है।

स्वाध्याय

1. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(1) 'हिमालय भारत की रक्षा करनेवाली प्राकृतिक दीवाल है' - कैसे ?

(2) 'व्यापारिक पवनों (हवाएँ)' को समझाइए।

(3) भारतीय मौसम विभाग ने भारत की ऋतुओं को कुल कितने भागों में बाँटा है ?

(4) नैऋत्य की मानसूनी हवाएँ भारत में कितनी शाखाओं मं बँट जाती हैं ?

2. सूचनानुसार उत्तर दीजिए :

(1) समुद्रतल की ऊँचाई बढ़ने पर मौसम में क्या परिवर्तन होते हैं ?

(2) 'अक्टूबर हीट' अर्थात् क्या ?

(3) बंगाल की खाड़ी से आनेवाली मानसूनी हवाएँ भारत के किन-किन प्रदेशों में वर्षा करती हैं ?

(4) भारतीय जलवायु पर दूर के प्रदेशों की कौन-कौन-सी घटनाएँ प्रभाव डालती हैं ?

3. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मुद्देवार लिखिए :

(1) ऋतु परिवर्तन किन-किन कारणों से होता है ?

(2) जलवायु को प्रभावित करनेवाले परिबलों की जानकारी संक्षेप में दीजिए।

(3) भारत की शीतऋतु - सर्दियों के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

(4) मानव जीवन पर जलवायु के प्रभावों का वर्णन कीजिए।

4. नीचे दिए गए विकल्पों से योग्य उत्तर पसंद करके प्रश्न के सामने बने [ ] में उसका क्रम लिखिए :

(1) जिस समय कर्कवृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, उस समय भारत में कौन-सी ऋतु होती है ? [ ]

(A) शीतऋतु (B) ग्रीष्मऋतु (C) वर्षाऋतु (D) निवर्तनऋतु

(2) चेरापूँजी के पास में आया हुआ कौन-सा स्थान अधिक वर्षा के लिए विख्यात है ? [ ]

(A) शिलांग (B) गुवाहाटी (C) इम्फाल (D) मौसिनरम

(3) शीतऋतु में गुजरात तथा राजस्थान में शीतलहरी के लिए हिमालय के संदर्भ में किस घटना का अधिक प्रभाव होता है ? [ ]

(A) हिमवर्षा (B) धूल-आँधी (C) जलवर्षा (D) ओले गिरना

(4) मई महीने में मालाबार तट पर होनेवाली वर्षा किस नाम से जानी जाती है ? [ ]

(A) अनारवर्षा (B) बनानावर्षा (C) आम्रवर्षा (D) हिमवर्षा

(5) लौटती हुई मानसूनी हवाओं की ऋतु कब होती है ? [ ]

(A) मार्च-मई (B) अक्टूबर-नवम्बर

(C) जनवरी-फरवरी (D) जुलाई-अगस्त

(6) नीचे दिए गए विधानों में कौन-सा विधान सत्य है ? [ ]

(A) शीतऋतु में दिन लम्बे और रात छोटी होती है।

(B) ग्रीष्मऋतु में दिन छोटे तथा रात छोटी होती है।

(C) शीतऋतु में दिन छोटे और रात लंबी होती है।

(D) ग्रीष्मऋतु में दिन छोटे और रात लंबी होती है।

प्रवृत्ति

- ग्लोब लेकर ऋतु-परिवर्तन को समझने का प्रयत्न कीजिए।
- आप अलग-अलग ऋतु में जो आहार लेते हैं, उनका ऋतु के अनुसार चार्ट बताइए।
- समाचार मे आनेवाले भारत के विभिन्न शहरों के आँकड़े लिखकर उन्हें भारत के नक्शे में दर्शाइए।
- परंपरागत भारतीय षड्ऋतुओं में अंग्रेजी महीने के अनुसार प्रतिवर्ष थोड़ा-थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता है, अपने शिक्षक से इसकी चर्चा कीजिए।
- भारतीय मौसम विभाग के कार्यालय की वेबसाइट http://www.imd.gov.in/ खोलकर उसमें प्रकाशित भारत के नक्शों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए।

17 प्राकृतिक वनस्पति

मानव जीवन के लिए वनस्पति जगत एक अनिवार्य अंग है। वनस्पति के अभाव में जीवन की कल्पना भी कठिन है। प्राचीन शास्त्रों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक सभी वनस्पति के महत्त्व को स्वीकार करते हैं।

भारत के पास विविधतापूर्ण प्राकृतिक संपत्ति है। वानस्पतिक वैविध्य की दृष्टि से भारत का विश्व में दसवाँ तथा एशिया में चौथा स्थान है। वृक्षों के समूह जो मानव की सहायता के बिना कुदरती अवस्था में उगते हैं, जंगल कहलाते हैं, इन्हें कुदरती (प्राकृतिक) वनस्पति कहते हैं।

प्राकृतिक वनस्पति

भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों की विविधता निम्नलिखित परिबलों के कारण है :

(1) भूपृष्ठ (2) भूमि (जमीन) (3) तापमान (4) सूर्यप्रकाश (5) वर्षा की मात्रा (6) नमी

भारत में पर्वत, पठार, मैदान और मरुभूमि जैसे विविध भूपृष्ठों के कारण प्राकृतिक वनस्पति में विविधता दिखाई देती है। भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी; जैसे – काँप की, काली, पथरीली और रेतीली इत्यादि पाई जाती है। जमीन की इस विविधता में वानस्पतिक विविधता का एक कारण है। भारत में हिमालय के शीतप्रदेश तथा दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के तापमान और नमी (आर्द्रता) का अंतर भी वनस्पति में विविधता लाता है। किसी प्रदेश को मिलने वाले सूर्यप्रकाश की मात्रा उस प्रदेश के अक्षांश तथा समुद्रतल से ऊँचाई पर आधारित होता है। अधिक वर्षा वाले तथा अधिक सूर्यप्रकाश वाले क्षेत्रों में वनस्पति का विकास तेजी से होता है। इस तरह, सूर्यप्रकाश के कारण भी वनस्पति में विविधता देखने को मिलती है। भारत में वर्षा का वितरण भी असमान है, इस कारण भी वनस्पति में विविधता दिखाई पड़ती है।

भारत में लगभग 5000 जाति के वृक्ष होते हैं, इनमें से लगभग 450 जाति के वृक्ष व्यापारिक दृष्टि से खूब उपयोगी हैं। इनके अलावा लगभग 15,000 प्रकार के फूलवाले पौधे होते हैं जो विश्व का कुल 6 % है। अपुष्प वनस्पतियाँ; जैसे – फर्न (हंसराज), शेवाल, काई इत्यादि भी हमारे देश में होती हैं। भारत प्राचीनकाल से ही औषधीय उपयोगितावाली वनस्पतियों के लिए विख्यात है। आयुर्वेद में लगभग 2000 औषधीय वनस्पतियों का वर्णन हुआ है। इस तरह, कहा जा सकता है कि भारत के पास वैविध्यपूर्ण प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं।

प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार

किसी भी वनस्पति का अस्तित्व एवँ विकास उस स्थान की जलवायु पर आधारित होता है। समान जलवायुवाले प्रदेशों में सामान्यतया समान वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। ऐसे पर्यावरणीय समानतावाले प्रदेश या प्रदेशों के समूह को प्राकृतिक वानस्पतिक प्रदेश कहते हैं।

ऊँचाई, जमीन, बरसात और तापमान की विविधता के आधार पर प्राकृतिक वानस्पतिक प्रदेशों को पाँच भागों में बाँटा जा सकता है :

(1) उष्ण कटिबंधीय बरसाती वन या सदाबहार जंगल (2) उष्ण कटिबंधीय पतझर के जंगल (3) उष्ण कटिबंधीय कंटीली झाड़ियों के जंगल (4) समशीतोष्ण कटिबंधीय जंगल तथा घास के मैदान और (5) ज्वारीय जंगल (मेंग्रुव जंगल)

(1) उष्ण कटिबंधीय बरसाती (सदाबहार) वन :

वितरण : उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन गरम तथा नमी वाले प्रदेशों में जहाँ औसत वर्षा 200 सेमी से अधिक और औसत तापमान 22 से. से अधिक होता है, वहाँ ये प्रदेश स्थित हैं। भारत में पश्चिमी घाट पर्वतमाला के अधिक वर्षावाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंदमान-निकोबार, असम के ऊपरी भाग तथा तामिलनाडु के समुद्रतटीय प्रदेश में दिखाई देते हैं।

वृक्ष : यहाँ महोगनी, आबनूस, रोजवुड, रबर इत्यादि के वृक्ष मिलते हैं।

विशेषता : यहाँ के वृक्ष लगभग 60 मीटर जितने ऊँचे होते हैं। इन जंगलों में पतझर जैसी ऋतु नहीं होती। झाड़-झंखाड़ के कारण यहाँ नमी की मात्रा ज्यादा रहती है। ये जंगल बारहो मास हरे रहते हैं। इस कारण इन्हें सदाबहार जंगल भी कहते हैं।

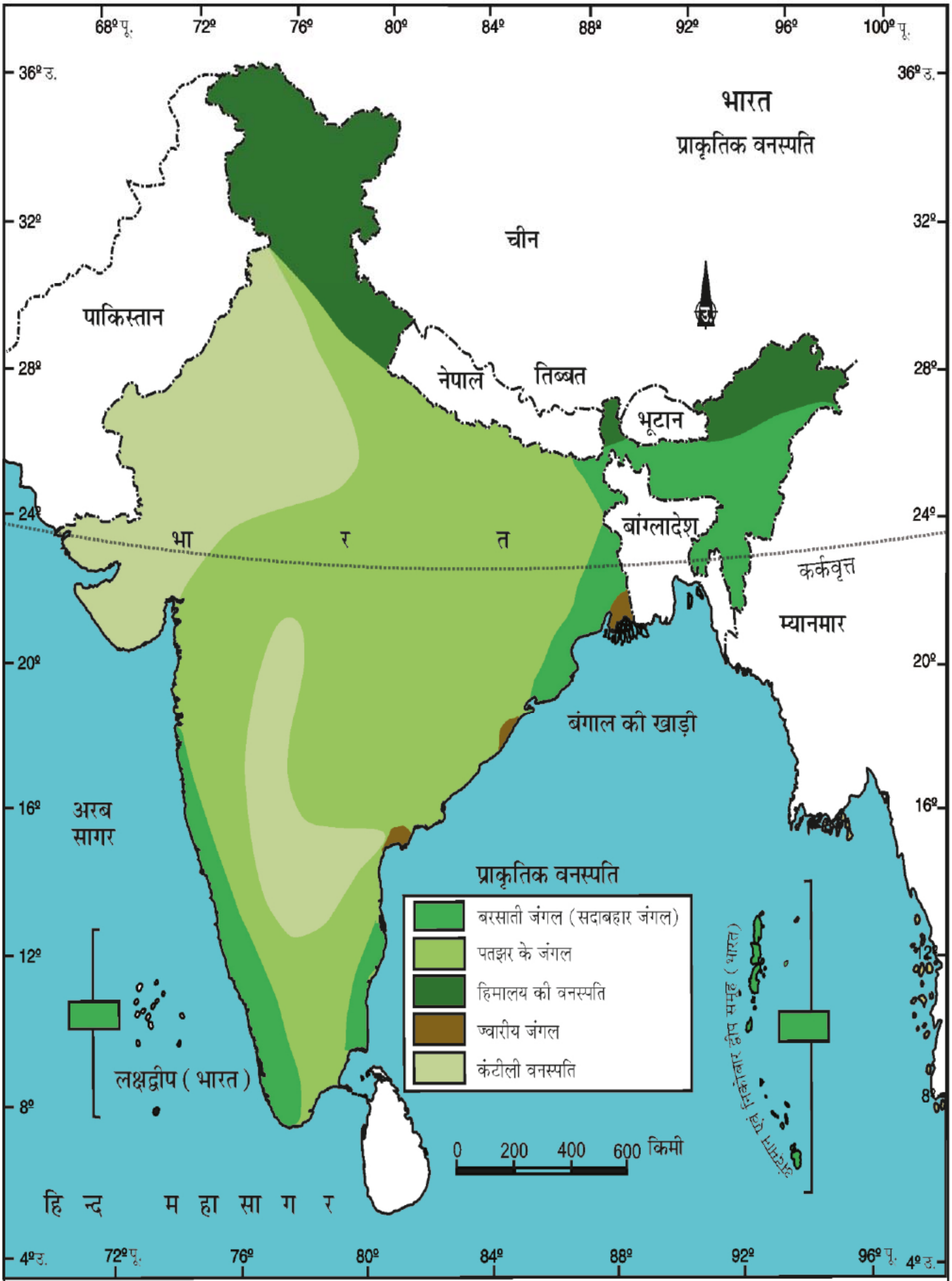

17.1 भारत : प्राकृतिक वनस्पति

(2) उष्ण कटिबंधीय पतझर के जंगल :

वितरण : सामान्य तौर पर ये जंगल 70 से 200 सेमी वर्षा वाले प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालय की तलहटी के क्षेत्र, पश्चिम ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में इस तरह के जंगल फैले हुए हैं। भारत में इस प्रकार के जंगलों का क्षेत्रफल अधिक है।

वृक्ष : यहाँ साग, साल, शीशम, चंदन, खेर, बाँस इत्यादि वृक्ष देखने को मिलते हैं।

विशेषता : इन जंगलों के वृक्षों की मुख्य विशेषता यह है कि ये पतझर की ऋतु (हेमंत) में 6 से 8 सप्ताह में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। प्रत्येक प्रकार के वृक्ष के पत्ते झरने का निश्चित समय होता है। इस कारण जंगल किसी निश्चित समय में बिना पत्ते के नहीं होते। ये वृक्ष मौसम के अनुसार अपने पत्ते झाड़ते हैं, इस कारण इन्हें मौसमी जंगल भी कहते हैं।

(3) उष्ण कटिबंधीय कटीले जंगल :

वितरण : सामान्यतया ये जंगल 70 सेमी से कम वर्षावाले क्षेत्रों में होते हैं। भारत में इस तरह के जंगल भारत के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आदि में स्थित हैं।

वृक्ष : यहाँ बेर, बबूल, थूहर या नागफनी, खिजड़ा आदि वृक्ष दिखते हैं।

विशेषता : इन वृक्षों या झाड़ियों की जड़े लम्बी, गहरी और चारों ओर फैली हुई होती हैं। पत्तियाँ छोटी-छोटी होती हैं और कभी-कभी काँटे में रूपांतरित हो गई होती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम-धीमी हो। यहाँ वृक्ष अकेले, दूर-दूर हैं।

(4) समशीतोष्ण कटिबंधीय जंगल तथा घास के मैदान (हिमालयी वनस्पतियाँ) :

हिमालयी वनस्पतियाँ

ऊँचाई	क्षेत्रीय प्रदेश	जंगल	वृक्ष
हिमालय के 1000 मीटर से 2000 मीटर तक	उत्तर-पूर्वी ऊँचे पहाड़ी प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र	समशीतोष्ण कटिबंधीय जंगल	मुख्य वनस्पति ओट, चेस्टनट
हिमालय के 1500 से 3000 मीटर तक	हिमालय का दक्षिणी ढलान, दक्षिण, उत्तर-पूर्वी ऊँचाईवाले क्षेत्र	शंकुद्रुम जंगल	पाइन (चीड़), देवदार, सिल्वरफर, स्प्रूस
हिमालय के 3600 मीटर से अधिक	हिमालय का उच्च पहाड़ी प्रदेश और हिमरेखा के समीप	अल्पाइन और छोटी घास (टुंड्रा वनस्पति)	सिल्वरफर, जुनीफर बर्च

शंकुद्रुम जंगलों की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ वृक्ष शंकु आकार के होते हैं। जिनकी डालियों का ढाल जमीन की ओर रहता है। वृक्षों के पत्ते लम्बे, नुकीले और चिकने होते हैं। ऐसे पत्ते नमी का संग्रह लम्बे समय के लिए कर सकते हैं।

(5) ज्वारीय जंगल (मेंग्रुव) :

वितरण : भारत के समुद्री किनारे, नदियों के मुखत्रिकोण (डेल्टा) प्रदेश में इस तरह के जंगल हैं। बंगाल की खाड़ी के किनारे के प्रदेशों में तथा गुजरात के समुद्रतट के दलदलवाले कुछ क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर ये जंगल दिखाई देते हैं।

वृक्ष : सुंदरी और चेर यहाँ की मुख्य वृक्ष-वनस्पतियाँ हैं।

वन (जंगल) – उत्पाद और उनकी उपयोगिता

जंगल मानव जाति के लिए अनेक रीति से उपयोगी हैं। जंगलों से मिलनेवाली इमारती लकड़ियाँ – साग, साल फर्नीचर बनाने के काम में ली जाती हैं। सुंदरवन में से मिलनेवाली सुंदरी वृक्ष की लकड़ी से नाव बनाई जाती है। हिमालय के शीतप्रदेश में होनेवाले देवदार, चीड़ की लकड़ी से खेल के उपकरण, चाय तथा दवाओं की पैकिंग के लिए पेटियाँ बनाई जाती हैं। चीड़ के रस से तारपीन (टर्पेन्टाइन) बनाया जाता है। चंदन से सुगंधित तेल, सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं। बाँस से टोकरा, टोकरी, खिलौने, गृहसज्जा की चीजें बनाई जाती हैं। जंगलों से लाख, गोंद, राल (सालरस), रबर, शहद, बेंत जैसी चीजें मिलती हैं। आँवला, हर्रे, बहेरा, अश्वगंधा जैसी वनस्पतियों की औषधीय उपयोगिता है।

वनस्पति की औषधीय उपयोगिता	
वनस्पति	**औषधीय उपयोग**
सर्पगंधा	उच्च रक्तचाप (हाई बी.पी.) रोग के इलाज में
नीम	जीवाणु प्रतिरोधक
तुलसी	सरदी, खाँसी, बुखार
अर्जुन	हृदयरोग की चिकित्सा में
बेल	वात तथा कफ दोष में
गिलोय	मधुप्रमेह, संधि जोड़ (गठिया वात) का दुखना, बुखार
हर्रे	कब्ज, बालों के रोग
आँवला	पाचक, वायु-पित्त को दूर करने के लिए
करंजी	चमड़ी, दाँत-मसूढ़े के रोगों में।

इसके अलावा तेंदू के पत्ते से पत्तल, दोने; खेर की लकड़ी से खैर (कत्था) तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। जंगल वनवासी प्रजा को आजीविका तथा सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं।

जंगलों का पर्यावरणीय महत्त्व

जंगलों का पर्यावरणीय महत्त्व निम्नलिखित है :

- जंगल वर्षा लाने में सहायक होते हैं।
- वातावरण को विषम बनने से रोकते हैं।
- प्राणदायी गैस ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं।
- जंगल बाढ़ पर नियंत्रण करने में मदद करते हैं।
- कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस का शोषण करते हैं।
- जंगल भूमि के कटाव को रोकते हैं।
- जंगल भूमिगत जल को संरक्षित करते हैं।
- जंगल मरुस्थलों को आगे बढ़ने से रोकते हैं।
- वायुप्रदूषण कम करने में जंगल उपयोगी हैं।
- जंगल प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं।
- जंगल हवा को शुद्ध करते हैं।
- वन्यजीव सृष्टि को प्राकृतिक आश्रय स्थल देते हैं।
- जंगल साहसिक पर्यटन प्रवृत्ति के लिए आदर्श स्थल हैं।
- राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों तथा जैव विविधता के संदर्भ में कुछ जंगलों को आरक्षित घोषित किया गया है।

जंगल संरक्षण

वनस्पतिजीवन, प्राणीजीवन तथा मानवजीवन के आंतर संबंधों से पारिस्थितिक तंत्र का सृजन होता है; परन्तु मानव की पर्यावरण विरोधी प्रवृत्तियों, मानसिकता तथा स्वार्थवृत्ति के कारण पारिस्थितिक तंत्र में व्यवधान पड़ा है। जंगलों के विनाश के

लिए मानव की जमीन पाने की भूख सर्वाधिक जिम्मेदार है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि, उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर ले जाने की नीति, शहरीकरण, बहुउद्देशीय योजनाएँ, सड़क निर्माणकार्य, इमारती तथा ईंधन की लकड़ी पाने, खेती, दावानल आदि कारणों से जंगलों का नाश हो रहा है। जंगलों के विनाश के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है।

जंगलों का विनाश होने से पर्यावरण पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। जैसे – वर्षा की मात्रा का घटना, अकाल, ग्लोबलवार्मिंग वैश्विक ताप वृद्धि, ग्रीनहाउस प्रभाव, रणवृद्धि तथा वन्यजीवों का निराश्रित होना इत्यादि।

1952 की राष्ट्रीय नीति के अनुसार 33 % भौगोलिक विस्तार वनाच्छादित होना चाहिए। भारत के लगभग 23 % क्षेत्र में जंगल हैं जब कि गुजरात में जंगलों का अनुपात लगभग 10 % है। इस तरह, जंगलों का विनाश रोकना जरूरी है। इसके लिए वनसंरक्षण तथा वन संवर्धन करना चाहिए।

इतना अवश्य जानिए...

गुजरात में I. U. C. N. (इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन आफ नेचर) रेड डाटा बुक में पलाश, गुगल, नीलसोटी, शीशम, इमली, हर्रे आदि जैसी वनस्पतियों को भयजनक प्रजातियों की कक्षा में रखा गया है।

वन संरक्षण के उपाय

जंगलों के संरक्षण और संवर्धन के उद्‌देश्य से भारत सरकार ने 1952 में राष्ट्रीय वन नीति पर अमल किया। 1980 में संसद ने वनसंरक्षण अधिनियम पारित किया। 1988 में नई राष्ट्रीय वननीति घोषित की। जंगलों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय अमल में लाने चाहिए :

(1) लोगों को यह समझाना कि जंगल हमारे राष्ट्रीय संसाधन हैं, इनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है।

(2) वृक्षों को कटने से रोकें, गैरकानूनी तौर पर वृक्ष काटनेवालों को कठोर सजा दी जाय।

(3) वन महोत्सव तथा सार्वजनिक वनीकरण कार्यक्रमों में जनभागीदारी बढ़ाएँ, परती जमीन, नदी, रेलवे, सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाएँ और संवर्धन करें।

(4) पर्यावरण शिक्षण तथा पाठशालयी अभ्यासक्रम के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना, पर्यावरण–संबंधी दिवस मनाएँ।

इतना अवश्य जानिए...

पर्यावरण विषय दिवस

21 मार्च	-	विश्व वन दिवस
22 अप्रैल	-	विश्व पृथ्वी दिवस
5 जून	-	विश्व पर्यावरण दिवस
जुलाई मास	-	वनमहोत्सव
16 सितम्बर	-	विश्व ओजोन दिवस

(5) जंगल में आग न लगे, इसका ध्यान रखें।

(6) ऊर्जाप्राप्ति के उपयोग की जानेवाली लकड़ी के बदले सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के पुन: प्राप्य स्रोतों का उपयोग बढ़ाएँ।

(7) प्रचार–प्रसार माध्यमों द्वारा लोगों को जंगलों का महत्त्व समझाएँ, इस बारे में लोकजागृति उत्पन्न करें।

इतना अवश्य जानिए...

- वैश्विक लोकजागृति लाने के उद्देश्य से 2011 के वर्ष को 'विश्व वन वर्ष' घोषित किया गया था।
- सामाजिक वनीकरण यानी पर्यावरण, समाज और ग्रामीण विकास में सहायभूत होने के उद्देश्य से जंगलों का व्यवस्थापन, संरक्षण करना तथा परती जमीन पर वृक्षारोपण करना।
- देहरादून स्थित वन संसोधन संस्था है, जो वन संशोधन का कार्य करती है।

स्वाध्याय

1. नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए :

(1) भारत में विविधतापूर्ण वनस्पतियाँ क्यों दिखाई पड़ती हैं ?

(2) जंगलों का पर्यावरणीय महत्त्व क्या है ?

(3) जंगलों के विनाश के कौन-से कारण हैं ?

(4) जंगलों के विनाश के क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं ?

(5) "उष्ण कटिबंधीय बरसाती जंगलों को सदाबहार जंगल" - क्यों कहते हैं ?

2. नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए :

(1) भारत में पाए जाने वाले जंगलों के प्रकार बताइए।

(2) जंगलों की उपयोगिता बताइए।

(3) जंगलों के संरक्षण के उपाय स्पष्ट कीजिए।

3. दिए गए विकल्पों में से योग्य विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए :

(1) वनस्पति की विविधता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन-सा स्थान है ?

(A) प्रथम (B) चौथा (C) दसवाँ (D) पन्द्रहवाँ

(2) नीचे दिए गए कथनों में से कौन-सा कथन गलत है ?

(A) गंगानदी के मुखत्रिकोण प्रदेश में ज्वारीय जंगल स्थित हैं।

(B) चीड़ के रस से टर्पेन्टाइन बनता है।

(C) सुंदरी की लकड़ी नाव बनाने में उपयोग की जाती है।

(D) हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में कंटीली झाड़ी उगती है।

(3) सही जोड़े मिलाइए :

अ	ब
(A) उष्ण कटिबंधीय बरसाती जंगल	1. चेर
(B) उष्ण कटिबंधीय कंटीले जंगल	2. देवदार
(C) ज्वारीय जंगल	3. बबूल
(D) शंकुद्रुम जंगल	4. महोगनी

(A) A-3	B-4	C-1	D-2
(B) A-4	B-3	C-1	D-2
(C) A-4	B-3	C-2	D-1
(D) A-4	B-2	C-3	D-1

(4) चीड़ के पेड़ से क्या बनता है ?

(A) कत्था (B) टर्पेंटाइन (C) लाख (D) गोंद

प्रवृत्ति

- अलग-अलग वनस्पतियों के फोटोग्राफ एकत्र करके उनकी उपयोगिता दर्शाने वाला एक अलबम तैयार कीजिए।
- शाला में वनमहोत्सव मनाइए। विद्यार्थियों से वृक्षारोपण करवाकर उस वृक्ष को रोपने वाले बालक का नाम दीजिए।
- विद्यार्थियों के जन्मदिन पर पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाकर एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने के लिए कहिए।
- वनसंरक्षण-वनसंवर्धन के बारे में चित्र स्पर्धा, निबंध स्पर्धा तथा वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन कीजिए।
- अपने गाँव / शहर के पास वनचेतना केन्द्र की मुलाकात का आयोजन कीजिए।

18 वन्यजीवन

भारत भूपृष्ठ तथा जलवायु संबंधी अनेक विविधताओं वाला देश है। उसी तरह यहाँ की वन्य जीवसृष्टि में भी वैविध्य दिखाई देता है। समग्र विश्व में जीवसृष्टि की कुल 15 लाख प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें से अकेले भारत में 81,251 प्रजातियाँ दिखाई देती हैं, जिनमें पक्षी, सरीसृप, उभयजीवी प्राणी, स्तनधारी प्राणी, मत्स्य, कीट आदि दिखाई देते हैं। इनके अतिरिक्त देश के विविध प्रकार के जंगलों में बसनेवाली वन्यजीवसृष्टि के बारे में अनुसंधान जारी है। भारत जैविक विविधता की दृष्टि से विश्व के खूब समृद्ध बृहद्जैव विविधता वाले देशों में छठे क्रम पर है।

भारत में जंगलों का क्षेत्रफल कम है, उसकी तुलना में यह जैव-विविधता अत्यंत उल्लेखनीय है।

भारत के प्राणी-भौगोलिक प्रदेश

वनस्पतियों की विविध विशेषताओं के आधार पर प्राकृतिक प्रदेश निर्धारित किए जाते हैं, उसी तरह जीवसृष्टि के आधार पर भी प्रादेशिक वितरण को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। भारत में मिलनेवाली जैवसृष्टि की विशेषताओं की समानता और किसी प्रदेश विशेष में उनकी उपस्थिति-निवास जैसे पहलुओं के आधार पर भारत को नौ प्राणी-भौगोलिक भागों में बाँटा गया है :

(1) हिमालय प्रदेश (2) लद्दाख तथा शुष्क शीतप्रदेश (3) हिमालय की वनाच्छादित तलहटी (4) हिमालय के वनस्पति विहीन उच्चप्रदेश (5) उत्तर का मैदान (6) राजस्थान का रेगिस्तान (7) दक्कन का पठारी प्रायद्वीप (8) समुद्रीतट (9) नीलगिरि की पहाड़ियाँ

इस प्राणी-भौगोलिक विभागों के अनुसार जैव-विविधता का अध्ययन किया जाता है।

भारत की वैविध्यपूर्ण वन्य जीवसृष्टि

भारत के भूपृष्ठ में विशाल नदी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पर्वतीय प्रदेश, दलदली क्षेत्र, समुद्र तट तथा सघन वनस्पतियों वाले सदाबहार वन, मौसमी (पतझरवाले) जंगल, हिमालय के उच्च पर्वतीय प्रदेश में आए हुए शंकुद्रुम वनों का वैविध्य वन्यजीवों के निवास के लिए विस्तृत पृष्ठभूमि बनाते हैं। दक्षिण के प्रायद्वीपीय वर्षा वाले वनों में एशियाई हाथी, ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली क्षेत्र में एकसिंगी भारतीय गेंडा, हिमालय के ऊँचाईवाले क्षेत्र में हिम तेंदुआ, जम्मू-कश्मीर में जंगली बकरियाँ और कस्तूरी मृग, दक्षिण भारत के वनों में जंगली भैंसे (भारतीय बायसन) मध्य भारत तथा पश्चिम बंगाल में बाघ, कच्छ के छोटे रेगिस्तान में जंगली घुड़खर और बड़े रेगिस्तान के जलप्लावित क्षेत्र में सुरखाब दिखाई देते हैं। घास के मैदानी क्षेत्र में लुप्तप्राय पक्षी टोकदार (घोराड़) (ग्रेट इंडियन बस्टार्ड) की उपस्थिति अभी-पिछले वर्षों में पुनः दिखाई दी है। जलप्लावित क्षेत्रों में शीतऋतु में ठंडे प्रदेशों से अनेक जाति के यायावर पक्षी उतरते हैं, उनमें साइबेरियन क्रेन, तिब्बत्तीयन बतक, कुंज, करकरा आदि मुख्य हैं। पश्चिमी घाट के घने वनों में उड़ती गिलहरी पाई जाती है। निकोबारी कबूतर निकोबार में मिलनेवाले दुर्लभ पक्षी हैं। कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह में मूँगे की दुर्लभ प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। स्तनधारियों और पक्षियों के साथ-साथ सरीसृपों की भी विभिन्न जातियाँ, जिनमें नाग, अजगर, गेहुवन, गोह भी उल्लेखनीय हैं। समुद्र किनारे तथा जल क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, समुद्री साँप, डॉल्फिन, शार्क, दरियाईगाय (डुगांग) आक्टोपस तथा ह्वेल जैसी जीवसृष्टि की दुनिया है।

जंगली इलाके के अलावा जहाँ खेती होती है ऐसे कृषि क्षेत्रों में गोचर और परती जमीन में सियार, भेड़िया, नीलगाय, हरिण, नेवला, खरगोश, जंगली सुअर, साही इत्यादि जैसे प्राणी हैं तथा इन्हीं इलाकों में विविध प्रकार के पक्षी, जिनमें कोयल, तोता, मोर, बया, उल्लू, पीलक, खूसट, चमगादड़, मैना, बगुला आदि विहार करते हुए देखे जा सकते हैं।

इतना अवश्य जानिए...

- भारत में मिलने वाले पक्षियों में सारस सबसे बड़ा पक्षी है।
- फूलसुंघनी भारत में मिलने वाली सबसे छोटी चिड़िया है।
- भारत में मिलनेवाला दक्षिण का बर्डविंग सबसे बड़ा पतंगा है।
- सीरस जेवेल भारत में मिलने वाला सबसे छोटा पतंगिया है।

वन्यजीव एवं संरक्षण की आवश्यकता

भूतकाल पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि पिछले थोड़े दशकों से वन्यजीवों के अस्तित्व पर भारी जोखिम आया है। आज से 100 वर्ष पहले तक भारत में हजारों की संख्या में बाघ दिखाई देते थे। वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के 2014 के अनुमान के अनुसार बाघों की संख्या 2226 है। पिछले कुछ सालों से उनके संरक्षण-संवर्धन के लिए उठए गए कदमों से यह संख्या बढ़ी है, जो एक अच्छा संकेत है। दुधारू पशुओं की चिकित्सा के लिए प्रयोग की जानेवाली प्रतिबंधित डायक्लोफेंस (Diclofenac) नामक दवा से दूषित हुए माँस को खाने से गिद्ध नामशेष होने के कगार पर हैं। बीसवीं सदी के आरंभ में जंगलों में दिखाई देने वाले चीता आज समग्र भारत के जंगलों से नष्ट हो चुके हैं। एक समय गीर के शेर एशियाई मध्य-पूर्व एशिया तक देखने को मिलते थे आज मात्र गीर के जंगल तक सीमित होकर रह गए हैं। उनके संवर्धन के लिए किए गए उपायों से उनकी संख्या बढ़ी है और 2015 की गणना के अनुसार उनकी संख्या 523 है। कभी गुजरात में सारस पक्षी बड़ी संख्या में दिखाई देते थे, आज उनकी संख्या घटी है। वन्य जीवसृष्टि अंत में तो समग्र जीवसृष्टि का ही एक भाग है, पर जब कहीं पर और कुछ वर्षों के दौरान कुछ वन्यजीवों की संख्या में होनेवाली कमी पर्यावरण की गुणवत्ता को घटा देती है, यह एक चिंताजनक बात है। गुजरात के पर्वतीय वन विस्तार का मूल निवासी श्याम गरुड़ (बाज) शायद ही देखने को मिलता है। साबरकांठा जिले के विजयनगर तालुका के पर्वतीय जंगल विस्तार में आसानी से दिखने वाला धनेश (चिलोत्रा Hornbill) अब शायद ही नजर आता है।

मानव की असीमित लालच और प्रगति की दौड़ में पर्यावरण के असंतुलन के अनेक बुरे परिणामों का समाना करना पड़े, यह स्वाभाविक है। वन्यजीवों के संवर्धन के लिए यदि हम स्वयं कोई योग्य कदम नहीं उठाएँगे तो वह समय दूर नहीं है जब आगामी दिवसों में भावी पीढ़ी को उन्हें हम केवल चित्रों में ही बता सकेंगे।

भारत के महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य :

क्रम	अभयारण्य	वन्यजीव
1.	काजीरंगा (असम)	गेंडा, जंगली भैंस, हरिण
2.	थार का मरुस्थल (राजस्थान)	रेगिस्तानी भेड़िया, रेगिस्तानी बिल्ली, टोकदार (घोराड़)
3.	कान्हा (मध्यप्रदेश)	बाघ, साबर
4.	गीर का राष्ट्रीय उद्यान (गुजरात)	सिंह, चीता, चित्तल
5.	वेलावदर कालियर राष्ट्रीय उद्यान (गुजरात)	कालियर (हरिण), भेड़िया, खड़, मोर, घोराड़
6.	केवलादेव (भरतपुर-राजस्थान)	पक्षी (स्थानीय, यायावर)
7.	बांदीपुर (कर्नाटक)	हाथी, रींछ, सुअर, जंगली बिलाव
8.	दचिगाम (जम्मू-कश्मीर)	कश्मीरी हरिण (हामुर), कस्तूरी मृग
9.	कार्बेट (उत्तराखंड)	बाघ, हाथी, चीता, हरिण

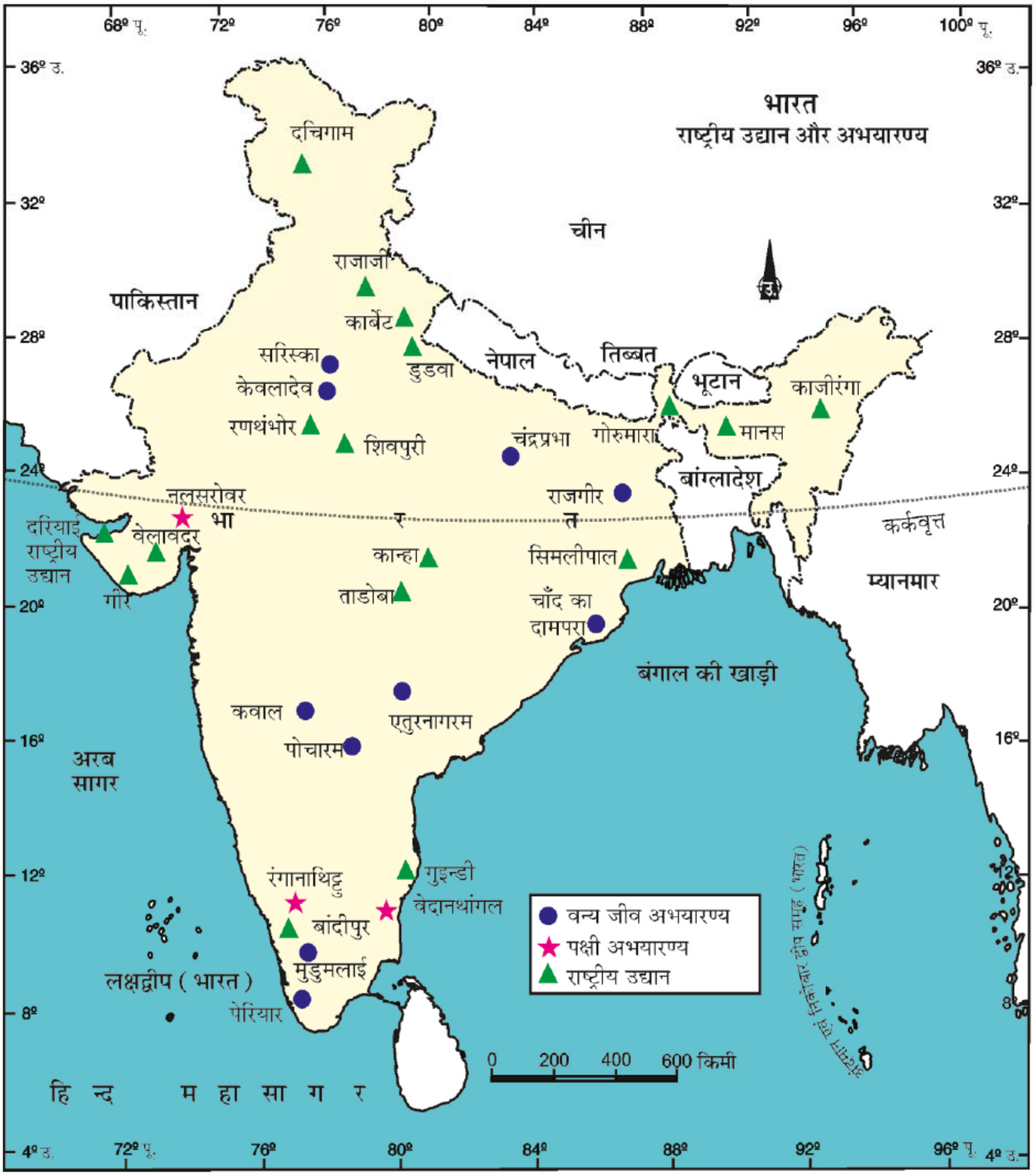

18.1 भारत : राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य

वन्यजीवों पर आसन्न संकट

आधुनिक युग में मानवों के लोभ-लालच और विकास की चपेट में समग्र वन्यजीवसृष्टि के अस्तित्व के सम्मुख प्रश्नार्थ चिह्न लग गया है। उसके कारणों की जाँच करें, तो समझ में आएगा कि जंगल के विस्तार (क्षेत्रफल) के सतत घटते जाने के कारण वन्यजीव अपने प्राकृतिक निवास खोकर निराश्रित हो रहे हैं। खाल, मांस, दाँत, बाल और हड्डियों के लिए उनका शिकार एक बड़ी समस्या है। जंगल में पालतू पशुओं की चराई से तृणाहारी वन्यजीवों के लिए आहार की कमी होने से उनकी संख्या पर दुष्प्रभाव पड़ा है। जंगल क्षेत्र में तृणाहारी प्राणियों की कमी से मांसाहारी प्राणियों के लिए आहार की कमी होना स्वाभाविक है। इस कारण वे आहार की खोज में मानव आबादी में चढ़ आते हैं और पशुओं को मारते हैं। मानव बस्ती की तरफ आ जाने वाले वन्यजीवों का मानव के साथ संघर्ष की स्थिति आ जाती है और यह संघर्ष वन्यजीवों को मौत के मुँह में ले जाता है। साथ ही वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों तक पहुँचते प्रदूषण का प्रभाव बहुत घातक होता है। इसके साथ ही वनक्षेत्रों में होनेवाली मानव प्रवृत्तियों का वन्यजीवन पर घातक असर पड़ता है।

इतना अवश्य जानिए...

- घर-आंगन में फुदकने वाली गौरयों की संख्या में कमी होने लगी है।
- सिंह गुजरात का राज्यप्राणी तथा सुरखाब राज्यपक्षी है।
- एशियाई सिंह, घुड़खर, पट्टी छिपकली जैसे प्राणी भारत में मात्र गुजरात में मिलते हैं।
- जंगली भैंस (इंडियन बायसन), हाथी, चीता, भारतीय बड़ी गिलहरी, बाघ गुजरात के जंगलों से लुप्त हो गए हैं।
- कच्छ का अभयारण्य गुजरात का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला अभयारण्य है।
- पोरबंदर पक्षी अभयारण्य गुजरात का सबसे कम क्षेत्रफल वाला अभयारण्य है।

जंगल विस्तार में होने वाली कमी से आहार और आश्रय की खोज में वन्यजीव मानव आबादी की ओर आ जाते हैं। वन्यजीवों के क्षेत्र में होनेवाला मानवीय हस्तक्षेप उनके साथ टकराहट में बदल जाता है, ऐसी घटनाओं से वन्य जीव मानवकोप का भाजन बनकर अपनी जान गवाँ देते है। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व भारत के जंगलों में से हाथियों का झुंड आहार की खोज में कृषिक्षेत्रों तक पहुँचकर भारी उत्पात मचाता हैं। सौराष्ट्र तथा दक्षिण गुजरात में चीतों के हमलों में और गुजरात के उत्तर-पूर्वी वनक्षेत्र के समीप या वन में रींछ द्वारा मानवों को चोट पहुँचाने या मार डालने की घटनाएँ हुई हैं। ऐसी दुर्घटनाएँ न हों इसके लिए पहले से सावधान हो जाना ही श्रेष्ठ उपाय है।

वन्यजीव संरक्षण के उपाय

जंगल क्षेत्रों की रक्षा करके उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए दीर्घकालीन चुस्त आयोजन, कठोर कानूनी व्यवस्था तथा उसका मुस्तैदी से पालन होना चाहिए। पाठशालाओं में पढ़ाए जाने वाले विषयों के अभ्यासक्रम में इस समस्या की जानकारी को समाविष्ट करके भावी नागरिकों को जागृत करना चाहिए। किसी भी विकास योजना को अमल में लाने से पहले पर्यावरण तथा वन्य जीवसृष्टि पर पड़नेवाले उसके विभिन्न प्रभावों की जाँच होनी चाहिए। जंगल क्षेत्र के बाहर आए बड़े वृक्षों को काटने से रोकना चाहिए, उनके खोखल तथा डालियाँ अनेक पक्षियों के आश्रय स्थल हैं। यायावर और जलाश्रयी (जलाशय के किनारे रहनेवाला) पक्षियों के लिए जरूरी परिवेश-तालाब, खेत, पोखर या जलप्लावित विस्तार (वेटलैंड) की सुरक्षा करनी चाहिए। खेती में प्रयोग होनेवाले रासायनिक कीटनाशकों के बदले जैविक कीटनाशकों का उपयोग एवं प्रचार-प्रसार बढ़ाना चाहिए। प्रदूषण कम करने हेतु सक्रिय रूप से कार्यवाही करने की तत्काल आवश्यकता है। जंगलों को दावानल से बचाने के लिए सतर्कतापूर्वक आयोजन पहले से करना चाहिए।

वन्यजीव संरक्षण हेतु उठाए गए कदम

हमारे देश में वन्यजीवों के संक्षण के लिए प्राचीनकाल से ही कानून बनते रहे हैं। महान् मौर्य शासक अशोक के समय में वन्यजीवों के संरक्षणार्थ कानून बनाए गए थे। हमारे संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों और राज्यनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में भी इससे संबंधित मुद्दे शामिल किए गए हैं। भारतीय वन्यजीव परिषद की सिफारिशों के अनुसार हमारी संसद ने वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया है। देश में 2014 तक 503 अभयारण्य तथा 102 राष्ट्रीय उद्यान 14 जैव आरक्षित क्षेत्रों की रचना की गई है। जिनमें से 22 अभयारण्य, 4 राष्ट्रीय उद्यान तथा 01 जैव आरक्षित क्षेत्र गुजरात में हैं। जिनके अस्तित्व के सम्मुख जोखिम है और जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, ऐसी विशिष्ट प्राणी प्रजातियों के लिए विशेष संरक्षण योजनाएँ बनाई गई हैं। आइए, उनमें से कुछ वन्यजीवन संरक्षण परियोजनाओं की जानकारी प्राप्त करें।

बाघ परियोजना (प्रोजेक्ट टाइगर) : देश में बाघों की घटती जा रही संख्या और शिकार के भय के खिलाफ यह परियोजना 1973 में 9 आरक्षित क्षेत्रों में अमल में लाई गई थी। आज इसके अंतर्गत 48 क्षेत्रों को समाविष्ट किया गया है।

सिंह परियाजना : एक जमाने में गीर के एशियाई सिंह भारतीय उपमहाद्वीप से ईरान तक विहार करते थे। उनके शिकार तथा वनों के विनाश से फिलहाल मात्र सौराष्ट्र प्रायद्वीप में गीर के जंगलों तक सीमित हो चुके हैं। एक समय में इस क्षेत्र में भी उनकी संख्या 100 से भी कम हो गई थी। एशियाई सिंह के संरक्षण के लिए 1972 में गीर परियोजना आरंभ की गई।

इसके अतिरिक्त कश्मीरी बारहसिंगा नामक हरिण की दुर्लभ प्रजाति के लिए हंगुल परियोजना, खारेपानी के मगरों के लिए मगरमच्छ परियोजना, भारतीय गेंडा के संरक्षण के लिए गेंडा परियोजना और हिमतेंदुआ परियोजनाएँ मुख्य गिनी जा सकती हैं।

वन्य जीवसृष्टि के बचाव तथा संरक्षण हेतु समाज एवं सरकार द्वारा दृढ़ इच्छा दिखाते हुए सही दिशा में कदम उठाए जाएँ तो वन्यजीवों का संरक्षण संभव है। विकास के साथ-साथ पर्यावरण सुरक्षा का भी मंत्र सिद्ध करने के लिए हम सभी को प्रतिज्ञाबद्ध होकर प्रयास करने पड़ेंगे।

आइए, इतना जानें...

गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान

क्रम	राष्ट्रीय उद्यान	स्थापना	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जिला	मुख्य वन्य प्राणी
1.	गीर राष्ट्रीय उद्यान	1975	258.71	जूनागढ़	सिंह, तेंदुआ, चित्तल, लक्कड़बग्घा, साबर, चिंकारा, मगर
2.	कालियार राष्ट्रीय उद्यान	1976	34.08	भावनगर	कालियार, भेड़िया, जंगली मोर, टोकदार (घोराड़)
3.	वांसदा राष्ट्रीय उद्यान	1979	23.99	नवसारी	तेंदुआ, लक्कड़बग्घा, चित्तल, चौसिंगा,
4.	दरियाई राष्ट्रीय उद्यान	1982	162.89	कच्छ की खाड़ी, जामनगर	दरियाई घोड़ा, कोरल, जालीफिश, ओक्टोपस, ओएस्टर, डॉल्फिन, दरियाई गाय (डुगांग)

स्वाध्याय

1. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(1) भारत के प्राणी-भौगोलिक प्रदेशों की सूची बनाइए।

(2) 'वन्यजीव आज संकट में हैं।' — इस कथन को समझाइए।

(3) वन्यजीव संरक्षण की विविध परियोजनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

2. उत्तर विस्तार से दीजिए :

(1) भारत का वन्यजीव-वैविध्य को विस्तारपूर्वक समझाइए।

(2) वन्यजीव संरक्षण के उपाय बताइए।

3. योग्य विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) भारत को कुल कितने प्राणी-भौगोलिक प्रदेशों में बाँटा गया है ?

(A) नौ (B) चार (C) छः (D) आठ

(2) समग्र विश्व की जीवसृष्टि में कुल कितनी प्रजातियों का उल्लेख है ?

(A) 72 लाख (B) 15 लाख (C) 18 लाख (D) 19 लाख

(3) उड़ती गिलहरियाँ कहाँ पर देखने को मिलती हैं ?

(A) कच्छ के बड़े रण में (B) हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में

(C) दलदली विस्तारों में (D) पश्चिमीघाट के घने जंगलों में

(4) विजयनगर तालुका के पर्वतीय क्षेत्र में कौन-सा पक्षी भाग्य से ही दिखता है ?

(A) सुरखाब (B) चिलोत्रा (C) घोराड (D) तोता

(5) दुर्लभ मूँगे की प्रजातियाँ कहाँ दिखती हैं ?

(A) वेलावदर (B) नलसरोवर (C) लक्षद्वीप समूह (D) गीर अभयारण्य

(6) पिछले दिनों घोराड़ किस क्षेत्र में दिखे ?

(A) वोटलेंड में (B) पर्वतीय क्षेत्र में (C) दलदली क्षेत्र में (D) घास के मैदानी क्षेत्र में

प्रवृत्ति

- शाला के इकोक्लब में शिक्षक के मार्गदर्शन में अवलोकन करके अपने क्षेत्र में दिखनेवाले पक्षियों की सूची बनाइए।
- खाली डिब्बे से गौरैया का घोंसला बनाकर परिवार के बुजुर्गों की मदद से उसे उचित जगह पर टाँगिए तथा उसका समय-समय पर निरीक्षण करके नोट बनाइए।
- शाला प्रवास के दौरान प्रकृति शिक्षण केन्द्र की मुलाकात लीजिए।
- शाला में वनविभाग के अधिकारियों का वार्तालाप तथा प्रश्नोत्तर रखिए।
- समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं में छपे वन्यजीव संबंधी समाचारों की कतरने बुलेटिन पर लगाइए।
- शाला के शिक्षक की सहायता से नीचे दी गई वेबसाइट पर से और जानकारी प्राप्त कीजिए :

(1) www.envforguj.in

(2) www.gujaratforest.org

(3) www.gemi_india.org

(4) www.wcsindia.org

(5) www.nationalgeographic.com

•

19 भारत : लोकजीवन

हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। हमारा देश एशिया महाद्वीप के मध्य-दक्षिण में स्थित है। इसकी तीन मुख्य ऋतुएँ हैं – शीतऋतु, ग्रीष्मऋतु तथा वर्षाऋतु और इनके अंतर्गत परंपरागत ऋतुओं का उपहार मिला है। आप यह पहले सीख चुके हैं कि भारत जलवायु, भूपृष्ठ की दृष्टि से एक विविधतायुक्त देश है। इससे इसमें रहनेवाले लोगों के भोजन, पोशाक, आवास, भाषा, बोली, उत्सव, त्योहारों में अत्यधिक भिन्नता देखने को मिलती है। इस तरह, भारत विविधता में एकता रखनेवाला देश है।

मानवीय भोजन और पहनावे (पोशाक) पर भौगोलिक तथा जलवायु का असर साफ-साफ देखने को मिलता है; जैसे कि समुद्रीतट पर बसनेवाले लोगों के भोजन में भात (चावल) तथा मछलियाँ हैं। पंजाब-मध्यप्रदेश, गुजरात की मुख्य फसल गेहूँ है। इसलिए इन प्रदेशों के निवासी मुख्य आहार के रूप में गेहूँ तथा उससे बनी चीजों का उपयोग करते हैं। इसी तरह पहनावे पर भी भौगोलिक तथा जलवायु का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ठंडे, पहाड़ी प्रदेश में रहनेवाले लोगों का पहनावा ऊनी तथा पूरा शरीर ढँक सके, ऐसा होता है। इसी तरह, देश के उन भागों में जहाँ बारहों महीने उच्च तापमान रहता है वहाँ के लोगों के वस्त्र हल्के रंग के, सूती तथा ढीलेढाले रहते हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य में परंपरागत पोशाक के साथ पुरुष पैंट-शर्ट तथा स्त्रियाँ सलवार-कमीज पहनती हैं।

लोकजीवन की दृष्टि से भारत के चार भाग किए जा सकते हैं : पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत तथा पूर्वी भारत। अब हम संबंधित प्रदेश के निवासियों के लोकजीवन को समझने का प्रयत्न करेंगे।

लोकजीवन-पश्चिमी भारत

पश्चिमी भारत में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश तथा गोवा आदि राज्य तथा दीव-दमन, दादरा-नगरहवेली जैसे केन्द्रशासित प्रदेशों का समावेश होता है।

भोजन : राजस्थान के लोगों का मुख्य आहार बाजरा तथा दाल-बाटी है। राजस्थान की मारवाड़ी कचौरी-नास्ता प्रसिद्ध है। गुजरात के लोग भोजन में मुख्य रूप से रोटी-भाखरी (मोटे आटे से बनी), दाल-साग, खिचड़ी-कढ़ी, भात लेते हैं। खमण, गांठिया गुजरात में नमकीन 'फरसाण' के रूप में अधिक खाया जाता है। जलेबी, गुजरात की प्रसिद्ध मिठाई है। मध्यप्रदेश में भी लोग मुख्यरूप से रोटी, साग-सब्जी, दाल-भात खाते हैं। महाराष्ट्र के लोगों को सेव-उसल प्रिय है। गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोवा के समुद्रतटीय प्रदेशों में रहनेवालों का मुख्य भोजन भात-मछली है।

इतना जानिए...

गुजरात की प्रजा व्यापारी प्रजा है। उसे व्यापार करने के लिए दूर-दूर के प्रदेशों तक जाना पड़ता था। इस कारण, गुजरातियों में कई दिनों तक खराब न हो ऐसे नास्ते प्रचलित हैं; जैसे – थेपला, गांठिया, सूखी कचौरी, खाखरा तथा सुखड़ी।

वेशभूषा : राजस्थान रेगिस्तानी तथा शुष्क प्रदेश होने से वहाँ वनस्पति का वैविध्य कम है। उसकी क्षतिपूर्ति उन्होंने रंग-बिरंगे पोशाकों से की है। सामान्यरूप से पुरुष धोती, कुरता तथा रंग-बिरंगी पगड़ी पहनते हैं तथा स्त्रियाँ घेरवाला घाघरा, ब्लाउज पहनती हैं, ओढ़नी ओढ़ती हैं। राजस्थान में ऊँटों की संख्या अधिक होने से उसके चमड़े से बने जूते (मोजड़ी) तथा चप्पल पहनते हैं।

गुजरात के लोगों की परंपरागत पोशाक : पुरुष धोती, कुर्ता, सिर पर सफेद टोपी या पगड़ी पहनते हैं जब कि स्त्रियाँ साड़ी, पेटीकोट तथा ब्लाउज पहनती हैं। महाराष्ट्र के पुरुषों की परंपरागत पोशाक धोती-कुरता या कमीज है तथा सिर पर टोपी या पगड़ी पहनते हैं। स्त्रियाँ महाराष्ट्रीयन ढंग से साड़ी पहनती हैं। मध्यप्रदेश के लोगों की पारंपरिक पोशाक भी पड़ोसी राज्यों गुजरात तथा महाराष्ट्र जैसी है। गोवा में भी पुरुष धोती तथा कुरता और स्त्रियाँ साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज पहनती हैं। गोवा के पहनावे पर पाश्चात्य प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। इस तरह, पहनावे के संदर्भ में प्रत्येक प्रदेश की एक विशिष्ट परंपरागत विशेषता है।

आवास : राजस्थान में रेगिस्तान के कारण अनुपात में वर्षा कम होती है। इस कारण अधिकतर मकान समतल छतवाले होते हैं। ग्रामीण इलाके के सामान्य लोग घास-मिट्टी से बने मकानों में रहते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा गोवा में शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग अधिक सुविधायुक्त पक्के मकानों में रहते हैं। गुजरात के शहरों के मकान अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक सुविधाओं से सज्ज हैं जब कि हर राज्य के पहाड़ी प्रदेश के वनवासी लोग दूर-दूर छिटके हुए झोंपड़ों में रहते हैं। कोंकण में भारी वर्षा होने के कारण वहाँ के मकानों की छत ढालू होती है, वे ढालूदार मकानों में रहते हैं।

इतना जानिए...

गुजरात के कच्छ में 'भूंगा' नामक विशिष्ट प्रकार के मकानों में रहते हैं। 26 जनवरी, 2001 के भूकंप के समय इन भूंगों को कम हानि पहुँची थी।

भाषा : राजस्थान के लोग मुख्यत: हिन्दी की उपभाषा राजस्थानी बोलते हैं। मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी इसकी मुख्य बोलियाँ हैं। गुजरात की मुख्य भाषा गुजराती है, जब कि गुजरात के कच्छ इलाके में कच्छी भाषा बोली जाती है। मध्यप्रदेश में मुख्य भाषा हिन्दी है, लोग उसकी बोलियों - मालवी, बुंदेली आदि बोलते हैं। महाराष्ट्र की भाषा मराठी तथा गोवा की भाषा कोंकणी है। सामान्य जन इन भाषाओं की बोलियों में व्यवहार चलाते हैं।

त्योहार-उत्सव : महाकवि कालिदास ने मानव को उत्सवप्रिय कहा है। भारत के लोग अनेक उत्सव तथा त्योहार मनाते हैं। पश्चिमी भारत के लोग दीवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि, दशहरा, गणेशचतुर्थी, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, पतेती, चेटीचाँद, महावीर तथा बुद्धजयंती जैसे त्योहार भव्य रीति से मनाते हैं। महाराष्ट्र का गणेशचतुर्थी, गुजरात की नवरात्रि, उज्जैन की शिवरात्रि, राजस्थान का गणगौर और होली खूब धूमधाम से मनाए जानेवाले त्योहार हैं। राजस्थान के लोकगीत, लोकनृत्य खास प्रकार के होते हैं। इनमें घुम्मर, कच्चीघोड़ी, कालबेलिया जैसे लोकनृत्य खूब प्रचलित हैं। गुजरात अपने रास-गरबे के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र का लावणी नृत्य अत्यंत लोकप्रिय है।

मेले : कार्तिक पूर्णिमा को ऊँटों की बिक्री के लिए राजस्थान में पुष्कर तथा गुजरात में सिद्धपुर के मेले प्रसिद्ध हैं। गुजरात के धोलका तालुका के वौठा का मेला गधों की खरीद-बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। थानगढ़ के पास तरणेतर का मेला, जूनागढ़ में भवनाथ का मेला, आहवा में डांग दरबार के समय लगनेवाले गुजरात के प्रसिद्ध मेले हैं। राजस्थान में अजमेर का उर्स, उज्जैन और नासिक में कुंभ-अर्धकुंभ मेला तथा गोवा कार्निवल के लिए प्रसिद्ध है।

19.1 पुष्कर का मेला

इतना अवश्य जानिए...

प्रत्येक 18 वर्ष पर आने वाले भादों माह के मलमास में गुजरात के भरुच जिले के वागरा तालुका के भाडभूत में मेला लगता है।

लोकजीवन-उत्तरीभारत

उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा, हिमाचलप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड एवं केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का समावेश होता है। पंजाब मूलत: पाँच नदियों का प्रदेश है। जम्मू-कश्मीर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से ख्यात पर्वतीय प्रदेश है । हिमाचलप्रदेश भी पर्वतीय क्षेत्रवाला प्रदेश है। हरियाणा तथा उत्तरप्रदेश गंगा-यमुना के उपजाऊ मैदान के भाग हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है।

भोजन : पंजाब-हरियाणा के लोगों का मुख्य आहार गेहूँ है। गेहूँ से बनी तंदूरी रोटी तथा तरह-तरह के पराठे, पनीर मिश्रित सब्जी इनकी विशिष्ट पसंद है। पंजाब 'लस्सी' के लिए मशहूर है। जम्मू-कश्मीर के लोगों का मुख्य आहार भात-मांस, मछली है। हिमाचलप्रदेश के लोग भी भात-राजमा तथा मांस का उपयोग करते हैं। उत्तरप्रदेश के लोगों का मुख्य भोजन रोटी, दाल, भात तथा साग-सब्जी है।

पहनावा : पंजाब-हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जानेवाली पोशाक पंजाबी ड्रेस के नाम से मशहूर है। स्त्रियाँ सलवार-कमीज पहनती हैं। पुरुष भी विशेष प्रकार का कुर्ता या कमीज तथा ढीली सलवार पहनते हैं। अधिकतर पंजाबी पगड़ी बाँधते हैं। कुछ लोग कुर्ते पर कढ़ाई किया गया जैकेट पहनते हैं। कश्मीर के लोग सामान्यतया कश्मीरी ड्रेस के नाम से प्रसिद्ध ड्रेस पहनते हैं तथा शीतऋतु में पूरा शरीर ढँका रहे ऐसी पोशाक पहनते हैं। हिमाचल तथा उत्तराखंड का पहनावा जम्मू-कश्मीर के पहनावे से मिलता-जुलता है। पुरुष सिर पर टोपी पहनते हैं तथा स्त्रियाँ रूमाल बाँधती हैं। उत्तरप्रदेश के लोग मुख्यत: धोती-कुरता पहनते हैं, सिर पर गमछा बाँधते हैं। स्त्रियाँ साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज पहनती हैं।

आवास : पंजाब-हरियाणा में कम वर्षा होने से यहाँ के मकानों की छतें समतल होती हैं। शहर के लोग ईट-सीमेंट-लोहे से बने मकानों में रहते हैं। जम्मू-कश्मीर के मकानों के निर्माण में लकड़ी का उपयोग अधिक होता है। हिमाचल तथा उत्तराखंड के लोग दो मंजिले मकान में रहते हैं। नीचे भूमितल पर मवेशी बाँधते हैं, ऊपर रहनेवाले लोगों की लकड़ी की

छत गर्म रहती है। हिमवर्षा के समय इस तरह के मकान उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों के मकानों की छत ढालदार होती है। छत के लिए नरिया के रूप में चिकने पत्थरों का ही उपयोग होता है। जिससे मकान पर गिरनेवाली बरफ आसानी से सरक जाए। उत्तरप्रदेश के शहरी क्षेत्र के लोग ईंट-सीमेंट से बने पक्के मकानों में रहते हैं। सभी प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी से बने मकान अधिक दिखाई पड़ते हैं।

भाषा : पंजाब के लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं, जब कि हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। उत्तरप्रदेश के लोग हिन्दी की विभिन्न बोलियाँ (खड़ीबोली, ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि) बोलते हैं। जम्मू-कश्मीर की मुख्य भाषा उर्दू है, साथ ही डोंगरी और कश्मीरी भी बोली जाती है। जबकि लद्दाख में लद्दाखी और तिबेटीयन भाषा बोली जाती है। उत्तराखंड में हिन्दी की गढ़वाली और कुमायूँनी बोली तथा हिमाचल में हिन्दी की पहाड़ी बोली जाती है।

त्योहार-उत्सव : पंजाब का मुख्य त्योहार वैशाखी तथा लोहणी है। भांगड़ा पंजाब का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। जम्मू-कश्मीर में ईद, मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। लद्दाख में हेमीस, लोसार इत्यादि त्योहार मनाये जाते हैं। हिमाचलप्रदेश के कुल्लू में दशहरा का त्योहार विशेष रीति से मनाया जाता है। उत्तरप्रदेश का मुख्य त्योहार होली है। इनके अलावा उत्तरभारत में शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, दीपावली, दशहरा, ईद, मुहर्रम तथा क्रिसमस आदि त्योहार मनाए जाते हैं। कथक उत्तरप्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है।

मेला : हिमाचलप्रदेश के कुल्लू में दशहरा का प्रसिद्ध मेला लगता है। पंजाब में शहीदों का मेला लगता है। उत्तरप्रदेश के प्रयागराज (इलाहाबाद) में कुंभमेला तथा उत्तराखंड के हरिद्वार में लगनेवाले कुंभ तथा अर्धकुंभ मेले प्रख्यात हैं।

19.2 कुंभमेला (इलाहाबाद)

लोकजीवन-दक्षिणी भारत

दक्षिणी भारत में आंध्र, तेलंगाना, कर्णाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य तथा केन्द्र शासित पांडिचेरी का समावेश होता है। भूपृष्ठ की दृष्टि से यह क्षेत्र प्रायद्वीप है। दक्षिणी भारत के तेलंगाना के अलावा सभी राज्यों को समुद्रतट मिला है।

भोजन : दक्षिण भारत के भोजन में मुख्तः भात-मछली, द्विदल (कठोल) होता है। दक्षिणी भारत में चावल से बनी चीजें-इडली, ढोंसा, मेंदुवड़ा हैं, इनके साथ वे नारियल की चटनी का उपयोग करते हैं। खाने में 'रसम' के नाम से जानी जानेवाला दाल जैसे व्यंजन का उपयोग करते हैं। दक्षिणी भारत में केले का पत्ता पत्तल के रूप में उपयोग किया जाता है।

पहनावा : गरम तथा नमीवाली जलवायु के कारण दक्षिण के लोग ढीले-ढाले कपड़े पहनते हैं। पुरुष लुंगी-कमीज, कंधे पर दुपट्टा तथा प्रसंगानुरूप सिर पर पगड़ी पहनते हैं। जब कि स्त्रियाँ दक्षिणी साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज पहनती हैं। केरल के लोग लुंगी तथा छोटी धोती पहनते हैं। स्त्रियाँ जूड़े में फूलों की वेणी (गजरा) पहनती हैं।

आवास : दक्षिण भारत के शहरों में रहनेवाले अधिकांश लोग पक्के मकानों में रहते हैं। चेन्नई तथा बेंगलुरु जैसे शहरों में आधुनिक सुविधायुक्त मकान दिखाई देते हैं। समुद्रतट पर बसे लोग झोंपड़ों में रहते हैं। झोंपड़ा बनाने में नारियल के पत्ते का उपयोग विशेष रूप से होता है। दक्षिण भारत में घर के समाने प्रतिदिन रंगोली बनाई जाती है।

भाषा : दक्षिण के राज्यों में बोली जानेवाली भाषाएँ द्रविड़ कुल की कहलाती हैं। आंध्र, तेलंगाना में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ और केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है।

त्योहार-उत्सव : आंध्र का कुचीपुड़ी नृत्य प्रसिद्ध है वहाँ शिवरात्रि, मकरसंक्राति तथा विशाखा त्योहार मनाये जाते हैं। कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। ओणम, क्रिसमस, ईद, शिवरात्रि जैसे मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं। तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य भरतनाट्यम् है। पोंगल तमिलनाडु का मुख्य त्योहार है।

19.3 कथकली

लोकजीवन – पूर्वी भारत

पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचलप्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय तथा सिक्किम का समावेश होता है। इनमें से ओडिशा, पश्चिम बंगाल को समुद्रतट प्राप्त है।

भोजन : बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल के लोग रोटी, साग-सब्जी, दाल आहार में लेते हैं, पर भोजन में भात की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की मुख्य खुराक भात है। इसके अलावा दालें, साग-सब्जी का उपयोग भी करते हैं। 'रसगुल्ला' तथा 'संदेश' बंगाली लोगों की प्रिय मिठाइयाँ हैं।

> **इतना जरूर जानिए...**
>
> सत्तू बिहार में खाया जानेवाले एक विशिष्ट व्यंजन है। असम में चाय व्यापक रूप से पियाजानेवाला पेय है।

पहनावा : बिहार के पुरुष धोती-कुर्ता, कंधे पर गमछा (दुपट्टा), सिर पर पगड़ी पहनते हैं। स्त्रियाँ साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज पहनती हैं। झारखंड, असम तथा उड़ीसा के लोगों के पहनावे में बहुत अंतर नहीं दिखता। बंगाली महिलाएँ बंगाली ढंग से साड़ी पहनती हैं। पुरुष पाटलीदार धोती और रेशमी कुर्ता पहनते हैं।

आवास : इन प्रदेशों के मैदानी भाग में लोग ईंट-सीमेंट से बने पक्के मकानों में रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बसनेवाले लोग घरों के लिए लकड़ी और बांस का उपयोग अधिक करते हैं। भारी वर्षावाले क्षेत्रों की छतें ढालू होती हैं। बंगाल में घर के पिछवाड़े पुकुर (पोखरी) रखते हैं जिसमें मछलियाँ पाली जाती हैं, जो उनके भोजन का सामान्य अंग हैं।

भाषा : झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में मुख्य भाषा हिंदी है। मैथली, मागधी तथा भोजपुरी बिहार की मुख्य बोलियाँ हैं। असम में असमी (असमिया), उड़ीसा में उड़िया तथा पश्चिम बंगाल में बंगाली (बांग्ला) भाषा बोली जाती है। मेघालय में गारो, खासी तथा मिजोरम में मिजो बोली का उपयोग होता है।

उत्सव-त्योहार : असम का बिहू और उड़ीसा का ओडिशी नृत्य प्रसिद्ध है। जगन्नाथपुरी की रथयात्रा दुनियाभर में प्रसिद्ध है। बिहार में छठ, भैयादूज तथा पश्चिम बंगाल में दुर्गापूजा का त्योहार भव्य रीति से मनाया जाता है। इस तरह, प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक त्योहार हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। उसमें धार्मिक, राष्ट्रीय त्योहार हर राज्य में मनाए जाते हैं। भारत में धार्मिक त्योहार बिना किसी भेदभाव के समरसता से मानए जाते हैं।

19.4 रथयात्रा (जगन्नाथपुरी)

> **इतना जरूर जानिए...**
>
> भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर पैदा होनेवाले तिलहनों से प्राप्त होनेवाले तेल का उस प्रदेश के लोग खाद्यतेल के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे – गुजरात में मूँगफली का तेल, पूरे उत्तरी भारत में सरसों का तेल जब कि दक्षिणी भारत में नारियल के तेल का उपयोग होता है।

स्वाध्याय

1. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो-तीन वाक्यों में लिखिए :

(1) भारत के लोगों में कैसी-कैसी भिन्नता दिखाई देती है ?

(2) दक्षिणी भारत में बोली जानेवाली भाषाएँ किस कुल की हैं ? प्रत्येक राज्य की उस भाषा का नाम लिखिए।

(3) बिहार की मुख्य भाषा तथा बोलियाँ बताइए।

2. नीचे दिए गए विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(1) पूर्वी भारत के राज्यों के लोगों तथा बंगाली पुरुषों तथा महिलाओं का पहनावा

(2) पश्चिमी भारत के त्योहार-उत्सव

3. योग्य विकल्प चुनकर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

(1) कैसे तापमानवाले प्रदेश के निवासियों का पहनावा सूती तथा हलके रंगोंवाला होता है ?

(A) अधिक (B) कम

(C) सम (बराबर) (D) विषम

(2) ऊँट के चमड़े से बने जूते, मुख्यरूप से किस प्रदेश के लोग पहनते हैं ?

(A) गुजरात (B) राजस्थान

(C) महाराष्ट्र (D) गोवा

(3) गोवा में कौन-सी भाषा बोली जाती है ?

(A) मराठी (B) हिन्दी

(C) गुजराती (D) कोंकणी

(4) किस राज्य के लोग तरह-तरह के पराठे खाते हैं ?

(A) गोवा (B) तमिलनाडु

(C) असम (D) पंजाब

(5) माघ मेला कहाँ लगता है ?

(A) पुष्कर (B) नासिक

(C) इलाहाबाद (D) उज्जैन

(6) पोंगल किस राज्य का मुख्य त्योहार है ?

(A) आंध्रप्रदेश (B) तमिलनाडु

(C) मेघालय (D) सिक्किम

(7) उत्तराखंड का भूपृष्ठ कैसा है ?

(A) उपजाऊ समतल मैदान (B) पर्वतीय

(C) समुद्रतटीय (D) इनमें से कोई नहीं

प्रवृत्ति

- प्रादेशिक वेशभूषा स्पर्धा का आयोजन कीजिए।
- प्रत्येक राज्य की वेशभूषा के चित्र चिपकाकर अलबम तैयार कीजिए।
- पुस्तकालय से रसोई बनाने की पुस्तक प्राप्त करके हर राज्य के मिठाइयों की सूची बनाइए।
- आपने आसपास लगनेवाला मेला देखने जाइए।

20 आपदा-प्रबंधन

आपदा प्राकृतिक हो या मानवसर्जित, आकस्मिक हो या मंद, पृथ्वी के भूगर्भ में से हो या वातावरण में उत्पन्न हुई हो, वह पृथ्वी पर व्यापक रूप से अनभुव की जाती है, साथ ही विनाश करती है। कुछ घटनाओं के उदारण देखें तो स्पष्ट होता है कि जन-धन का व्यापक पैमाने पर नुकसान करती है।

कुछ घटनाएँ पूर्वनियोजित और निश्चित विध्वंसकारी होती हैं। जैसे कि द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान के दो नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं द्वारा परमाणुबम हमला; जब कि कुछ दुर्घटनाएँ मानवीय भूल या लापरवाही का परिणाम होती हैं; जैसे - भोपाल गैसकांड, रूस की चर्नोबिल परमाणु दुर्घटना।

आपदा के प्रकार

हम आपदाओं के खतरों से परिचित हैं। बचाव-राहत कार्यों की व्यूहरचना करने के लिए उनके कारणों तथा उत्तरदायी संयोगों को जानना होगा। बचावकार्य की पूरी तैयारियों के संदर्भ में भी ये बातें जाननी खूब जरूरी हैं। आपदा-प्रबंधन विशेषज्ञों ने आपदाओं के दो प्रकार किए हैं : (1) प्राकृतिक आपदाएँ और (2) मानवसर्जित आपदाएँ।

(1) प्राकृतिक आपदाएँ इसमें बाढ़, चक्रवाती तूफान, अनावृष्टि (सूखा), भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, दावाग्नि आदि। इनमें से बाढ़, चक्रवात तथा सुनामी की भविष्यवाणी की जा सकती है, जबकि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, दावाग्नि की भविष्यवाणी संभव नहीं है।

(2) मानवसर्जित आपदाएँ : आग, औद्योगिक दुर्घटनाएँ, बम विस्फोट, दंगे आदि मुख्य हैं।

(1) प्राकृतिक आपदाएँ :

बाढ़ : सामान्यतौर पर हम बाढ़ का यह अर्थ करते हैं कि विशाल भू-भाग लगातार कई दिनों तक पानी में डूबा रहे। अधिकांश लोग बाढ़ का संबंध नदी से जोड़ते हैं। जब नदी का जल अपने किनारे के भागों के ऊपर से बहकर समीपस्थ भू-भाग को डुबो देता है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो लगातार तेज भारी वर्षा का परिणाम है। मानव प्रवृत्तियों, जलपरिवहन, जमीन के प्राकृतिक ढाल की अवगणना करके किए गए निर्माण काम से नदी विकराल रूप धारण करती है और बड़े पैमाने पर जन-धन को हानि पहुँचती है।

क्या करना चाहिए :

- अपनी कीमती तथा निजी आवश्यकता की वस्तुएँ लेकर सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें।
- पानी, सूखा नास्ता, मोमबत्ती, लालटेन, सीलन न लगे इस तरह प्लास्टिक की डिब्बी में दियासलाई, टार्च आदि साथ ले लें।
- रेडियो, मोबाइल फोन अवश्य साथ रखें।
- साँप से सावधान रहें। वे सूखी जगह पर आ सकते हैं। उन्हें दूर रखने के लिए लाठी-डंडा साथ रखें।
- बाढ़ उतर जाने के बाद पानी को उबालकर पीने में उपयोग करें।

क्या न करें :

- बालकों को भूखा न रखें।
- बाढ़ के पानी से बना खाना न खाएँ।
- सुरक्षित जगह से बाहर जाने के पहले रास्ते तथा परिस्थिति की सही स्थिति जाने बिना न निकलें।

चक्रवात (तूफान): वातावरण में उत्पन्न विक्षोभ के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में चक्रवात, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, टर्नेडो, चीन और जापान के तटों पर टाइफून अत्यंत विनाशक रूप से आक्रमण करते हैं। ये प्रचंड वातावरणीय चक्रवात वायु-दाब के असंतुलन से निर्मित होते हैं। ये चक्रवाती तूफान जिन इलाकों पर होकर गुजरते हैं वहाँ बड़े पैमाने पर विनाश करते हैं। भारत के पूर्वी समुद्रतट और कच्छ-सौराष्ट्र के समुद्रीतटीय प्रदेशों में उनके विध्वंसक प्रभावों को अनुभव किया जाता है।

क्या करना चाहिए :

- आनेवाला तूफान का निश्चित समय जानने के लिए रेडियो-टी.वी. के समाचार सुनते-देखते रहें।
- जिनके पास रेडियो हो, वे अपने साथ अतिरिक्त बैटरी इस तरह रखें ताकि वह तुरंत मिल सके।
- मोबाइल चार्ज करके रखें। साथ ही यदि पावर-बैंक जैसे उपकरण हों तो उन्हें भी पहले से चार्ज करके साथ ले लें।
- रेडियो द्वारा मिल रही सूचनाओं, चेतावनी को ध्यान से सुनें और उनका पालन करें।
- अफवाहों से दूर रहें।
- आवश्यकतानुसार सूखे नास्ते, खाने की अतिरिक्त चीजें, पेयजल का संचय कर लें।
- बालकों तथा वृद्धों के लिए जरूरी दवाएँ तथा भोजन की व्यवस्था रखें।
- यदि बचावतंत्र द्वारा आपको घर छोड़ने के लिए कहा जाए, तो उस सूचना पर तत्काल अमल करें।
- शुद्ध-सुरक्षित पानी पीने का आग्रह रखें।
- यदि सरकार या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित आश्रय स्थानों में रह रहे हों, तो वहाँ के व्यवस्थापकों द्वारा दी गई सूचनाओं का चुस्त पालन करें और बिना उनकी सूचना के आश्रय स्थान न छोड़ें।
- पालतू पशुओं को खूटे से बाँध कर न रखें। यदि वे खुले रहेंगे तो स्वबचाव का प्रयास अच्छी तरह कर सकेंगे।

क्या न करे :

- रेडियो पर मौसम विभाग द्वारा दी जा रही चेतावनी के सिवा अन्य की बातों या अफवाहों पर ध्यान न दें।
- वातावरण अचानक साफ हो जाय, बरसात रुक जाय या हवा चलनी बंद हो जाय तो भी खुले में बाहर न निकलें।
- बिजली के खंभे, लटकते खुले तार को न छुएँ। (उनसे दूर रहें।)
- विज्ञापन के बड़े होर्डिंग्स या बड़े पेड़ के नीचे आश्रय न लें।

भूकंप : भू-कंप का सामान्य अर्थ है भूमि (पृथ्वी की सतह) का काँपना। प्राय: पृथ्वी के गर्भ में होनेवाली भौगर्भिक क्रियाओं के परिणामस्वरूप भूकंपों के अनुभव किए जाते हैं। पृथ्वी की सतह के कमजोर पर्तवाले प्रदेशों को भूकंपीय संभावनावाला प्रदेश गिना जाता है। इनकी अलग से पहचान की जा सकती है, परन्तु भूकंप की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इस तरह भविष्यवाणी के अभाव में जन-धन की बहुत बड़े पैमाने पर हानि हो सकती है।

क्या करना चाहिए :

- भूकंप के दौरान टेबल के नीचे या कमरे के कोने में रहें।
- यदि पाठशाला में हों तो डेस्क के नीचे बैठ जाएँ।
- यदि खुले मैदान में हों तो मकानों, बरामदों, बिजली की लाइनों या खंभे से दूर रहें।
- यदि वाहन चला रहे हों, तो पुल के ऊपर या नीचे, लाइट के खंभे, बिजली की लाइन या ट्राफिक सिग्नल से अपना वाहन दूर खड़ा रखें।
- यदि वाहन में हों तो भूकंप का झटका पूरा होने तक उसी में रहें।
- भूकंप का झटका पूरा हो जाने के बाद भी घर की कुछ चीजें; जैसे - फ्रीज़, दीवार पर टँगी घड़ी या फोटो या छत से लटकते पंखे या झूमर (फानूस) बाद में गिर सकते हैं, उनसे दूर रहें।
- दुर्घटना से बचने हेतु मार्गदर्शन के लिए स्थानीय रेडियो को सुनें।
- नई बननेवाली इमारतों की डिजाइन, निर्माण भूकंप प्रतिरोधक होनी चाहिए।

क्या न करें :

- घबराकर शोर-शराबा या भगदड़ न करें।
- भूकंप के झटके के बाद गिरनेवाली चीजों को रोकने का प्रयास न करें।
- नीचे उतरने के लिए लिफ्ट का उपयोग न करें।
- यदि आप घर के अंदर हों तो लकड़ी या लोहे की आलमारी, तिजोरी के पास या काँच के झाड़-फानूस के नीचे खड़े न रहें।
- रसोईघर की गैस लीक नहीं कर रही है, इसकी परख किए बिना दियासलाई, लाइटर या बिजली के उपकरणों को चालू न करें क्योंकि गैस रिसाव के कारण विस्फोट होने की संभावना रहती है।
- आग लगने की स्थिति के सिवा डाक्टरी सहायता के लिए फोन न करें। उस समय तत्काल किए जा रहे फोन के कारण टेलीफोन के ठप हो जाने से राहत तथा बचाव कार्य बाधित होता है।

सुनामी : समुद्र में उत्पन्न होनेवाले अत्यंत शक्तिशाली विनाशक लहरों को सुनामी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति सागर या महासागर के तल में सात रिक्टर स्केल या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंपों अथवा समुद्री ज्वालामुखी के विस्फोट या बड़े पैमाने पर सागरीय भूस्खलन से होती है। सुनामी शब्द जापानी भाषा का है, जिसमें इसका अर्थ होता है - विनाशक लहरें। अधिकतर सुनामी की उत्पत्ति समुद्र तल के भूकंपों के कारण ही होती है, इस कारण इसे भूकंपी लहरों के रूप में भी जाना जाता है। ये लहरें अपने उत्पत्ति-स्थल से वलय के रूप में तीव्र गति से फैलती हैं। गहरे समुद्र में तो कम ऊँचाई के कारण दिखलाई नहीं देतीं पर समुद्री किनारे के पास और छिछले समुद्र में से गुजरते समय ये विनाशकारी स्वरूप धारण करती हैं और इनकी ऊँचाई बढ़ जाती है। इसी कारण ही किनारे के इलाकों में पानी की एक ऊँची दीवार-सी बनकर आगे बढ़ती हुई ये लहरें भयंकर तबाही मचाती हैं।

26 दिसम्बर, 2004 को हिंद महासागर में आए महाविनाशकारी सुनामी ने थाइलैंड, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका सहित दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के लगभग 2 लाख से अधिक लोगों का भोग लिया था।

आधुनिक उपकरणों की मदद से सुनामी की पूर्व सूचना तथा उसके आने के निश्चित समय का सही अनुभव लगाया जा सकता है। इसलिए भविष्य में इस संदर्भ में और अधिक सावधानी बरतते हुए जनहानि को रोका जा सकेगा।

क्या करना चाहिए :

- सुनामी की सूचना मिलते ही समुद्रतट से सुरक्षित दूरी पर चले जाना चाहिए।
- रेडियो अपने साथ रखना चाहिए तथा प्रशासनतंत्र की सूचनाओं के अनुसार कार्य करने चाहिए।
- नई बस्तियों तथा इमारतों के निर्माण के समय सुनामी के पहलू को भी ध्यान में लेना चाहिए।
- मेंग्रुव वनस्पति सुनामी के प्रभाव को समग्रतया घटाती हैं। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि इसका फैलावा बढ़े।

क्या न करें :

- समुद्र-किनारे स्थित ऊँचे मकानों के ऊपर आश्रय न लें क्योंकि विनाशक लहरों के प्रभाव से वे टूट सकते हैं।
- सुनामी उतरने के बाद भी प्रशासन द्वारा जब तक सूचना न मिले समुद्रतट की ओर न जाएँ।

अनावृष्टि (अकाल) : अनावृष्टि एक अत्यंत विनाशक, दीर्घकालीन प्रभाव डालने वाला प्राकृतिक प्रकोप है। इसका प्रभाव जीवसृष्टि के अस्तित्व के दो अनिवार्य बातों-पानी और भोजन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। मानसूनी जलवायुवाले क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता और कम या नहिवत् वर्षा के वर्षों में अकाल (दुर्भिक्ष) की समस्या पैदा होती है। क्योंकि कृषि की फसलें, अनाज तथा जीवसृष्टि पानी पर संपूर्णतया निर्भर हैं। कमी की परिस्थिति पानी के अभाव के कारण बनती है और ऐसी हालत में खेती तथा प्राकृतिक वनस्पतियों को भारी हानि पहुँचती है। अकाल की स्थिति में मानव के लिए अन्न के साथ-सात पालतू पशुओं के लिए चारे की समस्या भी उत्पन्न होती है। एक जमाने में अकाल में भुखमरी से भारी जनहानि होती थी। हालांकि आज के युग में वाहन-व्यवहार और सुदृढ़ व्यवस्थापन के कारण उसका निवारण कर सके हैं।

क्या करना चाहिए :

- खेती में टपक सिंचाई पद्धति का उपयोग बढ़ाना चाहिए।
- अनाज की रेशनिंग, उपलब्ध जल की मात्रा का अनुमान निकालकर उसके उपयोग का आयोजन करना चाहिए।
- राहत-काम, सस्ते दर पर अनाज वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए।
- अत्यंत अनिवार्य हो, उसके अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्य रोक देना चाहिए।

क्या न करें :

- अनाज की बरबादी रोकने के लिए बड़े भोजन समारोहों का आयोजन न करें।
- नागरिक अनाज तथा घासचारे का संग्रह न करें।

दावाग्नि (दावानल) : दावाग्नि यानी जंगलों में लगनेवाली आग, जो बड़े पैमाने पर तेजी से फैलकर विनाश करती है। दावाग्नि की घटना के लिए बिजली पड़ने के अलावा शेष सभी कारण मानव सर्जित हैं। सुलगती बीड़ी-सिगरेट या दियासलाई की तीली फेंकना, पर्यटकों-यात्रियों या चरवाहों द्वारा सुलगती सामग्री छोड़ देना मुख्य है। दावाग्नि की संभावना शुष्क मौसम में पतझड़ के बाद के समय में अधिक रहती है। उस समय जंगल में सूखी घास और झरे हुए पत्ते ईंधन का काम करते हैं। यह परिस्थिति दावाग्नि के प्रसार के लिए उत्तरदायी है।

पवन तथा ज्वलनशील ईंधन दोनों का सूखा होना दावाग्नि का मूल कारण है। यह परिस्थिति दावाग्नि के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। गरमी, कम नमी तथा पवन चलने वाले दिनों में जंगल में आग के तेजी से फैलने की संभावना अधिक होती है। कुछ वृक्षों से झरनेवाले तैलीय पदार्थ के ज्वलनशील होने से भी आग तेजी से फैलती है।

एकबार दावाग्नि लग जाने के बाद पवन की दिशा में 15 किमी/घंटा की गति से आगे बढ़ने के साथ-साथ अपने चारों तरफ भी फैलती जाती है। दावाग्नि के एक बार लग जाने पर यदि मनुष्यों द्वारा बुझाने का प्रयत्न न हो, तो वह मात्र दो संयोगों में ही रुकती है - या तो आग एकदम पूरी तरह से ठंडी हो जाए अथवा भारी वर्षा हो जाए।

दावाग्नि के कारण जल रहे जंगल में धुएँ और गरम हवा के साथ ऊँचाई पर गई चिनगारी समीप की बस्तियों में आग लगने का खतरा पैदा करती हैं।

क्या करना चाहिए :

- वन विभाग की सूचनाओं का पालन करें।
- शुष्क मौसम में वन क्षेत्र में विशेष पेट्रोलिंग की व्यवस्था करें।
- वन विभाग के कर्मचारियों को दावाग्नि बुझाने की विशेष तालीम (प्रशिक्षण) दी जाय।

क्या न करें :

- वन क्षेत्र में प्रवास करते समय सुलतगी बीड़ी या अन्य चीजें न फेकें।
- दावाग्नि के आसपास के इलाके में रहनेवाले लोग वन विभाग की सूचनाओं की अवहेलना न करें।

(2) मानवसर्जित आपदाएँ :

मानव के प्रत्यक्ष या परोक्ष; जानबूझकर या अनजाने में किए गए कार्यों से, उसकी लापरवाही, असावधानी या अज्ञानता, मानवसर्जित तंत्र की निष्फलता के परिणामस्वरूप घटनेवाली दुर्घटना, जिससे जान-माल का नुकसान हो; ऐसी दुर्घटनाओं को मानवसर्जित आपदा कहते हैं।

औद्योगिक दुर्घटना : औद्योगिक क्षेत्रों, मिलों, कारखानों में तमाम सावधानियों के बाद भी दुर्घटना का भय रहता है। इस दुर्घटना में मानवों तथा पशुओं की जान जाने का भय होता है। साथ पर्यावरण पर भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक दुर्घटनाओं के मूल में मानवीय भूलें उत्तरदायी होती हैं। औद्योगिक प्रक्रिया के विविध यंत्रों का संचालन एवं रखरखाव, उत्पादित सामग्री का हेरफेर, उनका संग्रह और वितरण भी आदमियों द्वारा होता है। इस प्रत्येक स्तर पर दुर्घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

भोपाल गैसकांड : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में जन्तुनाशक दवाओं का उत्पादन किया जाता था। वहाँ उत्पादन प्रक्रिया में 'मीक' नामक एक अत्यंत ही विषैली गैस का उपयोग होता था। इस गैस को बड़ी-बड़ी टंकियों में संग्रहित किया जाता था। 3 दिसम्बर, 1984 के भोर में उस कारखाने की टंकियों से विषैली मीक गैस का रिसाव शुरू हुआ जो लगभग 40 मिनट तक जारी रहा। एकदम भोर में घटित इस घटना से पलभर में भोपाल की निकटस्थ घनी आबादी में तीव्र गति से गैस फैल गई और अधिकारिक आँकड़ों के अनुसार लगभग 2500 लोग मर गए। इसके उपरांत हजारों भोपालवासी इस गैस से प्रभावित हुए। मनुष्यों के अलावा हजारों पशु-पक्षियों को भी विषैली गैस निगल गई। इस गैस से पेयजल, जलाशयों और भूमि, गर्भस्थ एवं नवजात शिशु, गर्भवती महिलाएँ-अबाल वृद्ध सभी उसके दुष्प्रभाव का भोग बने लगभग 10,000 लोग स्थायी रूप से विकलांग हो गए। जब कि 1.5 लाख लोग आंशिक रूप से विकलांगता का शिकार बने।

गैस रिसाव के समय बचाव कार्य :

क्या करना चाहिए :

- गैस रिसाव की सूचना के लिए आधुनिक वार्निंग सिस्टम लगाना चाहिए।
- कारखानों में सुरक्षा के उच्च मापदंड निर्धारित करके उनका पालन करना चाहिए।
- यदि गैस के हेरफेर के दौरान रिसाव हो, तो गैस टैंकर को मानव बस्ती से दूर ले जाना चाहिए।
- उस समय पवन की दिशा देखकर उसकी विपरीत दिशा में दौड़ जाएँ।
- साँस लेने में तकलीफ, आँखों का जलना जैसी तकलीफों का स्वयं इलाज करने के बजाय तत्काल डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए।
- बेहोश हो गए तथा कमजोर लोगों को तुरत प्रभावक्षेत्र के बाहर ले जाना चाहिए।
- फायर ब्रिगेड और पुलिस को खबर देनी चाहिए।
- हमें अपने वाहन को इस तरह रखना चाहिए कि बचाव काम के लिए आनेवाले वाहनों के मार्ग में वे अवरोधक न बनें।

क्या न करें :

- बचाव कार्य में लगे लोगों के सिवा बाकी लोग वहाँ भीड़ न करें।
- जब तक प्रशासन की ओर से गैस रिसाव के इलाके को पूरी तरह से सुरक्षित न घोषित कर दिया जाय तब तक असरग्रस्त क्षेत्र में प्रवेश न करें।
- बचाव कार्य के प्रशिक्षण के बिना या बचाव के लिए जरूरी साधन-सामग्री के बिना बचाव-काम में न जुड़ें।

विषाणुजन्य रोग : जब सामान्य परिस्थिति में बहुत बड़े इलाके में बड़ी संख्या में लोग रोग का भोग बनते हैं तब यह कहा जाता है कि महामारी फैली है। इसमें रोग के कारण लोग अपनी जान गँवाते हैं। विषाणुजन्य रोगों के मरीजों की संख्या सामान्य रोगों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है। इनमें डेंग्यू, इ-बोला, स्वाइनफ्लू, इंफ्लूएंजा जैसे रोगों ने आजतक लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया है। हालांकि पहले की तुलना में वर्तमान समय में वैज्ञानिक संसोधनों और रोगप्रतिकारक टीकों, इलाज के उन्नत उपकरण-उपायों से संशोधनों और प्रतिकार करने में सरलता हुई है, पर साथ ही नए-नए विषाणुजन्य रोग तथा परंपरागत दवाएँ असरकारक न बनें, ऐसे रोगों के प्रकोप का भय हमेशा मानव जाति पर मँडराता रहता है, यह भी एक कटु यथार्थ है।

सितम्बर 1994 में सूरत शहर में प्लेग की महामारी और अभी-अभी 2015 में गुजरात और दिल्ली सहित देश के अनेक भागों में स्वाइन फ्लू और डेंग्यू की महामारी को तंत्र द्वारा योग्य कदम उठाकर बड़ी जनहानि होने से रोकने की कोशिश हुई है।

विषाणुजन्य रोगों से बचाव के उपाय :

- विषाणुजन्य रोगों से बचने का महत्तवपूर्ण उपाय, यह सावधानी रखनी है कि उनका संक्रमण न हो।
- प्रचार-प्रसार द्वारा लोगों को इन रोगों के होने के कारणों-परिणामों तथा बचाव के उपायों से परिचित कराना चाहिए।
- उसके लिए रोगप्रतिकारक टीका लगवाना चाहिए।
- रोगियों के इलाज के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था करनी चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व आरोग्य संस्था (WHO) की विषाणुजन्य रोगों की रोकथाम हेतु दी गई सूचनाओं और मार्गदर्शिका के अनुसार कदम उठाने चाहिए।

आतंकवादी हमला : पिछली सदी के अंतिम दशक में समस्त विश्व में त्रासवाद की घटनाओं ने अत्यंत भयानक एवं विकृत स्वरूप धारण किया है, हम सब उससे परिचित हैं। वास्तविक रूप से देखा जाय तो आतंकवाद किसी जाति, समुदाय या संप्रदाय अथवा प्रदेश की परवाह नहीं करता। वह मानवता का शत्रु है। सामान्य तौर पर व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किए जानेवाले अनैतिक विनाशकारी कार्यों को आतंकवाद कहते हैं। जिसमें संपत्ति का नाश करना, डर या भय का वातावरण बनाकर अपनी माँगों के प्रति ध्यान आकृष्ट करना, सामूहिक नरसंहार, अपहरण जैसे अमानवीय कृत्य-ये आतंकवादियों के हथियार हैं। हाल में आतंकवाद का प्रसार इतना बढ़ गया है कि वह विश्व के बहुत से देशों में फैल चुका है। इस समय कोई भी देश आतंकवाद से सुरक्षित नहीं है।

विश्व की कुछ प्रमुख आतंकवादी घटनाएँ : 9 सितम्बर, 2001 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक आतंकवादी संगठन द्वारा शृंखलाबद्ध आत्मघाती हमला किया गया। उस दिन सवेरे 19 आतंकवादियों ने चार जेट यात्री विमानों को अपहृत किया। उनमें दो विमान न्यूयार्क शहर के दो टावरों के साथ टकराए। इन दो विमानों की टक्कर से उनमें सवार सभी मुसाफिर तथा टावर में काम करनेवाले सैकड़ों लोग कुछ ही मिनटों में मारे गए तथा बहुत बड़ी संख्या में लोग मकानों के धराशायी होने से घायल हुए। बाकी दो विमानों में से एक पेंटागान से टकराया और दूसरा पेंसिलवेनिया के एक खेत में जाकर गिरा। हालांकि उन दोनों विमानों में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच सका। इस दुर्घटना में लगभग तीन हजार निर्दोष नागरिक मारे गए और 6 हजार से अधिक नागरिकों के घायल होने का अंदाज है।

13 दिसम्बर, 2001 को एक आतंकवादी टुकड़ी के 5 आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया और लगभग 45 मिनट तक अंधाधुंध गोलियाँ चलाकर पूरे परिसर को बंधक बना लिया। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के समान संसद को भ्रष्ट करने के शत्रु देश के प्रयास को भारतीय सुरक्षादल के जवानों ने प्राण की बाजी लगाकर निष्फल बनाया। इस हमले में आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए तथा 16 जवान घायल हुए।

26 नवम्बर, 2008 को देर रात में मुंबई की प्रसिद्ध होटलों के पास तथा अन्य महत्त्वपूर्ण स्थलों पर थोड़े-थोड़े समय के अंतराल पर श्रेणीबद्ध बमविस्फोटों और गोलीबारी की घटनाएँ हुईं, जिनके कारण लगभग 137 लोग घाटल हुए। इसके अलावा एक विख्यात होटल में भी आतंकियों ने अनेक लोगों को बंधक बनाया। इस घटना पर काबू पाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एन.एस.जी. (नेशनल सिक्युरिटी गार्ड) के 200 कमांडों, सेना के 50 कमांडो तथा सेना की पाँच टुकड़ियाँ भेजी गई थीं। अत्याधुनिक हथियारों से लैश आतंकियों को लगभग दो दिन तक संघर्ष करके मात दिया गया था।

दिसम्बर, 2014 में पाकिस्तान के पेशावर शहर के छावनी क्षेत्र में स्थित आर्मी स्कूल में आतंकियों के हमले में 132 निर्दोष बालकों सहित कुल 141 लोगों की मौत हुई थी।

क्या करना चाहिए :

- किसी भी संदेहजनक गतिविधि की जानकारी पुलिस को दीजिए।
- सार्वजनिक स्थलों, जैसे - शोपिंग मॉल, सिनेमाघरों, बगीचों, धार्मिकस्थल में पड़ी लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएँ। उसकी जानकारी सुरक्षा पर तैनात सुरक्षाकर्मी को दीजिए।
- सुरक्षा के लिए की जा रही अंग-तलाशी की प्रक्रिया में सहयोग कीजिए।
- यदि आप घर किराए पर दे रहे हों, तो उसकी जाँच समीप के पुलिस थाने से करवाएँ। कानून ऐसा करना अनिवार्य है।
- सार्वजनिक स्थानों को सी.सी.टी.वी से सुसज्ज बनाना चाहिए।
- यात्रा के दौरान बस या ट्रेन में कोई व्यक्ति अपना सामान छोड़कर उतर गया है, यदि ऐसा लगे तो तत्काल जवाबदार व्यक्ति को सूचना दें।
- पड़ोस में रहनेवाले व्यक्तियों में यदि कोई व्यक्ति अकेला रहता हो, स्थानीय लोगों के साथ हिलता-मिलता न हो, देर रात तक कंम्प्यूटर पर काम करते हों, ऐसे लोगों के संदेहजनक व्यवहार की जानकारी पुलिस को दें।
- लावारिस पड़े वाहनों की सूचना पुलिस को दें।

क्या न करें :

- अनजान व्यक्ति द्वारा दी जा रही कोई चीज या पार्सल न लें।
- अनजान व्यक्ति की पूरी जाँच के बिना मकान किराए पर न दें।
- अनजान व्यक्ति के साथ मकान, वाहन या मोबाइल की खरीद-बिक्री न करें।

दंगा : दुनिया के अनेक देशों में यह समस्या देखने को मिलती है। दंगों के सामान्य लक्षणों को देखें तो पता चलता है कि इनमें जुड़ने वाले अधिकांश लोग मूल आशय या उद्देश्य से अनजान होते हैं। देखादेखी या भीड़तंत्र के रूप में वे शामिल हो जाते हैं। बिना किसी सामूहिक हित या उद्देश्य के एकत्र हुई भीड़ द्वारा जानबूझकर शांति भंग की जाती है। दंगे वैधानिक ढंग से स्थापित शासन प्रणाली को अस्थिर बनाते हैं।

कभी-कभी दंगे राजनीतिक रूप धारण करके विद्रोह बन जाते हैं, तो कभी सांप्रदायिक संघर्ष में बदल जाते हैं और तब देश में सामाजिक सद्भाव तथा संवादिता खतरे में पड़ जाती है। ऐसे दंगों में निर्दोष लोगों को कापी सहन करना पड़ता है। हर रोज श्रम करके रोजी-रोटी कमाने वालों को जीवन-निर्वाह करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा लोगों को जान-माल की भी भारी क्षति होती है।

दंगों के कारण देश की एकता और अखंडता के सम्मुख चुनौती पैदा होती है। इस कारण, दंगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करके दबाना अनिवार्य है।

क्या करना चाहिए :

- हिंसा भड़काने वाली बातों तथा अफवाहों को फैलाने से रोकिए।
- मुहल्ले या पोलों में शांति समिति की रचना करके शांति स्थापना हेतु सक्रियता से जुड़ें।
- दंगे में असरग्रस्त लोगों की मदद करके अपना नागरिक धर्म निभाएँ।

क्या न करें :

- अफवाहें फैलाने के निमित्त न बनें।
- कानून-व्यवस्था बनाए रखने में, तंत्र द्वारा दिए गए आदेशों या कर्फ्यू का उल्लंघन न करें।
- सोशियल मीडिया में बिना सिर-पैर की बातों को न मानें और न फैलाएँ।

इनके अलावा कभी-कभी आतंकवादियों द्वारा अपने साथी या साथियों को जेल से छुड़वाने तथा अपनी अन्य माँगे मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए विमान, बस या ट्रेन जैसे यात्री वाहनों का अपहरण करते हैं। यात्रियों को बंधक बनाकर दबाव बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस समय बंधकों के परिवारजनों को धैर्य धारण करके शांति बनाए रखनी चाहिए और शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों का समर्थन करना चाहिए। ऐसी घटनाओं में कमांडो आपरेशन करके या आतंकवादियों के साथ चर्चा करके बंधकों को छुड़ाने की कार्यवाही की जाती है।

ट्राफिक (यातायात) समस्या

हम सभी ने बड़े शहरों की सड़कों पर वाहनों को एक दूसरे के एकदम पास-पास अत्यंत मंद गति से आगे बढ़ते देखा है। इस परिस्थिति को 'ट्राफिक जाम' कहते हैं। जब यातायात के साधन सड़क पर फँस जाएँ तब ट्राफिक की समस्या खड़ी होती है। बड़े शहरों की व्यस्त सड़कों पर इस तरह की समस्या बारंबार उत्पन्न होती है। सड़कों पर पीक-अवर्स (Peak- Hours) के समय वाहनों की गति लगभग रुक-सी जाती है। ऐसे विकट समय में वाहन चालक, मुसाफिर और राहगीरों को मानसिक तनाव का अनुभव होता है। इस स्थिति पर नियंत्रण पाने अथवा यातायात पुन: शुरू करने में बहुत अधिक समय लग जाता है। ट्राफिक जाम होने पर वाहनों में से निकलने वाला धुँआ तथा भारी मात्रा में बाहर निकलते मलिन द्रव्य वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण को जन्म देते हैं। परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ और वहाँ की वनस्पतियों का वृद्धि-विकास खतरे में पड़ जाता है।

समग्र विश्व में बढ़ते जा रहे शहरीकरण से 'ट्राफिक जाम' की समस्या लगभग सभी बड़े शहरों में देखने को मिलती है। वाहनों की लम्बी-लम्बी कतारें बन जाती हैं। और राहत-बचाव के कामों में जुटे वाहन रास्तों पर फँस जाने से कई बार व्यक्तियों को अपने प्राण गँवाने पड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप 108 एम्बुलेंस का फँस जाना।

ट्राफिक बढ़ने के कारण, वाहन चालकों की गलतियों और रास्तों पर लगे संकेत - चिह्नों की समझ के अभाव में होनेवाली दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग अपनी जान गँवा देते हैं। भारत की सड़कों पर दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु की दर बहुत ऊँची है। कई बार सड़क दुर्घटना में भोग बनने वाले विकलांग भी बन जाते हैं।

आये दिन किशोर आयु के वाहन चलकों द्वारा होने वाली वाहन दुर्घटनाओं के समाचार अखबारों में छपते रहते हैं। राजमार्गों (हाइवे) पर वाहनों के अतिशय भार तथा अनियंत्रित गति के कारण बड़ी दुर्घटनाएँ, अनावश्यक जल्दबाजी या दी गई सूचनाओं की अवगणना का परिणाम हैं।

अत्यधिक यातायात से समय और ईंधन का बड़ी मात्रा में दुर्व्यय होता है। अब, यदि योग्य समय पर परिवहन व्यवस्था के अग्रिम आयोजन का प्रभावशाली कदम और ट्राफिक के नियमों के पालन की प्रतिबद्धता न सीखेंगे तो यह समस्या आने वाले दिनों में अनेक लोगों की जिन्दगी जोखिम में डालेगी, इसमें कोई शंका नहीं है।

क्या करना चाहिए :

- बड़े शहरों के नजदीक उपनगरों का विकास करें तथा उसे सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन सेवा से सघन रूप से जोड़ना चाहिए।
- पैदल यात्रियों तथा साइकिल सवारों के लिए सड़कों के साथ अलग मार्ग (ट्रेक) बनाएँ।
- सार्वजनिक सड़कों पर होनेवाले अतिक्रमण दूर करें। व्यक्तियों द्वारा धीमी गति से चलने वाले वाहनों, प्राणियों से खींचे जानेवाले वाहनों पर पीक-अवर्स के दरम्यान चलाने पर प्रतिबंध रखें।
- यातायात के नियमों की जानकारी शिक्षा, सार्वजनिक विज्ञापनों और जनजागृति कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को दें।
- एक ही स्थान पर एक ही समय नौकरी-व्यवसाय पर जाने वाले व्यक्तियों को अपने निजी वाहन के बदले एक ही वाहन में जाने का आयोजन (Car-Pool) करना चाहिए।
- सड़कों पर की गई खुदाई और मरम्मत के काम शीघ्र पूर्ण करने चाहिए।
- रैली, बारात या शोभायात्राओं को पीक-अवर्स के बदले कम वाहन व्यवहार के समय निकालने की प्रथा शुरू करनी चाहिए।

- द्रुतगति मार्ग, ओवरब्रिज, फ्लायओवर, रींगरोड और बायपास मार्ग की सुविधाओं का विकास करना चाहिए।
- नौकरी-व्यवसाय पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग अवश्य करना चाहिए।
- सीट बेल्ट का उपयोग करें।
- नशा करके वाहन चलानेवाले, लायसन्स बिना के वाहन चालक, अत्यंत तीव्र गति से वाहन चलाने वाले तथा ट्राफिक नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त सजा की व्यवस्था करनी चाहिए।
- वाहन चालक को वाहन संबंधी आवश्यक कागजात (R.C.Book, PUC प्रमाणपत्र) वाहन में अपने साथ रखना चाहिए।
- R.T.O. मान्यता प्राप्त नंबर प्लेट ही लगाना चाहिए।
- वाहन में प्राथमिक उपचार पेटी (First Aid Box) अवश्य रखनी चाहिए।
- अपना वाहन निर्धारित लेन (Lane) में ही चलाएँ।
- वाहन चालक को साइड मिरर का उपयोग करना चाहिए तथा अपना संपूर्ण ध्यान वाहन चलाने में रखना चाहिए।
- दरवाजा ठीक से बंद है, इसकी जाँच करने के बाद ही वाहन चलाएँ।
- वाहन को खड़ा करने से पहले पार्किंग लाइट अवश्य चालू करें।
- छोटे वाहनों और पैदल यात्रियों को ध्यान में रखकर रात्रि के समय डीपर (Low Beam) का उपयोग करें।
- वाहन चलाते समय जूता पहनें।
- धीमी गति से चलनेवाले वाहनों को हमेशा रास्ते के एकदम बाएँ तरफ चलाएँ।
- हमेशा दाहिनी तरफ से ओवरटेइक करें।

क्या नहीं करना :

- ट्राफिक नियमों का उल्लंघन न करें।
- मालसामान की हेरफेर रात्रि या सुबह के समय के अलावा न करें।
- वाहनों में निर्धारित क्षमता और मर्यादा से अधिक समान या प्रवासियों का स्थलांतरण न करें।
- वाहन चालकों के लिए सड़क पर लिखी गई सूचनाओं, बोर्ड, संज्ञाएँ या संकेतों को न बिगाड़ें या न मिटाएँ।
- वाहनों की डिजाइन में परिवर्तन न करें।
- वाहन चलाते समय चालक मोबाइल का उपयोग न करें।
- सीट बेल्ट पहने बिना वाहन न चलाएँ।
- रेल की पटरी या सड़क पार करते समय राहगीर इयरफोन या मोबाइल का उपयोग न करें।
- ट्राफिक का संचालन करने वाले सुरक्षाकर्मियों की सूचना के बारे में व्यर्थ बहस न करें।
- अभिभावक अपने किशोरआयु के बच्चों को कानून प्रतिबंधित वाहन चलाने को न दें।
- दुर्घटना के समय जिज्ञासावश भीड़ लगाकर या अपने वाहनों को खड़ा करके राहत बचाव कर्यों में अवरोध न डालें।
- अत्यंत पुराने और प्रदूषण फैलानेवाले वाहनों का उपयोग न करें।
- निर्धारित ध्वनि तीव्रता से अधिक आवाज करनेवाले या म्युज़िक होर्न का उपयोग न करें।
- गतिशील वाहन का दरवाजा न खोलें।
- वाहन चालक को रात के समय या नहिवत् ट्राफिक में भी सिग्नल भंग नहीं करना चाहिए।
- वाहनों की आवा-जाही वाले मार्गों या विस्तारों में बालकों को खेलने नहीं देना चाहिए।
- मादक द्रव्यों या शराब का नशा करके वाहन नहीं चलाना चाहिए।

आपदाओं का मानवजीवन पर प्रभाव

आपदाओं का प्रभाव कम या ज्यादा मात्रा में सभी लोगों पर पड़ता है; परन्तु उसके सबसे बुरे प्रभाव गरीब तथा अभावग्रस्त लोगों पर सविशेष दिखलाई पड़ता है। सामान्य तौर पर आपदाओं के प्रभाव को चार प्रकारों में बाँटा जा सकता है।

(1) आपदाओं के भौतिक प्रभाव : चल-अचल संपत्ति को भारी हानि पहुँचती है अथवा वह नष्ट हो जाती है। सड़क, रेलमार्ग, पुल, बिजली-गैस आपूर्ति, संदेश-व्यवहार व्यवस्था जैसी ढाँचागत सुविधा को भारी क्षति पहुँचती है, जिसका तत्काल निर्माण भी नहीं किया जा सकता। बाढ़ के कारण कृषियोग्य उपजाऊ भूमि के भारी कटाव और अपक्षरण ऐसी हानि है जिसकी पूर्ति लम्बे समय तक भी नहीं की जा सकती।

(2) जनजीवन पर प्रभाव : आपदाओं में अनेक लोगों की जान चली जाती है तो बहुत से लोग स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं। सामान्य नागरिकों का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है वे भारी आघात और हताशा में होते हैं। उन्हें उस मानसिक वेदना से बाहर निकालना कठिन काम है। कुछ बालक अनाथ हो जाते हैं तो किन्हीं वृद्धों का सहारा छिन जाता है, जिससे ये विषम परिस्थिति में पहुँच जाते हैं। इनके पुनर्वास का कार्य भारी झंझट, श्रम का है। लोगों को जीवन में कठिनाइयाँ और तकलीफें भोगनी पड़ती हैं।

(3) आपदाओं का आर्थिक प्रभाव : आपदाओं के बाद पुन: निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर भारी वित्तीय पूँजी की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसका सीधा प्रभाव चालू विकास योजनाओं पर पड़ता है। वित्तीय संसाधनों की कमी उत्पन्न होने से योजनाओं को पूरा करने की अवधि बढ़ जाती है। औद्योगिक इकाइयाँ फिर से कार्यरत बनें तब तक बेरोजगारी का प्रश्न विकट बनता है। आपदाग्रस्त विस्तार के लोगों की आर्थिक दशा कमजोर हो जाती है।

(4) आपदाओं के सामाजिक प्रभाव : आपदाग्रस्त इलाके से लोगों का स्थलांतरण या पलायन उस विस्तार के सामाजिक ढाँचे को प्रभावित करता है। सामाजिक उत्सव तथा सार्वजनिक समारोह के प्रसंग फीके तथा पहले की तुलना में नीरस बन जाते हैं। उनके मूल स्वरूप में आने में वर्षों लग जाते हैं। सामाजिक ताने-बाने में परिवर्तन आने से सामाजिक संस्थाएँ कमजोर हो जाती हैं।

आपदाओं के पश्चात् पुनः स्थापन

आपदा में पहला काम बचाव, दूसरा क्रम राहत पहुँचाना और अंतिम पुनर्वास का क्रम आता है। आपदाओं के स्वरूप के मुताबिक पुनर्वसन की आवश्यकताएँ भी भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं। भूकंप, बाढ़ या चक्रवाती तूफान के बाद बड़े पैमाने पर आवासों का निर्माण करना पड़ता है। अकाल के बाद लोगों के लिए नई रोजगारी की व्यवस्था करनी, कृषिक्षेत्र के लिए साधन-सहायता की व्यवस्था करनी पड़ती है। विषाणुजन्य महामारी के बाद भविष्य में बचाव हेतु बड़े पैमाने पर लोकजागृति और लोकशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करने पड़ते हैं। ढाँचागत सुविधा के क्षतिग्रस्त होने से उनके पुनर्निर्माण का काम भारी अवरोधों के बीच करना होता है। जिस परिवार में मात्र एक या दो व्यक्ति बचे हों उस परिवार का पुनःस्थापन बहुत कठिन काम है। जिन लोगों ने विनाश को प्रत्यक्ष देखा है उन्हें मानसिक आघातों से छुटकारा दिलाने हेतु मनोचिकित्सक की व्यवस्था यदि समय पर न हो सके तो वह आगे चलकर बुरे परिणाम ला सकता है। बच गए लोगों में से स्थायी रूप से विकलांग हो चुके लोगों के लिए प्रशिक्षण-रोजगारी की व्यवस्था जरूरी है।

इस तरह, आपदाओं के बाद का पुनःस्थापन एक चुनौतीभरा कार्य है। योग्य आयोजन करके, चरणबद्ध अमल में लाने से उसे अच्छी तरह पूरा किया जा सकता है।

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(1) बाढ़ के समय क्या करना चाहिए।
(2) सुनामी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए।
(3) गैस रिसाव के समय क्या नहीं करना चाहिए ?
(4) विषाणुजन्य रोगों की रोकथाम के उपाय लिखिए।
(5) ''ट्राफिकजाम'' अर्थात् क्या ? उसके क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं?

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए :

(1) मानवजीवन पर आपदा के पड़नेवाले प्रभावों का वर्णन कीजिए।
(2) आपदा के पश्चात् पुनःस्थापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
(3) ट्राफिक समस्या के निराकरण के लिए क्या-क्या करना चाहिए? - सविस्तार टिप्पणी लिखिए।

3. योग्य विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

(1) नीचे दी गई कौन-सी आपदा मानवसर्जित है ?
(A) भूकंप (B) चक्रवात (C) बाढ़ (D) दंगा

(2) अधिकांश लोग बाढ़ की दुर्घटना को किससे जोड़ते हैं ?
(A) नदी (B) महासागर (C) पर्वत (D) टापू (द्वीप)

(3) बाढ़ उतरने के बाद पीने के लिए कैसा पानी उपयोग करेंगे ?
(A) दो बार छाना गया (B) बहती धारा का
(C) साफ दिखता (D) उबालकर छाना हुआ

(4) वातावरण के विक्षोभ से उत्पन्न चक्रवात को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में क्या कहते हैं।
(A) टायफून (B) हरिकेन (C) विली-विली (D) टार्नेडो

(5) सुनामी शब्द का जापानी भाषा में क्या अर्थ होता है ?
(A) ज्वारीय लहर (B) भँवर-लहर
(C) विनाशक लहर (D) भूकंपीय लहर

(6) भोपाल गैसकांड किस गैस के रिसाव से हुआ था ?
(A) ओजोन (B) मीक (C) सल्फर डायोक्साइड (D) मिथेन

विद्यार्थी प्रवृत्ति

- शाला ग्रंथालय में से आपत्ति व्यवस्थापन विषयक पुस्तक प्राप्त करके पढ़िए।
- शिक्षक की मदद से आपदाकाल में ली जानेवाली सावधानियों का चार्ट बनाकर गाँव में सार्वजनिक स्थलों पर लगाइए।
- शाला में भूकंप से बचाव का मॉक-ड्रिल का आयोजन कीजिए।
- ट्राफिक नियमों का चार्ट बनवाएँ।
- 'मार्ग सुरक्षा सप्ताह' मनाएँ।
- ट्राफिक-नियमन के संबंध में शाला की प्रार्थना-सभा में निष्णात व्यक्ति के वक्तव्य का आयोजन किया जा सकता है।
- शिक्षक के मार्गदर्शन में नीचे दी गई वेबसाइट देखकर जानकारी प्राप्त कीजिए :
  - www.ndma.gov.in
  - www.ndmindia.nic.in
  - www.disastermgmt.org
  - www.dmibhopal.nic.in
  - www.gsdma.org
  - www.rtogujarat.gov.in

इतना जानिए : भारत में भूकंप का इतिहास

क्रम	तारीख	स्थान	रिक्टरस्केल पर तीव्रता
1.	12 मई, 2015	उत्तर तथा उत्तर-पूर्वी भारत	7.3
2.	25 अप्रैल, 2015	उत्तर तथा उत्तर-पूर्वी भारत	7.8
3.	21 मार्च, 2014	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6.7
4.	25 अप्रैल, 2012	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6.2
5.	5 मार्च, 2012	नई दिल्ली	5.2
6.	18 सितम्बर, 2011	गंगटोक (सिक्किम)	6.9
7.	10 अगस्त, 2009	अंडमान द्वीपसमूह	7.7
8.	8 अक्टूबर, 2005	कश्मीर	7.6
9.	26 दिसम्बर, 2004	हिन्द महासागर	9.1
10.	26 जनवरी, 2001	कच्छ (गुजरात)	7.6/7.7
11.	29 मार्च, 1999	चमोली (उत्तराखंड)	6.8
12.	22 मई, 1997	जबलपुर (मध्यप्रदेश)	6.0
13.	30 सितम्बर, 1993	लातूर (महाराष्ट्र)	6.2
14.	20 अक्टूबर, 1991	उत्तराखंड	7.0
15.	20 अगस्त, 1988	नोपाल-भारतसीमा	6.3/6.7
16.	19 जनवरी, 1975	किन्नौर (हिमाचलप्रदेश)	6.8
17.	21 जुलाई, 1956	अंजार (कच्छ)	6.1
18.	15 अगस्त, 1950	अरुणाचल प्रदेश	8.7
19.	26 जून, 1941	अंडमान द्वीपसमूह	8.1
20.	4 अप्रैल, 1905	हिमाचल प्रदेश	7.8
21.	12 जून, 1897	शिलांग	8.3
22.	31 दिसम्बर, 1881	अंडमान द्वीपसमूह	7.9
23.	16 जून, 1819	कच्छ (गुजरात)	8.2

●●●